# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7 ] सप्तम विधान सभा के सातवें सत्र का दूसरा दिवस [ संख्या 2



मंगलवार

दिनांक 6-9-1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

[श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन]

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।**

श्री अमीन खां ।

### बाड़मेर चिकित्सालय में मरीज की मृत्यु

35. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या मई, 1983 में श्री इनात पुत्र श्री चनेसर को बाड़मेर, चिकित्सालय में भर्ती किया गया था ? यदि हां, तो वह कौनसी तारीख से कौनसी तारीख तक भर्ती रहा ?

(2) क्या श्री इनात की मृत्यु डाक्टर्स की लापरवाही से हुई ?

(3) क्या तारीख 19-5-83 को मुख्य मंत्री जी को बाड़मेर डाक बंगले में चिकित्सालय में गरीबों के साथ लापरवाही बरतने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उसके बाद क्या कार्यवाही हुई ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश बाड़मेर ने श्री इनात के कागजात सीज कर के मेडिकल बोर्ड से जांच चाही है ? यदि हां, तो कब और उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार गरीब ग्रामीण व्यक्तियों की चिकित्सा जिम्मेदारी के साथ कराने के लिए वचनबद्ध है ? यदि हां, तो क्या विभाग लापरवाह डाक्टर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़)** : (1) जी हां, 24-4-1983 से 24-5-1983 तक भर्ती रहे ।

(2) इस सम्बन्ध में शिकायत की जांच की जा रही है ।

(3) विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(4) जी हां, दो सदस्यों के बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है । बोर्ड के सदस्य डा. आर. के. हरनेजा, प्रोफेसर एण्ड हैड ऑफ डिपार्टमेंट (सर्जरी) मेडिकल कालेज, जोधपुर तथा डा. जी. एस. गहलोत, उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोधपुर जोन जोधपुर हैं ।

Page No 2

(2)



(श्री खेतसिंह राठोड़)

(5) जी हां, दोषी पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

**श्री ग्रमीन खां** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच करेंगे। यह मरीज 15 दिन होस्पिटल में रहा। दो डाक्टरों का ग्रापस में झगड़ा होने के कारण जो कुछ उसका इलाज होना चाहिए, वह नहीं हो पाया। भूतपूर्व सी.एम.एच.ग्रो. बाड़मेर की लापरवाही से उस ग्रादमी के पेट में रसी भर गई। उसके बाद दूसरे डाक्टर ग्राये उन्होंने उस मरीज के पेट में से रसी निकाली और उन डाक्टरों को कहा कि इलाज सही नहीं हुआ है। तारीख 19–5–1983 को जब मुख्य मंत्री जी बाड़मेर पधारे थे उस समय में भी होस्पिटल में उस मरीज को देखने गया था तो बताया गया कि मरीज 15 दिन से दूध नहीं पी रहा है, न ही खाना खा रहा है और चार दिन से कोई भी डाक्टर उस मरीज को देखने नहीं ग्राया है। इस बारे में मैंने खुदने डाक्टरों से मालूम किया तो ज्ञात हुग्रा कि डाक्टरों का ग्रापस में झगड़ा होने के कारण कोई भी देखने नहीं जाता है। मैंने खुद डाक्टरों से निवेदन किया कि मैं मेडिकल तकनीक को तो नहीं समझता, परन्तु इतना मैं कह सकता हूं कि यदि कोई मरीज एक महीने से दूध नहीं पीये, खाना नहीं खाये तो वह बीमार बच नहीं सकता। जब जिलाधीश कार्यालय में मीटिंग हुई ग्रॉफिसरों की, उस समय मैंने भी शिकायत प्रस्तुत की। सी.एम.एच.ग्रो.का कहना कि वह मरीज बच जायेगा, मरेगा नहीं परन्तु तारीख 24 को डाक्टर ने जब उस मरीज के इन्जेक्शन लगाया तो वह इन्जेक्शन रिएक्शन करने लगा और मरीज बेहोश होने लगा। उसके बाद उस डाक्टर ने उसके चाचा को बुलाकर, उसकी मां को बुलाकर होस्पिटल से बाहर भेज दिया। 24 घन्टे होस्पिटल से बाहर रहने के कारण उस मरीज की रास्ते ही में मृत्यु हो गई। मैं समझता हूं कि यह मेडिकल विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। गांव के जो अनजान ग्रादमी होस्पिटल में भर्ती होते हैं उनकी इसी तरह लापरवाही के कारण मृत्यु होती है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य संक्षेप में कहिए।

**श्री ग्रमीन खां** : इसी होस्पिटल में दो ग्रौर मरीज डाक्टरों की लापरवाही के कारण मरे हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ग्राप जो इन्क्वायरी करा रहे हैं उससे मैं सन्तुष्ट हूं, लेकिन इन्क्वायरी में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम वार्निंग दी जाय, सजा दी जाय।

**श्री यदुनाथसिंह (नदबई)** : मेडिकल विभाग से.......

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्त्ता के पूरक प्रश्न का उत्तर ग्राने दीजिये।

**श्री यदुनाथ सिंह** : गलत पूछ रहे हैं यह तो रामगोपाल जी दे सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : विषयान्तर नहीं हों, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

**श्री खेतसिंह राठोड़** : अध्यक्ष महोदय, मरीज एक महीने तक अस्पताल में रहा। जब वह भर्ती हुग्रा था उस समय उसके पेट में पथरी थी। बाद में घरवाले उस मरीज को घर ले गये लेकिन मैं भी मान

# Page No 3

(3)



(श्री खेतसिंह राठौड़)

सकता हूं की मरीज विभाग की लापरवाही से मरा है, यह सच्चाई हो सकती है इसलिए यह जांच करवाई जा रही है । इस बीमारी का डाक्टर इलाज नहीं कर सके और उन्होंने उसको घर भेज दिया इस संबंध में कौन सा डाक्टर दोषी है, या दो डाक्टरों का आपस में झगड़ा होने के कारण से यह हुआ है, डाक्टरों की वजह से गड़बड़ी हुई है, इस बारे में सीनियर सर्जन, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर तथा डिप्टी डायरेक्टर को जांच हेतु नियुक्त कर रखा है । जांच रिपोर्ट आते ही जो जांच के अनुसार गुनहगार पाया जायगा उसको वारनिंग ही नहीं दी जायेगी उसको सस्पेन्ड करने की कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) :** अध्यक्ष महोदय, आज एक महीना हो गया इस घटना को घटित हुए यह जांच कब तक पूर्ण हो जायगी ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं ।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आप यह सही कह रहे हैं । मैंने डिपार्टमेन्ट से पूछा है कि जल्दी से जल्दी इस बाबत कार्यवाही की जाये । जांच नहीं होने के अभी तक कारण हैं कलेक्टर द्वारा कागजों को सीज करना व बोर्ड की मीटिंग न होने के कारण । अब मैंने उनको निर्देश दिया है कि 10 दिन के अन्दर-अन्दर इसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए जांच रिपोर्ट आने पर उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

**श्री अध्यक्ष :** अगला प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

**तारानगर पालिका क्षेत्र में मतदाता सूची संबंधी शिकायतें**

36. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :** क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तारानगर पालिका की मतदाता सूची का प्रारूप कब बन कर तैयार हुआ ?

(2) मतदाता सूची के प्रारूप हेतु आपत्तियां आदि कब मांगी गई थीं ?

(3) क्या मतदाता सूची में भारी अनियमितताये पाई गई ? यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच एवं शिकायतों की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या जांच के दौरान एवं शिकायतों से यह पता चला कि मतदाता सूचियां फर्जी बनाई गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

**श्री अहमद बक्स सिंधी (विधि मंत्री):** (1) मतदाता सूची का प्रारूप 24 जनवरी, 1983 को बनकर तैयार हुआ ।

(2) दिनांक 25–1–1983 से 9–2 83 तक की अवधि में दावे एवं आपत्तियां मांगी गई थीं ।

(3) कुछ वार्डों की मतदाता सूचियों में ऐसे व्यक्तियों के नाम अंकित पाये गये जो दर्ज किये जाने की योग्यता नहीं रखते थे । शिकायतें एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) कुछ वार्डों की मतदाता सूचियों में ऐसे व्यक्तियों के नाम अंकित पाये गये जो दर्ज किये जाने की योग्यता नहीं रखते थे । निर्धारित अवधि में नाम हटाये जाने हेतु प्राप्त 655 आवेदन पत्रों में से निर्धारित जांच के बाद 474 आवेदन

(श्री अहमदबक्श सिंधी)

पत्र स्वीकृत किये जाकर उनकी प्रविष्टियों को हटाया जा चुका है। शेष अस्वीकृत किए गए।

प्रारम्भिक जांच के आधार पर दोषी पाये गये प्रगणकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जिलाधीश, चूरू के विचाराधीन है।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह कि जिन 655 लोगों के फर्जी नाम अंकित होने की शिकायत की थी वह जिन गांवों की मतदाता सूचियों में उनके नाम थे उनके साथ यह पेश की गई थी। इसके बाद 455 नाम को काट कर बाकी 200 नाम छोड़ दिये गये ……

(व्यवधान)

नम्बर एक एस. डी. एम की रिपोर्ट थी। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं उनमें से प्रमुख एक तो विजय कुमार का नाम था और एक नाम और था। फर्जी कार्यवाही करके जो नाम जोड़े गये 455 के नाम तो हटा दिये गये लेकिन 200 नाम छोड़ दिये गये। इसका मुझे जवाब दिया जाय।

**एक माननीय सदस्य**: इनके होंगे कोई।

**श्री अध्यक्ष**: बैठे-बैठे इस तरह से रिमार्क्स पास नहीं करें। सदन की गरिमा का ख्याल रखें।

**एक माननीय सदस्य**: बैठे-बैठे तो कर सकते हैं? नहीं खड़े-खड़े तो कर सकते हैं?

**श्री अहमद बक्श सिंधी** : कुछ लोगों के नाम ऐसे जोड़ दिये गये थे जिनकी उम्र 21 वर्ष की नहीं हुई थी। नंबर एक। नंबर दो, कुछ लोग ऐसे थे जिनके नाम जोड़ दिये गये जो कि दूसरे वार्डों में रहते थे या पंचायत क्षेत्रों में रहते थे। आपत्ति होने पर गौर किया गया और इन नामों को हटाया गया। जहां तक जोड़े जाने का प्रश्न है, कुछ नाम जोड़े भी गये हैं। अगर आप चाहें तो उनकी डिटेल बता सकता हूं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : वह तो रहने दें। यह बतायें कि 655 लोगों के नामों की सूची बनाई गई थी उसमें पंचायत क्षेत्र लोगों के नाम वार्डों में जोड़े थे। एस. डी. एम. ने यह रिपोर्ट जिलाधीश को की थी कि इनके नाम पंचायत क्षेत्र की सूची में दर्ज हैं। यह सूची मेरे पास है उसमें से 400 नाम तो काट दिये गये बाकी नहीं काटे गये। यह बता दें कि बाकी क्यों नहीं काटे गये?

**श्री अहमद बक्श सिंधी** : कौनसे वार्ड की बात कर रहे हैं?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : एस. डी. एम. की रिपोर्ट देखें, उसकी बात कर रहा हूं। उसने सारी रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी है। 655 लोगों की कुल शिकायत थी, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में थे। उनमें से 400 लोगों के नाम तो काट दिये गये और बाकी के नाम नहीं काटे गये। यह बता दें कि वह क्यों नहीं काटे गये?

दूसरा। अच्छा पहले यही बता दें।

**श्री अहमद बक्श सिंधी** : बाकी के नहीं काटे गये क्योंकि उनके नाम सही पाये गये,

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** बाकी के नाम नहीं काटे गये तो क्या एस.डी एम. की रिपोर्ट गलत है ? अगर गलत है तो कलेक्टर को एस.डी.एम. के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ।

**श्री अहमद बक्श सिंधी** इसकी प्रक्रिया होती है । आप एस.डी.ओ. को आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं । अगर एस.डी एम. ने भी कोई गलती की हैं तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकते हैं । कलेक्टर को अधिकार है, आप उसकी अपील कलेक्टर को 15 दिन में कर सकते हैं । 20 अपीलें पेश हुई हैं जिसमें···

**श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) :** आपत्ति भी की थी लेकिन इन्क्वायरी नहीं हुई, हीयरिंग नहीं हुई····

**श्री अहमद बक्श सिंधी :** बैठो ।···

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** मतदाता सूची 25–1–82 को प्रकाशित हुई, 9/82 तक आपत्तियां आई । जो आपत्तियां दी गई उसकी जांच हुई । उस जांच रिपोर्ट में एस. डी. एम. के द्वारा साफ लिखा गया... "आश्चर्य की बात यहां तक है कि अध्यापक विजयकुमार ने तो आपके यहां से प्रेषित नोटिसों को मनोराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर कुछ लोगों से हस्ताक्षर करवाकर तामील करवाये बताये जाते हैं जिनकी पहचान स्वयं विजयकुमार ने ही की है ।"

जो व्यक्ति स्वयं प्रशासक है, जांच उसी के किये कार्य पर चल रही है उसी व्यक्ति द्वारा बाहर के व्यक्ति का पहचानकर्ता बनना न केवल कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतना है बल्कि जांच को प्रभावित भी करना है ।

इसके बाद एस.डी.एम. ने 655 के नाम लिखे, उनके नाम निकाल दिये जाये । अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 19–2–82 को 455 लोगों के नाम काट दिये गये । मेरा आरोप है कि तारानगर नगरपालिका क्षेत्र में चन्दनमल जी बैद गये उन्होंने एस.डी.एम. पर दबाव डाला और ये नाम कटवाने से रुक गये···

**श्री चन्दनमल बैद (मंत्री राजस्थान नहर परियोजना) :** ये आरोप बेबुनियाद है, गलत है, असत्य है....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** सही है वहां पर 400 व्यक्तियों के नाम जोड़े गये । तारानगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में पंचायत क्षेत्र में दर्ज लोगों के नाम जोड़े गये उनमें से 400 नाम तो काट दिये गये और 200 छोड़ दिये गये । सारी कार्यवाही कलेक्टर के पास है । उस विजयकुमार नामक आदमी ने फर्जी वकालतनामे लिखवाये हैं और सारे दस्तखत भी उसने खुद ने ही किये हैं । उसके लिये वर्तमान मंत्री चन्दनमलजी बैद ने कलेक्टर पर दबाव डाला है । दबाव डालकर ही वे मतदाता सूचियों को संशोधित नहीं होने दे रहे हैं ।

**श्री चन्दनमल बैद :** गलत है, बेबुनियाद है । मैं चैलेंज करता हूं कि वे इसको साबित करें मैं इस्तीफा···

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** मैं चैलेंज करता हूं कि······

(व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद :** साबित कर देंगे तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा······

(व्यवधान)

# Page No 6

(6)



**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मैं भी चैलेन्ज करता हू कि मैं साबित न कर सका तो इस्तीफा दे दूंगा ……

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : शांत रहें।

**श्रीश्रीराम गोटेवाला** (राज्य मंत्री पशु पालन) : आप यह चैलेन्ज स्वीकार करें।

**श्री खेतसिंह राठोड़** (मंत्री, संसदीय कार्य विभाग) : यह गलत है, बेबुनियाद है। अगर आप साबित कर सकते हैं तो करें।

**श्री चन्दनमल बैद** : साबित करें नहीं तो इस्तीफा दें, अन्यथा मैं इस्तीफा दूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपने एस.डी.एम. को दबाया, कलेक्टर को फोन किया है …

(व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : न फोन किया और न एस.डी.एम. को कहा मैंने। मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, बेसिरपैर का है, तथ्यों के बाहर है……

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : सही है। आप वहां पर रात को गये थे। सारी कार्यवाही की आपने वहां पर ……

(व्यवधान)

**श्री चन्दनमल बैद** : साबित करें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आप संभलें। तारानगर में आपकी पूंछ डूब जायेगी। आप लिखो इस्तीफा, मैं प्रमाण दूंगा।

**श्री चन्दनमल बैद** : मैं सदन में डिक्लेयर करता हूं कि गलत आरोप लगाये गये हैं। अगर ये उनको साबित कर देंगे तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : इस प्रकार मत कहिये।

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रकार की बात आती है तो यह यहां का प्रश्न नहीं है। अगर इसमें किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह अपील करेगा कि उसके अलावा आदि आदि प्रमाण हैं। आपने प्रश्न पूछा था, उसका माननीय मंत्री ने उत्तर दिया आप एक तरह की बात कहते हैं ये एक तरह की कहते हैं। अगर अधिकारी ने, ऊपर के अधिकारी ने गलती की है तो उसके सम्बन्ध में कार्यवाई करने का भी कानून के अन्तर्गत प्रावधान है, अन्य तरीके हैं। अदालत के समक्ष उठा सकते हैं या राज्य सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। इस प्रश्न पर यहां निर्णय होने का नहीं है।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। जो नाम फर्जी जोड़े गये थे वे काटे नहीं गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। आप भाग (4) का उत्तर पढ़ें।

कुछ वार्डों की मतदाता सूचियों में ऐसे व्यक्तियों के नाम अंकित पाये गये जो दर्ज किये जाने की योग्यता नहीं रखते थे। निर्धारित अवधि में नाम हटाये जाने हेतु प्राप्त 655 आवेदन पत्रों में से निर्धारित जांच के बाद 474 आवेदन–पत्र स्वीकृत किये जाकर उनकी प्रविष्टियों को हटाया जा चुका है। शेष अस्वीकृत किये गए।

(श्री अध्यक्ष)

कानून के अनुसार निर्णय हुआ। मैं यह समझता हूं कि इसका उस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। मैं अब यह समाप्त करता हूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)** : एक प्रश्न।

प्रश्न यह है कि पंचायत के मतदाताओं की सूचियों के नाम थे, उनके म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड में नाम कैसे ......

**श्री अध्यक्ष** : यह कानून का प्रश्न है। दो जगह नाम हो सकता है लेकिन वोट एक जगह ही दे सकता है। इसका कोई अंतिम निर्णय हम यहां पर नहीं कर सकते हैं। कानूनी विषय है।

**श्री भंवर लाल शर्मा** : कानूनी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : रिट हो सकती है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उत्तर दिलाया जाय।

**श्री अध्यक्ष** :प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्रावधान है। आपके मतलब का जवाब न आया तो क्या कर सकते हैं। इस पर विस्तार में जाकर निर्णय नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न, कृपया बैठ जायं, श्री महावीर प्रसाद, श्री कैलाश मेघवाल व श्री नाथूसिंह।

**मालवीय नगर आवासीय योजना में क्षतिग्रस्त मकान**

37. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व), श्री नाथूसिंह (दौसा) :- क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माह जुलाई, 1983 में मालवीय नगर आवासन योजना में निर्मित कुछ भवन गिर गये हैं? यदि हां, तो कितने भवन क्षतिग्रस्त हुए? इससे कितना नुकसान हुआ है? कृपया प्रत्येक मकान के अनुमानित नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस नुकसान के लिए कौन-कौन अधिकारी एवं ठेकेदार जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(3) उपरोक्त भवनों में निवास करने वाले व्यक्तियों को कितना-कितना नुकसान हुआ? इसकी क्षतिपूर्ति हेतु किस-किस मकान मालिक को क्या-क्या दिया गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन मकानों के टूटने, गिरने दरार पड़ने व अन्य नुकसान के कारणों की जांच करायी गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा?

**(श्री दूलाराम) राज्य मंत्री आवासन** : (1) जी नहीं, यह ठीक नहीं है कि माह जुलाई, 83 में मालवीय नगर में निर्मित मकान गिरे।

(2) माह जुलाई, 83 में 40 मकान निर्माणाधीन गिरे/क्षतिग्रस्त हुए। इन मकानों के गिरने से अनुमानित नुकसान 1

(श्री दूलाराम)

लाख 40 हजार रुपये का हुआ। चूंकि यह मकान सामूहिक रूप में थे अतः इनके प्रत्येक से सम्बन्धित नुकसान का अनुमान लगाना कठिन है।

(3) इस नुकसान के लिए ठेकेदारों में मे. जे. गोविन्द शर्मा, मे. नीलम बिल्डर्स तथा मे. लक्ष्मी नारायण प्रभु नारायण जिम्मेदार हैं। इस नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदारों को (रिस्क एण्ड कॉस्ट) से करायी जायेगी। तथा ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही भी जारी है।

इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गयी, उसका विवरण निम्न प्रकार है:––

1. श्री आर.पी. केडिया, आवासन अभियन्ता–निलंबित

2. श्री एम. के. पालीवाल परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ-निलंबित

श्री वी.के. शर्मा परियोजना अभियन्ता-निलम्बित

श्री एस.सी. शर्मा आवासन अभियन्ता-स्थानांतरित।

इसके अतिरिक्त चार परियोजना अभियन्ता (कनिष्ठ) जो कि तदर्थ रूप से नियुक्त थे, को नौकरी से हटाया जा रहा है।

(3) क्षतिग्रस्त मकान निर्माणाधीन थे तथा किसी को भी आवंटित/आरक्षित नहीं किये गये थे, अतः इनमें किसी के रहने तथा क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न नहीं है।

(4) इस क्षति की जांच हेतु वरिष्ठ इंजीनियरों, जिसमें हाउसिंग बोर्ड और बाहर के अधिकारी सम्मिलित हैं, की जांच कमेटी बनायी गयी है तथा जांच की कार्यवाही की जा रही है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अप्रेल माह में 18 मकानों की पट्टियां टूट कर गिर गयी थीं? अप्रेल में श्री अब्दुल मदीन, डिप्टी कमिश्नर ने रेजीडेंशियल इंजीनियर को एक पत्र लिखकर यह लिखा था कि कच्ची मिट्टी और कहीं कहीं साधारण मिट्टी का उपयोग हुआ? इसकी भी जांच नहीं की......

**श्री अध्यक्ष**: अलग प्रश्न।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : इसी में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लिखा जा चुका था......

**श्री अध्यक्ष** : इस तरह की बहुत सी घटनायें हो सकती हैं। कृपया आप अपने को संयत रखें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : कच्ची मिट्टी लगायी जा रही है उसके बारे में ..

**श्री अध्यक्ष** : मैं मान गया वह बात भी सही हो सकती है लेकिन......

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मेरा कहना यह है कि रिपोर्ट में यह दर्शाया गया था. चेतावनी पहले दे दी गयी थी उसके बाद क्या कार्यवाही की?

दूसरी बात, जो ठेकेदार हैं, उसका पंजीकरण नहीं हुआ है। तीसरी बात सितम्बर 83 से 13, अप्रेल, 83 का ठेकेदार को

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

3 लाख रुपये का एडवांस पेमेंट बिना काम किये दिया गया। मौके पर माननीय मंत्री महोदय गये तो ठेकेदार के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये थे। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दिये थे?

**श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : चेयरमेन को बर्खास्त करो।

**श्री दूलाराम** : जिस डिप्टी कमिश्नर श्री मदीन की बात कर रहे हैं, उन्हीं की निगरानी में वे मकान बन रहे थे, जो जुलाई माह में गिरे हैं।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : उसने रिपोर्ट दे दी थी ?

**श्री दूलाराम** : मेरी बात सुन लें।

ठेकेदार को 3 लाख रुपये का पेमेंट मेरे ऑर्डर करने के बाद किया, तो कार्यवाही की जायेगी, उस अधिकारी के खिलाफ लेकिन पहले ठेकेदार को पेमेंट करने की बात है तो, मैं समझता हूं, अगर ठेकेदार को पेमेंट नहीं किया जायगा तो काम कैसे करेगा। जहां तक अप्रेल में मकान गिरने की बात है, 48 मकान गिरे थे, कार्यवाही हुई, लेकिन........

**श्री यदुनाथ सिंह** : आप खुद देखकर आये थे। आप क्यों छुपा रहे हो? आप क्यों छुपा रहे हो ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर

**श्री यदुनाथ सिंह** : चेयरमैन का लड़का ठेकेदारी करता है ...

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : चेयरमैन को बर्खास्त करो बड़े बड़े अधिकारी हैं जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। उत्तर पूरा आने दीजिए, माननीय सदस्य। जिस क्रम में मैं माननीय सदस्यों के नाम पूरक प्रश्नों के लिए पुकारूं उत्तर समाप्त हो जाये, उसके बाद के पूरक प्रश्न पूछें।

**श्री दूलाराम** ; जहां तक अधिकारियों का सवाल है, श्री पी.के. लुहाड़िया आवासीय अभियन्ता, श्री हरिनारायण सक्सेन, अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग व श्री एम. एल. डंडहार, प्रोफेसर, सिविल इंजिनियरिंग कालेज को निलम्बित किया है। ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्यवाही करने से डिले नहीं करेंगे।

**श्री यदुनाथ सिंह** : चेयरमैन के खिलाफ? जिम्मेदारी किसकी है ? आप खुद वहां क्या देखकर आये ?

**श्री अध्यक्ष** : जिन सदस्यों के नाम पुकारूं

**श्री यदुनाथ सिंह** : माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं गये थे मौके पर। आपने वहां क्या पाया ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्ता

(व्यवधान)

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** (ब्यावर) : नीचे वालों की कोई सुनता नहीं। इस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को खतम किया जाय।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्नकर्ता ।

(व्यवधान)

शांत रहें प्रश्न पूछने दें।

**श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जो ऐसे ठेकेदार थे, उनके विरुद्ध एफ. आई. आर दर्ज कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? पहला प्रश्न। दूसरा अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय अपने साथ नमूना लाये थे और क्या उसको जांच के लिए भेजा गया ? अगर भेजा तो उसकी रिपोर्ट मंगायी जाय। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, आवासन मंडल की जितनी योजनायें चल रही हैं, मालवीय नगर, जवाहर नगर इनमें अभी तक जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं निर्माण में या अलाटमेंट में इनके बारे में क्या कार्यवाही की।

**श्री अध्यक्ष:** मंत्रीजी का उत्तर आने दें।

**श्री सी एल. कंवरिया** (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर ।

**श्री दीपेन्द्र सिंह**(श्री माधोपुर): कंवरिया जी स्वयं पीड़ित हैं । इनकी बात पहले सुनी जाय ।

**श्री दूलाराम** : एक माननीय सदस्य । प्रश्नकर्ता ने जो पूरक प्रश्न पूछा है ..

**श्री दीपेन्द्र सिंह** : माननीय सदस्य स्वयं पीड़ित हैं, इनकी बात पहले सुनी जाय ।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** : अध्यक्ष महोदय, हाउसिंग बोर्ड में दरवाजे ऐसे लगाते हैं कि दरवाजा खोलते ही हाथ में आ जाता है।

**श्री मेघराज तावड़:** आपकी सरकार भी ऐसी ही टेम्प्रेरी है । हाथ लगाते ही टूट जायेगी ।

**श्री अध्यक्ष:** शांत रहें, माननीय सदस्यगण ।

**श्री दूलाराम:** माननीय सदस्य ने जो सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन किया है कि मैंने मौके पर जाकर नमूना लिया । मैंने नमूना नहीं लिया । मैंने अधिकारियों को कहा था कि सैम्पल लेकर कार्यवाही की जाय। दूसरा उनको कह दिया था कि इसकी जांच करवाई जाय और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाय ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर । बाधा नहीं डालें माननीय सदस्य । अभी जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी ने पूछा है उसका उत्तर नहीं आया है । इसके पश्चात् मैं अन्य पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा···

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

**श्री दूलाराम** : अध्यक्ष महोदय, नेशनल इण्डस्ट्रियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट और श्रीराम इन्स्टीट्यूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च से निर्माण सामग्री जो काम में ली गई है, की जांच करवाई है । उसके रिजल्ट हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं । जब तक रिजल्ट नहीं आयेंगे तब तक हम किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नही करेंगे ।

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह विधायकों को मारने का माथुर सरकार का षड़यन्त्र है....

(व्यवधान)

हाउसिंग बोर्ड के चैयरमेन, श्री रामनारायण चौधरी को तुरन्त हटाया जाय....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि जिस ठेकेदार ने निर्माण कार्य किया है, उसके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है या नहीं ?

**श्री दूलाराम** : मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया है...

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : श्री रामनारायण चौधरी को हटाया जाय। यह उनकी मिली भगत से कार्यवाही हुई है ..

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : इस ठेकेदार ने ही श्री रामनारायण चौधरी का मकान बनाया है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** · अंकित न हो

**एक माननीय सदस्य** : X X X

**श्री अध्यक्ष** : समय न लें, माननीय सदस्य। श्री यदुनाथ सिंह।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिये कहा लेकिन बाद में ठेकेदार उनसे मिला। उसके पश्चात एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई। ऐसा मालूम होता है कि xxx इनका स्वयं का मकान यह ठेकेदार बना रहा है.....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** :-आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

मानहानिकारक और आपत्तिजनक बात न कहें। अन्य तरीके से प्रश्न पूछें। प्रश्न की परिधि के बाहर न पूछें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

**श्री दूलाराम** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, माननीय सदस्य ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि मैं स्वयं इस में लिप्त हूं। मैंने किसी ठेकेदार का पक्ष नहीं लिया है। ये मकान 78 में बने हैं और मेरा मकान 1983 में बना है। मुझे तो ऐसा लगता हैxxx

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि...

**श्री अध्यक्ष** : पूरक प्रश्न से सम्बन्धित कोई प्रश्न हो तो वह पूछें। मानहानिकारक और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग न करें..

(व्यवधान)

---

xxxअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री यदुनाथसिंह** :-अध्यक्ष महोदय, ये शब्द वापस लिये जायं कि माननीय सदस्यXXX

(व्यवधान)

**श्री दूलाराम** :-शर्मा, वर्मा, गुप्ता, गुर्जर आदि तो आपके ही रिश्तेदार हो सकते हैं। मेरे तो कोई रिश्तेदार हैं नहीं और न ही हो सकते हैं....

(व्यवधान)

**श्री पीरूराम (टीबो)** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हाऊसिंग बोर्ड के जो मकान गरीब लोगों को आवंटित किये गये हैं, निर्माण होने से पहले जो मैटेरियल काम में लिया जाता है, सीमेंट वगैरह, क्या उसकी चैकिंग की गई थी या नहीं की गई थी? आज उन गरीबों की हालत खराब हो रही है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों को और अवसर दूंगा। कृपया शान्त रहें।

माननीय सदस्य, श्री गोकुलचन्द।

**श्री गोकुलचन्द शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हाऊसिंग बोर्ड में एक विंग है जो मैटेरियल लगने पूर्व और बाद में उसका टेस्ट किया जाता है तो क्या जो विंग बना हुआ है उसमें इन भवनों में काम में लिया गया मैटेरियल टैस्ट करवा लिया गया था और वह गलत लगा तो दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

(व्यवधान)

**श्री दूलाराम** : माननीय सदस्य मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं। तीन वरिष्ठ इंजीनियरों की कमेटी बनाई है जिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट आयेगी सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में पीछे नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं इजाजत दे रहा हूं। शान्त रहें--एक एक प्रश्न की इजाजत दूंगा...

**श्री गोकुलचन्द शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया इन्होंने तो रिपोर्ट क्या देंगे?....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्री बिहारीलाल पारीक।

**श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल)** : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मामले में एक मत है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन ये मकान गिरे उस दिन प्राक्कलन समिति वहां जाना चाहती थी लेकिन हाउसिंग कमेटी उस दिन वहां पर चली गई, तो वहां पर लोगों के मकानों पर पर्दे डाल दिये गये। मन्त्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस दिन पर्दे डाल दिये गये उसकी फोटो आपने अखबारों में छपी देखी होंगी, तो क्या आपने अधिकारियों को सस्पेन्ड

---

XXXअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

किया ? आपकी लायलिटी क्या है, आप किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ? आपको दोषी अधिकारियों को सस्पेन्ड करना चाहिए था ...

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उस दिन वहां पर गया था। उस दिन मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था।

(व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुनें। मैंने मैटीरियल नहीं उठाने के आदेश दिये थे और उसकी जांच कराने के भी आदेश दिये थे। अगर सदन का कहना यह है कि उन अधिकारियों को निलम्बित करो, सस्पेन्ड करो इससे काम हो जायेगा तो सबको निलम्बित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ..

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : हाउसिंग बोर्ड के चैयरमेन श्री रामनारायण चौधरी को बर्खास्त करो जिनके कारण यह सब कुछ हुआ है...

(व्यवधान)

श्री भंवरसिंह गुर्जर (खारची): ईमानदार चेयरमेन पर आरोप लगाते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ये मकान गरीब परिवारों के है। करीब 40-48 मकान गिरे हैं जिससे हाउसिंग बोर्ड की साख भी गिरी है, यह बात मैं स्वयं भी मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जो भी एस.ई.,एक्स.ई.एन., कर्मचारी, ठेकेदार आदि दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी...

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपने चेयरमेन के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, शान्त रहें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीन सदस्य ने कहा कि जो अलाटमेन्ट हुए हैं उनमें कुछ को छोटे मकान मिले हैं, कुछ को जो मकान मिले वह अच्छे नहीं हैं कुछ ने यह शिकायत की कि उनको अलाटमेन्ट जवाहर नगर में होना चाहिये था लेकिन मालवीय नगर में हो गया। मेरा निवेदन है कि मैंने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अलाॅट करने के आदेश दिये थे, जिनमें एम.एल.ए. भी थे, लोक सभा के सदस्य भी थे और दूसरे लोग भी थे।

श्री अध्यक्ष : आप इनको अच्छे मकान देना।

श्री दूलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज महसूस करता हूं कि अगर वह मकान अच्छे नहीं हैं तो हाउस की एक कमेटी बना

# Page No 14

(14)



(श्री दूलाराम)

दीजिये वह इसकी जांच करेगी। अच्छे नहीं हुए तो हम उसको बदल देंगे।

**श्री मेघराज तावड़:** अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पूरक प्रश्न हैं।

**श्री अध्यक्ष;** केवल एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। समय बहुत हो गया है।

**श्री मेघराज तावड़ :** अध्यक्ष महोदय, जो ठेकेदार थे क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की गई? मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 16 मकान पुलिस लाइन में और 80 मकान मालवीय नगर में गिरे हैं। अगर नहीं गिरे तो उन लोगों को त्रिपाल क्यों इश्यू किये गये?

दूसरा क्या यह सही है कि यह आश्वासन दिया गया था कि जिन अधिकारियों को सस्पेन्ड किया था उनको साइट पर नहीं लगाया जायगा लेकिन अलवर में उन्हीं लोगों को साइट पर लगाया गया है?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज! मंत्री महोदय।

**श्री दूलाराम :** अध्यक्ष महोदय, वही प्रश्न हैं जो माननीय सदस्य ने किये।

**श्री अध्यक्ष :** इनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री कंवरिया।**

(व्यवधान)

शान्त रहें, माननीय सदस्य।

**श्री सी. एल. कंवरिया :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या मालवीय नगर में कुछ अधिकारियों और एम.एल.एज. को मकानों का अलाटमेंट हुआ उसमें मनमाने ढंग से लाटरी निकाली गई! कुछ अधिकारियों को तो अच्छे मकान जवाहर नगर में अलाट कर दिये और बाकी को दूसरी जगह, जहां पर मकान ऐसी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं या गिरने की हालत में हैं, अलाट किये? अगर यह सही है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार से निकाली गई लाटरी को आप निरस्त करके दूसरी लाटरी निकालेंगे?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय कंवरिया जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका सम्बन्ध मूल प्रश्न से नहीं है। इस प्रश्न को अन्य किसी माध्यम से पूछें।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह। संक्षेप में एक प्रश्न।

**श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह** (गुढा) : क्या यह सही है कि आई. ए. एस. अधिकारियों को जवाहरनगर में और बाकी को दूसरी जगह अलाट किये गये?

नेता प्रतिपक्ष **(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :** एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि कुछ एम. एल. एज. को जो अलाटमेंट हुआ है उसमें पक्षपात हुआ है। आपने यह कहा कि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन इस बात को माननीय सदस्य या सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि इसमें कौन-कौन से एम. एल. एज. इन्वाल्व्ड हैं। वरना प्रोसीडिंग्स में जायगा, जिन एम. एल. एज.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने लिया उन पर भी आयेगा और जिन्होंने नहीं लिया उन पर भी आयेगा।

( व्यवधान )

**श्री खेतसिंह राठौड़** ( मंत्री, संसदीय कार्य) : यह इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं रखता है। एकदम प्रश्न पूछा गया है, अभी इसकी जानकारी देने में असमर्थ हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा कहना विशेषाधिकार का हनन है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : विशेषाधिकार का प्रश्न है तो रूल्स में प्रोविजन है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : रूल्स तो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं।

**श्री दूलाराम** : मैं जवाब देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब से हाउसिंग बोर्ड बना है 1978, 1979 और 1980 में लॉटरी निकाली गई। आप ताज्जुब करेंगे, माननीय विपक्ष के नेता ने माननीय सदस्य की बात रिपीट की, इसकी मुझे खुशी है मुझे खुशी है, माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के है। मैं कहना चाहता हूं कि 1980 में अलाटमेंट हुआ क्या उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अलॉटमेंट नहीं होना चाहिये था। मैंने इस बात को महसूस किया और धारा 60 के अन्तर्गत निर्देश देकर अनुसूचित जाति के लोगों को अलाटमेंट करवाये। उस समय मालवीयनगर, जवाहरनगर और अलवर में भी, केवल एम, एल एज. की बात नहीं करता हूं, आम जनता की बात करता हूं, 40 पर्सेन्ट कोटा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए फिक्स करवाया, जो आज तक पूरा नहीं हुआ था उसको पूरा करवाया। चाहे एम.आई.जी. (ए) में हो, एम आई.जी. (बी) में हो, ई.डब्लू.एस. में हो। मैंने डाइरेक्शन दिये हैं, हो सकता है फलां को अलाट हुआ और फलां को नहीं। जिन लोगों ने पैसे नहीं भरे, मैंने डाइरेक्शन दिया है उन को भी दीजिये। मैंने यह नहीं कहा कि फलां व्यक्ति को दीजिये और फलां को नहीं दीजिये या फलां को फलां जगह अलाट करिये। यहां तक कि सोहन लालजी बंशीवाल, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, को भी जवाहरनगर में अलाटमेंट हुआ। क्या वे हमारी पार्टी के सदस्य हैं? इसलिए यह जो आरोप है कि इसमें पक्षपात हुआ है कतई सही नहीं है। 40 पर्सेन्ट कोटा पूरा होना चाहिये मैं आज विधानसभा में घोषणा करता हूं कि पहले अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया जायेगा।

**श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इसकी उच्चस्तरीय जांच करवाई जाय। मन्त्रि मण्डलीय समिति के द्वारा इसकी जांच करवाई जाय। पंचायत राज मन्त्रीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीरामकंवार बैरवा।

**श्री रामकंवार बैरवा** (फागी): अध्यक्ष महोदय, जब एम.एल.एज. और शिड्यूल्ड कास्ट्स और कमजोर वर्ग के लोगों को मकान अलाट करने की प्रक्रिया शुरू हुई उस वक्त में पार्लियामेंट का सदस्य था। उस वक्त मुझे यह रिपोर्ट मिली कि जो हाउसिंग बोर्ड के मकान बन रहे हैं वह बिलकुल ही कमजोर बन रहे हैं। बाद में सन्

(श्री रामकंवार बैरवा)

1980 में जब वापस हाउसिंग बोर्ड के मकानों की स्कीम निकली तब मैंने भी कुछ लोगों के कहने से जयपुर में मकान के लिए फार्म भरा था। उसके बाद मेरे नाम से लाटरी निकली थी। जब मेरे मकान का पता लगाया गया उस समय मुझे 12/84 मकान नम्बर मालवीयनगर में अलाट हुआ था वह ऊपर की मंजिल में था। चूंकि ऊपर के मकान में मुझे कुछ दिक्कत आ रही थी इसलिये मैंने मंत्री महोदय और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी की। दो दफा मैं हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन और दो बार मंत्री महोदय से मिला। मैंने उनको कहा कि मेरे साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ है। पर कोई सुनवायी मेरी नहीं हुई। एक हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कोई मिस्टर अग्रवाल हैं उनसे भी मैं मिला, तीन चार बार मिला। मैंने उनसे यह कहा कि मेरी वाइफ टी.बी. की मरीज हैं इसलिये आप मुझे जवाहरनगर के सेक्टर नम्बर दो, तीन या चार में स्वतन्त्र मकान नीचे की मंजिल का दिलवा दें। मुझे उन्होंने वहां पर मकान नहीं दिया। 15 हजार रुपये जमा करवाये जाने व बाद में 15 हजार रुपये जमा सात महीने में करवाने का नोटिस दिया गया...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह प्रश्न आपका सीधा प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**श्री रामकंवार बैरवा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके लिये आपको भी लिखित में शिकायत की थी कि मेरी पत्नी टी.बी. की मरीज हैं। ऊपर की मंजिल में चढ़ने से उसको तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, एक तो मुझे छोटा मकान दे दिया। दूसरे ऊपर की मंजिल में दिया है बड़ी राशि वसूल करने का नोटिस दे दिया गया। मेरे साथ में अन्याय हुआ है पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि इसके विपरीत यह हुआ कि उन्होंने मुझे नोटिस दिया कि आप अपनी पत्नी का टी. बी. की मरीज होने का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे छोटा मकान दिया। इस प्रकार की वहां पर बहुत सी गड़बड़ियां हैं। लोगों ने चौकीदारों से फार्म भरा रखे हैं बाद में हाउसिंग बोर्ड के प्लाटों का ब्लेक हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप तो विषयान्तर हो रहे हैं।

**श्री रामकंवार बैरवा** : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो महसूस हो रहा है वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर कोई मकान अच्छे बनने हों या किसी के साथ कोई न्याय होता हो इसका मुझे कोई विश्वास नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऐसा है कि ऐसे कई मामले होते हैं विशेष रूप से ऐसा मामला जिससे आप खुद संबंध रखते हैं, तो माननीय सदस्य को यथासम्भव ऐसा व्यक्तिगत प्रश्न यहां पर नहीं रखना चाहिये।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अब माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। मेरा नम्र निवेदन है चूंकि इस प्रश्न पर काफी लम्बी करीब आधे पौन घन्टे से ज्यादा सदन में बहस हो गई है अतः मैं इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त करता हूं और अगला प्रश्न लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, लोगों की जान का खतरा है। लोग मारे जायेंगे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत ही धान्धली है। अपने लोगों को एक ही लाइन में चार चार मकान एक साथ अलॉट हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न क्यों जबकि इस प्रश्न के पहले पूरक प्रश्न का ही जवाब पूरा नहीं हुआ है।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी, सैक्टर नम्बर दो, तीन और चार में बहुत से मकान ऐसे हैं जो कि क्षति ग्रस्त हुए हैं। वहां पर मन्त्री महोदय गये ही नहीं। क्या मन्त्री महोदय को वहां पर नहीं जाना चाहिये था ? उनके बारे में मन्त्री महोदय ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। मैं पूछना चाहूंगी मन्त्री महोदय से कि वह सैक्टर नम्बर एक, दो, तीन में क्यों नहीं गये ? जो मकान क्षति ग्रस्त हुए हैं उनके सम्बन्ध में उन्होंने क्यों नहीं कोई कार्यवाही की ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि वहां मकान गिरे हैं तो मंत्री महोदय वहां पर क्यों नहीं गये ? इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ में आज तक मन्त्री महोदय ने कोई कार्यवाही की है ? अगर नहीं की है तो क्यों ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें। आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा :xxx

श्री दाऊदयाल जोशी :xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है।

मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी :xxx

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य ! कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर–आर्डर। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगर आपको इस प्रश्न को उठाना है तो आप इसको किसी और माध्यम से उठा सकते हैं अपने यहां पर नियमों में अलग से प्रावधान है। अगर माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप किसी और माध्यम से इस प्रश्न को उठायें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें। अब आप जिद नहीं करें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**ग्राम घासा सरपंच के विरुद्ध शिकायतें**

38. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गांव घासा, पंचायत समिति, मावली, जिला उदयपुर के भूतपूर्व सरपंच श्री देवीलाल के विरुद्ध हजारों रुपयों के गबन एवं अनियमितता का आरोप गांव की जनता ने विभाग के अधिकारियों के सम्मुख रखा है ? यदि हां, तो कृपया आरोप-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन आरोपों की जांच हेतु उप जिलाधीश, वल्लभनगर को एवं अन्य व्यक्तियों को लगाया गया ? यदि हां, तो कृपया उनकी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच ने पंचायत समिति से हजारों रुपये बिना काम करवाये उठाये जिनकी सत्यता जांच के बाद प्रकट भी हुई। यदि हां, तो फिर भी सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

पंचायत, राज्य मन्त्री (**श्री शीशराम ओला**) : (1) जी हां, श्री गुलाब चन्द कटारिया सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा एक शिकायत पत्र मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। आरोपों की जांच हेतु उप जिलाधीश, वल्लभनगर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने आरोपों को स्पष्ट तथा प्रमाणित नहीं होना बताया है। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। किन्तु पूर्व सरपंच के कार्यकाल के हिसाब किताब का विस्तृत ऑडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण द्वारा करवाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

क्या यह सही है कि जो मैंने आरोप-पत्र लिखित में दिया उसके अनुसार वहां पर काम नहीं हुआ। इसके अलावा आरोप पत्र में शिकायत की गयी थी, उसकी जांच वहीं के ज. ई. एन, जो कि उस काम को कराने वाला था और जिसने पहले उसके लिये सर्टीफिकेट दिया था, से करवाई गई? उसने यह प्रमाणीकरण किया कि वहां पर काम हुआ है। क्या आप इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जिस आदमी के खिलाफ में आरोप-पत्र था उसी से उसकी जांच करवायी जाय।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्यों से यह व्यवस्था के रूप में निवेदन किया था कि जिससे आप खुद व्यक्तिगत रूप से संबंधित हों उसकी चर्चा, माननीय सदस्य, जहां तक हो यहां पर नहीं करें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, वहां की जनता ने शिकायत की है। मैंने तो उस शिकायत को फार्वर्ड किया है। लगभग 70 हजार रुपये का गबन हुआ है। उसमें जिस जे. ई. एन ने सर्टीफिकेट दिया है उसी से जांच करवायी गयी और उसने ही प्रमाण-पत्र दिया है। तो जो खुद दोषी हो उससे प्रमाणीकरण कराना कहां तक सही है और उसके ही प्रमाणीकरण पर जजमेन्ट देना क्या उचित है? क्या यह जजमेन्ट सही है।

**श्री शोभराम ओला** : अध्यक्षजी, कोई गैर से जांच नहीं कराई, हमने कलेक्टर को लिखा, कलेक्टर ने उपखंड-अधिकारी, वल्लभनगर से जांच कराई, मुझे पता नहीं पहले इस व्यक्ति ने क्या किया, लेकिन यह निश्चित है कि आपको कोई शिकायत है, आप इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे अधिकारी से जांच कराने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा भी सारी ऑडिट रिपोर्ट कल ही प्रस्तुत हुई है। यह रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। हम देखेंगे विभाग देखेगा कि किस-किस की कितनी 2 गल्ती है। उसकी कुछ भी गल्ती पाई गई, गबन पाया गया तो निश्चितरूप से उसके खिलाफ एक्शन होगा।

**श्री गुलाबचंद कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूं, आप फिर से जांच कराने के लिए तैयार हैं। मुझे इससे संतोष है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जांच में जिस निर्माण के बारे में बताया है कि निर्माण नहीं हुआ, सड़क नहीं बनी और 36,000) रु. उठा लिए, कम-से कम उस जांच में गांव के 5-10 लोगों का एवीडेंस लें, जिस सड़क के बारे में कहते हैं कि 36 हजार रुपये उठाए और सड़क पर एक भी तिनका नहीं गिरा, पी. डब्ल्यू. डी. ने रोड बनाई, उस रोड को उन्होंने मेन्शन करके बिल बनाया, उसका प्रमाणीकरण सर्टीफिकेट ले लिया और सर्टिफिकेट पेश कर दिया। मैं चाहूंगा कि गांव के लोगों की भी इसमें आप एवीडेंस लें, मौके पर जाकर देखें, उसके आधार पर जांच करायें, यह उसमें मेन्शन कर दें।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अगला सवाल महत्वपूर्ण है। देश भर में हल्ला मच रहा है, बहुत आवश्यक प्रश्न है, ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं करूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय । एक अथवा दो पूरक प्रश्न पूछे जायेंगे वह भी प्रश्नकर्त्ता द्वारा ।

(व्यवधान)

**अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले**

39. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक राज्य में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज हुए तथा इनमें कितना कितना व कितने कितने मूल्य का माल जब्त हुआ ?

(2) कितने मामलों में अनुसंधान जारी है तथा कितनों में बरी किया गया ? कितने मामलों में विभाग ने जांच की, कितने वापस लिए तथा कितनों का चालान हुआ ?

(खाद्य व आपूर्तिराज्य मंत्री) **श्री घासीराम यादव** :– (1) 1 अप्रेल, 1981 से अब तक राज्य में अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 13164 मामले दर्ज हुए। जब्त हुए सामान एवं उसके मूल्य की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। उक्त सूचना में धौलपुर जिले के बनने के पश्चात धौलपुर जिले में बने केसेज की संख्या एवं जब्त किए हुए सामान की सूचना उपलब्ध नहीं होने से सम्मिलित नहीं की जा रही है।

(2) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ठ 3 देखें)

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो सूची मुझे दी गई है, वह इस प्रकार है:–

मामलों का विवरण : विभागीय कार्यवाही– 11,131.

| | |
|---|---|
| अनुसंधान जारी | 968 |
| चालान | 261 |
| बरी | 236 |
| मामले वापस लिए गए | 208 |

याने जो आपने मामले बताए 13164 उनमें से आपने 11131 में तो विभागीय कार्यवाही कर ली। विभागीय कार्यवाही कैसे ? आपने तो इस अधिनियम की अनुपालना ही नहीं की, उसके बाद चालान क्यों नहीं पेश किया, सजा दिलाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जितने इसमें मामले हैं उसमें चालान पेश हुआ कुल 261 में से 208 मामले वापस ले रहे हैं इसका क्या कारण है? मंत्री महोदय बताने की कृपा करें, इतने मामले होते हुए भी आप मामले वापस ले रहे हैं। 236 में बरी किया लेकिन आप विभागीय जांच कर टालमटोल करने की प्रक्रिया समाप्त करें और उनके खिलाफ निश्चितरूप से चालान करें।

एक बात और बताने की कृपा करें मंत्री महोदय, यह विभागीय कार्यवाही जो की गई उसमें मोटी-मोटी सूचना देने की बात करें। इनको विभागीय कार्यवाही में दोष मुक्त किस आधार पर किया, आपने लंबे चौड़े सारे मामले खतम कर दिए। ज्यादातर मामले विभागीय जांच से ही समाप्त कर दिए।

**श्री हरीसिंह (कुम्हेर)** : कितने मूल्य का माल सीज हुआ और कितने मूल्य का आपने रिलीज कर दिया ?

**श्री घासीराम यादव** : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल माननीय सदस्य ने किया था शायद माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है कि विभागीय कार्यवाही और दूसरे अनुसंधान हैं, अलग-अलग चीज है। विभागीय कार्यवाही में सिर्फ जुर्माना करके छोड़ देते हैं, उनका चालान पेश नहीं होता। माननीय सदस्य कहते हैं उनमें चालान पेश करने की आवश्यकता है, वह बात गलत है। उनमें जुर्माना करके छोटी मोटी सजा करके छोड़ देते हैं। 11151 मामले ऐसे हैं, जिनमें विभागीय कार्यवाही हो गई और बाकी मामलों में हमारा जो खाद्य विभाग है वह भी चालान पेश करता है। मैंने फिगर्स दे दिये हैं। दूसरे सदस्य ने पूछा कि कितना माल जब्त किया और कितना रिलीज किया, यह मूल सवाल में नहीं है। जो जब्त हुआ वह हमने बता दिया।

**श्री हरीसिंह** : यह रेलेवेन्ट सवाल है, कितना सीज किया कितना रिलीज किया ?

**श्री घासीराम यादव** : अलग सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : जो मामले दर्ज किये गए इससे सम्बन्धित मामला ···

**श्री अध्यक्ष** : कितने मामले वापस लिए गए, किन कारणों से वापस लिए गए, यह विस्तार का मामला है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : यह प्रश्न ही नहीं किया।

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : चालान पेश करने के बाद कितने मामले वापस लिए गए, यह तो बताने की कृपा करें ?

**श्री घासीराम यादव** : चालान पेश करने के बाद कितने मामले वापस लिए गए, यह अलग सवाल है।

**श्री अध्यक्ष** : वह उत्तर में आ गया।

**श्री यदुनाथ सिंह** : चालान पेश करने के बाद मामले वापस हो रहे हैं।

**श्री घासीराम यादव** : आप बतायें, जहां चालान करने के बाद वापस लिया हो। गलत वापस लिया हो तो बतायें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप बतायें ना ?

**श्री यदुनाथ सिंह** : आप बतायें, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो सरकार से जानकारी मांग रहा हूं। या कहिए मेरे पास जानकारी नहीं है····

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : क्या यह समझा जाए कि जो 208 मामले वापस लिए हैं वे अदालत में चालान पेश करने के बाद वापस लिए हैं ?

**श्री घासीराम यादव**: जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है, वह असल में सवाल ही बिलकुल सही नहीं है। उन्होंने

(श्री घासीराम यादव).

कहा, कितने बरी किये गये हैं। हमने जो वापस लिए हैं। उसमें सभी तरह के हैं, छोड़ दिए, विभाग ने चालान नहीं किया वह भी शामिल.......

**श्री भैरोंसिह शेखावत**: नहीं नहीं 208 मामले वापस लिए, यह आपने जवाब दिया है 208 मामले वे हैं क्या जिसका चालान अदालत में पेश कर दिया ?

**श्री घासीराम यादव** : नहीं ये वह नहीं हैं। ये वह हैं जिनका इन्वेस्टीगेशन था मतलब जो डिपार्टमेंटल इन्क्वारी थी उसके बाद उचित नहीं समझा चालान करने के लिए।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मतलब, अदालत से कोई मामला वापस नहीं किया।

**श्री घासीराम यादव** : वह इसमें शामिल नहीं है। उसके लिए अलग सवाल करें।

**श्री यदुनाथ सिह** : चालान करने के बाद वापस लेने का क्या कारण है ?

**श्री घासीराम यादव** : आप अलग सवाल पूछें।

**श्री यदुनाथसिह** : वापस लेने के कारण तो सप्लीमेंट्री में ही पूछे जायेंगे।

**श्री घासीराम यादव** : सारे फिगर्स जो मांगे वह दे दिये। आप इन्डिविजुल केस में पूछें तो बतायें।

**श्री यदुनाथसिह** : फिर तो अतारांकित प्रश्न ही पूछता।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : सवाल साफ है, कितने मामलों में अनुसंधान जारी है ? अनुसंधान आपकी लेवल पर हो गया। कितनों में बरी किया गया ? अब बरी से कामनसेन्स और कोमन फार्म के अनुसार मतलब है कोर्ट में गया होगा, वहां से एक्विटल हुआ। आगे है कितने मामलों में विभाग ने जांच की, कितने वापस लिए तथा कितनों का चालान हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : इसमें आपकी इन्टेंशन बता पायेंगे कि अदालत से वापस लिये तो आपने उस समय स्पष्टीकरण....

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : कितने मामले वापस लिए ?

**श्री अध्यक्ष** : आपने जिस इरादे से पूछा उसका जवाब दे दिया।

**श्री यदुनाथसिह** : 208 मामले कहां से वापस लिए ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### चित्तौड़गढ़ जिले के छात्रावासों में परीक्षा परिणाम

54. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में चलने वाले विभागीय छात्रावासों में वर्ष 1980-81 से

(श्री नन्दलाल मीणा)

वर्ष 1982-83 तक किस-किस छात्रावास में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और इनमें से कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुये ? कृपया छात्रावास वार एवं वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक प्रत्येक छात्रावास में परीक्षा परिणाम कितना-कितना प्रतिशत रहा ? कृपया वर्ष-वार व छात्रावासवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

**प्रतापनगर (उदयपुर) के बनवासी छात्रावास की संपत्ति का विक्रय**

55. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बनवासी छात्रावास, प्रतापनगर, उदयपुर को राज्य सरकार ने कितनी भूमि एवं राशि दी जिससे भवन बनाया गया ?

(2) क्या विभाग को यह जानकारी है कि उक्त भूमि को कुछ प्रभावशाली पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बेच दिया एवं बेच रहे हैं ? यदि हां, तो कब व किसे बेची एवं कितना धन प्राप्त हुआ ?

(3) क्या संस्था के विधान एवं राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की सम्पत्ति को कोई बेच सकता है ?

(4) क्या भूमि बिक्री से प्राप्त धन-राशि संस्था में जमा है ? यदि हां, तो कब जमा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार छात्रावास की इस सारी भूमि का पुनः नाप करवा कर सीमा-बन्दी कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बनवासी छात्रावास, प्रतापनगर, उदयपुर के लिए तत्कालीन उदयपुर महाराणा ने वर्ष 1947 में 50 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित की थी किन्तु राजस्व रेकार्ड में 49 बीघा 4 बिस्वा दर्ज है जिसमें से 35 बीघा 18 बिस्वा भूमि दिनांक 21-11-78 को पुनः सरकार के नाम दर्ज हो गई इस प्रकार संस्था के पास 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि रही। भवन बनाने के लिये राज्य सरकार ने कोई राशि नहीं दी।

(2) जी नहीं।

(3) यदि संस्था को भूमि आवंटन के आदेश में यह स्पष्ट हो कि भूमि उसी कार्य में ली जावेगी जिस कार्य के लिए आवंटित की गई है और संस्था द्वारा आवंटित भूमि या उसके कोई भाग को बेचा या रहन नहीं रखा जा सकेगा तो उस दशा में संस्था द्वारा सम्पत्ति को नहीं बेचा जा सकता है।

(4) संस्था के पास शेष रही भूमि में से यू.आई.टी. उदयपुर ने सड़क निकाली जिसके मुआवजे का दिनांक 3-2-83 को

# Page No 24

(24)



(समाज कल्याण मंत्री)

64,420/- रुपये का चैक दिया जो संस्था के खाते में दिनांक 4-2-83 को जमा हुआ।

(5) प्रश्न का सम्बन्ध मेरे विभाग से नहीं है।

**माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर के कार्यों का मूल्यांकन**

56. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर में कार्यरत कर्मचारियों की सूची मय योग्यता, पद, प्राप्त वेतन, अवधि के सदन की मेज पर रखें।

(2) शोध संस्थान ने वर्ष 1977 से 1983 तक जो प्रकाशन एवं कार्य किये उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग के किसी अधिकारी ने इसके कार्य का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट रही? कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सूची मय वांछित सूचना के संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(3) संस्थान द्वारा किये गये कार्य एवं प्रकाशनों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) विभाग के किसी भी अधिकारी ने इसके कार्य का मूल्यांकन नहीं किया है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**गांव अडिन्दा (भीण्डर) में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना**

57. कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास की ओर से पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर में आदिवासी बहुल्य गांव अडिन्दा के लिये एक स्वास्थ्य केन्द्र की योजना है।

(2) क्या विभाग ने इस केन्द्र को अडिन्दा से हटाकर गांव मोड़ी में लगाने का प्रस्ताव किया है?

(3) क्या गांव मोड़ी आदिवासी बाहुल्य गांव है?

(4) क्या गांव मोड़ी जन जाति लघु खण्ड में सम्मिलित है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं क्योंकि कुल आबादी में से आदिवासियों की आबादी 50 प्रतिशत से कम है।

(4) जी, नहीं।

**कोटा में आवासन मंडल द्वारा निर्मित मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी**

58. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री शऊदयाल जोशी)

(1) कोटा स्थित आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों की वर्ष 1979 से 1983 तक कब कब कितनी कितनी कीमतों को किस किस योजना में बढ़ोतरी की गई।

(2) क्या मण्डल द्वारा की गई इस बढ़ोतरी का कोई मानदण्ड नियमानुसार स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो कीमतें कैसे व किस आधार पर बढ़ाई जा रही हैं? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर संलग्न परिशिष्ट सं. 1 से 7 में सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(परिशिष्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

**उदयपुर नगर के कब्रिस्तान**

59. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर नगर में 1 अगस्त, 1983 तक कुल कितने कब्रिस्तान हैं?

(2) क्या यह सच है कि ब्रह्म पोल कब्रिस्तान का स्थान महाराणा मेवाड़ ने दिया? यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सच है कि कब्रिस्तान की भूमि देने के पूर्व ही वहां हनुमानजी का मन्दिर एक ओर स्थित था और उसका स्थान छोड़कर ही महाराणा ने शेष का पट्टा सलावट वाड़ी के मुसलमानों को दिया?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में कुल 13 कब्रिस्तान हैं।

(2) यह नहीं कहा जा सकता कि कब्रिस्तान का स्थान महाराणा मेवाड़ ने दिया या नहीं परन्तु मेवाड़ राज्य काल में ब्रह्मपोल के बाहर कब्रिस्तान था। पट्टा रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(3) तीसरा नम्बर 34 जिसमें कब्रिस्तान है के एक ही कोने में हनुमान जी का मन्दिर स्थित था। पट्टा उपलब्ध नहीं है।

**जिला बीकानेर में सस्ते मूल्य पर वस्तुओं का वितरण**

60. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा): क्या खाद्य व आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बीकानेर की तहसील नोखा में जनवरी, 1982 से जून, 1983 तक कुल कितनी बोरी गेहूं व चीनी आवंटित की गई? उक्त समय में उक्त तहसील के लिए जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के पास कितनी-कितनी बोरी गेहूं व चीनी व सीमेन्ट की मांग की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार बीकानेर जिले के किसानों व गरीब पिछड़े तबके के मजदूर को मिलने वाली खाद्यान्न, डीजल• तथा सीमेन्ट आदि सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करायेगी?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में तहसील नोखा में जनवरी, 1982 से जून, 1983 तक आवं-

(26)



(खाद्य व आपूर्ति मन्त्री)

टित गेहूं व चीनी की सूची संलग्न है। जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को उक्त तहसील के लिए गेहूं चीनी व सीमेंट की कोई मांग प्रस्तुत नहीं की गई

(2) उपलब्धि के आधार पर नियंत्रित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

**उदयपुर नगर में सीमेन्ट के परमिट**

61. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर को माह अप्रेल, मई, जून व जुलाई, 1983 में कितना सीमेन्ट प्राप्त हुआ कृपया माहवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जिला रसद अधिकारी, उदयपुर ने माह अप्रेल, मई जून व जुलाई, 1983 में अपने कार्यालय से कितने कितने सीमेन्ट का परमिट किन किन व्यक्तियों, विद्यालयों, संस्थाओं को कब कब दिया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या नये मकान बनाने हेतु सीमेन्ट देने का कोई प्रोवीजन है ? यदि है, तो आधार क्या रखा गया है ;

**उत्तर**

(1) सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) विद्यालयों एवं राजकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं को दिये गये परमिट की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त 2100 व्यक्तियों को सीमेन्ट के परमिट आवासीय भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु 5 से 20 कट्टे तक मांग एवं उपलब्धि के आधार पर दिये गये। सूची अत्यधिक विस्तृत होने से प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 28–2–82 से सीमेन्ट की दोहरी मूल्य नीति लागू करने के पश्चात् केन्द्र सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 1981 की जनगणना के आधार पर एक लाख से अधिक जनसंख्या के शहरी क्षेत्रों में 100 स्क्वायर मीटर प्लीन्थ ऐरीया के क्षेत्र में तथा 1 लाख से कम जनसंख्या के कस्बों ग्रामीण क्षेत्रों से 120 वर्ग मीटर प्लीन्थ के क्षेत्र में नये मकान निर्माण हेतु सीमेन्ट दिये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर विकास न्यास/नगर परिषद द्वारा नव निर्माण की स्वीकृति दिए जाने पर, नगर विकास न्यास/नगर परिषद के सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के प्रमाणीकरण के आधार पर 125 कट्टे तक सीमेन्ट दिए जाने का प्रावधान है। एक लाख से कम जनसंख्या के कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 120 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्र तक के भवनों हेतु 150 कट्टे सीमेन्ट दिये जाने का प्रावधान हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**जिला बून्दी के विकास अधिकारियों के खिलाफ जांच**

63. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ·

(श्री गोपाल पचेरवाल)

क्या यह सही है कि जिला बूंदी के वर्तमान एवं तत्कालीन विकास अधिकारियों के खिलाफ अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच चल रही है ? यदि हां, तो कृपया निम्न जानकारी सदन की मेज पर रखें:--

1. दोषी अधिकारी का नाम, वर्तमान पता।

2. जांच का कारण।

3. जांच अधिकारी का नाम व पता, जांच अधिकारी कब नियुक्त हुआ ?

उत्तर

जी हां। सूचना सदन के पटल रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

**सांचोर पंचायत समिति में स्थायी समितियों का गठन**

64. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):**

**श्री रामदेवसिंह (धोद):** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सांचोर पंचायत समिति में नियमानुसार स्थाई समितियों का गठन हो गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थाई समितियों की अभी तक एक भी बैठक नहीं बुलाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों एवं उसकी जिम्मेवारी किसकी है ? क्या सरकार भविष्य में नियमानुसार स्थाई समितियों की बैठक बुलाने के बारे में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और क्यों ?

(3) क्या पंचायत समिति, सांचोर की प्रशासन समिति का नियमानुसार गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं उसमें कितने सदस्य रखे गए हैं ? उक्त समिति की बैठक अब तक कितनी बार की गई है और कब-कब ? यदि बैठक नहीं की गई है, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, सांचोर जिला जालोर में स्थाई समितियों का गठन राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (स्थाई समितियों का गठन) नियम 1965 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 7-4-1983 को किया गया है।

(2) जी नहीं, पंचायत समिति सांचोर द्वारा स्थाई समितियों की बैठक निम्न प्रकार बुलाई गई है:--

1. स्थाई समिति प्रशासन 14-6-83
वित्त एवं कर 16-7-83, 17-8-83

2. शिक्षा स्थाई समिति 29-7-83

(3) पंचायत समिति, सांचोर की प्रशासन, वित्त एवं कर सम्बन्धी स्थाई समिति का नियमानुसार गठन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 7-4-1983 को किया गया है। इस स्थाई समिति में 7 सदस्य हैं। इस समिति की बैठक नियमानुसार विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 14-6-83, 16-7-83 एवं 17-8-33 को बुलाई गई थी।

**झालावाड़ जिले में अनीकटों का निर्माण**

65. **श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) झालावाड़ जिले की किन-किन पंचायत समिति में वर्ष 1977 से अगस्त, 1983 तक कितने अनीकटों का निर्माण हुआ ? कृपया पंचायत समितिवार अनीकटों की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त अनीकटों में से कई टूट चुके हैं ? यदि हां, तो कितने और इसके कारण क्या रहे ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डग का बिसनिया अनीकट उचित स्थान पर नहीं बना और उसमें घटिया मेटीरियल भी लगाया जिससे उसके टूटने की सम्भावना है ?

**उत्तर**

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) पंचायत समिति, मनोहर थाना में नो ऐनिकट गत वर्षा भारी वर्ष होने से क्षतिग्रस्त हुए हैं । पंचायत समिति डग में छः ऐनिकटों की साइड की मिट्टी वर्षा के कारण कटी है ;

(3) पंचायत समिति, डग का बिसनिया ऐनिकट ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के प्रस्ताव के अनुसार उचित स्थान पर बनाया गया है । इसमें घटिया किस्म का मेटीरियल लगाने की कोई शिकायत नहीं है न टूटने की संभावना है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

**राज्य की विभिन्न पंचायतों के सरपंचों का निलम्बन**

66. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान की विभिन्न पंचायतों के कितने सरपंच सन् 1980–81, 1982–83 में निलम्बित किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की पंचायत बिजोलिया व कांदा के सरपंचों को निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो कब से ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान की विभिन्न पंचायतों के सन् 80–81 में 110 एवं सन् 82–83 में 42 सरपंचों को निलम्बित किया गया ।

(2) भीलवाड़ा जिले की बजोलिया ग्राम पंचायत के सरपंच को दिनांक 12–8–83 को निलम्बित किया गया । राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत कान्दा के सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है ।

**राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में केन्टीन का ठेका**

70. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में चालू वर्ष में केन्टीन का ठेका किस के नाम है ? क्या वर्तमान केन्टीन ठेकेदार की टेण्डर दरें सब से कम थी ? यदि हां, तो वर्तमान ठेकेदार ने ठेके की रकम कितनी देने का प्रस्ताव किया था ?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या उक्त टेण्डरों में श्री हरीश कुमार पुत्र श्री भगवानदास ने भी टेण्डर भरा था ? यदि हां, तो उन्होंने चाय, नमकीन आदि की बिक्री दर क्या दी थी, तथा ठेके की रकम राज्य सरकार को देने का क्या प्रस्ताव दिया था ?

उत्तर

(1) वर्तमान में महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में केन्टीन एक सहकारी समिति अन्नपूर्णा विश्रांती सहकारी समिति लिमिटेड, जोधपुर रुपया एक प्रतिमाह व बिजली पानी का अलग व्यय प्रतिमाह पर चलाई जा रही है जो दिसम्बर, 76 से चला रहा है। चालू वर्ष में कोई नया ठेका नहीं दिया गया है।

(2) दिनांक 1-1-82 से 31-12-82 तक के लिये टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे, जिसमें अधिकतम दर रुपये 21,000/-रु. प्रतिवर्ष मैसर्स रमजान पुत्र मूसोजी जोधपुर ने दी थी परन्तु उन्होंने धरोहर राशि जमा नहीं कराई थी। परन्तु राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ 8 (72) एम पी एच/81/ग्रुप-2 दिनांक 22-9-82 द्वारा टेन्डरों को अन्तिम रूप नहीं देने का एवं यथा स्थिति (स्टेटस को) रखने के आदेश दे दिये गये हैं। अतः ठेका शुरू नहीं किया जा सका है। उक्त टेन्डरों में श्री हरीशकुमार पुत्र श्री भगवान दास ने भी टेन्डर भरा था व उनकी दर द्वितीय अधिकतम (सैकेन्ड हाई हेस्ट) व चाय नमकीन आदि की दर जो टेन्डर शर्तों में विभाग द्वारा व निर्धारित की गई थी वही दी गई थी। ठेके की रकम राज्य सरकार को रुपये 18,000/- प्रतिवर्ष देने का प्रस्ताव श्री हरीश कुमार ने किया था।

**टेलीफोन आपरेटर्स की वरिष्ठता सूची**

71. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने टेलीफोन आपरेटर्स को कनिष्ठ लिपिक के संवर्ग में माने जाने के आदेश प्रसारित किये थे।

(2) क्या उक्त आदेश के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स की वरिष्ठता कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता सूची में निर्धारित की गई है।

(3) यदि हां, तो सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स की वरिष्ठता निर्धारित कर, क्या इन्हें कोई पदोन्नति दी गई है। यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इनके लम्बे सेवाकाल को देखते हुए अब पदोन्नति देने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स की वरिष्ठता टेलीफोन आपरेटर के पद पर निर्धारित कर वरिष्ठ कर्मचारी को सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मानीटर के पद पर पदोन्नत किया गया है। कनिष्ठ लिपिक के पद पर वरिष्ठता निर्धारण करने हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ3(9) कार्मिक/क-2/80 दिनांक 14-6-83 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

# Page No 30

(30)



**आदिवासी क्षेत्रों में मुफ्त दवाइयों का वितरण**

72. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्धन व कमजोर वर्गों के मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरण करने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है ? चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ व अरनोद तहसीलों में चलने वाले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों पर वर्ष 1982 83 में मुफ्त दवाइयां वितरित की गई । मुफ्त दवाइयों की राशि का व्यय आवंटन के विरुद्ध कितना हुआ, की जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी क्षेत्रों में मुफ्त दवाइयां आदिवासी मरीजों को नहीं दी जा रही हैं ।

**उत्तर**

(1) चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप राशि की औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं । जो रोगी के उपचार के अनुरूप चिकित्सक के विवेक व उपलब्धता के आधार पर मुफ्त दी जाती है । प्रतापगढ व अरनोद तहसील में कार्यरत चिकित्सा संस्थानों में वर्ष 82–83 में आवंटित राशि एवं मुफ्त दी गई औषधियों की राशि का विवरण संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

**नोखा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र की शैयाओं की संख्या**

73. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नोखा जिला, बीकानेर की नगरपालिका सीमा व ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं ऐलोपैथी के कितने अस्पताल, डिस्पेन्सरियां एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं ? कहां-कहां पर किस-किस अस्पताल में कितनी-कितनी शैयाएं इन्डोर पेशेन्ट्स के लिए हैं ?

(2) इंडोर पेशेन्ट्स की चिकित्सा हेतु शैयाओं की वर्तमान संख्या कब से चली आ रही है ?

(3) क्या सरकार नगर की बढ़ती हुई घनी आबादी को देखते हुए इन शैयाओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार नोखा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र को 30 (तीस) शैयाओं का अस्पताल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) तहसील नोखा, जिला बीकानेर पालिका व ग्रामीण क्षेत्र में 17 आयुर्वेदिक औषधालय तथा निम्न अस्पताल, डिस्पेन्सरी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं :—

1. प्राथमिक स्वा. केन्द्र, नोखा 14 शैयाएं

2. राजकीय डिसपेन्सरी, हिम्मतसर

(चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री)

3. राजकीय डिस्पेन्सरी, कुदसू

4. राजकीय डिस्पेन्सरी, जसेरासर लगभग 18 वर्षों से चली आ रही है।

(2) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है :

(3) जी नहीं।

(4) बीकानेर जिले का छठीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है।

**चित्तौड़गढ़ की तहसीलों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत मारे गये छापे**

74. **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह जून व जुलाई, 1983 में जिला चित्तौड़गढ़ की तहसीलें अरनोद व प्रतापगढ़ में खाद्य अप-मिश्रण निवारण अधिनियम के तहत छापे मारे गये ? यदि हां, तो कितने नमूने, लिए गये, किन-किन फर्मों पर मारे गये ? लिए गये, नमूनों में से कितने परीक्षण के लिये भेजे ? कृपया नगरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1982-83 में इस प्रकार जिले में किस-किस खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गये ?

(3) क्या राज्य में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की पालना के लिये शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही वर्ष 1980 से जून, 1983 तक की गई ?

उत्तर

(1) यह असत्य है कि अरनोद में नमूने लिए गए हैं क्योंकि वहां एक्ट लागू नहीं था प्रतापगढ़ में माह जून व जुलाई, 83 में क्रमशः आठ व नौ नमूने लिये गये एवं सभी जांच हेतु भेजे गये।

(2) सूची संलग्न है। 1982 एवं 1983 (माह अगस्त, 83 तक सूचना उप-लब्ध होने तक)।

(3) शिथिलता प्रकाश में नहीं आने के कारण कोई किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13.देखें)

**गोपा केनाल का गडरा रोड़ तक निर्माण**

75. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राज-स्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने गोपा केनाल को गडरा रोड तक ले जाने का सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त केनाल गडरा रोड तक जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के कौन-कौन से ग्रामों से होते हुए जायगी ? कृपया ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार का उक्त केनाल को गडरा रोड तक कब तक पूर्ण कराने का इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। सागरमल गोपा शाखा के अन्तिम छोर से निकलने वाली वितरिका जो बाड़मेर जिले में गडरा रोड तक जावेगी,

(32)



(राजस्थान नहर मन्त्री)

इसकी 185 किलोमीटर लम्बाई में से 125 किलोमीटर तक सर्वेक्षण का कार्य कराया जा चुका है। बाकी का सर्वेक्षण का कार्य भी शीघ्र पूरा कराया जावेगा।

(2) अब तक उपरोक्त लिखित मुख्य वितरिका का ही सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उसके तुरन्त बाद कुलिकाओं व उप कुलिकाओं का सर्वेक्षण किया जावेगा। उसके बाद ही गांवों की सूचना उपलब्ध होगी।

(3) राज्य सरकार का उक्त नहर को सातवीं योजना के अंत तक पूरा करने का इरादा है।

**ग्राम सिगनिया-मांगरोल (बयाना) में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना**

76. **श्री राम प्रसाद** (रूपवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बयाना का ग्राम सिगनिया-मांगरोल एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

(2) यदि हां तो क्या सरकार इस गांव में चिकित्सा खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**फागी चिकित्सालय को क्रमोन्नति**

78. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह भी सच है कि फागी तहसील में एक ही अस्पताल होने से यहां बीमारों की संख्या अधिक रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में फागी के अस्पताल को क्रमोन्नत कर 30 बैड का बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार अनुसूचित जाति सुरक्षित क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। फागी तहसील में एक प्रा. स्वा. केन्द्र (फागी) दो डिस्पेन्सरी (मधोराजपुरा व चोरू) तथा एक बढपौस्ट (महवतपुरा) में है।

(2) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

**खाद्य तेल मिलावटियों के विरुद्ध कार्यवाही**

79. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 1983 में खाद्य तेल में मिलावट के कारण राजस्थान राज्य में भी मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो जिन मिलों के खाद्य तेल में मिलावट पाई गई कृपया उनके मालिकों के नाम की सूची मय पते के सदन की मेज [illegible]।

Page No 33

(33)



(श्री भगवानदास शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि खाद्य तेल में मिलावट के कारण सूजन और आंखों की रोशनी समाप्त होना भी पाया गया है ? यदि हां, तो ऐसे मिल मालिकों तथा वितरकों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। चूरू जिले में मिलावटी तेल के खाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिन दुकानदारों/व्यापारियों के तेल में मिलावट पाई गई है उनके नामों की सूची संलग्न है।

(2) मिलावटी सरसों के तेल के खाने से पांव हाथों में सूजन के 'कैसेज' चूरू जिले में पाये गये, किन्तु आंखों की रोशनी समाप्त होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

जिन–जिन दुकानदारों/व्यापारियों के तेल में मिलावट पाई गई है, उनके विरुद्ध पी.एफ.ए. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

**पंचायत समिति सांचोर के मकान का ठेका**

80. 1 श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): 2 श्री रामदेव सिंह (चोद) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांचोर का एक मकान सांचोर के सिनेमाघर के सामने है और उसका ठेका 2,500/– सालाना में रमेशचन्द्र पुत्र श्री जीवराज मेहता को दिया गया था ? यदि हां, तो कब व किस नाम से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेका बिना किसी विज्ञप्ति व सूचना के पूर्व ठेके की फर्जी नीलामी बताकर दे दिया गया और ऐसा करने से पूर्व पंचायत समिति का कोई विधिवत निर्णय नहीं हुआ तथा पूर्व के ठेकेदार श्री रमेश चन्द्र पुत्र सन्तोष सिंह माली को अवैध तरीके से बेदखल कर दिया गया ?

(3) यदि हां, तो इस अवैध कार्यवाही से पंचायत समिति को कितनी हानि हुई और इसके लिए कौन आदमी जिम्मेदार है ? और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। ठेका नियमानुसार निलामी करके श्री रमेश पुत्र श्री जीवराज मेहता को दिनांक 25–5–83 को दिया गया।

(2) विज्ञप्ति व सूचना जारी करके नीलामी करके दुकान किराये पर दी गई है। नीलामी की स्वीकृति एवं पुष्टि प्रशासन एवं वित्त स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14–6–83 में ली जा चुकी है पूर्व के ठेकेदार श्री रमेश पुत्र श्री सन्तोष सिंह से तीन वर्ष का 7500/–रु० किराया एवं ब्याज बकाया होने के कारण ठेकेदार को दुकान खाली करने एवं बकाया राशि 7 दिन में जमा कराने का नोटिस दिया गया लेकिन ठेकेदार न मिलने के कारण नोटिस दुकान पर, जो खाली पड़ी थी, चस्पा किय

(पंचायत राज्य मन्त्री)

गया। पूर्व ठेकेदार द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण दुकान निलामी द्वारा नये ठेकेदार को सुपुर्द की गई है।

(3) दुकान को पुन: ठेके पर देने से पंचायत समिति की आय में कोई हानि नहीं हुई है।

**पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पद**

81. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की पंचायत समितियों में निर्धारित मापदंड के अनुसार कितने अध्यापकों की प्राथमिक शालाओं में कमी है? सरकार इस कमी को दूर करने के लिए क्या कर रही है?

(2) क्या पंचायत समितियां प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियुक्तियां दे सकती है? यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया क्या है?

**उत्तर**

(1) राजस्थान की पंचायत समितियों में निर्धारित मापदंड के अनुसार दिनांक 30-9-82 की स्थिति के अनुसार 10173 अध्यापकों की कमी थी। अब 2000 अध्यापकों के पदों की स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा हो चुकी है। अत: 8173 पदों की कमी रही है। पदों की स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है।

(2) पंचायत समितियां चयनित अध्यापक उपलब्ध न होने पर अस्थाई नियुक्तियां दे सकती है। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियमों के नियम 18 (2) के परन्तुक के अनुसार ऐसी नियुक्तियां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची से दी जा सकती है और विभाग ने भी ऐसे ही निर्देश दे रखा हैं।

**ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद के उत्थान हेतु व्यय-राशि**

82. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या खेल-कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उत्थान हेतु 1-4-1982 से 31-3-1983 तक तथा 1-4-83 से 31-3-1984 तक कितनी धनराशि व्यय की है? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के उत्थान हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अलग से बजट प्रावधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के उत्थान हेतु क्रीड़ा परिषद द्वारा व्यय की गई धनराशि की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

**जिला बून्दी में आवासन मंडल की योजनाएं**

83. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी में किन किन स्थानों पर आवासन मंडल द्वारा मकान बनाने की योजना लागू की गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) जिला बूंदी के कस्बा केशवराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, नैनवा में पंजीकरण हेतु कितने आवेदन फार्म प्राप्त हुये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन, लाखेरी, नैनवा में आवासन योजना हेतु भूमि अवाप्त करली गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) मण्डल द्वारा बून्दी जिले में केवल बून्दी शहर में ही मकान बनाने की योजना लागू की गई है। बून्दी के अतिरिक्त केशवराय पाटन, लाखेरी तथा नैनवा कस्बों के लिये सामान्य पंजीकरण योजना, 82 में ही पंजीकरण खोला गया था।

(2) बून्दी जिले में जिन कस्बों के लिये पंजीकरण खोला गया उसका वर्गानुसार निम्न प्रकार है :—

| कस्बे का नाम | अ.आ.व. | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग (अ) | मध्यम आय वर्ग (ब) | उच्च आय वर्ग | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| केशवराय पाटन | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| लाखेरी | — | — | — | — | — | — |
| नैनवा | — | — | — | — | — | — |

कापरेन के लिये पंजीकरण नहीं खोला गया था।

(3) जी नहीं।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**अध्यक्ष**: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार है:—

(1) श्री यदुनाथ सिंह–थानेदार, नदबई पुलिस थाना, नदबई द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 1983 को श्री गोपालसिंह, व श्री तेजसिंह की हत्या में शामिल होने के विषय में,

(2) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंग कुमार जैन व हीरालाल आर्य–झालावाड़ जिले के ग्राम केलूखेड़ा में 1 अगस्त, 1983 को जमीन के एक विवाद को लेकर प्रभावशाली लोगों द्वारा हरिजनों की पिटाई व उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना के विषय में,

(3) श्री दाऊदयाल जोशी–कोटा में सम्पन्न हुए कांग्रेस (आई) कार्यकर्त्ता सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को कोटा लाने व वापस पहुंचाने हेतु सरकारी विमान का उपयोग करने के विषय में,

(4) श्री बन्शीलाल पटवा–भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल की तालाबन्दी से लगभग 3 हजार श्रमिक बेरोजगार होने के विषय में,

(5) श्री छीतरलाल आर्य–अजमेर के अलवर गेट थाने में वहां के इंसपेक्टर द्वारा गत 9 अगस्त को एक 35 वर्षीय महिला विमला के साथ बलात्कार के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री भगवानदास शास्त्री-राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दिसम्बर, 1982 में आयोजित एम. बी. बी. एस. की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अंकों की हेरा-फेरी के विषय में +

(7) श्री गोपाल पचेरवाल-गत 3 सितम्बर, को पथ परिवहन के कंडिक्टर एवं चपरासी पर हमला, और चपरासी की हत्या के विषय में,

(8) श्री रघुवीर सिंह कौशल-कोटा क्षेत्र के दांयी मुख्य नहर में नहर के निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा न मिलने के विषय में,

(9) श्री जीतमल जैन-गत अप्रेल में पुलिस द्वारा श्री भूरी सैनी पर अमानुषिक यातना पहुंचाने के विषय में

(10) सुश्री पुष्पा जैन-बहुचर्चित तीन शादी काण्ड में राजनीतिक प्रभाव के कारण आरोपियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने के विषय में,

(11) श्रीमती विद्या पाठक-राज्य के विभिन्न जिलों में ड्राप्सो, मलेरिया, वायरस बुखार आदि बीमारियों के बढ़ने के विषय में,

(12) हाजी चाव खां-कामां-पहाड़ी तहसील जिला भरतपुर में फसलों के नष्ट हो जाने के बावजूद सिंचाई अधिकारियों द्वारा विरावा रेगुलेटर को बन्द कर देने के विषय में,

(13) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी-गत 4 अगस्त को नगर परिषद भवन, जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की पिटाई व तोड़-फोड़ की घटना के विषय में,

(14) श्री त्रिलोक सिंह व श्री मेघराज तावड़-बगड़िया बाल निकेतन विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अध्यापकों को हटा देने व साइंस फैकल्टी तोड़ देने के विषय में,

(15) श्री घनश्याम तिवाड़ी-राज्य में करीब 20 बड़े उद्योग तालाबन्दी के शिकार हो जाने से करीब 20 हजार मजदूर बेकार हो जाने के विषय में,

(16) श्री कैलाश मेघवाल-अजमेर नगर में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :-

(1) श्री भंवरलाल शर्मा व श्री नाथू सिंह-राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 1983 में ली जाने वाली एल. एल. बी. द्वितीय वर्ष तथा एल. एल. एम. भाग प्रथम की परीक्षायें 1984 में लिये जाने के निश्चय के विषय में,

(2) श्री समर्थलाल-पिछले 7 माह में राजस्थान में सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध होने के कारण बेरोजगार लोगों में भारी असंतोष उत्पन्न होने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री महाराम चौधरी–पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों में अनेक बीमारियां उत्पन्न होने के विषय में,

(4) श्री हंसराज शर्मा–सवाई माधोपुर जिले की हिण्डौन नगरपालिका में गत 8 माह से व्याप्त अव्यवस्था के विषय में,

(5) डा० उजला अरोड़ा–जयपुर में कच्ची बस्तियों के लोगों के बसने की पर्याप्त व्यवस्था न होने, हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों की हालत ठीक न होने और कृषि भूमि के स्थानान्तरण की राशि जमा हो जाने के बाद भी नक्शा पास न करने के विषय में।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव भी स्वीकृति के योग्य नहीं हैं और इन्हें सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है:—

(1) श्री हीरालाल आर्य–पीपल्दा क्षेत्र के खातोली कस्बे में स्थित पिछले वर्ष बनाये गये कन्या विद्यालय में अध्यापकों की कमी के विषय में,

(2) श्री महावीर प्रसाद जैन–टोडाभीम थाना के अन्तर्गत ग्राम भोलू की कोठी की नाबालिग मीणा जाति की लड़की स्वरमी का अपहरण एवं हत्या के विषय में,

(3) श्री देवीसिंह भाटी–बीकानेर में पिछले दिनों भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की भी सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री भगवानदास शास्त्री–महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के दो डाक्टरों द्वारा एक महिला रोगी के साथ कथित बलात्कार। आज इस विषय पर सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जा रहा है, उस अवसर पर माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया–उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के थाना खेरोदा में गत 11 जुलाई को पुलिस की पिटाई से श्री मोहनसिंह की हत्या। आज इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया गया है अत: उस समय माननीय सदस्य चर्चा कर सकते है।

(3) श्री मेघराज तावड़–मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय बनाने के विषय में। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत करने पर माननीय सदस्य चर्चा कर सकते हैं।

अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

आज कार्य सूची काफी लम्बी है और जैसी कि पूर्व में व्यवस्था रही है कई स्थगन प्रस्तावों पर आसन ने स्वीकृति नहीं दी, कल में से तीन तो मैंने स्टेटमेंट के लिए रख दिये हैं। कई के बारे में सरकार से उत्तर मंगवाया जा रहा है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) :** सरकार तो उत्तर दे।

**श्री अध्यक्ष :** मैंने आदेश दिया है कि उत्तर दें। दो स्थगन प्रस्ताव और एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज उत्तर दिया जायेगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कल भी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे।

**श्री अध्यक्ष** : आप आसन की कठिनाइयों से परिचित हैं, सबका उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने आमतौर से सरकार को लिखा है कि जल्दी से जल्दी भेजा जाये। सदैव जितनी ताकीद होती है उससे ज्यादा की है। मैंने आज से स्टेटमेंट शुरू कर दिया है। कल वालों में से महत्वपूर्ण ले लिये जायेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं तो आपका काम हल्का हो जाये इसलिए कह रहा था।

**श्री अध्यक्ष** : अगर तीन-चार स्थगन प्रस्ताव रोज आयें, जैसा कि माननीय सदस्य महसूस करते हैं तो उस अवस्था में मेरा काम हल्का होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि आसन की कठिनाइयां हैं उनको वह समझें। उसके बाद भी माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव आने चाहिए तो मैं सरकार से कहूंगा।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : मेरा स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण था सरकार ने वहां गोली चलाई···

**श्री अध्यक्ष** : आप मुझ से चेम्बर में मिलें, मैं विचार विमर्श करूंगा। 27 आज के हैं कल के भी 15–20 होंगे, और तत्काल माननीय सदस्य सबके बारे में पूछना चाहें, यह मेरे लिए संभव नहीं है।

**श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : खरीफ की फसल के बारे में···

(व्यवधान)

भयानक बीमारी लगी है···

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

**श्री महाराम चौधरी** : x x x

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, अंकित न हो....

**श्री महाराम चौधरी** :xxx

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मैं जिस क्रम में पुकारूं उस क्रम में माननीय सदस्य बोलने की कृपा करें।

**सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से सैंकड़ों स्टूडेन्टस कल से यहां आये हुए हैं। मैंने कल एडजार्नमेन्ट मोशन दिया था कि उनके ऊपर 307 के मुकदमें लगाकर परेशान किया जा रहा है···

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्या, उस संबंध में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं उसमें जानकारी मंगवा लूंगा। लेकिन अब तत्काल तो जानकारी नहीं आ सकती।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनसे मिलना तो चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : हम प्रोत्साहन देंगे, हमारे बाहर होने से···

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपका मतलब यह है कि उनको डिसकरेज करें!

**श्री अध्यक्ष** : हम डिसकरेज करें, यह भी नहीं हो सकता और एनकरेज करें, यह भी नहीं हो सकता। समझने की बात है। उसमें कार्यवाही करेंगे लेकिन यह कह दें कि यहां आने मात्र से ही यहां व्यवस्था हो

---

x x x माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

जायेगी और उस पर चर्चा हो जायेगी फिर तो सदन चलाना बहुत कठिन है। जिन माननीय सदस्यों को कठिनाइयां हैं कृपया वह मुझसे मिलने का कष्ट करें। मैं यथा-सम्भव यह कोशिश करूंगा कि माननीय सदस्यों को जो तकलीफ है उसको मैं दूर कर सकूं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : राजस्थान विश्व-विद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में।

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि विशेष रूप से भरतपुर में पानी भरा हुआ है, सैकड़ों मकान पानी में डूबे हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। स्थिति बड़ी दूभर है। क्या उसमें कोई स्टेटमेन्ट आयेगा ?

**श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय ··

**श्री अध्यक्ष** : अंकित न हो।

**श्री नाथूसिंह** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : विचाराधीन विषय नहीं है ! पहले मैं अनुमति दे रहा हूं कुछ माननीय सदस्यों को। आर्डर, आर्डर···

**श्री नाथूसिंह** : Sir, on a point of explanation.

**श्री अध्यक्ष**: नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** ; रूल 276 है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर माननीय श्री दुलारामजी ने आरोप लगाया। माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्नकाल में मुझ पर आरोप लगाया कि ठेकेदारों में आपके रिश्तेदार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस्तीफा लिखकर दे देता हूं और माननीय मन्त्री महोदय भी दे दें इनमें मेरा कोई रिश्तेदार मिल जाए तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लें नहीं तो, मंत्री महोदय, आपको जरा भी स्वाभिमान है तो आप भी अपना इस्तीफा पेश करें।

**आवासन मन्त्री** (श्री दूलाराम) : किस बात के लिए पेश कर दूं ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर

**श्री नाथूसिंह**: आपने कहा कि मेरे रिश्तेदार हैं।

**श्री दूलाराम** : मैंने यह नहीं कहा था।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर माननीय मंत्री महोदय आर्डर, आर्डर बैठ जायं। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री भंवरलाल शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली परिक्षाओं के बारे में।

**श्री भंवरलाल शर्मा**(हवामहल): माननीय अध्यक्ष : महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव दो विषयों को लेकर है। ला क्लासेज में जिनको एडमिशन चाहिए उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। और दूसरा यह है कि जो विद्यार्थी तृतीय वर्ष के लिए परीक्षा देने वाले हैं उनकी परीक्षा इस वर्ष नहीं ले करके 1984 के मार्च अप्रेल में ली जाएगी। इसका अर्थ यह होगा कि जिन विद्यार्थियों को इस वर्ष में लॉ की डिग्री मिलनी चाहिए

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनको डिग्री इस वर्ष नहीं मिल सकेगी। उसके कारण जितने विद्यार्थी लॉ क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जिनका अंतिम वर्ष है एक साल उनका खराब होगा। तो मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर पुनः विचार किया जाकर जैसे और परीक्षाओं की तिथियां तय की गई हैं इनकी भी परीक्षा उसी समय ली जाए। अभी जो प्रोग्राम आपने तय किया है उसके हिसाब से एल. एल. बी. प्रथम वर्ष के इम्तिहान 5 अक्टूबर को लिये जायेंगे। इसके एडमिशन फरवरी में हुए थे! एल० एल० बी० सैकण्ड ईयर के एडमिशन भी अप्रेल, 1983 में हुए हैं इनकी भी परिक्षा 5 अक्टूबर को ली जायेगी। थर्ड ईयर के एडमिशन अप्रेल और मई, 1983 में हुए थे। मुझे जानकारी मिली है कि यह परिक्षायें इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनके एडमिशन थोड़ी देर से हुए हैं। यह तो शिड्यूल मैंने आपके सामने निवेदन किया इससे यह आरग्यूमेन्ट प्रिवेल नहीं करता है कि अप्रेल और मई में जिनके एडमिशन हुए हैं उन विद्यार्थियों कि परिक्षाएं भी अक्टूबर में या पहले या ज्यादा से ज्यादा नवम्बर में ली जाए तो उससे सारे विद्यार्थियों का जो लॉ में पढ़ते है उनका एक साल बचता है और इनको दण्ड मिले जिससे इनकी परीक्षा समय पर नहीं होगी। इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। आपने क्लासेज ठीक से नहीं लगाई। आपने पढ़ाई ठीक से नहीं करवाई। और यहां तक कि जो प्रिन्सिपल है-मिस्टर कागदी उन्होंने पूरे टर्म में एक क्लास भी नहीं ली। वह एक बार भी क्लास में नहीं गये जब कि प्रत्येक प्रोफेसर और जितने भी प्राध्यापक हैं उन सब को क्लासेस लेना आवश्यक होता है। लेकिन इन्होंने कोई भी क्लास नहीं ली। इस तरह से सारे विद्यार्थी जो कि लॉ के विद्यार्थी हैं उनका जीवन अंधकार में डाल रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इनकी परीक्षायें भी समय पर ली जायें। विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। विद्यार्थियों की परीक्षायें आप स्थगित कर रहे हैं इसलिए वह आंदोलित हैं। वह अभी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं फिर क्या कारण है कि आप परीक्षायें नहीं लेते और उनका सारा जीवन अंधकार में डाल रहे हैं?

इसी प्रकार से बी.ए., बी. एस.सी. और बी. काम., यह परीक्षायें जिन्होंने पास की हैं उनके एडमीशन की भी कोई तिथि आज तक तय नहीं की गई है। हम सितम्बर में चल रहे हैं और यही हालत रही तो इनकी परीक्षाओं को फिर आगे डालकर एक-एक और दो-दो साल खराब करेंगे। मेरा यह निवेदन है, यद्यपि आपने इसको लोक महत्व का विषय नहीं समझा लेकिन मुझे तो ज्यादा लाभ हो गया इससे जो मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर सरकार और जो हमारे शिक्षा मन्त्री हैं, जो अभी अनुपस्थित हैं उन तक यह बात चली जाये कि विद्यार्थियों की परीक्षायें वह समय पर करा दें, जिन विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं उनके एडमिशन भी तुरन्त करा दिये जायें। यही मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री समरथलाल-सरकारी नौकरियों में प्रतिबंध के संबंध में।

**श्री नाथूसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं भी हूं इसमें। एक दो फैक्ट्स रह गये इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः आम तौर से स्थगन प्रस्तावों पर कई माननीय सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं लेकिन यहां पर समय का अभाव रहता है इसलिए....

श्री नाथूसिंह : दो मिनट

श्री अध्यक्ष : उचित यह होगा कि मिलजुल कर माननीय सदस्य आपस में तय करलें कि कोई एक माननीय सदस्य उनके पक्ष को सामने रख सके ! फिलहाल मैं आपको दो मिनट का समय दे देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने समय इसलिए कम लिया ताकि यह बोल लें। आपके बिना कहे ही बैठ गया मैं तो।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय हो रही है। रोज पालिसीज बदली जा रही हैं। आज अलग पालिसी, कल अलग पालिसी और परसों अलग पालिसी। अध्यक्ष महोदय, इससे और कुछ तो हो रहा है या नहीं हो रहा है लेकिन विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद एल.एल.एम. का फर्स्ट पार्ट का विद्यार्थी हूं इसलिए मुझे मालूम है कि वहां कितनी अनियमिततायें हैं, कितनी गड़बड़ियां विश्वविद्यालय कर रहा है। नवम्बर में एल.एल.एम. और एल.एल.बी. दोनों के प्रवेश के लिए इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट की। नवम्बर, 1982 में...

श्री अध्यक्ष : और आपने एल.एल.बी. में प्रवेश कितने वर्ष पहले पाया था ?

श्री नाथूसिंह : मैं लगातार पास हो रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, आपकी सूचना के लिए मैंने जो डिप्लोमा किया लास्ट ईयर उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन है। ऐसा नहीं है पढ़ाई में। एकेडेमिक कैरियर तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : कितने साल में पास किया ?

श्री नाथूसिंह : एक साल में ही।

अध्यक्ष महोदय इस बार सेशन को ठीक करने के लिए इन्होंने टाइमटेबल की यह नयी पालिसी चलाई कि विद्यार्थियों की परीक्षा 1984 में ली जायेगी। अध्यक्ष महोदय, प्रवेश के लिए नवम्बर में एप्लीकेशन इनवाइट कीं। 1982-83 की परीक्षा 83 के नवम्बर-दिसम्बर में भी हो जाती तो बात ठीक थी। नियमों के अनुसार तो 1982-83 सेशन की परीक्षायें मार्च-अप्रेल में होनी चाहिए इसमें विश्वविद्यालय लेट करता तो ज्यादा से ज्यादा अगस्त या सितम्बर में कर सकता था। नवम्बर-दिसम्बर में कर सकता था लेकिन 1983 के सेशन की परीक्षा लेंगे मार्च-अप्रेल, 1984 में। अध्यक्ष महोदय, आज तक कहीं भी किसी भी विश्वविद्यालय ने ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, अब आप इसमें हिसाब लगाइये कि 21 महीने में एक ईयर की परीक्षा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, वे विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन 1983 में लिया था, वह उसी साल वह कक्षा पास नहीं कर पायेंगे। दिसम्बर तक इस परीक्षा के परिणाम आयेंगे। दूसरी जगहों पर प्रवेश लेने या कम्पीटीशन एग्जामिनेशन में बैठना चाहें तो 1985 तक उनको इन्तजार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों ने तो

(श्री नाथूसिंह)

लिखकर भी दे दिया वाइस चान्सलर को कि आप एक्स्ट्रा क्लासेज लगायें, हम उसमें पढ़ने के लिए तैयार हैं आप एक्स्ट्रा क्लासेज के अलावा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करायें। इसके बावजूद वह एक्स्ट्रा क्लासेज लेने को तैयार नहीं हैं और सबको कह रहे हैं, नवम्बर में एक्जाम होंगे। विश्वविद्यालय हठधर्मी के कारण विद्यार्थियों का जीवन खराब करने पर तुला हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सारे विद्यार्थियों का मामला है, आप स्वयं शिक्षा मंत्री को बुलाकर या उनको लिखकर प्रेस करें। कम से कम इस मामले में विश्वविद्यालय की ही गलती है जिसके कारण विश्वविद्यालय परीक्षायें नहीं ले पा रहा है, विश्वविद्यालय क्लासेज नहीं ले पा रहा है। यह परीक्षायें आगे खिसकी हैं इसका कारण विद्यार्थियों ने हड़ताल की हो ऐसा नहीं है, उन्होंने डिमांड की हो, ऐसा नहीं है। यह केवल विश्वविद्यालय की गलती है जिस गलती का सारा बोझ विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं, माननीय मंत्री महोदय विशेष रूप से ध्यान देकर परीक्षायें समय पर करायें।

धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री समरथ लाल।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

26 तारीख को कालेज खुल गये लेकिन आज तक प्रवेश के फार्म छपे नहीं हैं। 3 हजार विद्यार्थी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं तो फार्म छपे क्यों नहीं? प्रिन्सिपल साहब चार महीने तक बिना छुट्टी लिये घर पर आराम कर रहे हैं ''

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह प्रवेश फौरन करवाये जायें, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाये और परीक्षायें समय पर ली जायें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री समरथ लाल। नौकरियों पर प्रतिबन्ध के संबंध में।

**श्री समरथ लाल** (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के अंदर शिक्षित बेरोजगार, जिनका नाम नियोजन कार्यालय के अन्दर पंजीकृत है, करीब चार लाख के करीब हैं और अशिक्षित बेरोजगार करीब 6–7 लाख हैं। शिक्षित बेरोजगार नौकरी की तलाश में 6 महीने या साल भर में घूम-घूम कर कुछ न कुछ प्राप्त कर लेते थे। लेकिन राज्य सरकार ने पिछले तीन साल से सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और अभी 26 जुलाई को एक आदेश प्रसारित करके शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की नई नियुक्तियों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद शायद यह पहला अवसर है कि 26 जुलाई के आदेश द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की नियुक्तियों पर भी इस सरकार ने

(श्री समरथलाल)

प्रतिबन्ध लगा दिया है राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार नये पुराने पदों का सजन होता है। और सरकार द्वारा गत तीन वर्षों से नवीन नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। फलस्वरूप राज्य में 13 हजार अध्यापक तथा 3 हजार लिपिक, 1 हजार कनिष्ठ लेखाकारों सहित पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभागों में कुल मिलाकर करीब 25 हजार पद रिक्त हैं। राज्य सरकार द्वारा नये पदों को भरने पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है बल्कि 1–4–82 से पूर्व सृजित पदों को समाप्त करने के निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के मितव्ययता सम्बन्धी आदेश जारी करने से राज्य कार्यालयों में दक्षता पूर्वक कार्य सम्पन्न करने में कठिनाइयां आयेंगी, विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में छात्रों की शिक्षा पर विपरीत असर पड़ेगा एवं कार्यरत शिक्षकों पर भार बढ़ेगा। दूसरी ओर अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत 1982–83 के अन्तर्गत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 3,500 लोगों को नई नियुक्ति देनी थीं। उनमें से केवल 50 प्रतिशत लोगों को नई नियुक्ति दी गई और 50 प्रतिशत लोगों को नहीं दी गई। 1982–83 का वर्ष समाप्त हो गया और इस सरकार के राज में राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों के अन्दर एक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जब से यह प्रतिबन्ध लगा है तब से जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, करीब 3000 शिक्षित लोग ऐसे हैं जो नौकरियों की अधिकतम आयु सीमा पार कर गये हैं। इस प्रकार नौकरियों पर यह जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है यह नहीं हटा तो हर वर्ष करीब करीब 3।। हजार शिक्षित व्यक्ति नौकरी की आयु सीमा को पार कर जायेंगे और सरकारी नौकरी उनको नहीं मिल सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने इन नौकरियों पर जो प्रतिबन्ध लगा रखा है इसको हटाया जाये, विशेष रूप से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की नौकरियों पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है उसको तुरन्त हटाया जाये।

**श्री अध्यक्ष:** श्री महाराम चौधरी। आप इस संबंध में सरकार से उत्तर चाहेंगे या अभी ... ?

**श्री महाराम चौधरी (नागौर):** अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपर्ण विषय है, गांवों के अन्दर......

**श्री अध्यक्ष** : मैं सरकार से जानकारी मंगा लेता हूं।

**श्री महाराम चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, सरकार से जानकारी नहीं मंगा कर सरकार से स्टेटमेंट दिलाया जाये। कृषि उत्पादन....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। मैं सरकार से जानकारी मंगा रहा हूं।

**श्री महाराम चौधरी** : जानकारी नहीं

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

**श्री महाराम चौधरी** : मैं दो मिनट बोल लूं।

# Page No 44

(44)



**श्री अध्यक्ष** : अब मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज।

श्री हरीश शर्मा–सवाई माधोपुर जिले की हिण्डौन नगरपालिका के सम्बन्ध में।

**श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी बड़ा दुःख होता है कि किस प्रकार से नगर पालिका के अध्यक्ष को हटाने के लिए उसे येन केन प्रकारेण बदनाम करने की चेष्टा की जाती है। इस प्रवृति के कारण विभिन्न नगरपालिकाओं में कितनी ही जगह खाली पड़ी हैं। पिछले 6 महीने से हिण्डौन नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए। नगरपालिका को राजस्व की आय नहीं होगी तो नगर पालिका कार्य कैसे करेगी ? वहां गुप्ताजी को लाये, फिर हटा दिया। फिर दूसरे को लाये दो महीने बाद उसको हटा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार घोषणा करती है प्रशासन गांवों की ओर जायेगा दूसरी नगरपालिका हिण्डौन में एक जूनियर इन्जीनियर को वहां पर ई.ओ. बना दिया। मुख्य मंत्रीजी ने फोन किया इनको क्या करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं सारे विकास के कार्यक्रम सब बन्द कर रखे हैं। किसी प्रकार से इस नगरपालिका के अध्यक्ष को बदनाम करके ससपेण्ड कर दिया जाये, यह योजना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है ?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। यह ठीक है। लेकिन मैं एक निवेदन आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि विरोधी नगरपालिकाओं की आज जो स्थिति बनायी जा रही है उसका एक स्पेसिफिक केस हिण्डौन का मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कोट किया। आज राजस्थान की जो दूसरी पार्टी की नगरपालिकाएं हैं...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : राज्य सरकार यह मालूम तो करे कि आखिर 7-7 महीने तक ई. ओ. और आर. ओ. दोनों नहीं लगेंगे तो उस नगरपालिका का क्या बनेगा ? क्या व्यवस्था है क्या इच्छा है, कौन सा बर्ताव करना चाहते हैं उन विरोधी नगरपालिकाओं के साथ ? राज्य सरकार कुछ तो कहे, कोई बात तो सामने आये। या इन्होंने यह तय कर लिया कि जहां हमारी कांग्रेस की नगरपालिका होगी वह तो चलेगी और विरोधी नगरपालिका को हम किसी कीमत पर चलने नहीं देंगे ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रजातांत्रिक तरीके पर चलो। यह जो तरीका अपनाया है, बिलकुल गलत है, इसमें कुछ सुधार करो। आप कौन सा व्यवहार और बर्ताव कर रहे हैं राजस्थान के उन क्षेत्रों की जनता के साथ जिनमें विरोधी दलों की नगरपालिकायें हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य। श्रीमती उजला अरोड़ा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल हिण्डौन के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसकी व्यवस्था तो आपने नहीं दी। आज चूंकि हिण्डौन नगरपालिका का मसला है

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इसलिए कृपया आज मुझे बाद में अवसर दें। मैं समझता हूं, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। इसमें विस्तृत चर्चा नहीं होगी। समय नहीं लें, समय की बचत करें। माननीय सदस्य, आपका यदि कोई प्रस्ताव है तो उस पर मैं विचार कर लूंगा, उसमें जानकारी है मुझे। लेकिन समय आप नहीं लें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : इसमें मुझे अधिक जानकारी है।

**श्री अध्यक्ष** : वह हो गया। एक प्रक्रिया से काम होना चाहिए। श्री हंसराज। दो माननीय सदस्यों ने कह दिया है इसलिए कोई नयी बात हो तो आप कह दें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नयी बात कहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं सम्बोधित कर रहा हूं श्री हंसराजजी को, जिनका यह प्रस्ताव है।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका हिण्डौन के संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहूंगा। नगरपालिका हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर में एक साल से घोर अव्यवस्था है। वहां राज्य सरकार ने जान बूझकर वहां के सैक्रेटरी को और जितने भी राजस्व अधिकारी थे उनको बराबर लगाया और फिर हटा दिया। नगरपालिका हिण्डौन में जो विकास कर रही थी, उसकी जो कार्य प्रणाली थी, बोर्ड जो काम करना चाहता था उसको अव्यवस्थित करने के लिए उस नगरपालिका की स्थिति को डाउन करने के लिए, वहां के बोर्ड को भंग करने के लिए वहां के जितने भी पार्षद हैं उनको नीचा दिखाने के लिए जनता की दृष्टि में उस नगरपालिका को बिल्कुल निकम्मी साबित करने की दृष्टि से उन अधिकारियों को वहां लगाया है जिन्होंने विधिवत रूप से वहां की नगरपालिका के क्षेत्र में हर प्रकार की अव्यवस्था फैलायी है। अगर किसी नगरपालिका में राजस्व अधिकारी नहीं होगा, सैक्रेटरी नहीं होगा और जे.ई.एन. यदि अधिशासी अधिकारी का कार्य करेगा तो वह उसके योग्य नहीं है और न उसे इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार है। इस प्रकार मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका हिण्डौन में राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कर्मचारियों को बार-बार बदलकर वहां की जनता का अहित किया जा रहा है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ओवरसियर को वहां लगा रखा है उसे राजनैतिक दृष्टिकोण से लगा रखा है। जिस समय बोर्ड ने यह तय कर लिया था कि जिन कर्मचारियों ने काम नहीं किया है उनको पैसा नहीं दिया जायेगा तो उन्होंने सम्पूर्ण कार्यवाही करके राज्य सरकार को लिखा। राज्य सरकार ने आदेश दिया कि जांच की जाय। जांच करने के बाद यदि वह......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

**श्री हंसराज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : समय समाप्त हो गया। अब लेने का प्रश्न ही नहीं है।

**श्री हंसराज शर्मा** : लेकिन इन्होंने बिना सरकार की स्वीकृति के वहां पर उनका भुगतान कर दिया, भुगतान का आदेश कर दिया। आज की तारीख में प्रशासन गांवों की ओर से शहरों की ओर जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां यदि अधिकारी नहीं होगा, चुंगी वसूल नहीं होगी, राजस्व का पैसा वसूल नहीं होगा तो नियमानुसार जो कार्य करते हैं वह कार्य नहीं होंगे, सफाई नहीं होगी, चुंगी की वसूली नहीं होगी, रोड्स का काम नहीं होगा। और जब प्रशासन शहरों की ओर जा रहा है तो उसमें हमारी हिण्डोन नगरपालिका काम नहीं कर सकेगी और सारी अव्यवस्था हो जायेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह अविलम्ब वहां रिक्त स्थानों पर अधिकारियों की नियुक्ति करे ताकि वह कार्य का संचालन कर सके, और जिन अधिकारियों ने गलत काम किया है, उनके खिलाफ निर्णय ले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जान बूझकर विरोधी नगरपालिकाओं में इस तरह अधिकारियों को आये दिन बदलना चाहती है। सरकार का यह निर्णय निन्दनीय है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो नगरपालिकायें विरोधी दलों की है, उनको राज्य सरकार जान बुझकर कुचलना चाहती है, और वहां जो लोग बैठे हुए हैं, उनको नीचा दिखाना चाहती है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में राज्य सरकार तो आप दो-चार इन्सट्रक्शन्स दें कि वहां जो स्थान खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियां करें ताकि नगरपालिका का कार्य सुचारु रूप से हो सके।

**श्री अध्यक्ष** : डा. उजला अरोड़ा। जयपुर नगर की आवास समस्या के बारे में।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : या तो आप सरकार से वक्तव्य दिला दें मैंने भी नगर-पालिका हिण्डौन के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, एक स्थगन प्रस्ताव पिछली बार दिया था, ...

**श्री अध्यक्ष** : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। मैंने एक दफा व्यवस्था दे दी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मैंने आपसे ...

**श्री अध्यक्ष** : मैंने निवेदन कर दिया माननीय सदस्य को कि उसमें अलग व्यवस्था है तो उसको अलग तरीके से मैं डील करूंगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मैं व्यवस्था के बारे में निवेदन कर रहा था कि उसमें ..

**श्री अध्यक्ष** : मैं इस तरह से बीच में इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। वक्तव्य दिलाने का इस वक्त मैं नहीं कह सकता।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर की आवास की समस्या किसी से भी छिपी नहीं है........

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

# Page No 47

(47)



**श्रीमती उजला अरोड़ा** : बिल्कुल संक्षेप में।

**श्री अध्यक्ष** : यह आपका स्थगन प्रस्ताव है। कोई भी स्थगन प्रस्ताव एक समस्या के बारे में होता है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं आवास समस्या पर.......

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रस्ताव का सम्बन्ध आवास की समस्या से नहीं है या फिर यह आवास की जनरल समस्या का प्रश्न नहीं है। आपने इस प्रस्ताव में कई प्रश्न उठाये हैं। आप कृपया तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : हां, आप तीन मिनट देख लीजिएं।

अध्यक्ष महोदय, आवास की व्यवस्था के सम्बन्ध में जयपुर वर्षों से अधर में झूल रहा है। अभी सरकार ने नारा दिया है, "प्रशासन शहरों की ओर" और दूसरा नारा दिया, "प्राधिकरण गांवों की ओर"। इसमें कौन क्या करेगा, यह तो आगे देखेंगे लेकिन जयपुर में कृषि भूमि रूपान्तरण के नाम पर पिछले दिनों लम्बा चौड़ा एक बिल लाये, कितने संशोधन दिये लेकिन आज तक, अध्यक्ष महोदय, एक नक्शा तक पास नहीं हुआ, सेक्टर प्लान की सुनवाई नहीं हुई और कृषि भूमि पर मकान बनाने के लिए कोई योजना सामने दिखाई नहीं देती। 26 करोड़ 80 लाख रुपये सरकार दबाकर बैठ गई, यह तो लिया नियमन का। फिर उसके बाद उप-विभाजन शुल्क अलग से लिया। मान्यवर, उसके बाद यह कह दिया कि सुनवाई करने के बाद काम काम करेंगे लेकिन उन योजनाओं में जो आपके विचाराधीन हैं, बराबर तोड़-फोड़ जारी है, लोग परेशान हैं, लोग दर-दर भटक रहे हैं। मान्यवर, इस सरकार को कहिये कि जल्दी से जल्दी नक्शे पास करे। 90 दिन का टाइम दिया था कि आप नक्शा दे दो, हम 90 दिन में आप को मकान का नक्शा पास करके दे देंगे लेकिन डेढ़ साल निकल गया, सरकार मौन बैठी है। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि आवास की दूसरी प्रकार की समस्या भी है। मालवीय नगर का कन्स्ट्रक्शन का मामला अभी आपके सामने आया, नाहरी के नाके के मकानों की हालत खराब है, लंकापुरी टूट गई....

(व्यवधान)

देखिये, आप अपने टाइम पर बोलिये। भैरूंसिंह जी गुर्जर साहब, मैं आपसे बड़ी नम्रता से कहती हूं, आप बाद में बोलियेगा, अगर आप सचमुच कुछ काम की बात कहना चाहते हैं।

जवाहर नगर की हालत खराब है, नाहरी के नाके की हालत खराब है। वन विहार हालांकि पिछली बार ही मेरे क्षेत्र में आया लेकिन 7 साल उसको बने हो गये, एक भी मकान का आवंटन नहीं किया और लोगों ने ताले तोड़कर मकानों पर कब्जे कर लिये यह तो इनकी गंभीरता है। मालवीय नगर में एक-एक मकान टपक रहा है इतनी बुरी तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, कि वर्षाकाल में मंगल बिहारी जी, वित्त सचिव वहां पर आये और वह अपने मकान को मुझे दिखाने ले गये। बुरी हालत है हरेक में। इनकी आवासीय योजना में 24 सेक्टर हैं, उनमें किसी को आवंटन नहीं। शहर के बाहर लोग बस रहे हैं, 10-10 मील दूर जाकर। लोगों को शहर में सामान लेने आना पड़ता

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं। इन्होंने जनता की हालत खराब कर रखी है। मैं कहना चाहूंगी कि इन योजनाओं के विकास का काम समुचित रूप से और अविलम्ब करें, उन लोगों को सुरक्षित रखें। उनमें जैसा मैटीरियल लगना चाहिये वह लगायें, और अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके उनको खाली प्लाट दे दें वह अपने आप बना लेंगे। और यदि यह भी नहीं कर सकते हैं तो फिर जांच कमीशन बैठा दें और उनको एक प्रमाण-पत्र इस प्रकार का दे दें कि आप अगर मर गये तो मुआवजे के रूप में इतने हजार रुपये आपके परिवार को दे देंगे। मैं समझती हूं आवासीय योजनाओं के अमल में बिलकुल हृदयहीनता का परिचय इस सरकार ने दिया है।

आवास की दूसरी समस्या है कच्ची बस्तियों की। कच्ची बस्तियां 107 थीं। श्रीमान बरकत साहब ने कहा था कि हम उनको कच्ची बस्ती में ही 100 गज का प्लाट देंगे, ...

**श्री अध्यक्ष :** समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मान्यवर., मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। इसको मैं स्पष्ट तो कर दूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि 100 वर्ग गज जमीन उन्होंने 3 रुपये प्रति गज के हिसाब से देने के लिए कहा था लेकिन अब इन्होंने 5 रुपये प्रति गज से लेकर 50 रुपये गज उसको कर दिया। 3 रुपये गज तो पहले ही ज्यादा थे और अब उनको 50 गज का एक टुकड़ा दे रहे हैं। 110 वर्ग की जगह मैं समझती हूं कि इस बात को नहीं कह सकता कि इस तरह कोई से इतने छोटे मकान में कोई परिवार वाला रह भी सकता है।

उन मकानों में भी और बढ़ाने की बात कही गई थी ...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्या... आर्डर। आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मान्यवर, पांच-पांच साल से कच्ची बस्ती में बैठे हैं...

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** दो मिनट का विशेष टाइम, मान्यवर। आपकी विशेष अनुमति से, आज हमारे आदमी यहां आये हैं ..

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्या....

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मान्यवर, मैं दो मिनट आपकी विशेष अनुमति से लूंगी ...

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मान्यवर, पांच-पांच सालों से....

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर, समय बर्बाद हो रहा है। माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है ... व्यर्थ में समय ले रही हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** xxx

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री अध्यक्ष:** अंकित नहीं हो रहा है···अंकित नहीं हो रहा है, .. व्यर्थ में समय ले रही हैं। कृपया बैठ जावें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो। आसन पैरों पर है कृपया बैठ जावें। अंकित नहीं हो रहा हैं ..

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मान्यवर, आप अंकित करावें।

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं होगा। आप व्यर्थ में समय ले रही हैं। आर्डर प्लीज··· आर्डर, आर्डर....

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो रहा है····समय ले रही हैं। कृपया विराज जावें। माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय··

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है। सदन को इस तरह कैसे चलायेंगे ?

**श्री भंवरलाल शर्मा :** मेरा एक ही निवेदन है

**श्री अध्यक्ष :** यह कोई तरीका नहीं, माननीय सदस्य। जब मैंने एक कार्य हाथ में ले लिया····

**श्री भंवरलाल शर्मा :** एक मिनट में ही अपनी बात कहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। श्री हीरालाल आर्य। यह तरीका नहीं चल सकता माननीय सदस्य।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** जयपुर की जनता का सवाल है। केवल एक बात······

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** xxx

**श्री अध्यक्ष:** आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। इतने माननीय सदस्य सदन के हैं। इन सब के किसी के प्रस्ताव हैं. किसी को चर्चा में हिस्सा लेना है इन सब को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। यह कौन सा तरीका हुआ कि एक माननीय सदस्य के मन में कोई बात आई और झट उठ कर खड़े हो गए और भाषण करना शुरू कर दिया······

**श्री भंवरलाल शर्मा :** जयपुर का विषय है।

**श्री अध्यक्ष :** जयपुर के विषय बहुत हैं। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जावें।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** सिर्फ एक मिनट लूंगा। ..

**अध्यक्ष:** आर्डर प्लीज। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया ध्यान रखें।

---

xxx माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

# Page No 50

(50)



**श्री भंवरलाल शर्मा** : यह मैं भी मानता हूं···

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर, आर्डर। मैं आपका पूरा पूरा लिहाज करता हूं। हमेशा माननीय सदस्य को अवसर देता हूं। दो की जगह पांच मिनट बोल लेते हैं उसके पश्चात् भी पांच मिनट व्यर्थ में जाया कर देते हैं···

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उसी उदारता के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं···

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, मैं अवसर नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : एक मिनट का समय दे दें। मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर, आर्डर, मैं समय नहीं दूंगा आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मेरा इतना ही निवेदन है···

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : x x x

'**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो रहा है। आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। कृपया बिराज जावें, आर्डर प्लीज।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : इतना जवाब दिलवा दें।

**श्री अध्यक्ष**; मैं कोई जवाब नहीं दिलाऊंगा इस तरीके से। श्री हीरालाल आर्य। पीपल्दा की स्कूल के बारे में।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा क्षेत्र के खातोली कस्बे में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय है लेकिन पिछले दो वर्षों से उस स्कूल में कोई प्रधानाध्यापिका नहीं है। प्रधानाध्यापिका नहीं होने की वजह से स्कूल का जो शिक्षण का कार्य है वह पिछड़ रहा है। प्रधानाध्यापिका बीमार होने का बहाना लेकर हमेशा छुट्टी पर रहती हैं और जब वे छुट्टी पर रहती हैं तब किसी को, जो असिस्टेंट है उसको, चार्ज देकर नहीं जाती हैं। चार्ज देकर नहीं जाने की वजह से अन्य जो अध्यापिकायें हैं वे भी इस बात की चिन्ता नहीं करती हैं कि स्कूल व्यवस्थित ढंग से चले। इसके अतिरिक्त वहां पर अध्यापिकाओं के आठ पद स्वीकृत हैं। अध्यापिकाओं के आठ पद स्वीकृत होने के बाद भी वहां पर दो तीन अध्यापिकायें ही कार्यरत हैं। बाकी अध्यापिकायें या तो छुट्टी पर रहती हैं, या उनमें से कई अध्यापिकाओं का डेपुटेशन पर ट्रांसफर दूसरे स्थानों पर किया हुआ रहता है। अध्यापिकाओं के दूसरे स्थान पर डेपुटेशन पर होने की वजह से या अध्यापिकाओं के छुट्टी चले जाने की वजह से स्कूल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मेहरबानी पर चलता रहता है। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर प्रधानाध्यापिका की शीघ्र व्यवस्था करें और अध्यापिकाओं की जो कमी है इस कमी की पूर्ति की जाय ताकि वहां कि छात्राओं का जीवन जो शिक्षा के अभाव में पिछड़ रहा है, अंधकारमय हो रहा है, उसकी पूर्ति की जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल की इस प्रकार की घटना के बारे में वहां के अभिभावक संघ ने उच्चाधिकारियों को कई बार अवगत कराया लेकिन जिला शिक्षा-

---

x x x माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल आर्य)

अधिकारी जो छात्राओं के हैं वह भी उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनके ध्यान नहीं देने की वजह से वहां पर उस पूरे कस्बे में बड़ा अजीब वातावरण बना हुआ है। इसलिए इस बात की ओर तवज्जो देकर आप शीघ्र ही व्यवस्था करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री महावीरप्रसाद जैन। टोडा भीम थाने के अन्तर्गत ग्राम भोलू की कोठी की नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यहार के सम्बन्ध में।

**श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री राजबहादुर** : देखिये, आज आप उनको इजाजत दे रहे हैं जिनके प्रस्ताव को आज आपने रिजेक्ट किया है। कल वालों का क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : आप वयोवृद्ध सदस्य हैं, नियमों से परिचित हैं। मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा।

**श्री राजबहादुर** : नियमानुसार नहीं है हुजूर। कल जिनको आपने रिजेक्ट किया था उनका क्या होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया नियमों का ध्यान रखें, उसके बाद में प्रश्न उठायें। यह मेरी व्यवस्था है। श्री महावीर प्रसाद।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम थाने में ग्राम भोलू की ढाणी में मीणा जाति की लड़की सरूपी का अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जिसकी एफ. आई. आर. नम्बर 41 दिनांक 3–4–83 को नम्बर 42, दि. 3–4–83 टोडाभीम थाने में दर्ज करवाई गई। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. लॉज कराने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उस लड़की की तलाश नहीं की। उनके संरक्षण में उस लड़की की हत्या की गई। उस मीणा जाति, जिस मीणा जाति की लड़की का अपहरण किया गया था के लोगों के खिलाफ लड़की के घरवालों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया, उनके खिलाफ षड़यंत्र किया गया, उनको डराया धमकाया गया। उसके बाद लड़की की लाश जब छह महीने के बाद मिली तब उस मुकदमे की एफ. आई. आर. दर्ज की गयी। और आज तक उन अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनको राजनैतिक संरक्षण दिया गया है। इस तरह से किसी प्रकार भी जो दोषी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाई नहीं की गई जिन्होंने न एफ आई. आर. दर्ज की और न हत्या के मुकदम में जो नामजद व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हम संरक्षण देना चाहते हैं, यह सारी विधान सभा और राज्य सरकार संरक्षण देना चाहती है। इस मामले में सरकार को आज वक्तव्य देना चाहिए था, सरकार इस मामले में वक्तव्य दे और होना यह चाहिए था कि दोषी व्यक्तियों को तुरन्त गिरफ्तार करें और

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है, आपने सरकार को जानकारी के लिए भेजा है। लेकिन मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं तो आज चार पांच महीने होने के बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब कृपया बैठ जावें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष:** श्री देवीसिंह भाटी। बीकानेर में पिछले दिनों भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, अधिसूचनायें।

श्री चन्दनमल बैद।

**श्री राज बहादुर** (भरतपुर) : आपने फर्माया था आप बतायेंगे उसके बाद, जब खतम हो जायेगा

**सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि**
**अधिसूचना**

**श्री अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र।

श्री चन्दन मल बैद।

**श्री चन्दन मल बैद** (राजस्थान नहर परियोजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4(12) रेव/कोल/83 दिनांक 23, जून, 1983, जिसके द्वारा विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4(4)राज/उप/78, दिनांक 29-5-78 और 17-10-78 में संशोधन किये गये हैं।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4(12) रेव/कोल/83, दिनांक 23 जून, 1983 जिसके द्वारा विभाग की अधिसूचना संख्या एफ4(4)रेव/कोल/78, दिनांक 22-5-79 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या एफ4(12) रेव/कोल/83, दिनांक 23 जून, 1983 जिसके द्वारा उपनिवेशन आयुक्त को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियां तुरन्त प्रभाव से वापस ली गई हैं।

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4 (5) रेव/कोल/81, पार्ट, दिनांक 7 जुलाई, 1983 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया।

(5) अधिसूचना संख्या एफ 4 (1) रेव/कोल/83/ भाग दिनांक 20 अगस्त, 1983 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों

(राजस्थान नहर परि. मंत्री)

को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन जिलाधीश के कतिपय कृत्य एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त किया गया है।

### प्रतिवेदन

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमती कमला, ऊर्जा मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन, 1981-82 सदन की मेज पर रखेंगी।

**श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, 1981–82 सदन की मेज पर रखती हूं।

### समिति का प्रतिवेदन

### याचिका समिति, 1983–84 का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

**श्री अध्यक्ष :** श्री नारायणसिंह।

**श्री नारायणसिंह (सभापति, याचिका समिति) :** अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति, 1983–84 के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

### ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### थाना खेरोदा, जिला उदयपुर में श्री मोहन सिंह को पुलिस हिरासत में मृत्यु

**श्री अध्यक्ष :** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कमलेन्द्रसिंह।

**श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत श्री मोहनसिंह पुत्र प्रतापसिंह की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि खेरोदा थाना, 6–7–83 को भीलकावास गांव में जिला उदयपुर में/चालीस हजार की चोरी होने की एक रिपोर्ट दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, शंकाओं के आधार पर एक व्यक्ति श्री केसुरसिंह को थाने में बुलाया गया बुलाने के बाद उसको यह कहा गया कि तुम्हारे जो दो लड़के माधोसिंह और शम्भूसिंह हैं उनको यहां थाने पर भेजा जाये ताकि हम इस केस का अनुसन्धान कर सकें। दोनों लडकों को 8 तारीख को केसर सिंह ने थाने में पेश कर दिया। उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय पुलिस ने यह पता लगाया कि उन लड़कों के साथ उठने-बैठने वाले कौन थे। उनमें से एक श्री मोहनसिंह था, जो पास के गांव, महासिंहपुरा का रहने वाला था उसको भी पुलिस वाले थाने ले आये। 9–7–83 को उसको हिरासत में लिया। जब से उसने थाने में प्रवेश किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख 9.7 से लेकर 13.7 तक उसके साथ क्या हुआ, क्या कृत्य हुआ इसका थाने के बाहर रहने वालों को तो कोई पता नहीं है, किन्तु 13 तारीख को पुलिस की गाड़ी मोहनसिंह के ससुराल गई। वहां उसके ससुर श्री रामसिंह को ढूंढ़ा गया रामसिंह वहां पर नहीं मिला। रामसिंह के एक 17 वर्षीय पुत्र, देवीसिंह था। उसे और उसके भतीजे, भैरूंसिंह पिता रोड़ूसिंह को गाड़ी में बिठा कर पुलिस वालों ने कहा कि थाने पर एस. पी. साहब आपको बुला रहे हैं और वे थाने ले जाने के लिए उनको लेकर गये।

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उन दोनों लड़कों को वे थाने पर नहीं ले गये। उन्होंने मेन रोड पकड़ कर वहां से 20-22 किलो मीटर दूर चित्तौड़ रोड पर उनको उतार दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस की तीन गाड़ियां खड़ी थीं जिनमें 150 जवान थे। 150 जवान वहां पर लगे हुए थे। एक नाली के किनारे पर एक चिता जल रही थी। उस चिता के पास उन दोनों लड़कों को ले जाया गया। उनको कहा गया कि मोहनसिंह की मृत्यु हो गई है और यह उसको जलाया जा रहा है। श्री रामसिंह के पुत्र, जो 17-18 साल का था, से किन्हीं कागजात पर उन्होंने दस्तखत कराये। उनको पुलिस ने एक हजार रुपये देने की पेशकश की। लेकिन दोनों भाइयों, देवीसिंह और भैरूसिंह वहां साथ थे, ने इंकार कर दिया कि हम एक हजार रुपये लेने को तैयार नहीं हैं। भैरूसिंह ने तो यहां तक कहकर इंकार कर दिया कि मैं किसी कागज पर दस्तखत करने को तैयार नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को यह हुआ। उसके पहले 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में खेरोदा थाने में उसके साथ जो कुछ हुआ उसका तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो जब श्री मोहनसिंह की मृत्यु का पता चला तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके 19 चोटें आई बताया गया उसके साथ जिन तीन आदमियों, केसर सिंह के दोनों पुत्र और राणा रावत को गिरफ्तार किया गया था उनको हास्पिटल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि उनके भी चोटें आई थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच का तो यह विषय है ही है किन्तु साथ ही साथ यह भी कहना पड़ेगा कि जिस शरीर पर 19 चोटें आई हैं उस लाश को, शव को पुलिस के अलावा किसी ने नहीं देखा। न तो उसके रिश्तेदारों को लाश सौंपी गई, न उसकी शिनाख्त करवायी गई, और जलाया भी किसे गया, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात में तथ्य रह गये हैं, यह सब केवल अनुमानित बातें हैं। तारीख 9 और 13 के बीच थाने में क्या हुआ, खेरोदा गांव वालों को कुछ पता नहीं लगा। इन चार-पांच दिनों में जो हुआ उस सम्बन्ध में केवल रूमर चली थी, एक अफवाह चली थी कि उनको पीटा जा रहा है। वह मरा है, कौनसी तारीख को मरा है, किसने उसकी बॉडी की शिनाख्त की है, इस चीज का कोई पता नहीं चला। केवल एक तथ्य जो रह गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तथ्य यह है कि मोहनसिंह 26 वर्षीय एक युवा था। अब उसके पीछे विधवा है, दो बच्चे हैं, एक तो तीन साल का है और एक डेढ़ साल का है। ऐसी स्थिति में इस परिवार को नजरन्दाज कर पुलिस ने जो कृत्य किया है उसके बारे में स्पष्टीकरण क्या है, तथ्य क्या है, सरकार को पता है. और सरकार का जो बयान आये उसमें यह सब आना चाहिये।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी है। मैंने भी स्थगन प्रस्ताव और ध्यानकर्षण प्रस्ताव दिया है। दोनों मैंने भी दिये हैं। स्थगन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रस्ताव तो मेरा आज ही था जिस पर आपने यही व्यवस्था दी थी कि आप चर्चा के समय पर बोल सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मोहनसिंह को मृत्यु एक साधारण घटना नहीं है। श्रीमान, वह एक बेगुनाह था जिसका कोई कसूर नहीं था। केवल भूमि के आपसी विवाद के कारण मोहनसिंह और उसके परिवार के लोगों को फंसाने के लिये एक भूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इसे भूठा मुकदमा इसलिए कह रहा हूं कि न उस चोरी की किसी प्रकार की तफतीश हुई न इन लोगों को बरामदगी के लिए किसी स्थान पर ले जाया गया, न उसमें ऐसा कोई वर्शन आया कि उन्होंने कोई चीज उठाई। 9 तारीख से उसे लगातार पीटते रहे। श्रीमन् इनके पड़ौसी और इनके बीच में खेती की जमीन का झगड़ा था। उस पड़ोसी देवीसिंह ने पुलिस में यह रिपोर्ट लिखाई थी कि घर में चोरी हुई है, 50 हजार रुपये का सोना और जेवरात चला गया। उसके और उसके पिताजी के बीच में जमीन का विवाद था, इसलिए यह केस दर्ज हुआ, अधिकारियों से मिल कर यह केस दर्ज हुआ। श्रीमन, मैं आपसे केवल इतनी जानकारी चाहता हूं, आखिर मोहनसिंह का गुनाह क्या था? 9 तारीख को थाने में प्रवेश की बात सही है या नहीं? पहली बात तो यह है कि उसकी गिरफ्तारी किस तारीख को बताई गयी? अगर 9 तारीख की बताई गयी तो 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आपने उसको किसी भी सक्षम न्यायालय के सामने पेश करके अपनी कस्टडी में रखने के आदेश क्यों नहीं प्राप्त किये? दूसरा, उसके शरीर, पर जो चोटें आई हैं वह एक दिन की नहीं थी, लगातार तीन दिन की चोटें हैं। उसकी पोस्ट मार्टम की जो रिपोर्ट है, उससे यह साबित है। माधोसिंह हैड कांस्टेबल ने पीटा और मर गया, यह कह कर और सारा जुल्म बापड़े उस गरीब एक छोटे से व्यक्ति पर लाद कर डी.वाई.एस.पी. बच जाना चाहता है। डी.वाई.एस.पी. स्वयं गया, उसने स्वयं इसको पीटा है। लेकिन चूंकि वह तो बड़ा आदमी है इसलिए केवल एक छोटे व्यक्ति पर ढोल कर इस सारे केस को मोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्रीमन, इसमें आश्चर्यजनक बात आपको यह लगेगी कि माधोसिंह जिसके लिये कहते हैं कि माधोसिंह ने इसकी हत्या की है, गायब है, फरार है। पुलिस वालों को वह व्यक्ति पार करके चला गया और हमारी राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। यह घटना जुलाई की 12 तारीख की रात की है। 12 जुलाई की घटना के बाद 12 सितम्बर आ रहा है, दो महीने से एक कांस्टेबल गायब। ! एक बेगुनाह व्यक्ति 26 साल के नौजवान को पीट-पीट कर मार डाला, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है! मेरी जानकारी है कि इस मुकद्मे में एफ. आर. भी लगा दी गयी है कि इसमें किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई। जब किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई तो साफ है कि एक साजिश करके यहां तक कि लोगों से पैसे खाकर, वह जमीन पर नहीं जाय उसके लिऐ डरा धमका कर, एक गरीब व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मैं इसके घर बैठने गया हूं। उसके घर की दशा और उसके झोपड़े को

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

देख-कर आत्मा रोती है एक बेगुनाह जिसके घर में बिछाने के लिये दरी नहीं है दूसरा, उसके मासूम बच्चों को खाने के लिये रोटी की व्यवस्था नहीं है। उसको मार डाला गया। उसकी लाश को परिवार के लोगों को नहीं दिया और वहां से 20 किलोमीटर दूर ले जाकर जला दिया। जब उसकी लाश जली नहीं तो डीजल डाल कर जलाया गया। वह डीजल का ड्रम वहां पड़ा हुआ है। दूसरे दिन प्रातःकाल लोग निकले तो उन्होंने यह सब देखा। पहले तो पुलिस वालों ने पूछताछ की कि यहां कोई श्मशान है या नहीं। जब लोगो ने कहा कि यहां कोई श्मशान नहीं है तो मांडू की चौकी के बीच में पुलिस की गाड़ियों के साथ ले जाकर उसको जलाया गया। डीजल से उसकी लाश जलाई गई। एक लावारिस लाश की दाह-क्रिया भी ठीक तरह से की जाती है लेकिन उसकी कोई दाह-क्रिया नहीं की गई। यहीं नहीं, उसको ससुराल वालों से डरा-धमका कर कहलवाया गया कि लाश उनको सौंप दी गई जबकि लाश उनको नहीं सौंपी गई थी। इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले यह कह कर बचना चाहते हैं कि केवल माधवसिंह कांस्टेबल अपराधी था। वह अकेला अपराधी नहीं है। डिप्टी एस.पी. ने साजिश की। पैसा लेकर उसके काम हमेशा के लिये खतम करने की साजिश की। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले सरकार उसके मासूम बच्चों और उसकी पत्नी को सहायता देने की घोषणा करे। जब सरकार मोटर एक्सीडेंट के लिये और छोटी-छोटी बातों के लिये चार हजार पांच हजार रुपया देने की घोषणा कर सकती है तो यह तो सरकार की पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया उसके परिवार वालों को एक पैसा भी नहीं दिया गया मैं चाहूंगा कि आज ही सरकार घोषणा करे कि उसके परिवार को इतना पैसा दिया जावेगा। मैं चाहूंगा, इसकी जांच सी. बी. आई. से कराई जाय और उन अधिकारियों को निकाला जाय जो वास्तव में दोषी हैं, जिन्होंने निरपराध व्यक्ति को मारा है। जिसके घर में ठामड़े भी नहीं वह क्या पचास हजार की चोरी कर सकता था? इस प्रकार का नाटक करके आप गरीब लोगों के मन से इस राज के प्रति कानून और व्यवस्था के प्रति आस्था उठाना चाहते हो। कृपा करके माधवसिंह जो गायब है जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, को पकड़िये। उसके साथ-साथ सारे गुनाहगारों को पकड़िये। डी. वाई. एस. पी. को पकड़िये, उसको निलम्बित करिये और उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर करिये। वास्तव में मुलजिम तो वह है जो आपकी विशेष जांच बतायेगी। मैंने एडीशनल एस. पी. से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने इसकी जांच की और जांच में पाया कि 10 तारीख को डिप्टी एस. पी. मौके पर मौजूद थे और उनके सामने उसकी पिटाई की गई थी। तो केवल एक व्यक्ति पर दोष न डाल कर इसकी जांच कराई जाय और सारे दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाय। मृतक की पत्नी और मासूम बच्चों को आज ही राहत की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी।

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 6-7-83 को श्री देवीसिह पुत्र गोपालसिंह, राजपूत; निवासी बिलकाबास की रिपोर्ट पर अपराध

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

सं. 39/83 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा. दं. सं. पुलिस थाना खैरोदा में दर्ज हुआ। तफतीश के दौरान अन्य के अलावा श्री मोहन सिंह पुत्र प्रतापसिंह राजपूत पर भी संदेह उत्पन्न हुआ और पूछताछ हेतु उन्हें पुलिस थाना खैरोदा बुलाया गया। दि. 9-7-83 को श्री मोहनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह पुलिस थाने पर उपस्थित हुए।

दिनांक 10-7-83 को श्री कृपा शंकर, उप पुलिस अधीक्षक, वल्लभनगर ने श्री मोहनसिंह एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। दिनांक 11-7-83 को अनुसंधान अधिकारी श्री अभयसिंह ने 6.30 बजे तक तफतीश की और उसके बाद थाने से प्रस्थान कर गये। उसी दिन रात को श्री माधोसिंह हैड कांस्टेबल श्री माधव-सिंह कांस्टेबल, श्री जोधसिंह कांस्टेबल, श्री अभयसिंह कांस्टेबल ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान डण्डे से पिटाई की। इस पिटाई के कारण मुस्तफा कन्ना रावत एवं शंभूसिंह के चोटें आई और श्री मोहनसिंह की थाने में ही मृत्यु हो गई। इस प्रकार श्री मोहनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह की मृत्यु 11 तारीख की रात को थाने में हो गई।

उक्त घटना की इत्तला एस. डी. एम. वल्लभनगर को श्री अभयसिंह एस. एच. ओ. पुलिस थाना खैरोदा ने दी जिस पर एस. डी. एम. ने धारा 176 सी. आर. पी. सी. के तहत जांच शुरू कर दी। एस. डी. एम. की जांच से पाया गया कि श्री मोहनसिंह की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई और स्वर्गीय मोहनसिंह के बदन पर 19 चोटें आई। जांच के दौरान पोस्ट-मार्टम भी कराया गया और पोस्टमार्टम से मौत का कारण "शाक ड्यू इंजरीज" बताया गया।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपराध सं. 41/83 दिनांक 13-7-83 अन्तर्गत धारा 302 323 आई. पी. सी. पुलिस थाना खैरोदा में दर्ज किया गया। इस केस की तफतीश एडीशनल एस. पी. सी. आई. डी. द्वारा पूर्ण कर ली गई है। न्यायालय में अभियुक्त श्री जोधसिंह एवं श्री अभयसिंह के विरुद्ध चालान पेश हो चुका है बाकी दो अभियुक्त श्री माधोसिंह हैड कांस्टेबिल और श्री माधवसिंह, कांस्टे-बिल अभी फरार हैं। अतः उनके विरुद्ध धारा 299 सी. आर. पी. सी. के तहत चालान पेश किया गया है। एस. एच. ओ. व डिप्टी एस. पी. के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि केस सब-ज्युडिस है इसलिए इसमें मैरिट्स और डी-मैरिट्स पर अभी कोई बहस करना मुनासिब नहीं होगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : केस सब-ज्युडिस है तो एडिशनल एस. पी. से जांच किस बात की करा रहे हो?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : जांच पूरी हो गई है और चालान पेश कर दिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आप कह रहे हैं कि ए. एस. पी. सी. आई. डी. से जांच करा रहे हैं?

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** नहीं, वह तो विभागीय कार्यवाही में कर्तव्यों की उपेक्षा की जांच करा रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** अच्छा।

**श्री कमलेन्द्रसिंह (वल्लभ नगर) :** अध्यक्ष महोदय, जो डाउट्स मैंने रखे थे उनका कोई स्पष्टीकरण तो आया नहीं। सर्व प्रथम तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि लाश किसको सुपुर्द की गई, किसने उसकी शनाख्तगी की कि यह मोहनसिंह की लाश है, यह बयान नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय, जो माधवसिंह और माधोसिंह, दोनों ही अभियुक्त फरार हैं क्या वे मारने के बाद थाने में से निकल कर फरार हो गये और इसमें पुलिस की साजिश नहीं है ? क्या सरकार धारा 201 के अन्तर्गत केस रजिस्टर करके किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करायेगी कि एवीडेंस को, साक्ष्य को, खत्म करने के लिये यह साजिश नहीं की गई है ?

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जोधसिंह और अभयसिंह, दो कांस्टेबलों को धारा 302 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया उनको 25 दिन के बाद गिरफ्तार किया गया है। वाकया 10-11 तारीख की रात को हुआ और उनको गिरफ्तार किया है–4 अगस्त को। 25 दिन उनको इसके दिये गये कि जो कुछ भी एवीडेंस हो उनको मुनव्वर कर सके। जो भी सरकार द्वारा जांच की जा रही है उसकी एवीडेंस को उलट-पुलट करने के लिए 25 दिन का मौका दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो हैड कांस्टेबल माधोसिंह और कांस्टेबल माधवसिंह, दोनों ही फरार हैं। जब यहां से दिल्ली आर.ए.सी. के 150 जवान भेज सकते हैं एक कमरा खाली कराने के लिए, तो क्या एक हैड कांस्टेबल, जो पुलिस का मुलाजिम है, को पकड़ने के लिए आर.ए.सी. कुछ नहीं कर सकती ? उसको अभी तक फरार कर रखा है। इसमें मुझे पूरी शंका है कि पुलिस द्वारा उसको फरार किया गया है।

दूसरी बात, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक्सग्रेशिया के पेमेंट के लिये जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सजेशन दिया है, यह पेमेंट तो उसी तारीख को हो जाना चाहिये था, लेकिन यह नहीं हुआ। सरकार के मन में शायद यह है कि संविधान की धारा 300 के अन्तर्गत King can do no wrong. जो आड़ इनको दी गई है उसके अन्तर्गत ये कुछ करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि दो केस जो डिसाइड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी अभी, दोनों बिहार के हैं जिनमें एक आदमी को 14 साल जेल में रखने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने 30 हजार का कम्पेनसेशन दिया है। संविधान की 21वीं धारा के अन्तर्गत जो लाइफ की लिबर्टी, आजादी दी गई है उसके स्कोप के अन्तर्गत दो ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में आये हैं उनमें यह दायरा बढ़ा दिया गया है। इस दायरे के अन्तर्गत न केवल सरकार आती है, सरकार के सभी मुलाजिम आते हैं। तो सरकार के लिए यह लाजिमी है कि कंपन्सेशन दे, न केवल एक्सग्रेशिया का पेमेन्ट करे बल्कि पूरा का पूरा कंपन्सेशन उस विधवा और उसके दोनों बच्चों को देना चाहिये। उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना चाहिये। वे बच्चें 16 साल तक पढ़ाई

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

करेंगे। 16 साल तक सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यह देख करके कि सुप्रीम कोर्ट में यह गरीब विधवा नहीं जा सकती है, दरख्वास्त नहीं लगा सकती है, सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, अब तो लॉ ग्राफ लैंड हो गया है। कम्पन्सेशन देना सरकार के लिए लाजिमी हो गया है। जहां कहीं भी सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकर गलत काम करता है तो उसके लिये यह लाजिमी हो गया है कि सरकार उसका पूरा का पूरा कम्पन्सेशन दे। एक्सग्रेशिया का पेमेन्ट तो हो जायेगा, एक हजार, दो हजार रुपया देने का ग्राप ग्रनाउन्समेंट कर देंगे परन्तु इससे उसके बच्चों की उम्र नहीं निकलेगी। वे पूरा पढ़ नहीं पायेंगे, वे 15|16 साल की उम्र तक कमाई नहीं कर पायेंगे, इस हैसियत में नहीं ग्रायेंगे इसलिये तब तक सरकार को यह जिम्मेदारी ग्रपने ऊपर लेनी पड़ेगी।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया**: अध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार यह बता दे कि उसकी मृत्यु किस तारीख को कितने बजे हुई और उसकी लाश को किस तारीख का कितने बजे जलाया गया? इसके बीच में कितना ड्यूरेशन रहा।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है, डी.वाई.एस.पी. भी इस जुर्म में शामिल था जिसने यह साजिश की, उसके खिलाफ तो विभागीय कार्यवाही की जायेगी ग्रौर जो छोटे मोटे पुलिस के सिपाही हैं जिनको कहा गया कि डण्डे मारो, उनको आप मौत की सजा देंगे। आखिर ग्रापका मापदण्ड क्या है, कृपा करके इसको स्पष्ट करें। जिस डी.वाई.एस.पी. ने मिल कर, पूरा प्लान बना कर इस सारे काण्ड को प्रारम्भ किया उसके खिलाफ आप विभागीय कार्यवाही करेंगे ग्रौर जिस सिपाही को कहा डण्डे मारो, पता लगाग्रो कि चोरी की या नहीं की, उसको ग्राप मौत की सजा देंगे, कृपा करके इसका स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष**: श्री सी.पी. जोशी।

**श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)**: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि एस डी. एम. वल्लभनगर ने जांच की। मेरा इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि पहले यह स्पष्ट किया जाये, मुलजिम को अरेस्ट डी. वाई. एस.पी. ने किया या हैड कॉंस्टेबल ने किया? जहां तक मेरी जानकारी है, डी.वाई.एस.पी. ने मुलजिम को अरेस्ट किया। एस.डी.एम., वल्लभनगर की भी कनाइवेंस इसमें है। उस एस. डी. एम. से भी ग्रापने इसकी जांच कराई ग्रौर उसकी जांच रिपोर्ट के ग्राधार पर ग्राप विभागीय कार्यवाही करना चाहते हैं, तो पहले यह स्पष्ट किया जाये कि इस सारे वाकिये के अन्दर एस. डी. एम., वल्लभनगर का क्या रोल था? जिस अधिकारी का रोल था क्या वही ग्रधिकारी इसकी जांच करने के लिये सक्षम था? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है. मोहनसिंह की मृत्यु के बाद उसका पोस्टमॉर्टम जिस डाक्टर से करवाया गया? उसकी पोस्टिंग किस जगह पर है? हमारी सूचना के ग्रनुसार वल्लभनगर के पास खैरोदा ग्रौर कानोड़ के ग्रन्दर भी डिस्पेन्सरी है ग्रौर वहां पर डाक्टर भी हैं। उन दोनों डाक्टरों से जांच नहीं कराकर 30|40 किलो मीटर दूर फतेहनगर है वहां से डाक्टर को बुलाकर उसकी मृत्यु के

(श्री सी. पी. जोशी)

कारणों की जांच कराई गयी। हिन्दुस्तान के किस कानून के अन्तर्गत यह लिखा हुआ है कि किसी मृतक का पोस्टमार्टम रात में होगा हमारी जानकारी के अनुसार उस डाक्टर से पोस्टमार्टम रात के अन्दर करवाया गया। क्या यह सच है कि उसका पोस्टमार्टम रात के अन्दर कराया गया?

प्रश्न नम्बर तीन यह है, पोस्टमार्टम रात में हुआ है, डी. वाई. एस. पी. ने मुल्जिम को अरेस्ट किया है, जब यह एस. डी. एम. की नालेज में था तो क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं था कि इस सारी घटना की जांच एक सक्षम अधिकारी से करवायी जाती ? इसके अन्दर हैड कांस्टेबिल उतना गुनहगार नहीं है जितना क्षेत्र के अधिकारी हैं। इन सब की कनाइवेन्स के अन्दर यह सारा केस हुआ है और केवल स्वयं बचने के लिये हैड कांस्टेबिल को मुल्जिम बना दिया गया है। इसलिये क्या राज्य सरकार घोषणा करेगी कि यह सम्पूर्ण जो घटनाक्रम है उसकी एस. डी. एम, डी. वाई. एस.पी. हैड कांस्टेबल और डाक्टर, जिसने रात में जांच की और गलत सर्टिफिकेट दिया है; चारो को पार्टी बना कर जांच करायी जायेगी। जैसा बल्लभगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, क्या इसका कम्पेनसेशन आप एक हजार रुपया ही आंकते हैं। जब सरकार को यह सत्यता स्पष्ट हो गई कि उसकी मृत्यु थाने में हुई है तो सरकार को हाइऐस्ट कम्पेनसेशन देकर एक उदाहरण हिन्दुस्तान में प्रस्तुत करना चाहिये था कि इस तरह की जो गलती हुई है उसका कम्पेनसेशन इतना दिया है। उसके बच्चों को एजूकेशन प्राप्त हो यह भी आवश्यक है। श्रीमन्, आजादी के पहले अंग्रेजों का शासन था तब भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे। अंग्रेज शासन काल के अन्दर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी लाश उसके परिवार के सदस्यों को दी जाती थी और उसके सामने उसकी लाश को जलाया जाता था। इस केस में यह काम भी नहीं हुआ। राज्य सरकार इस सारे काण्ड की जांच करा कर एक आदर्श प्रस्तुत करे। इस आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर किसी की जिन्दगी लेने के बाद एक हजार, दो हजार रुपया देकर इस केस को टाले नहीं बल्कि एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि जो गलती होती है उसके लिये सरकार दोषी को सजा देती है और मृतक को कम्पेनसेशन देती है। कृपया मंत्री महोदय इन चीजों को स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न और सुझाव दिये गये हैं...

**श्री अध्यक्ष** : इसमें मुद्दे का सवाल मंत्री महोदय यह आया है यह बात सही है कि पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, यह बात भी सही है कि उसकी मृत्यु थाने में हुई, साधारण कारणों से नहीं हुई...

**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** : यह एडमिटेड है।...

**श्री अध्यक्ष** : इसमें कम्पेनसेशन का सवाल जो उठाया गया है...

**श्री सी०पी० जोशी** : It is responsibility of the officers. Head Constable is not responsible. It cannot be by the Head Constable.

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आपकी गाइडेन्स के लिये बताया है।...

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री कमलेन्द्रसिंहजी ने इस बात पर काफी जोर दिया है कि लाश किन व्यक्तियों को दी गयी ? इस सम्बन्ध में जो मेरे पास सूचना है, जो एस. डी. एम. थे जिन्होंने 176 में इन्सपेक्ट रिपोर्ट बनायी थी, उनके द्वारा मृतक व्यक्ति की लाश उसके ससुराल के दो आदमी, अंकल इन ला और ब्रदर इन ला को देना बताया गया है। लाश को उसके घर नहीं ले जाकर किसी दूसरी जगह जलाने के बारे मे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। उस दिन काफी बारिश हो रही थी और वर्षा होने के कारण···

(व्यवधान)

जो मेरी सूचना है उसके आधार पर ही कह रहा हूं। अगर आपके पास अन्य सूचना है तो बात अलग है···

(व्यवधान)

**श्री गुलाबचंद कटारिया :** चार किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था वहां न ले जाकर 30 किलोमीटर दूर ले जाया गया····

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।····

(व्यवधान)

**श्री कमलेन्द्रसिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। जो रिपोर्ट इनके पास आयी है कि अंकल इन ला और ब्रदर इन ला को लाश सोंप दी गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि लाश किसी को नहीं सोंपी गई है। केवल चिता बता दी गयी कि यह जल रहा है और दस्तखत करा लिये, परन्तु अंकल इन ला ने दस्तखत करने से बिल्कुल ही मना कर दिया उन्होंने ने कहा मैं दस्तखत करने को तैयार नहीं हूं। दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय ने यह कही कि बारिश हो रही थी इसलिये दूर ले गये, उनका गांव तीन किलोमीटर की दूरी पर नहीं था। यह भी गलत है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया है कि सभी पुलिस वाले इस मामले में इन्वाल्ड थे। एस. डी. एम. ने जो रिपोर्ट दी है यह एस.डी.एम. भी जांच के लिये सक्षम नहीं था। 11 तारीख की रात को उसकी मृत्यु हुई 12 तारीख को एस. पी. ने थानेदार को रिपोर्ट दी है कि यह हो चुका है। एडीशनल एस.पी. को उन्होने भेजा है। उनकी रिपोर्ट एडीशनल एस.पी. ने भेजी है। उसमें बताया गया है डी वाई. एस. पी. सभी इन्वाल्ड हैं। यह सब फैक्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष:** इसका उत्तर आने दीजिये।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पुलिस ने यह सारा काम किया और पुलिस इसके लिये उत्तरदायी भी है। जो जांच वगैरह की गयी हैं उन जांच रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार लाश पुलिस ने नहीं दी, एस.डी.एम स्वयं ने इन दो आदमियों को लाश सम्भलायी....

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह कि···

**श्री सी.पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह कि···

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मेरे विचार से यह अब इतना महत्वपूर्ण नहीं···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर। कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

यह तो पुलिस भी जानती है कि हत्या हुई है और कुछ लोगों का चालान किया है। अब हत्या कहां हुई, कैसे हुई। घटना से कोई ज्यादा ताल्लुक इसका नहीं रहता। अगर आप यह कहते कि इन्वेस्टीगेशन इसका ठीक नहीं हुआ, पुलिस की इस तरह से कार्यवाही गलत हुई है तो और बात है। नहीं तो पुलिस मानती है कि हत्या तो हो गई है और वे चालान भी कर रहे हैं। अब हत्या के बाद में कहां उसकी हत्या हुई, उसको कहां ले गये, किससे डाक्टरी जांच करवायी, यह प्राकृतिक मौत तो है नहीं, उन्होंने यह भी बात मानी है कि पिटाई के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो मैं समझता हूं कि इस विवाद में पड़कर दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा यदि कोई उठाना चाहे कि इसका जो अनुसंधान हुआ है वह कानून और कायदे में हुआ है या नहीं। दूसरा, पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई-और गवर्नमेन्ट स्वयं यह मानती है कि उनके अधिकारियों की गलती से, लापरवाही से मृत्यु हुई है तो, जैसा कि आपने कुछ कानून का और फैसलों का हवाला दिया है, ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए जिस पर इस तरह की दुर्भाग्य की स्थिति आ पड़ती है। इस संबंध में कहें।

**श्री सी. पी. जोशी :** इसके लिए रेस्पोन्सिबल······

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर।

छोटे बड़े का सवाल नहीं है। मैंने यह निवेदन कर दिया है कि इन्वेस्टीगेशन इस मुकदमे के अनुसंधान के बारे में कि भाई गलत मुलजिम पकड़ लिया है, इसमें पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया नहीं गया है, जिसका आगे परिणाम यह होगा कि इन मुलजिमों को शायद सजा ही नहीं होगी तो इस तरह के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। अब लाश कहां जलायी गई, किसको सौंपी गई, किसको नहीं सौंपने राज्य सरकार के द्वारा यह मानने के बाद यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। हो सकता है अगर वह कत्ल की बात नहीं मानते तो उस हालत में उनका जो कण्डक्ट है, जो कुछ उन्होंने किया वह अप्रत्यक्ष रूप से एक साक्ष्य होता है लेकिन जब वे मर्डर मान लेते तो उसके बाद में यह इसमें माना जायेगा कि इन्होंने जो कुछ छिपाने की कोशिश की वह की और उसके बाद भी यह साबित हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें वह प्रश्न मौन है। दो ही प्रश्न हैं, अगर यह शिकायत है कि इसका अनुसंधान·········

**श्री सी.पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, एस.डी ओ. का, डी. वाई. एस. पी. का ········

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

**श्री कमलेन्द्रसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरी तो मांग यह है कि 201 में मुकदमा

(श्री कमलेन्द्रसिंह)

सब पुलिस ऑफिसर के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। एवीडेन्स की जो तोड़फोड़ की गई है, साक्ष्य को गड़बड़ किया है उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी, यह बता दीजिये। 302 तो कर दिया...

श्री अध्यक्ष: उसका अनुसंधान किस अधिकारी ने किया है, पहला प्रश्न तो यह आता है। तो यह पूछिये न कि अनुसंधान किसने किया है?

श्री सी.पी जोशी: एस. डी. ओ. डाक्टर को फतेहनगर से बुलाकर ले गये थे और दूसरी रात को पोस्टमार्टम कराया गया.......

श्री अध्यक्ष: सब कुछ किया होगा लेकिन उससे कोई इस केस का सीधा ताल्लुक नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य: कम्पेनसेशन के बारे में बताइये..

श्री कमलेन्द्र सिंह: अनुसंधान किसने किया, कौन कर रहे हैं, यह बता दीजिये?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, आपने जो सवाल किया हैं, इस केस को पहले तो स्थानीय पुलिस ही जांच कर रही थी लेकिन बाद में मामले की गम्भीरता को देखते हुए, क्योंकि इसमें पुलिस के अधिकारियों के इन्वाल्व होने का अंदेशा था इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये इसकी जांच एडीशनल एस. पी., सी.आई.डी. द्वारा करायी गई है। एडीशनल एस.पी ने जांच में यह पाया है कि 10 तारीख को दिन में डी.वाई.एस.पी. ने मृतक से पूछताछ की थी और उसी दिन वे वहां से चले गये और एस.एच.ओ. भी उसी दिन किसी दूसरे काम से वहां से चले गये। रात को इन चार आदमियों के साथ मारपीट की गई और मारपीट करने से उसकी मृत्यु हो गई। यह तथ्य एडीशनल एस.पी. सी.आई.डी. की जांच से सामने आया है और इस जांच के परिणामस्वरूप यह चालान कोर्ट में पेश किया है। दूसरी बात, जहां तक कम्पेनसेशन और एक्सग्रेशिया के पेमेन्ट का सवाल है, एक्सग्रेशिया का पेमेन्ट तो सरकार करने जा रही है। मैंने निवेदन किया कि कुछ अच्छी राशि उसको दी जाय.

श्री कमलेन्द्रसिंह: यह अच्छी राशि कितनी होगी?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: ज्यादा से ज्यादा 5 हजार रुपये दे सकते हैं।

दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं, कि आपने हवाला दिया था कम्पेनसेशन का, वह जो आपने बात बतायी है, जैसा, अध्यक्ष महोदय, आप खुद जानते हैं......

श्री कमलेन्द्र सिंह: कोर्ट के आर्डर को पालना में कुछ कम्पेनसेशन दिया गया..

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: कम्पेनसेशन कोर्ट के किसी आर्डर के तहत ही दिया जा सकता है। आपने जो नजीर दी है उसमें भी कोर्ट के आर्डर की पालना में ही कुछ कम्पनसेशन दिया गया है। वैसे भी होता है। अगर इस प्रकार की पहले की कोई बातें होंगी और सरकार अगर उसके अनुसार

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

कुछ कर सकती है तो हम उसे लाभान्वित करने की बात करेंगे। दूसरी बात, माननीय सदस्य इस बात पर काफी जोर दे रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम बल्लभनगर नहीं करा कर ....

**श्री कमलेन्द्र सिंह** : यह तो फतेहनगर का है ......

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** : खेरोदा में क्यों नहीं कराया गया ? जिस दिन यह वाकया हुआ उस दिन डाक्टर नहीं होने के कारण यह भी काम एस.डी.एम. साहब ने खुद अपनी तहरीर से किया था।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । आर्डर प्लीज। आगे चर्चा नहीं होगी।

**श्री कमलेन्द्र सिंह** : 201 में केस दर्ज होना चाहिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। दूसरा, यह आपने जो कहा कि 5 हजार रुपये देंगे।

**श्री गोविंदसिंह गुर्जर** : एक मिनट। मैं निवेदन कर दूं कि 201 में केस तब बनता है जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो। यह इसमें लागू नहीं होती।

**श्री अध्यक्ष** : यह कानूनी प्रश्न है।

**श्री कमलेन्द्र सिंह** : एवीडेन्स के लिए हैड कान्सटेबल को भगा दिया कांसटेबल भागता है माधोसिंह को भगा दिया. आपको जो कुछ भी गड़बड़ करनी थी सब कर ली! 25 दिन के बाद अभियुक्तों को पकड़ा, वे इसी थाने में रह रहे थे तो एवीडेन्स में कोई न कोई गड़बड़ हुई होगी। इसलिए 201 में केस दायर करके किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को यह सब केस सौंप दिया जाय''''

(व्यवधान)

ताकि वह देखे कि 202 में मुकदमा इन पर बनता है या नहीं। दूसरी बात, एक्सग्रेशिया पेमेन्ट जो ये परंपरागत करते आ रहे थे, वह परम्परा खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दो केस में कम्पनसेशन अवार्ड किया है, गवर्नमेंट के खिलाफ इस केस के अन्तर्गत आपको आगे आकर उसके परिवार वालों की पूरी मदद करनी चाहिए।

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, कानून की किताब का फैसला दस साल बाद होगा, सजा मिलेगी, या नहीं मिलेगी, लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहता हूं कि जिस इलाके से मैं आता हूं उसमें 18 लाख के आसपास आदिवासी रहते हैं उस इलाके में आजादी के बाद यदि इस तरह का मर्डर हो जाता है फिर भी हम यह चाहते हैं कि 5,000 रुपया दें। क्या नियम होगा ? क्या कानून होगा ? उसमें जाने के बनिस्पत राज्य सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि आजादी के बाद इस तरह का हर्जाना नहीं देंगे उसके परिवार को 50,000 रुपया दिया जायेगा। कानून के अनुसार जो फैसला होगा वह बाद में होगा पहले यह घोषणा करें''''

**सुश्री पुष्पा जैन** : मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** । कोई नयी बात हो तो बतायें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख को आपने उसको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

गिरफ्तारी बताई। 9 तारीख को मोहनसिंह थाने में आ चुका और 12 तारीख को सवेरे साढ़े तीन बजे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बीच किस तारीख को डी.वाई.एस.पी. आये थे या नहीं आप, यह बता दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन डी.वाई.एस.पी. और एस.डी.एम. गये, उस दिन मुलजिम को गिरफ्तार किया गया या बिना अरेस्ट किये ही इन्क्वायरी के लिए उसको बुलाया गया। अगर अरेस्ट किया गया तो रिमाण्ड कहां से लिया आपने ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर ; अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि उसको केवल पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था। कोई अरेस्ट नहीं किया फार्मली। पूछताछ के दौरान ही मारपीट करने से यह मृत्यु हो गई। इसलिये यह तो बात ही नहीं आती है कि····

(व्यवधान)

मैंने अपने जवाब में ही कहा है कि वह····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या यह सदन मुल्जिमान की ट्रायल कर रहा है ?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : 9 तारीख को बुलाया 10 तारीख को वहीं रहा और उसकी पिटाई होती रही। 11 तारीख को पिटाई होती रही और रात को मर गया। यह सोचता कि गलती हो गई है···

श्री यदुनाथ सिंह : Unlawful detention.

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। मैंने जैसा निवेदन किया कि कैसे पकड़ा क्यों पकड़ा गया, पकड़ना जायज था या नाजायज था, जब उसकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्य की बात यह रही। उसके बाद में 302 में केस हो गया तो यह सब प्रश्न गौण हो जाते हैं।

(व्यवधान)

यह महत्वपूर्ण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसकी डैथ पुलिस कस्टडी में हुई या नहीं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : वह तो बता दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बताया है। यह स्पष्ट कर दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उसकी मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई है यह मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब उसको गिरफ्तार ही नहीं किया गया तो फिर वह पुलिस कस्टडी में कैसे हो गया ?

श्री अध्यक्ष : तफतीश के लिये बुलाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तफतीश का मतलब अरेस्ट करना नहीं होता है। हिरासत को तफतीश नहीं कहा जा सकता है। उसको गिरफ्तार ही नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : यह तो टेक्निकल प्रश्न है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** यह टेक्निकल प्रश्न नहीं है। वह जब गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो हिरासत में कैसे बताया जा रहा है ? बिना गिरफ्तार किये ही उसको कैसे रख लिया था इतने दिन तक ?

**श्री अध्यक्ष :** गिरफ्तारी के मायने क्या है ? गिरफ्तारी के मायने यह है कि जिसको गिरफ्तार करने का अधिकार है वह कह दे कि मैंने गिरफ्तार कर लिया तो वह गिरफ्तार हो गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** वह कह दें कि गिरफ्तार किया था। यह तो कहलवा दें कि उसको गिरफ्तार किया था। यह कहलवा दें।

**श्री अध्यक्ष :** यह टेक्निकल प्रश्न है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** इसमें क्या टेक्निकल है ? यह कह दें कि उसको हमने गिरफ्तार किया था या यह कह दें कि हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया था।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** मैं निवेदन कर दूं कि उसको तफतीश के लिये बुलाया था, गिरफ्तार नहीं किया था।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** उसको तफतीश के लिये थाने में रखा 9 से 11 तारीख तक। इतने दिनों तक····

**श्री अध्यक्ष :** चर्चा समाप्त हुई। अब सब प्रश्न गौण हैं।

(व्यवधान)

**सुश्री पुष्पा जैन :** अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

**श्री यदुनाथ सिंह।** गिरफ्तार नहीं किया था।

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।** ···उसको मार दिया गया।···यह एक षड़यंत्र है बड़े अधिकारियों को बचाने का।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** यह पुलिस अधिकारियों को बचाने का षडयंत्र है। मंत्री महोदय उनके शिकंजे मे आ गये हैं।···

**श्री अध्यक्ष :** कृपया बैठ जायं।

**श्री गोविन्दसिंह गुर्जर :** आपकी समझ का सवाल नहीं है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** समझ का सवाल क्या है ? अच्छे मंत्री हो गयें आप।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** शान्त रहें। कृपया बैठ जायें। आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

छुट पुट प्रश्न गौण हो जाते हैं. क्यों पकड़ा, कब पकड़ा, कितने दिन रहा।

उसकी मृत्यु हो गयी ···

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** मृत्यु नहीं हुई, मारा गया। उसको मार दिया गया। वह मृत्यु किसने की? उसकी रेस्पॉन्सिबिलीटी छोटे मोटे लोगों पर फिक्स कर रहे हैं और बड़े अधिकारियों को बचा रहे हैं। उस डी वाई. एस.पी. को बचाया जा रहा है···

**श्री अध्यक्ष :** चर्चा समाप्त हुई।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : जिसने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया वह डी.वाई एस. पी. था। आरम्भ से लेकर अन्त तक जिसने यह सब किया उसकी तो विभागीय जांच होगी और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको फंसाया जा रहा है।

**एक माननीय सदस्य** : छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है।

**श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया)** : जिनके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी या नहीं की गयी? डी०वाई०एस०पी० के खिलाफ कार्यवाही की गयी या नहीं की गयी? आप कहते हैं कि छोटे कर्मचारियों का हाथ है, यह सही नहीं है। बड़े अधिकारियों का हाथ है जो कि यहां पर बैठे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : मंत्रीजी को पता ही नहीं है। वह तो आफिसर जो कागज देते हैं उसको पढ़ देते हैं।

**श्री कमलेन्द्र सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से···

**एक माननीय सदस्य** : आप तो बोलो, विराम मत रहने दो।

**श्री कमलेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय; मोहनसिंह की पत्नी ने जो दरख्वास्त सरकार को दी है उसमें सारे फेक्टस दिये हैं, आपकी अनुमति से वह सदन की मेज पर रखना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा है, जब माननीय सदस्य कानून का और यह और वो हवाला देने लग जाता है तब मुझे भी जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसको देखना पड़ता है। आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसकी सीमा के बाहर तो हम जा नहीं सकते।

**एक माननीय सदस्य** : पढ़ कर सुना दें।

**श्री अध्यक्ष** : मैं सुना देता हूं...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह कुर्सी पर हैं।

**श्री अध्यक्ष** : महोदय जी, दिनांक 11-7-83 को थाना खेरोदा जिला उदयपुर में मोहनसिंह नामक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में सिपाहियों की पिटाई से मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी शव को मोहनसिंह के परिवार को नहीं लौटाया गया। पुलिस ने अपनी देख रेख में कोई अन्य स्थान पर शव को जलाया। पुलिस के इस निर्दयतापूर्वक कृत्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

तो अब यह जो सवाल है, उसमें डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट भी शामिल हैं...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : मेरा भी है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आपका प्रस्ताव मैंने रिजेक्ट करके इसके साथ अनुमति दी है। जवाब आ गया है। फिर भी, वह सब कुछ होते हुए भी मैंने एक घन्टे की ढील दे दी। इसमें सवाल इतना ही है, मुद्दे का सवाल जो आता है वह यह है कि 201 से तो 302 बड़ी है। यह कानूनी प्रश्न है कि कौन गिरफ्तार हुआ, कब गिरफ्तार हुआ

(श्री अध्यक्ष)

गिरफ्तार करके कहां ले गये, वास्तव में गिरफ्तार किया या नहीं किया, यह सभी प्रश्न गौण हो जाते हैं जब यह मान लिया जाय कि उसकी पुलिस हिरासत के अन्दर पिटाई के द्वारा मृत्यु हुई है। अब हिरासत कैसे थी, हिरासत है या नहीं, हिरासत हम किसको कह सकते है, गिरफ्तारी किसको कह सकते हैं यह सब टैक्निकल सवाल है। थाने के अन्दर नहीं मारा बाहर नीम के नीचे ले जाकर पिटाई की होगी, कहीं जंगल में ले जाकर पिटाई की होगी तो इस गहराई में अपन इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से नहीं जा सकते। दो मुद्दे थे, क्योंकि आपकी बात सही प्रतीत हुई इसलिये मन्त्री जी ने भी इस चीज को माना। जो कम्पेनसेशन का सवाल है उसके बारे में भी कह दिया। इन्वेस्टीगेशन ठीक हुआ या नहीं हुआ यह बात भी चर्चा में आ गई। काफी चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं समझता हूं कि इस चर्चा को यहीं समाप्त किया जाय। इसका कोई अन्त नहीं है।

**श्री कमलेन्द्रसिंह** : एक प्रश्न।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। समय का ध्यान रखते हुए हो जो प्रक्रिया है उसके अनुसार

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब इसमें कोई परिणाम आगे निकलने वाला है नहीं इसलिये मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं।

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

**शासकीय वक्तव्य**

**महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में भर्ती एक महिला रोगी के साथ दो डाक्टर एवं एक तकनीशियन द्वारा बलात्कार**

**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य।** महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में भर्ती एक महिला के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में।

मंत्री जी।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में दिनांक 30–8–83 को कथित बलात्कार की घटना के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार है:—

श्रीमती कंचन पत्नी श्री लूनाराम निवासी, जोधपुर, उम्र 20 साल, दिनांक 29–8–83 को रात्रि के करीब दस बजे सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई की शिकायत पर अस्पताल में फीमेल मेडिकल वार्ड, यूनिट "ए" में पलंग नं. 22 पर भर्ती की गई थी। दिनांक 30–8–83 को जब श्रीमती कंचन वहां भर्ती थी, उस समय रात्रिकालीन ड्यूटी पर डा. राजेन्द्र सिंघवी कार्यरत थे। उस रात्रि को हरिजन श्री बाबूलाल भी वहां पर सफाई ड्यूटी पर था। उसने मेल मेडिकल वार्ड के श्री नाथूसिंह कम्पाउन्डर को सूचित किया कि एक औरत को 9.45 बजे आनन्द टेक्निशियन के साथ ड्यूटी रूम की तरफ जाते देखा व 10.40 बजे तक वह औरत ड्यूटी रूम से बाहर नहीं आई। इस पर श्री नाथूसिंह, कम्पाउन्डर ने श्री बाबूलाल को काल लिख कर दी जिसे लेकर वह ड्यूटी रूम को

# Page No 69

(69)



(श्री खेतसिंह राठौड़)

तरफ गया तो उसे पास ही बने लैब रूम के पास आनन्द टेक्निशियन दिखाई दिया। और जब उसने उसे काल दिखाई तो आनन्द ने उसे ड्यूटी रूम की तरफ जाने को कहा। जब श्री नाथूसिंह ड्यूटी रूम में गया तो वहां उसने सिर्फ डा. सिंघवी अकेले को देखा। इस पर श्री बाबूलाल हरिजन ने अपनी बात सीनियर कम्पाउन्डर श्री भंवरलाल को कही।

श्री भंवरलाल ने दूसरे दिन प्रातः 6.30 बजे अपने राउण्ड के दौरान "फीमेल मेडिकल वार्ड" में इस बाबत पूछताछ की और उस पूछताछ के दौरान पाया कि श्रीमती कंचन को उसके रिश्तेदार के साथ आनन्द टेक्निशियन व डा. राजेन्द्र सिंघवी खून की जांच के लिये ले गये थे। यह जानकारी होने पर भंवरलाल ने श्रीमती कंचन से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके साथ रात्रि को तीन लोगों ने बलात्कार किया, जिनमें से दो तो वही थे जो रात्रि को उसे खून की जांच हेतु वार्ड की लैब में ले गये थे और तीसरा एक अन्य व्यक्ति था। नाम वह तीनों के ही नहीं बता पाई। श्री भंवरलाल ने यह बात मेट्रन श्री चुन्नीलाल को बताई, जिसको उसने इस विषय में लिखित शिकायत प्राप्त कर

(1.49 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, आसीन)

अधीक्षक को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में जैसा कि भंवरलाल ने लिखा व जिस पर श्रीमती कन्चन ने भी अपनी अंगूठा निशानी की, कहा गया है कि उसके साथ तीन लोगों ने डाक्टर्स ड्यूटी रूम में बलात्कार किया।

अधीक्षक, डा. के. बनर्जी ने दिनांक 31-8-83 को ही डा. सुधीर भण्डारी एवं राजेन्द्र सिंघवी, जो कि उस रात्रि को ड्यूटी पर थे, व आनन्द लैब टेक्निशियन, जो भी उस रात ड्यूटी पर था, तीनों को व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कहा, हम पर यह आरोप बिलकुल झूठा और बेबुनियाद है।

अधीक्षक महोदय ने उपरोक्त घटना की जांच हेतु दिनांक 1-9-83 को डा. आई. एन. रामदेव, डा. जे. सी. शर्मा एवं डा. पेन्से तीन वरिष्ठ डाक्टर्स की एक जांच समिति नियुक्त की। जांच समिति ने संबंधित सभी व्यक्तियों को बयान के लिये तलब किया है। श्रीमती कंचन के अतिरिक्त सभी व्यक्ति उपस्थित हुये। श्रीमती कचन के पति भी बयान देने हेतु उपस्थित हुये। श्रीमती कंचन के पति ने अपने बयानों में अपनी पत्नि के साथ किसी घटना के घटित होने से इन्कार कर दिया। जांच समिति ने आरोपों की सिद्धि हेतु शाहदतों को सन्तोषजनक नहीं पाया।

इसी बीच दिनांक 2-9-83 को दिन के 2.30 बजे श्रीमती कंचन ने उप अधीक्षक, जोधपुर के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने दो डाक्टर्स द्वारा उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम करने की बात कही और कहा कि प्रातः होते ही एक डाक्टर उसके पास आया, उसने कागज पर अंगूठा करवाया और ले गया और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। उसने यह भी बात कही कि घर जा कर उसने सारी जानकारी अपने पति व अपनी सास को दी। इस पर थाना सरदारपुरा ने अभियोग संख्या 119/83 धारा 376/354/34 ता. हि. (आई

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पी. सी.) पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान श्रीमती कंचन की डाक्टरी जांच करवाई गई तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान कलमबद्ध करवाकर बलात्कार के संबंध में परीक्षण हेतु सामग्री केमिकल जांच हेतु भिजवाई गई। जब कि डाक्टरी जांच में श्रीमती कंचन के गाल, आंख व हाथ पर मामूली रगड़ भी देखी। अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त आधार पर यह तो स्पष्ट है कि श्रीमती कंचन अस्पताल में भर्ती हुई थी। यह भी साबित होता है कि उस रोज रात को डॉ. राजेन्द्र सिंघवी, डॉ. सुधीर भण्डारी तथा आनंद टेक्निशियन ड्यूटी पर थे तथा प्राइमाफेसी तौर पर आरोपित घटना घटी प्रतीत होती है।

**एक माननीय सदस्य** : वह कहां है ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : तीनों के नाम बताए हैं मैंने। राजेन्द्र सिंघवी, सुधीर भण्डारी तथा टैक्नीशियन आनन्द, तीनों उस रात को वहां पर मौजूद थे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आनन्द आगे सर नेम क्या लगता है ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : टैक्नीशियन है। पूरा सुन लीजिए। इसको गम्भीरता से लें।

**श्री सभापति** : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : श्रीमती कंचन कथित अपराधियों के नाम बताने में असमर्थ रही है। अतः पुलिस गिरफ्तार कर शिनाख्त कराने की कोशिश में लगी हुई है। इस तमाम हालात की पृष्ठभूमि में इस घटना का अस्पताल के ड्यूटी रूम में घटित होना पाया जाकर राज्य सरकार ने श्री आनन्द, टैक्नीशियन को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। दोनों डाक्टर, जो कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेन्ट्स हैं, पी. जी. के अन्दर हैं, मेडिसन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को पेण्डिंग इन्क्वायरी रखकर निष्कासित करने के लिए प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर को निर्देश दिये गये हैं।

**श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : सम्माननीय सभापति महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव इसी से सम्बन्धित है, जोधपुर के बारे में ...

**श्री सभापति** : आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे ?

**श्री भगवानदास शास्त्री** : बिल्कुल पूछूंगा। जो वक्तव्य मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उसके पहले मुझे शंका थी और बाद में इनको शंका है। लूनाराम जो है, वह कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ मेरी पत्नी के साथ। जब हॉस्पिटल की कमेटी के सामने बैठे तो उन्होंने फिर कहा कि मेरी वाइफ के साथ बलात्कार हुआ है। 30 अगस्त की रात को साढ़े नौ बजे ये तीनों कुछ बातचीत करने के लिए बैड नं. 22 पर उस महिला के पास गये। उस रात उमा व्यास इन्चार्ज थी, उसने साढ़े नौ बजे इनको कहा कि क्या बात कर रहे हो। आनन्द, टैक्नीशियन ने कहा कि मैं इनका रिश्तेदार हूं उस महिला के ना करने पर उस समय तो वह बलात्कार टल गया, साढ़े नौ बजे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं जोधपुर जो ऐतिहासिक स्थान है, के लिए, यह कलंक की बात है कि वह

(श्री भगवानदास शास्त्री)

महिला 30 तारीख की रात को ढाई बजे इन कामुक कुत्तों का शिकार हुई। आप मंत्री महोदय, फेलियर रहे है, अपने विभाग के प्रति, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जोधपुर आपका जिला है इसलिए आपको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है।

**एक माननीय सदस्य :** इन्होंने थोड़े ही किया है।

**श्री भगवानदास शास्त्री :** सम्माननीय सभापति महोदय, जब रात्रि को महिला नर्स श्रीमती उमा व्यास ने मना किया तो उन्होंने कहा कि खून की जांच करनी है, इनको लैबोरेट्री ले जाना है। उसने कहा, मैं किसी भी महिला को रात को किसी पुरुष डाक्टर के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर महिला नर्स है, बार बार उसके मना करने पर उस पर दबाव डाला गया। बार बार आनन्द टैक्नीशिन स्वयं को उसका रिश्तेदार कहता रहा। जबरदस्ती उसको लैबोरेट्री में ले जाकर एक–एक कामी कुत्ते ने सी. आई डी. की तरह दरवाजे पर खड़े रह कर उसके साथ बलात्कार किया। वह महिला हार्ट ट्रबल की बीमार थी। हो सकता था, बलात्कार के टाइम उसकी डेथ हो जाती, हार्ट फेल हो जाता।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछने हों तो वह पूछें।

**श्री भगवानदास शास्त्री :** मैं प्रश्न पूछता हूं, पर उन्होंने जो स्टेटमेन्ट दिया उसके बारे में पूरा कर लूं। बारी बारी से बलात्कार करने के बाद एक हरिजन, उस हरिजन को धन्यवाद देता हूं, के आने के कारण तीनों वहां से फरार हो गये। वह सम्बन्धित अधिकारी, जिसका कि सम्बन्ध है, उस हॉस्पिटल से, महात्मा गांधी हास्पिटल के नाम पर कलंक है। फरार होने का कारण क्या था, मन्त्री महोदय, आप यह बताने की कृपा करेंगे ? भारतीय नारी जो स्वाभिमान के कारण भारत विश्व में प्रसिद्ध है· पतिव्रता में सर्वगुणी है, वह कभी नही कहेगी कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। वह आत्महत्या करने को तैयार थी। उसके पति श्री लूणाराम ने उसको कमरे में बंद कर दिया, मैं आत्महत्या नहीं करने दूंगा। साड़ी तक नहीं पहनने दी इसलिए कि गला घोंटकर फांसी खा जायेगी। आपने अभी तक नहीं कहा कि वह बलात्कार की शिकार हुई। श्रीमती कंचन के साथ महिला वार्ड में नौजवान कामी कुत्ते, जो स्टडी करते हैं ने और इन्चार्ज डॉक्टर, जो नौजवान है ने रात के टाइम 8 बजे के बाद बलात्कार किया। सुधीर भण्डारी नया है क्या ? इसने बहुत काण्ड किये हैं, शुरू से महापापी रहा है, दुष्ट रहा है, बलात्कारी रहा है। आपने उसको संरक्षण देकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लगा रखा है। कुछ भी हो, लेकिन महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सिर पर जो काला कलंक लगा है, वह आपके इस्तीफे की मांग करता है। आपको इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। माननीय मन्त्री महोदय, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कोई क्राइम नहीं किया था, उन्होंने कोई रेल नहीं चलायी थी किन्तु उन्होंने प्रजातांत्रिक दृष्टि से अपना कर्त्तव्य समझ कर कि मैं अपना विभाग, अपना कर्त्तव्य सम्भाल नहीं सका हूं, इस्तीफा दे दिया था। आप भले ही चंद दिनों के लिए रहो।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कंचन देवी के साथ बलात्कार हुआ है, इसके बारे में डाक्टर और टैक्नीशियन को तो, मैं कहता हूं चाहे आप निष्कासित करो, चाहे आप सुपरसीड करो, चाहे इनको अपने कॉलेज से निकाल दो लेकिन मेरा मंतव्य है कि मेडिकल कालेज के जो अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनके अधिकार से निकाल कर आप सी.बी.आई. के द्वारा इसकी जांच करवायें। तीनों ने एक अबला स्त्री बीस वर्षीय श्रीमती कंचन देवी के साथ बलात्कार किया है, उसको जीवन दान देकर वह जिन्दा नहीं रहेगी। मैं आज बता देता हूं, मैंने सूचना भी मांगी है, वह कभी न कभी आत्म-हत्या करने के लिए आतुर है। आपके शासन में पुलिस और डाक्टरों के संरक्षण में भारतीय नारियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जोधपुर में जिस नारी के साथ यह घटना घटी है उसके लिये मेरी प्रार्थना है कि आप अपने विचारों से ऊपर उठकर एक कर्त्तव्य निष्ठ व्यक्ति के नाते उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें, उनको तुरन्त निलम्बित करें। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री हंसराज जी शर्मा। आप बोल लीजिये। इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछना हो तो वह पूछ लीजिये।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस लड़की के साथ यह घटना घटी उस लड़की ने प्रथम बार पुलिस में रिपोर्ट कब की? पहला प्रश्न।

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होते ही उसका मेडिकल कराया गया या बाद में कराया गया?

तीसरा प्रश्न मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जब गवाहों के बयान हो गये और नामजद रिपोर्ट दर्ज हो गई उसके बावजूद उन दोषियों को पहचानने के लिये कौन से नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं?

चौथा प्रश्न यह पूछना चाहूंगा क्या यह सही है कि जोधपुर क्षेत्र के चारों प्रभारी मंत्री एक-एक मुजरिम को बचाने में लगे हुये हैं?

**श्री सभापति** : श्री छीतरलाल आर्य। आप पूछना चाहेंगे?

**श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : सभापति महोदय, जिस प्रकार का मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया कि उसके पति श्री लूणाराम ने हमको कहा है कि इस प्रकार की घटना उसके साथ नहीं हुई है।

(8.02 म.प.)

**(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने केवल लोकलाज के कारण ही इस तरह की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के अन्दर श्रीमती कंचन के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है वह एक जघन्य अपराध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि डाक्टर राजेन्द्रसिंह, डाक्टर सुधीर भण्डारी और टेक्नीशियन आनन्द पुरोहित के विरुद्ध पुलिस में एफ. आई आर. दर्ज की गई, 30 सितम्बर तक उनको गिरफ्तार कर लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना

(श्री भीतरलाल मार्य)

चाहूंगा कि अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ? यह बात सही है कि भीड़ नहीं होने की वजह से बलात्कार होना संभव है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गवाहों के बयान ले लिये गये हैं उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा यह काण्ड दबाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जिस रोज अखबार में यह छपा उसी रोज मेरा विचार बन गया था कि इस कांड को पुलिस द्वारा दबाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कानून और पुलिस की मार केवल गरीबों पर ही पड़ती है और बड़े लोग पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं। जिस प्रकार का मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, अध्यक्ष महोदय वह ठीक नहीं है। मेरा सुझाव है कि उन लोगों को निलम्बित ही नहीं करें बल्कि धारा 302 में केस उन पर चलाया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

क्योंकि यह एक गम्भीर केस है····

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, मैं····

**श्री अध्यक्ष :** विपक्ष के नेता महोदय।

(व्यवधान)

शान्त रहें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय :

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कुछ जानकारी करना चाहूंगा। सदन में आज जिस महिला के संबंध में चर्चा चल रही है क्या वह महिला हार्ट पेशेन्ट थी ? पहली प्रश्न।

दूसरा प्रश्न यह है कि जिस समय इस महिला ने किसी उच्च डाक्टर को इस बात की सूचना दी कि मेरे साथ 3 व्यक्तियों ने बलात्कार किया है, तो तुरन्त उस महिला का अस्पताल में मेडिकल एग्जामिन कराया गया या नहीं कराया गया ? जिस समय बलात्कार करने की सूचना दी उसी समय तुरन्त ही पुलिस में इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की गई ? केवल डाक्टर ही इसकी जांच करें इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों के बारे में आपने बताया कि इन 3 व्यक्तियों के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगे है, जो जो वहां उस समय शामिल थे और जिनके बारे में सरकार ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि अमुक अमुक 3 व्यक्ति शामिल थे, क्या उन तीनों के संबंध में नामजद रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई ? यदि नहीं, तो जब पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है तो शिनाख्तगी का प्रश्न कहां पैदा होता है ? क्या यह भी सही है कि जिस डॉक्टर ने इस संबंध में जांच की है उस जांच में उस लड़की के जो बयान हुये हैं, लड़की के हसबैन्ड के जो बयान हुये हैं, वार्ड ब्वाय के जो हुये हैं उन बयानों में इन तीनों डाक्टरों के नाम आये हैं ? यदि तीनों डाक्टरों के नाम आये हैं और उस स्थिति में अब यह कह रहे हैं कि पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई तो उन तीनों की नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के कारण क्या है ? यह जवाब दे दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

**श्रीमती विद्या पाठक :** अध्यक्ष महोदय, मैं··

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अध्यक्ष महोदय, काग्नीजेबल ऑफेन्स की तो रिपोर्ट तुरन्त दर्ज करानी चाहिये–इस सम्बन्धी यह मसला है। हैल्थ मिनिस्टर यह कह रहे हैं कि दोनों डाक्टर्स को निष्कासित कर दिया है, डिपार्टमेन्ट का एक्शन तो यह हुआ है। 30 तारीख की यह घटना है उसके कितने रोज बाद उनको निष्कासित किया गया ? आज असेम्बली का सैशन चल रहा है और मैटर एनलिस्ट हो गया है इसलिये डिपार्टमेन्ट की इमेज को कीप-अप करने के लिये आपने उन लोगों को निष्कासित कर दिया लेकिन दोनों डाक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। सबसे ज्यादा सीरियस बात तो यह है कि उसकी उन्होंने खुद इन्क्वायरी करके बलात्कार को 'हुश अप' करने की कोशिश की। यह तीनों तो दोषी हैं ही लेकिन इसकी इन्क्वायरी करने वाले जो डाक्टर्स हैं वह भी दोषी हैं क्योंकि उन्होंने फैक्ट कन्सील किया है। काग्नीजेबिल आफेन्स की तो रिपोर्ट तुरन्त करनी पड़ेगी। आगे के लिये यूनिवर्सिटी को भी लिखकर कार्यवाही करनी चाहिये ताकि अगर वे पोस्ट ग्रेज्युएशन में स्टडी करें तो मिसकण्डक्ट और मिसबिहेव है उनका····

(व्यवधान)

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो उसके बाद ···

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, पहले इनका उत्तर दिला दीजिये फिर ये भूल जायें कहीं···

(व्यवधान)

**श्री हरीसिंह (फुलेरा)** : भूलेंगे नहीं। वह सब प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी।

मंत्री महोदय, यह आपकी सरकार····

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आर्डर प्लीज। शान्त रहें, माननीय सदस्य।

**श्रीमती विद्या पाठक** : महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। राजस्थान की जनता आपसे पूछना चाहती है, महिलाओं के साथ आपकी सरकार के समय में जिस तरह के बलात्कार हुये हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उन सारों में सरकारी कर्मचारी लिप्त थे और आपने कुछ नहीं किया। जैमन काण्ड, जो अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, में भी 3 सरकारी कर्मचारी लिप्त हैं। एक कृष्णा जैमन···

**श्री अध्यक्ष**: समाप्त कीजिये। माननीय सदस्या, आप विषयान्तर हो रही हैं।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है, वैसे ही मैं बहुत कम बोलती हूं···

**श्री अध्यक्ष** : लेकिन माननीय सदस्या आप विषयान्तर हो रही हैं···

**श्रीमती विद्या पाठक**: अध्यक्ष महोदय, मैं विषयान्तर बिल्कुल नहीं होऊंगी...

**श्री अध्यक्ष**: अन्य कोई घटना के बारे में आप...

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यक्ष महोदय, अन्य किसी घटना के बारे में नहीं कहूंगी परन्तु सरकारी कर्मचारियों को गलत बात के लिये प्रोटेक्शन मिल रहा है जो सरकार पर सीधा रिफलेक्शन है। सारे के सारे सरकारी कर्मचारी हैं। बलात्कार की घटनाओं और महिलाओं पर जितनी ज्यादतियां हो रही हैं उनको समाप्त कर दिया। ऐसा लगता है कि सरकार की मौन स्वीकृति से यह घटनायें हो रही हैं, उनको रेगुलेराइज कर दिया और आप कहते हैं कि इर्रिलेवेन्ट हैं। आप मुझे तीन मिनट का समय दीजिये मैं तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी।

**श्री अध्यक्ष** : आप अन्य किसी विषय की बात को न कहें।

**श्रीमती विद्या पाठक** : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी बलात्कार की घटनाओं में और महिलाओं पर हो रही ज्यादतियों में लिप्त हैं जो जघन्य अपराध है।····

**श्री अध्यक्ष** : अन्य किसी विषय के बारे में न कहें।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय,···

**श्री अध्यक्ष** : इस तरह के मामले होते हैं उनमें सच्चाई क्या है क्या नहीं हैं, ऐसे मामले हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिये मैं इजाजत नहीं दूंगा····

**श्रीमती विद्या पाठक** : मैं नाम किसी का नहीं लूंगी।

**श्री अध्यक्ष** : नाम का प्रश्न नहीं है।

**श्रीमती विद्या पाठक** : राजस्थान की महिलाओं पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं।······

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कमाल है! इसके बारे में आप मुझको स्वीकृति नहीं देना चाहते। मंगलवार, तीस तारीख को जो घटना हुई थी उसमें आपके कर्मचारी, दो डाक्टर और एक है टेक्निशियन····

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे माननीय सदस्य डिस्टर्ब नहीं करें, इनको आप अनुमति नहीं दें। माननीय सदस्य, कृपया अपने समय में बोल सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य नियमों के अनुसार कार्यवाही करते हैं तब तो प्रोटेक्शन आसन की ओर से सदा रहता है लेकिन माननीय सदस्य अगर नियमों को तोड़ें तो क्या करें। माननीय सदस्या, समाप्त कीजिये।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं। मैं जब बोल रही हूं तो डिस्टर्ब करना कौन से नियमों में आता है। मैं इसी से परटेनिंग पूछ रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 30–8–83 की घटना है जिसमें 23 वर्षीय हृदय रोगी महिला कंचन के साथ इस तरह से तीन लोगों ने बलात्कार किया। सिर्फ तीन ही लोग ड्यूटी पर थे, जिनको उसने आइडेन्टिफाई किया। टेक्नीशियन उसने आइडेन्टिफाई किया। उनके नाम से रिपोर्ट की गई है, तीनों सरकारी कर्मचारी हैं। तीस तारीख के बाद आज उनके निलम्बन के आदेश दिये जा रहे हैं यह स्वयं में एक बहुत बड़ा काण्ड है। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे राजस्थान की महिलाओं की ओर से आप से अपील करना

(श्रीमती विद्या पाठक)

चाहती हूं कि इनको पीम भाल में मत देखिये । यह एक साजिश है, यह निष्क्रिय सरकार की लाचारी है। यह सरकार महिला विरोधी, महिलाओं की दुश्मन बन गई है। महिलाओं के प्रति सदन की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, विशेषतौर से जब सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त हो तो वह तो बिल्कुल एक्सक्यूजेबल नहीं है। आप जिनसे जांच करवा रहे हैं, वे सब तो आपके मातहत हैं। आप किसकी जांच करवाना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : भाषण नहीं, माननीय सदस्या। समाप्त कीजिये। स्वास्थ्य मंत्रीजी। पुलिस में यह केस कब रजिस्टर हुआ?

**श्री खेतसिंह राठोड़** : पुलिस में यह केस, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 2-9-83 को ढाई बजे...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : इसमें प्रश्न यह आता है कि काग्नीजेबल आफेन्स की सूचना पुलिस को तत्परता से दी जानी चाहिए। क्योंकि देरी से यदि कोई इब्तदाई रिपोर्ट दी जाती है तो उस केस में यह बड़ी भारी कमजोरी रह जाती है।

**श्री खेतसिंह राठोड़** : अध्यक्ष महोदय, जो बयान हुए हैं और जो इन्क्वायरी की उससे...

(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र व्यास** : फिर आप किस बात की इंक्वायरी कराना चाहते हैं?

**श्री अध्यक्ष** , आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य, मैंने प्रश्न पूछा है, प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

**श्री खेतसिंह राठोड़** : 29 तारीख को भर्ती हुई थी और 30 तारीख को यह घटना हुई और 1 तारीख की सुबह या 31 को, 31 को हुई मेरे खयाल से...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

**श्री खेतसिंह राठोड़** : 31 तारीख को यह औरत वापस अपने घर चली गई, मोर्निंग में। इनका यह कहना है कि मेरा अंगूठा लगवाकर मेरे को घर भेज दिया। चूंकि यह औरत वापस अपने घर चली गई...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज।

**श्री खेतसिंह राठोड़** : और नाम वहां पर किसी के बताये नहीं थे।

**श्री अध्यक्ष** : नाम बताना जरूरी नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

**श्री मेघराज तावड़** : मरीज डाक्टर का नाम जाने, यह जरूरी नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आपसे निवेदन किया…

श्री अध्यक्ष : इसमें प्रश्न यही है, जितने भी गजेटेड अधिकारी और बड़े अधिकारी हैं वे सब इस कानून से तो परिचित हैं कि कोई भी अपराध जिसमें पुलिस अनुसंधान कर सकती हो उसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिये। यह हरेक नागरिक का कर्त्तव्य है, अधिकारी का हो कत्तव्य नहीं है। किसी नागरिक के सामने यदि काग्नीजेबल आफेन्स हो रहा हो तो यह उसका दायित्व है कि वह जा करके पुलिस में रिपोर्ट करें। रिपोर्ट नहीं की इसकी जिम्मेदारी किसकी है, सवाल इतना ही इसमें है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : Fact is a fact. रिपोर्ट नहीं की गई है।

श्री त्रिलोकसिंह : रिपोर्ट ही नहीं की गई। उसको घर भेज दिया गया।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके पति ने भी रिपोर्ट नहीं की।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डाक्टर की तो गलती है ही लेकिन उस लेडी को भी चाहिये था कि वह जाकर रिपोर्ट करती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या आप एडमिट करते हैं कि डाक्टर की गलती है ? डाक्टर को तुरन्त रिपोर्ट करनी चाहिये थी, यह तो आप एग्री करते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो मैं एग्री करता हूं कि उनको रिपोर्ट करनी चाहिये थी। डाक्टर को करनी चाहिये थी। जिसको यह मालूम हुआ है भंवरलाल कम्पाउण्डर जिसने कि यह सब बातें कही हैं, उस भंवरलाल कम्पाउण्डर का यह फर्ज था कि वह थाने में जाकर रिपोर्ट कराता।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन जिन सीनियर डाक्टर ने 30 तारीख को जांच करके इनके बयान लिये, लेने के बाद में जब वे सहमत हुए कि बलात्कार हुआ है…

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने पूरी स्टोरी सुनी ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुन ली मैंने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आपसे यह निवेदन किया कि जब इसके बारे में डाक्टर बनर्जी ने इन लोगों को बुला करके स्टेटमेन्ट लिये और जांच की तो डाक्टर ने इन्कार कर दिया और कहा कि बिल्कुल झूठ है, हमारे खिलाफ तो कुछ है ही नहीं। जब उन्होंने उस लेडी को बुलाया तो वह लड़की इन्कार हो गई। उसका पति आया, पति ने कहा कि कोई किस्सा नहीं हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लड़की के बयान हुए हैं ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लड़की ने क्या कहा, यह बताइये।

श्री खेतसिंह : लड़की तो आई नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने स्टेटमेंट में कहा है कि बयान हुए हैं उसके।

Page No 78

(78)



श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनते तो हैं नहीं, मैंने स्टेटमेंट में बिलकुल साफ कहा है....

( व्यवधान )

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इसमें बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने खुद कहा है कि किसी भी सिटीजन की नालेज में काग्नीजेबल आफेन्स आ जाय तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिये।

Provided it comes in knowledge and he is convinced.

डाक्टरों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, उनकी गलती हो गई तो उन्होंने जांच की है। मेरे को कोई थर्ड आदमी कहता है कि साहब यह ऐसा किस्सा हुआ है। तो मैं कन्विन्स तो होऊं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले।

श्रीमती विद्या पाठक : जो आपने फैक्ट बताया यह उसको चैलेन्ज है।

श्री हरिसिंह : I must ask certain questions to relevant persons that has been interlinked in this case, and whenever he became convinced, there, action has been taken. So what was the reason? Where is the question of coming that there is negligence of the other doctors or 3 people who are culprits, action is being taken against them. Nothing beyond this.

( व्यवधान )

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुपरिन्टेन्डेन्ट को रिपोर्ट करनी चाहिये थी। सुपरिन्टेन्डेन्ट एस्टेब्लिशमेंट का इंचार्ज होता है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त होती है। आर्डर प्लीज।

( व्यवधान )

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर ने बयान किस बात के लिये ? जब एक बार तथ्य सामने आ गये...

श्री अध्यक्ष : सभी तथ्य सदन के समक्ष आ गये हैं, इसलिए इस पर चर्चा समाप्त की जा रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उनकी सुपरवाइजरी ड्यूटी थी, उसकी पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिये थी। उनके विरुद्ध एक्शन लेना चाहिये, मन्त्री महोदय अगर एक्शन नहीं लिया तो ....

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखें। चर्चा समाप्त हुई। यह नियम विरुद्ध है। कृपया स्थान ग्रहण करें। आॅर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार कानून का ध्यान नहीं रखे तो...

( व्यवधान )

इन्वेस्टीगेशन चल रहा है।

(व्यवधान)

आप सन्तुष्ट हैं क्या...

श्री अध्यक्ष : सदन सन्तुष्ट है तो मैं तो ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सन्तुष्ट हैं क्या...

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर यहां पर कुछ नहीं हैं तो फिर हम किसको कहें ?

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़ :** अध्यक्ष महोदय, सदन संतुष्ट नहीं है। राठौड़ साहब, आपको मैं फिर कह रहा हूं कि यह रामगोपालजी आप से ज्यादा होशियार हैं। यह आपको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा देंगे।

**श्री अध्यक्ष** आर्डर, आर्डर।

**श्री मेघराज तावड़ :** मैं आपको फिर से कह रहा हूं, राठौड़ साहब कि यह रामगोपाल जी आपसे इस्तीफा दिला देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

**राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय बारह गुवाड़, बीकानेर के जीर्ण-शीर्ण भवन के गिरने से दो छात्राओं की मृत्यु व 24 घायल**

शिक्षा मंत्री द्वारा वक्तव्य।

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बारह गुवाड़, बीकानेर के जीर्ण-शीर्ण भवन के गिरने से एक छात्रा की मृत्यु के संबंध में शिक्षा मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

**श्रीमती कमला (शिक्षा मन्त्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बारह गुवाड़, बीकानेर के भवन का हिस्सा गिरने से एक बालिका की मृत्यु एवं अन्य बालिकाओं के घायल हो जाने के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 1–9–83 को राजकीय बालिका कन्या माध्यमिक विद्यालय बारह गुवाड़, बीकानेर शहर में लगभग 7-40 बजे प्रातः दुर्घटना विद्यालय के छज्जे का कटहरा गिरने से हुई जिसमें 18 बालिकायें घायल हो गयीं। घटना इस प्रकार से हुई :

विद्यालय के बाहर पिछवाड़े में हरिजन महिला सफाई कर रही थी उसने अचानक शोर किया कि एक बहुत बड़ा सांप विद्यालय में पीछे की तरफ है। यह सुनकर उत्सुकतावश कुछ बालिकायें सांप को देखने के लिये विद्यालय की छत पर चढ़ गई और एक ईंट का कटहरा जो छज्जे पर बना हुआ था, उसका सहारा लेकर नीचे सांप को देखने के लिये झुकीं। बालिकाओं के भार से वह कटहरा, जो छज्जे पर बना हुआ था, नीचे गिरा और उसके साथ ही बच्चियां भी नीचे गिरीं आवाज सुनकर विद्यालय के कर्मचारी एवं आस पड़ोस के लोग एकत्रित हुए और लड़कियों को तुरन्त उपचार हेतु अस्पताल ले गये। वहां 16 लड़कियों को उपचार के लिये भर्ती किया गया तथा दो को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। भर्ती छात्राओं में से एक छात्रा श्यामा की उसी दिन सायंकाल हास्पिटल में 3–30 से 4 बजे के बीच में मृत्यु हो गयी। एक बालिका अभी भी बेहोश है। आज की सूचना के अनुसार उसकी हालत में काफी सुधार है किन्तु अभी होश में नहीं आई है। अन्य बालिकाओं को अस्पताल से घर भेज दिया गया है।

इस घटना के घटित होते ही विभागीय अधिकारी, जिलाधीश महोदय एवं पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल जाकर तमाम हालात को देखा और जानकारी प्राप्त की। घायल

( श्रीमती कमला )

छात्राओं के इलाज की तुरन्त व्यवस्था की गई। दवाई आदि का भी प्रबन्ध किया गया। राज्य सरकार की ओर से घायल बालिकाओं के परिवारों को उनके चोट की गम्भीरता एवं इलाज में लगने वाली अवधि के अनुसार 500 रुपये से एक हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत की जाकर भेजी जा रही है। जिस बालिका की मृत्यु हो गई यद्यपि उसके लिए परिवार की सांत्वना राशि से किया जाना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता किन्तु एक सिम्बोलिक सद्भावना के तौर पर 3 हजार रुपया उसके परिवार को भी मुख्यमन्त्री कोष से दिया जा रहा है। अभी तक जो भी इलाज की कार्यवाही की गई है वह विभाग की तरफ से की गई है और अन्य व्यवस्थाएं भी विभाग की देखरेख में की जा रही हैं।

यह सही है कि वह भवन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इसमें कुल 14 कमरे हैं जिसमें से दो सुरक्षित होने के कारण बन्द रखे हुए हैं एवं उपभोग हेतु निषेध है। किन्तु यह दुर्घटना उन असुरक्षित कारण बन्द एवं उपयोग हेतु निषेध है किन्तु यह दुर्घटना उन असुरक्षित कमरों के अन्दर नहीं हुई। घटना भवन की छत का कटहरा गिरने के कारण हुई है जिसकी कभी कोई आशंका पूर्व में नहीं पाई गई थी। अतः यह एक आकस्मिक दुर्घटना हुई है।

असुरक्षित भवनों में दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए समय–समय पर विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे ऐसे स्थानों पर विद्यार्थियों को न बैठावें जो असुरक्षित पाये गये हैं। अन्य स्थानों पर बच्चियों अथवा बच्चों को बैठाने की व्यवस्था करें। इस तरह के भवनों की मरम्मत करने के लिए भी कुछ धनराशि का प्रावधान किया जाता है परन्तु यह धनराशि इतनी अपर्याप्त रहती है कि जितनी जरूरत है उसकी बहुत कम मात्रा में पूर्ति कर पाते हैं। इसी दृष्टि से, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय जब आठवें वित्त आयोग का यहां पर पदार्पण हुआ था उस वक्त विभाग की तरफ से एक ज्ञापन तैयार करके लगभग तीन हजार ऐसे भवनों की मरम्मत हेतु हमने लगभग साढ़े छः करोड़ रुपये की आवश्यकता उनके सामने भी प्रतिपादित की है।

अभी सभी मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को इस घटना के बाद पुनः आदेश दिये गये हैं कि जो भवन पूर्णतया सुरक्षित नहीं हैं वहां भवन के असुरक्षित भाग का कतई तौर पर उपयोग नहीं किया जाय, चाहे उस विद्यालय को दो पारियों में चलाना पड़े। यदि सम्पूर्ण भवन ही असुरक्षित हो तो निकट के किसी अन्य स्थान पर कक्षायें चलाने की व्यवस्था की जावे। मकान भी किराये पर लेने की उन्हें इजाजत दी हुई है। असुरक्षित मकानों में कक्षाय कतई तौर पर न चलायें, यह काफी तकादे से उन्हें आगाह किया गया है।

सभी जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि पूर्व में उनके द्वारा दी गई सूचना के बाद अब इस बरसात के बाद में यदि अन्य कोई भवन भी असुरक्षित पाये गये हों तो उनका पूर्ण सर्वेक्षण करके अविलम्ब विभाग को उसकी भी सूचना देने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को और व्यक्तिगत: मुझे भी इस दुर्घटना के

(श्रीमती कमला)

कारण से बहुत ही खेद है, अफसोस भी है। काफी बच्चियों को इसमें तकलीफ हुई है। एक बच्ची की मृत्यु से हमको भी बहुत दुःख हुआ, परिवारजनों को तो दुःख होना सवभाविक ही है। मैं उस बच्ची के संदर्भ में विभाग की ओर से और अपनी ओर से बहुत संवेदना प्रकट करती हूं। परिवारजनों को इस दुःखद घटना के लिए अपना संवेदना संदेश भी प्रेषित करती हूं। साथ ही यह उम्मीद करती हूं कि हम जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहते हैं, भगवान से भी यह कामना करती हूं और विभाग से भी यह अपेक्षा रखती हूं कि इस प्रकार की कोई और दुर्घटना भविष्य में न घटे।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर इजाजत दें। हुकुम।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, संक्षेप में।

**श्री देवीसिंह भाटी** : हां, मैं दो तीन प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदया ने फरमाया कोई भी जीर्ण-शीर्ण भवन जो आपके विभाग की नजर में आ जाय, उनके लिए अब निर्देश जारी किये हैं कि अगर असुरक्षित हो तो इनमें ऐसी संस्थाएं न चलायी जावें।

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय पूर्व में तो ऐसे आदेश दिये हुए ही थे लेकिन अब फिर दिये गये हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पूर्व में भी ऐसे आदेश प्रसारित किये हुए थे, उन निर्देशों की अवहेलना की गई है। यह कोई एक बिल्डिंग तो ऐसी है नहीं, अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में जगह जगह ऐसी बिल्डिंग है जिनके लिये पूर्व में बार बार वहां के नागरिकों ने और संबंधित अध्यापिका और प्रधानाध्यापिका ने लिखकर दिया है। उसके उपरांत शिक्षा विभाग कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, बारह गुवाड़ कन्या पाठशाला की बिल्डिंग एक सेठ की है, उन्होंने स्वयं डायरेक्टर एजूकेशन, जिलाधीश को अपनी ओर से लिखकर दिया है कि मैं यह बिल्डिंग आपके विभाग को सुपुर्द करने को तैयार हूं कृपया आप इसको अधिग्रहित करलें। परन्तु इस ओर शिक्षा विभाग ध्यान देने को कतई तैयार नहीं है न तो वह धनी बिल्डिंग का मालिक बन रहा है और न एजूकेशन डिपार्टमेंट उसका मालिक बना, इसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। जैसा कि मंत्री महोदया ने अपने वक्तव्य में...

**श्री अध्यक्ष**: संक्षेप में कहें, माननीय सदस्य। तथ्य सभी आ गये हैं इसलिये इस विषय पर लम्बी चर्चा नहीं करें, माननीय सदस्य।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदया ने फरमाया डोली गिरने से यह हुआ।

**श्रीमती कमला** : डोली नहीं छज्जे का जो कटहरा था उसके गिरने से दुर्घटना हुई।

**श्री देवीसिंह भाटी** : वैसे आपने जरूर माना है कि बिल्डिंग के दो कमरे...

**श्रीमती कमला** : उसमें दुर्घटना नहीं हुई।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं, दो मकान ऐसी हालत में हैं तो उस बिल्डिंग की भी ऐसी ही हालत होगी। अध्यक्ष महोदय, जब विभाग को मकान मालिक ने लिखकर दिया हुआ है कि इस बिल्डिंग को आप अधिग्रहीत कर लें तो फिर क्यों नहीं विभाग तैयार हो रहा है उसको अधिग्रहीत करने के लिए ? एक तरफ तो विभाग भवन बनाने के लिए तैयार नहीं है और जब कोई स्वेच्छा से भवन देने को तैयार है तो विभाग तैयार नहीं हो रहा है बिल्डिंग को अधिग्रहीत करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, आज से 21। माह पूर्व नगर के विधायक और वर्तमान पर्यटन मंत्री महोदय भी वहां मौके का निरीक्षण करके आये थे उस समय यू. आई. टी. के चेयरमैन भी उनके साथ थे। उन्होंने भी यह बताया कि इस बिल्डिंग की हालत खराब है और इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि इस विद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ज्यादा क्या कहूं आपने मुझे रोक दिया। हालात यह हैं, मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा है कि मेरी कोलायत तहसील में बज्जू के अन्दर जो कन्या पाठशाला है उसके लिए 7 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं, वहां गांव वालों ने बिल्डिंग बनादी तैयार कर दी फिर भी एजूकेशन डिपार्टमेंट उसको लेने के लिए तैयार नहीं है।...

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त कीजिए।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, विषय पर बोल रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रत्येक वक्तव्य पर भाषण देना या प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है। स्थिति अपने सामने स्पष्ट आ गयी इसलिए कृपया समय की बचत करें। अभी विधायी कार्य भी लेना है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से विभाग को जो समय समय पर संबंधित मकान मालिकों के द्वारा, प्रेस नोट के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इसकी हालत जीर्ण शीर्ण है, ऐसी हालत में जो मकान मालिक स्वेच्छा से मकान देने के लिए तैयार हैं क्या उनको आप अधिग्रहीत करने के लिए तैयार हैं ?

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है, आपने तो एकाध या अपने कोलायत क्षेत्र की बात कही है लेकिन इस विभाग का चार्ज लेने के बाद जो डिविजनल मीटिंग मैंने की और इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की और पूछा, उसके आधार पर वह लगभग तीन हजार विद्यालय ऐसे पाये जो कि बहुत खतरनाक हालत में हैं। हमने वित्त आयोग को प्रतिवेदन दिया है और सरकार के सामने भी ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसके बारे में वित्त विभाग विचार कर रहा है कि कितना पैसा वह और दे पायेंगे। जो आप कह रहे हैं कि मकान मालिक मकान देने के लिए तैयार है तो ऐसी बात नहीं है। भाइयों में आपस में झगड़ा है। एक भाई तो देने को तैयार है और दूसरा भाई उसको नहीं देना चाहता है या कुछ और कीमत पर देना चाहता है या कोई नाम लगाकर देना चाहता है। उसके नाम में भी झगड़ा है। हमको लेने में

(श्रीमती कमला)

एतराज नहीं है लेकिन उसमें झगड़ा है। इसलिए इसमें कोई खास छिपी हुई बात नहीं है जिसको आप खोल कर पूछें। हम स्वयं इसके बारे में बहुत खेद प्रकट करते हैं। हमको मालूम है कि इस तरह की बहुत संस्थायें हैं लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास वित्तीय साधनों की बहुत कमी है।

**श्री अध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

दुबारा मैं इजाजत नहीं दूंगा।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, एक ही लाइन में....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, समय बहुत कम है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना आश्वासन चाहता हूं कि किसी बिल्डिंग को कोई स्वेच्छा से देना चाहे....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री देवीसिंह भाटी** : कोई डिस्प्यूट वाली बिल्डिंग नहीं है...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। अलग प्रश्न, माननीय सदस्य।

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, इसी में पूछ लेता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य लम्बी चर्चा नहीं होगी।

**विधायी कार्य-पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक**

**विधेयक का पुरः स्थापन**

**कपास ओटाई और दबाई कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983**

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राज्य मंत्री, उद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कपास ओटाई और दबाई कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि कपास ओटाई और दबाई कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जायें।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं कपास ओटाई और दबाई कारखाना (राजस्थान) संशोधन विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

**राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983**

**श्री जयकृष्ण शर्मा** (राज्य मंत्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

Page No 84

84



**श्री जयकृष्ण शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है विधायी कार्य तीन दिन के लिए सदन के समक्ष रखा गया है उसमें 8 विधेयकों को पारित करना है। आज तीन विधेयकों को पारित किया जा सकता है और इनके पारण का क्रम वही होगा जो कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में है। मैं प्रत्येक विधेयक के लिए एक घंटे का टाइम निश्चित करता हूं. एक घंटे में सभी प्रकार की चर्चा हो जायेगी और एक घंटा समाप्त होने पर उसके पारण हेतु जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वह पूछ लिये जायेंगे।

विचारार्थ रखे जाने वाले विधेयक

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वो लीजिए। 1॥ घंटा बहुत हो जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : 3 दिन हैं इसलिए पहले दिन थोड़ा अंदाज बड़ा बांधना चाहिए ताकि समय की बचत हो सके। यह जरूरी नहीं है कि आज तीनों ही विधेयक पास हों लेकिन एक पर आधा विचार हो सकता है, आधा कल हो सकता है।

**श्री अहमद बक्श सिंधी** : सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करेंगे।

**व्यवस्था का प्रश्न**

**संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति में दूसरे मंत्री द्वारा विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव**

**श्री परसराम मदेरणा** (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से......

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मौजूद हैं, साहब वह।

**श्री परसराम मदेरणा** : विधि मंत्री जी की तरफ से....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय..

**श्री परसराम मदेरणा** : यह तो लोकसभा में ट्रेडीशन है। मैं रोज स्पेक्टेटर्स गैलरी में सुनता हूं कि कोई भी मंत्री दूसरे मंत्री की अनुपस्थिति में....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मेरा आब्जेक्शन है।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैंने सूचना करा दी है। मैंने आपकी मार्फत अनुमति मांगी है।

**श्री अध्यक्ष** : यह साधारण सा विषय है इस पर समय नहीं लें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय विधि मंत्रीजी इसको रखना नहीं चाहते हैं इसीलिए उपस्थित नहीं। वह रखना ही नहीं चाहते हैं और आप जबरदस्ती रख रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आपत्ति को निरस्त किया गया।

**विधेयक पर विचार**

**सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) राजस्थान संशोधन विधेयक, 1983**

**श्री परसराम मदेरणा** (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने एवं प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसलिए मैं उनको पहले वाद विवाद में हिस्सा लेने की अनुमति देता हूं।

डॉ० उजला अरोड़ा :

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया :

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी :

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने लाये हैं···

अनेक माननीय सदस्य : आ गये हैं। पधारिये।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप बोल रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां बिलकुल बोल रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज बाई क्लाज लिया जाय अगर नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं साहब बोलूंगा। विधि मंत्री आ गए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : विधि मंत्री पारंगत हैं विधि के मामलों में।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आप रखिए तो सही।

श्री महमदबक्श सिंधी (विधि मंत्री) : I have moved it.

( 2.40 )

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पीठासीन)

( व्यवधान )

श्री परसराम मदेरणा : इन्ट्रोडक्शन नहीं है। इन्ट्रोडक्शन तो पिछले सत्र में हो चुका है। आज बिल दूसरी स्टेज पर है। Bill is under consideration. मोशन यह है कि बिल को कन्सीडरेशन में लिया जाए, विचारार्थ लिया जाय या नहीं लिया जाए इस बारे में आप कुछ कहना चाहें कहिए, नहीं तो विचारार्थ लिया जाए। आप क्वेशचन को पुट कर दीजिए, सभापति महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : No, The minister is present.

श्री नाथूसिंह : आप उनको बोलने दीजिए सिंचाई मंत्री उनको बोलने नहीं देते।

श्री सभापति : जब जवाब होगा विधि मंत्री देंगे।

श्री महमद बक्श सिंधी : सवाल यह नहीं है, मूव हो चुका है। पिछले सत्र में रखा था। विचारार्थ लिया जाए, यह मामला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : रखिए विचारार्थ।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा अपने विचार प्रस्तुत करें।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रभारी मंत्री, जिस पर अनियमितता के आरोप हों, द्वारा विधेयक का पुन: स्थापन

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय यह बिल हमारे विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है और मेरा निवेदन है कि विधि मंत्री इसको यहां रख नहीं सकते उसके लिए जो कानून है, इनको रोकता है वह है, राजस्थान का लोकायुक्त कानून। इसमें धारा 2 है डोमिनेशन, इसके "बी" लिखा हैं "एलीगेशन"। एलीगेशन डिफाइन किया है :

"Allegation in relation to a public servant means any affirmation that such public servant has abused his position as such to obtain any gain or favour to himself or to any other person or to cause undue harm or hardship to any other person."

यह एलीगेशन को डिफाइन किया है। हमारे राजस्थान का जो लोकायुक्त एक्ट, 1973 है उसमें एलीगेशन को डिफाइन किया है और डेफीनेशन में कहा है कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट और पब्लिक सर्वेन्ट हमारे मन्त्री महोदय, भी पब्लिक सर्वेन्ट की तारीफ में आते हैं इसी कानून के हिसाब से तो कोई भी पब्लिक सर्वेन्ट अगर अपनी पोजीशन या पद का दुरुपयोग खुद के लाभ के लिए करे या फेवर टू हिमसेल्फ आर टू एन अदर पर्सन या किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए यदि पद का दुरुपयोग करता है तो उस मंत्री, उस पब्लिक सर्वेन्ट, यहां माननीय विधि मंत्री का फिर इस कानून के तहत ट्रायल होगा। यह दोषी हैं और दंड के भागी हैं। तो जो मंत्री दंड का भागी है, अपराधी हैं इस कानून के हिसाब से, वह सदन के सामने कोई भी कानून लेकर नहीं आ सकता। इतना ही नहीं वह मंत्री भी नहीं रह सकता। मंत्री रखें या नहीं रखें, यह तो दो चार दिन की बात है उनके बारे में यहां तय होगा। मैं विधि मंत्री जी के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री भंवर लाल शर्मा : विधि मंत्री जी पर एलीगेशन है। मैं एलीगेशन तो लगाऊंगा, पहले मैंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज एलीगेशन। अगर कोई भी मंत्री अपने पद का दुरुपयोग खुद के लाभ के लिए करे या किसी दूसरे के लाभ के लिए करे if he abuses his position then he is guilty, and he is guilty he cannot come before the House.

इस संदर्भ में कि खुद को लाभ पहुंचाए या किसी को लाभ पहुंचाए उसके लिए हमारे विधि मंत्री ने क्या किया, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। यह आपकी तरफ से एक डी ओ. लेटर लिखा गया है, उसका नम्बर है डी.ओ.|एल/76/विधि/83. दिनांक 21–1–83। यह लेटर लिखा गया है; Shri Ahmed Baksh Sindhi, Minister for

( श्री भंवरलाल शर्मा )

Law and Justice I think. he is only jentleman who is Ahmed Baksh Sindhi of Minister for Law and justice. It is a letter from him to whom ? यह विश्व-विद्यालय के वाइस चांसलर यूनीथान उनको आपने लिखा है। आपने लिखा है:

My dear Prof. Unithan, I learnt that one chair for Sufism has been created and the post has been advertised in response of which one Mr. Shamsi Tehrani has applied for the post. He is a learned man, M.A in Sanskrit, M. A. in Persian, L.L.B, and is a Molvi, such person can be said to be a fit person for the post advertised.

**श्री अहमदबक्श सिंधी :** सभापति जी, यह मामला स्पीकर साहब के सामने अंडर कन्सीडरेशन है इसलिए यहां नहीं रखा जा सकता। यह मामला कन्सीडरेशन में है। शिकायत उनके पास मौजूद है। उस पर सदन में चर्चा कैसे होगी ? नहीं, आप नहीं रख सकते।.

**श्री भंवरलाल शर्मा :** मैं बोल रहा हूं।

**श्री अहमदबक्श सिंधी :** स्पीकर के सामने विचाराधीन है।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** ये रोकेंगे क्या मेरे को? आप कहिये मैं बोल सकता हूं। आपने परमिशन दी है। You have not withdrawn it. अब आप सुनिए, आपका लेटर नहीं हो तो आप मना कर देना आप यह तो मानते हैं न कि लेटर आपका है ?

**श्री सभापति :** आप जारी रखें।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** थैंक यू सर। My Dear Prof. Unithan, I learnt that one chair for Sufism has been created and the post has been advertised in response of which one Mr. Shamsi Tehrani has applied for the post. He is a learned man, M.A. in Sanskrit, M.A. in Persian, L.L.B. and is a Molvi, such person can be said to be a fit person for the post advertised.

**श्री सभापति :** यह तो वक्फ के लिए बिल है इसमें यूनिवर्सिटि का क्या लेना देना है।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** यही तो कह रहा हूं। यही तो मैंने अर्ज किया है। थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, I will try to explain you. प्रश्न यह है कि यहां कानून आ रहा है राजस्थान लोकायुक्त का। उसमें कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट सर्वेंट कहा है। Definitely, minister is a public servant यह उन पर लागू है। उसमें डिफाइन किया है कि व्हाट इज एलीगेशन। तो उस एलीगेशन को मैं डिफाइन कर रहा था कि एलीगेशन क्या है।

**श्री सभापति :** एलीगेशन आपने डिफाइन कर दिया।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** मैं और क्लीयर कर दूं।

"Allegation in relation to a public servant means any affirmation that such public servant has abused his position as such to obtain any gain or favour to him self or to any other person".

तो इनका कवर होता है "टू एनी अदर पर्सन" में एनो अदर पर्सन को लाभ हो, उस लाभ के लिए आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, इस पद को कलंकित किया है, आपने यह चाहा है उस व्यक्ति के, लिये, चाहे वह आपका रिश्तेदार है, चाहे वह आपका कोई फेवरिट है, आप चाहते हो उसे, कैसे भी चाहते हो। But you wanted to favour him and for that you have abused your position.

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य आप जो एलीगेशन लगा रहे हैं मंत्री महोदय पर, इसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष महोदय को दी है?

**श्री भंवर लाल शर्मा :** It is not an allegation. It is not that.

**श्री सभापति :** बैठे बैठे न बोलें।

**श्री भंवर लाल शर्मा :** यह एलीगेशन नहीं था, यह मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। चूंकि यह माननीय सदस्य इस प्रकार से इसमें लिप्त हैं इसलिए यहां पर यह बिल नहीं रख सकते that is why my objection. मैं इनको चार्ज तो करता ही नहीं I do not charge him, ये बहुत नेक आदमी होंगे I don't charge him. पर जो पोजीशन है वह आपके सामने रख रहा हूं।

**श्री सभापति :** आप बोल रहे हैं विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के बारे में।

**श्री भंवर लाल शर्मा :** मैं यह भी बोल सकता हूं कि यहां बिल रख सकते हैं या नहीं रख सकते। सवाल यह है कि यह आगे आयेगा या नहीं आयेगा। आयेगा तभी तो मैं कहूंगा कि इसके बारे में क्या किया जाए या कहीं भेजा जाए।

**श्री सभापति :** विधेयक तो आ गया है, चर्चा शुरू हो गई है।

**श्री भंवर लाल शर्मा :** नहीं, नहीं। I object. यह पेश नहीं कर सकते। खैर, डिसीजन आप जो भी दें दे दीजियेगा मुझे बात पूरी करने दें।! मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यह जो एलीगेशन इन पर है वह अपूंड है। यह जो इनका लैटर है, इस बात को प्रूफ करता है कि Mr. Ahmed Baksh Sindhi, who is the Law Minister, who is mover and presenting this bill, has abused his office for the gain of his ones of some relation or any body else which he cannot. इसलिए मेरा निवेदन है कि जब इन पर एलीगेशन है तो ऐसी परिस्थिति में ये विधान सभा के सामने नहीं आ सकते और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो ऐसे कार्यों में लिप्त हों ऐसे व्यक्तियों को आप विधान सभा के पवित्र प्रांगण में न आने दें। बाकी……

श्री अहमद बक्श सिंधी : आपका रिजोल्यूशन है कि पब्लिक ओपीनियन जानने के लिए भेज दिया जाए। यह पब्लिक ओपीनियन की बात कह रहे हैं क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : जी हां, यही पब्लिक ओपीनियन है आपके बारे में।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह लैटर डेफिनेटली इस एक्ट की परिभाषा में आता है। यह एलीगेशन है इन पर। ऐसे सज्जन, ऐसे माननीय सदस्य जिन पर इस प्रकार का एलीगेशन...

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये इस पर चर्चा हो रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री अहमद बक्श सिंधी इस विधान सभा में किसी प्रकार का न तो विधेयक रख सकते हैं, न मूव कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इनको विधेयक पेश करने की अनुमति न दी जाये, इस पर डिसकशन भी नहीं हो सकता। He cannot participate, he cannot put the bill, he cannot even participate. मेरा आपसे निवेदन है कि इनको इस बात के लिये मना करें। यह पवित्र सदन है, जब तक इन पर आरोप हैं यह इस प्रकार की कार्यवाही न करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ऐसे तो कई आरोप हैं।

श्री नाथूसिंह : I want to support.

श्री सभापति : No, no, not necessary.

श्री नाथूसिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह तो जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

श्री नाथूसिंह : This is not a bill to put in the House.

श्री सभापति : वह बिल तो आ चुका है, अब विचार हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप अपनी व्यवस्था दे दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइंट आफ आर्डर है, इस पर कोई भी बोल सकता है।

श्री सभापति : आपने पाइंट आफ आर्डर रेज नहीं किया है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, आपने जैसा अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया लोकायुक्त एक्ट, 1973 के तहत जिस मंत्री पर आरोप लगाते हैं वह सदन के सामने कोई विधेयक नहीं ला सकते।

श्री सभापति: एलीगेशन नहीं है, एलीगेशन पूर्व हो तो...

श्री अहमद बक्श सिंधी : अभी तो स्पीकर के सामने विचाराधीन है।

श्री सभापति : आपका पाइंट आफ आर्डर मैं निरस्त करता हूं। आप वही रिपीट कर रहे हैं जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

**श्री नाथूसिंह** : मैं नई बात कहूंगा, आप सुनें तो। सभापति महोदय, ये पब्लिक सर्वेन्ट हैं यह तो माना है, कानून में लिखा गया है और निर्णय आये हैं ऐसे कोर्ट्स में...

**श्री सभापति** : पाइंट आफ आर्डर श्री भंवरलाल शर्मा जी ने उठाया उसके ऊपर डिसीजन के बाद आप अगर नया पाइंट आफ आर्डर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं।

**श्री नाथूसिंह** : मैंने उठाया था।

(व्यवधान)

आप अपना फैसला दे सकते हैं।

इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा माननीय मंत्री महोदय ने, वह पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने मान लिया है। दूसरा मेरा निवेदन है कि पत्र के अलावा उसमें लिखा गया है...

(व्यवधान)

किसी भी अपने रिश्तेदार को या किसी जानकार आदमी को लाभ...

**श्री अहमद बख्श सिंधी** : यह आपका कहना गलत है।

**श्री नाथूसिंह** : लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी पुत्री को पर्सनल सैक्रेटरी नियुक्त किया है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : ऐसा नहीं कर सकते।

**श्री परसराम मदेरणा** : मोरारजी देसाई ने अपने सुपुत्र को कैसे पर्सनल सैक्रेटरी अपाइंट किया था।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** : वह गलत था।

**श्री परसराम मदेरणा** : उस वक्त माननीय सदस्य लोक सभा के सदस्य थे और आप जानते हैं कि जनता पार्टी ऐसा करती थी। उस जनता शासन के बाद सारा तंत्र ही बिगड़ गया है।

(2.53 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों परिस्थितियों में जब मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, वह सदन में बिल नहीं रख सकते, उनको मंत्री पद पर रहने का भी कोई हक नहीं है। डिसक्वालिफिकेशन उनका हो जाता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में माननीय विधि मंत्री जी ने जो यह विधेयक रखा है...

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि माननीय मंत्रीजी के विरुद्ध कोई आरोप अथवा आक्षेप हैं इसलिए वह सदन के अन्दर किसी तरह का प्रस्ताव, खासतौर से विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव नहीं रख सकते। अगर कानून में यही स्थिति होती तो किसी भी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाकर उसका डिसक्वालिफिकेशन कर देते।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यह प्रमाणित है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

मंत्रियों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। उसकी कुछ योग्यता है। चाहे शैक्षणिक योग्यता नहीं हो लेकिन चुनाव की योग्यतायें हैं। जब शपथ ग्रहण कर ली तो मंत्री हो जाते हैं। उनके विरुद्ध कोई आरोप है...

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, उससे मंत्री अयोग्य नहीं हो जाता ।

**श्री नाथूसिंह** : उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया है ।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न उसी स्थिति में पैदा होता है जब हमारी विधान सभा से सम्बन्धित संविधान के किन्हीं आर्टिकल्स का उल्लंघन हो रहा हो अथवा हमारे प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी जो नियम हैं उनका उल्लंघन हो रहा हो । उस अवस्था में पाइंट आफ आॅर्डर उठाया जा सकता है । दोनों शर्तों में किसी शर्त को आपका व्यवस्था का प्रश्न पूरा नहीं करता इसलिए मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करता हूं ।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : Hon'ble Speaker, let me have....

**श्री अध्यक्ष** : आपने विषय से हटकर यह चर्चा सदन में शुरू की है, ऐसा मैं मानता हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मैंने व्यवस्था दे दी है इसलिए उसके अनुसार चलें ।

**श्री नाथूसिंह** : जो प्रश्न ·······

**विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने एवं प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है । बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के सम्बन्ध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कहें ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मेरा नाम भी है । लेडीज फर्स्ट ।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने नाम पुकारा था उस वक्त आप उपस्थित नहीं थीं इसलिए मैं आपको समय देने में असमर्थ हूं । मैंने समय सीमा निश्चित कर दी है ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी संशोधन प्रस्ताव दिया था····

**श्री अध्यक्ष** : समय नष्ट न करें ।

श्री हरिसिंह, विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के सम्बन्ध में बोलेंगे ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अध्यक्ष महोदय····

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्या, कृपया नियमों का पालन करें ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : हमारे अधिकारों की रक्षा करें । मैं कुछ बताना चाहती हूं....

**श्री अध्यक्ष** : अधिकार था उसका उपयोग करने के लिए आपको अवसर दिया था, आप उस समय नहीं थीं । मैं दुबारा अवसर नहीं दे सकता ।

श्री हरिसिंह ।

**श्री हरिसिंह** : श्रीमान, मैंने प्रस्ताव दिया है कि यह जो विधेयक....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : इनको अनुमति नहीं देते हैं तो मैं बोल लेता हूं । मेरा नाम है ।

**श्री अध्यक्ष**–: आप नियमों से अच्छी तरह परिचित हैं। बाधा न डालें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : बाधा डालने का सवाल ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : एक घन्टे का समय है उसका सदुपयोग करें क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है वह आप तभी दे सकते है। वरना एक घन्टे का समय समाप्त हो जायेगा। एक घन्टा समाप्त होते ही सभी प्रश्न पूछ लिए जायेंगे। आपने यदि अपनी बात पूरी नहीं की है तो जो पाइंट आफ आर्डर आपने रेज किया है वह पूरा हो गया है....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मैं कुछ बोला ही नहीं था।

**श्री अध्यक्ष** : जनमत जानने हेतु परिचालित करने के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं तो दो मिनट में अपनी बात कहें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाये हैं इसकी मन्शा यह है कि मैं जो नाजायज कब्जे कुछ लोगों ने कर रखे हैं उनके खिलाफ इस कानून के तहत दावा किया जाये। दावा करने की मियाद इन्होंने निकाल दी है इसलिये अब यह हमारे सामने फिर इस बात के लिये आये हैं कि इसकी मियाद बढ़ा दें। प्रश्न यह है कि यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, वक्फ की जमीन को राजस्थान के अन्दर कई प्रभावशाली लोगों ने दबा रखा है, उस पर कब्जा किया हुआ है और जान बूझकर आपका विभाग उनके प्रभाव के कारण उन पर दावा नहीं करता। आप क्या यह बता सकते हैं कि एक बार मियाद बढ़ाने के बाद आपने उन लोगों, जो अतिक्रमी हैं, जो वक्फ की जमीन का नाजायज लाभ उठा रहे हैं, के खिलाफ अब तक दावा क्यों नहीं किया जो अब फिर आप मियाद बढ़वाना चाहते हैं। आज तीन साल पूरे होने को हैं इन तीन सालों के अर्से में आपने केवल वक्फ की जमीन से लाभ पहुंचाने की कार्यवाही की, उन लोगों को हटाने के लिये आपने कोई कदम नहीं उठाया और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वक्फ की जमीन को लेकर राजस्थान में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई जगह साम्प्रदायिक तनाव और दंगे हुए हैं। यह बहुत बड़ा अहम मसला था। अगर आप यह तय कर देते कि वक्फ की जमीन कौन सी है उसकी सीमा तय हो जाती तो वह जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ जाती और उस पर कब्जा करते, न राजस्थान में कोई विवाद खड़ा होता। इसमें कई लोगों का जीवन चला गया और जगह-जगह पर आपने अशांति पैदा कर दी। यह तो आप की चाल है कि यह दोनों जमात, दोनों वर्ग सहिष्णुता के साथ नहीं रह सकें और आपकी गोटी लाल होती रहे, आप इलेक्शन में वोट लेते रहें। इस बिल के द्वारा आप निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि यह झंझट बना रहे। पर्याप्त समय आपके पास था। एक बार आपने मियाद बढ़ा दी उस मियाद को बढ़ाने के बाद फिर कौन सी

(श्री भंवर लाल शर्मा)

आवश्यकता पड़ गई आपको मियाद बढ़ाने की। आप यह बता दें हाउस को कि जो समय आपने बढ़ाया था उस समय के अन्तर्गत आपने क्या कार्यवाही की और उस कार्यवाही करने के बाद, आपकी ईमानदारी के बाद, आपकी सतर्कता के बाद भी आपको समय नहीं मिल पाया. इसलिये आप समय बढ़वाना चाहते हैं। या तो हाउस को यह बतायें और अगर यह नहीं बताना चाहते हैं तो मेरा चार्ज है कि जिन प्रभावशाली लोगों के कब्जा कर रखा है। उनसे आप कब्जा लेना नहीं चाहते हैं और साम्प्रदायिक तनाव बनाये रखना चाहते हैं ताकि राजस्थान के अन्दर दोनों वर्ग भाई-भाई के नाते नहीं रह सकें। आपकी झोली में रहें, यह आप पर मेरा आरोप है। आप अपने उत्तर में इसको स्पष्ट करें कि इतने समय में इस कार्य क्यों नहीं किया ? आप विधि मंत्री भी हैं, आपने जितने भी कानून बनाये हैं उनमें आपने भेदभाव बरता है। एक कानून है जो राजस्थान में लागू है। उसका नाम है राजस्थान प्रिमिसेज (कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन) एक्ट, 1950। इस कानून से...

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : इनको कानून पढ़ने दो।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : शून्य की स्थिति बन रही है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब इन्होंने पढ़ा नहीं। खैर, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, इसमें लिखा है :

"The State Government, if it is satisfied that it is necessary or expedient so to do in public interest, may, by notification in the official Gazette, exempt from all or any of the provisions of this Act any premises owned by any educational religious or charitable institution, the whole of the income derived from which is utilised for the purpose of the institution."

अगर वह प्रापर्टी शैक्षणिक है, धार्मिक है, चेरिटेबल है तो इसको इस कानून के परव्यू से मुक्त किया जा सकता है। गवर्नमेंट को अधिकार किया है कि वह बाइ नोटिफिकेशन इस कानून के परव्यू से उसको निकाल सकती है। आप जानते हैं कि यह जो कानून है राजस्थान प्रिमिसेज (कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन) एक्ट, बड़ा जटिल है। इसमें मकान खाली करवाना आसान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो सार्वजनिक भवन जमीन इसके परव्यू में आते हैं वे खाली नहीं हो सकते हैं। लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, कई लोगों ने एक रुपये में, दो रुपये में बड़ी बड़ी बिल्डिंग किराये पर ले रखी हैं। राजस्थान में जितने भी हिन्दू धर्म में आने वाले मन्दिर हैं रिलीजियस प्लेसेज हैं, ट्रस्ट हैं उनको आपने इसका मूल के तहत कहीं भी मुक्त नहीं किया जबकि आपने बाकी में किया है। इस भेद-भाव के कारण आप अपने बयान में बतायें। क्यों किया आपने...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** जो लाखों की सम्पत्ति है उसको आपने इस कानून के चंगुल में क्यों रखा है। आप अपने उत्तर में बतायें, इस भेदभाव का आखिर कारण क्या है। आप तो मंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं, राजस्थान के मंत्री हैं आपके सामने चाहे वक्फ हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मन्दिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हों सब बराबर रहने चाहिये। इस भेदभाव का कारण आप बतायें ऐसा मेरा निवेदन है। फिर मैं आगे बात करूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हरिसिंह।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** श्रीमन्, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैंने संशोधन प्रस्ताव किया है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) राजस्थान संशोधन विधेयक, 1983 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट। कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें। जहां तक इस एक्ट की मूल भावना का प्रश्न है..

**श्री परसराम मदेरणा :** अध्यक्ष महोदय, जो मोशन मूव किया है इसमें विधेयक किसको रेफर करने की बात है, लिखा ही नहीं है।

**श्री हरिसिंह :** टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है। मेरा जो प्रस्ताव है उसमें यह लिखा हुआ है।

**श्री परसराम मदेरणा :** किसको रेफर कर दिया जाये, प्रवर समिति को कर दिया जाये, सलेक्ट कमेटी को कर दिया जाये या फिर और किसी कमेटी को कर दिया जाये?

**श्री हरिसिंह :** यह तो ऑफिस की गलती हो सकती है। मेरा जो प्रस्ताव है उसमें लिखा हुआ है कि विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये।

**श्री अध्यक्ष :** इसमें यहां से कुछ त्रुटि रह गई है इसलिए यह प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्तावित करने का है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, वह प्रस्तुत करें उससे पहले मुझे दो मिनट बोलने का समय दें जनमत जानने का...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्या, ऐसा है, आप यदि बोलना चाहें तो जब यह दुबारा आये कि पारित किया जाये उस वक्त मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री हरिसिंह।

**श्री हरिसिंह :** श्रीमान, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये। जहां तक इस विधेयक की स्पिरिट और मूल भावना का प्रश्न है, उसमें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं उससे सहमत हूं। कारण इसका यह है कि जो यह एक्ट है सैन्ट्रल पब्लिक वक्फ एक्सटेन्शन आफ लिमिटेशन एक्ट इस में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। संशोधन इसलिये करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर कब्जे कर रखे हैं उनके खिलाफ दावे किये नहीं जा सकें, समय उनका निकल गया। अब भी ऐसा समझता हूं कि काफी दावे सम्भवतः सरकार के नोटिस में होंगे। सरकार यह सोचती होगी कि पब्लिक प्रापर्टी है उस पर से उन लोगों के कब्जे हटाना आवश्यक है इसलिये लिमिटेशन के अन्दर कुछ बढ़ोतरी करने के लिये सरकार लेजिस्लेचर के सामने आई है। 1959 का

(श्री हरिसिंह)

जो एक्ट है श्रीमन् इसमें 70 तक दावा पेश करने का प्रावधान है। उसके बाद इस असेम्बली ने एक्ट नवम्बर 31 से. 1978 में इसको 70 की जगह 80 कर दिया। उस समय भी सरकार 8 साल बाद सदन में आई। 70 में मियाद समाप्त हो चुकी है और 70 से लेकर 8 साल तक इसमें कोई अमेंडमेंड नहीं हुआ। 78 में आपने 80 का अमेंडमेंट किया। मैं प्रवर समिति को सुपुर्द इसलिये करना चाहता हूं. इस एक्ट का जो ड्राफटिंग है वह इस प्रकार का है कि सरकार की जो भावना संभवतः वह पूरी नहीं हो सके। इसलिये इसको एक एक्सपर्ट कमेटी एक्जामिन कर ले जिससे ऐसा न हो कि हम कोई एक्ट पास करें और सरकार अपने दावे भी सन 85 तक नहीं कर सके....

इसका जो सेक्शन है, इसका जो क्लाज है वह आप देखें :

"2 Amendment of section 3 Central Act 29 of 1959. In section3 of the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959 (Central Act 29 of 1959) in its application to the State of Rajasthan, for the expression "31st day of December, 1980" the expression "31st day of December, 1985" shall be substituted."

1959 का जो सेन्ट्रल एक्ट है उसमें तो लिखा हुआ है 1970 तो जब आप सेन्ट्रल एक्ट को रेफर करना चाहेंगे तो 1970 मिलेगा और 1970 की जगह आप 1985 करेंगे तो इस एक्ट की मन्शा पूरी हो सकती है। आप उसमें लिखना चाहते हैं 1980 में 85 पढ़ लिया जाय। उसको अगर आप इंगित करना चाहते हैं तो यह लिखना जरूरी है। "Central Act, in its application to Rajasthan" की जगह आपको लिखना पड़ेगा।

"Central Act as amended in the State of Rajasthan."

जब तक आप इसके अन्दर यह नहीं लिखेंगे तब तक सेन्ट्रल एक्ट का जो अमेन्डिग सेक्शन है, उसमें आप अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकेंगे। यह मैं क्यों कहता हूं यह मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपके जो प्रारूपकार हैं उन्होंने भी जो अनेक्स्चर दिया है उसके अन्दर पेज दो पर इस प्रकार से है।

"Extracts taken from the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959 (Central Act 29 of 1959) as amended by Rajasthan Act No. 21 of 1978."

तो अनेक्स्चर में तो आप यह क्लीयर कर रहे हैं कि किस चीज में अमेन्डमेन्ट लाना चाहते हैं और जो मूल क्लॉज है उसमें आप लिख ही नहीं रहे हैं कि आप किसमें अमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं। लेजिस्लेचर की मन्शा तो हमेशा यह हुआ करती है कि आपको स्पष्ट रूप से यह बताना पड़ेगा कि आप किस सेक्शन में कब तक अमेन्डमेन्ट आप करना चाहते हैं 'in its application" का मतलब राजस्थान के अन्दर कुछ नहीं लगाया जा सकता। वह एक्ट तो

(श्री हरिसिंह)

इटसेल्फ पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर लागू हैं । जब तक किसी को यह पता नहीं हो कि इस एक्ट के सेक्शन में 1978 में अमेन्डमेन्ट हुआ है तब तक उसको पता ही नहीं लग सकता कि इसके अन्दर 1980 लिखा हुआ है। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंपना निहायत ही जरूरी हो गया है।

इसमें यह एक नहीं और भी अनेकों इस प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं । जैसा मैं आपको निवेदन करूं, 1970 का जो एक्ट है वह तो आज डेड लेटर आफ लॉ है, वह 1970 के बाद में एक प्रकार से जीवित नहीं है । मैं यह मानता हूं कि राजस्थान सरकार किसी भी सेन्ट्रल एक्ट, जो कि कान्स्टीटयूशन की कन्करेंट लिस्ट पर है आप अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं लेकिन क्या उस एक्ट के उस सेक्शन के अन्दर अमेन्डमेन्ट लाना चाह रहे हैं जो आज से 15 साल पहले मूर्छित अवस्था में आ गया? आप अगर उसमें अमेण्डमेन्ट करना चाहते हैं तो यह अच्छा होगा कि उसके अन्दर 1970 से 80 के स्थान पर 1970 लिखें।

दूसरा एक इसमें यह भी व्यवधान पैदा होगा कि आपका, एक अमेंन्डिंग एक्ट आलरेडी स्टेट्यूट बुक पर है। 1978 में एक्ट नम्बर 21 आपके स्टेट्यूट बुक पर आया वह तो आप रिपील ही नहीं कर रहे हैं। यह बात सही है कि जो अमेंडिंग एक्ट है वह ओरिजनल एक्ट में अमेन्डमेन्ट होने के बाद में इसमें मर्ज हो जाता है लेकिन आप अमेण्डमेन्ट सेन्ट्रल एक्ट में करने जा रहे हैं तो सेन्ट्रल एक्ट में राजस्थान का अमेंडिग बिल कैसे मर्ज होगा। जब तक राजस्थान एक्ट और सेन्ट्रल एक्ट साथ-साथ नहीं पढ़ेंगे, जब तक राजस्थान के अन्दर उसका लेजिस्लेशन ही नहीं बनेगा तब तक एक तरफ तो आपका अमेण्डमेन्ट एक्ट नम्बर 21 आफ 1978 है वह भी स्टेट्यूट बुक पर रहेगा, दूसरा जो अमेन्डिंग बिल ला रहे हैं उसमें 78 की जगह 85 करना चाहते हैं। तो इस तरह इस एक्ट के अन्दर अनेकों एनामोलीज हैं जो प्रवर समिति के सामने जाकर प्रोपर ग्रेश आउट होंगी हैं। जब तक वह ग्रेश आउट नहीं हो तब तक मैं समझता हूं कि इसमें ऐसी गलतियां रह जायेंगी जिनको आप कानून में मीट नहीं कर पायेंगे। यह सही है कि आपके लॉ डिपार्टमेन्ट ने आपको कोई राय दे दी होगी लेकिन लॉ डिपार्टमेन्ट की राय में बाअदब अर्ज करूंगा, सेक्रेट्रिएट के केम्पस के बाहर कोई मायने नहीं रखती, वह वजन रख सकती है लेकिन बाइन्डिंग नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस असेम्बली की एक एक्सपर्ट कमेटी हो वह इन सब बातों पर अच्छे ढंग से विचार करे। उसके बाद जो एक्ट लाना चाहें वह लायें। जहां तक स्पिरिट का सवाल है बिल की उसमें मुझे कोई विरोध नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय।

**श्री राज बहादुर** : मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : पारण के लिए जब प्रस्ताव आये कृपया उस वक्त बोलें आप। इस वक्त तो जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको मैं अवसर दे रहा हूं।

**श्री अहमद बख्श सिन्धी (विधि मंत्री):** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जो स्पीच है वह कुछ गलतफहमी पर आधारित है। जो बातें....

**एक माननीय सदस्य :** रिप्लाई आ रही है।

**श्री अहमद बख्श सिन्धी :** मेरे लायक दोस्त श्री भंवरलाल जी शर्मा ने रखी है। वह दो चीजें हैं जो इरेलेवेन्ट थीं जिस पर आपने व्यवस्था दे दी। बाकी आपने यह फरमाया है कि नाजायज जो कब्जे किये गये थे, जो उनकी 2–3 दफा मियाद बढ़ाई उसमें दावे क्यों नहीं किये गये, तो मैं उनकी इन्फार्मेशन के लिए बता दूं कि दावे सन् 1972 में 353 दायर किये गये थे। उसके बाद जब परस राम जी मदेरणा वक्फ मिनिस्टर थे उस वक्त यह अमेण्डमेन्ट लाये थे कि इसकी मियाद 31.12.80 तक बढ़ायी गयी। जो दावे अब करने बाकी हैं, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन एक्ट के तहत में वक्फ प्रापर्टी भी पब्लिक प्रिमिसेस में शामिल कर दी गयी है जहां तक नाजायज कब्जे हैं ऑफिसर के यहां कार्यवाही करके नाजायज कब्जे हटाये जा सकते हैं। आपने यह पाइन्ट कहा ही नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वह आपको कहना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसी वक्फ प्रापर्टी है जो पब्लिक प्रिमिसेस की तारीफ में नहीं आ सकती। जैसे एग्रीकल्चर लेण्ड है वह वक्फ प्रापर्टी है। कुछ ऐसी प्रापर्टी है जो इसकी तारीफ में नहीं आ सकती। इनके लिए दावे करना लाजिमी है और करीब करीब एक हजार करना बाकी है। जब मियाद खत्म हो गयी उसके बाद में दावे नहीं किये जा सकते थे इसलिए यह जरूरत पेश आयी जैसा कि दूसरी स्टेटों ने यह मियाद बढ़ायी है। आन्ध्र प्रदेश स्टेट ने एक्ट नम्बर 14 सन 1982 के जरिये 31.12.86 तक मियाद बढ़ायी है। पंजाब स्टेट ने एक्ट नम्बर 15 सन् 1981 के जरिये 31-12-85 तक मियाद बढ़ायी है। उड़ीसा स्टेट ने एक्ट नम्बर 12 सन् 1982 से 31.12.86 तक मियाद बढ़ायी है। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि यह सबजेक्ट ऐसा है कि कान्करेट लिस्ट में आया है। सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट ही एक्ट पास करे यह जरूरी नहीं है, स्टेट भी अपने तौर पर बिल ला सकती है और असेम्बली में पास करा सकती है जैसा कि Public Wakfs (Extention of Limitation) Act एक्ट नम्बर 29 सन् 1959 एक्ट कान्करेट लिस्ट की एन्ट्रीज नम्बर 10 और 28 के तहत हैं। इस हाउस को यह बिल पास करने का पूरा अधिकार है क्योंकि सन् 1978 के बाद पार्लियामेन्ट ने कोई एक्सटेन्शन नहीं दिया। कोई बिल पास नहीं किया और न एक्सटेंशन हुआ। उसके बाद क्योंकि जायदादें अभी तक नाजायज कब्जों में है इसलिये उन पर कब्जा हासिल करने के लिए वक्तन फवक्तन स्टेट्स मियाद बढ़ाती रही। राजस्थान स्टेट ने भी मियाद बढ़ायी है। यह एक मामूली सी बात है. मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस पर पब्लिक ओपिनियन की जरूरत हो पब्लिक के इन्टरेस्ट में ही तो यह किया जा रहा है कि जो वक्फ प्रापर्टी है वह नाजायज कब्जों से हटे। इसी तरह से देवस्थान की प्रापर्टी है वह भी नाजायज कब्जों से हटाने के

# Page No 98



(श्री अहमद बख्श सिंधी)

लिए व्यवस्था की है। तो क्यों न वक्फ प्रापर्टीज से हटाने के लिए, उनका कब्जा वापस लेने के लिए यह हाउस अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर सकता है। यह मेरी समझ में नहीं आता इसलिए मेरी राय से पब्लिक ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है.... .....

दूसरे श्री हरिसिंह कुम्हेर ने सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए वजूहात बताई. उनको मुगालता रहा कि यह सेंट्रल एक्ट है, हम कैसे अमेंड कर सकते हैं। उनको मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह कांकरेंट लिस्ट का मामला है इसलिए इस हाऊस को अमेंडमेंट करने का अधिकार है। इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। महज एक एक्सटेंशन का मामला है, टाइम बढ़ाना है 31 दिसम्बर 85 तक 83 में हम आज चल रहे हैं। सिर्फ 1-1-81 से 31-12-85 तक का मामला है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, यह मामूली बात है। इस पर इतनी बहस होनी भी नहीं चाहिये थी। न कोई पब्लिक ऑपीनियन जानने की आवश्यकता है और न सलेक्ट कमेटी के पास भेजने की आवश्यकता है। बाकी...

श्री यदुनाथसिंह : सरकार पर से तो नाजायज कब्जा हटाओ।

श्री अहमदबख्श सिंधी : वह तो मैं बता दूं, सरकारी कब्जे के बारे में मैं बता दूं कि जहां-जहां वक्फ प्रापर्टी पर सरकारी महकमों के कब्जे हैं...

श्री यदुनाथसिंह : सरकार पर ही नाजायज कब्जा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : हम सरकारी महकमों के कब्जे की बात नहीं कर रहे, सरकार पर ही जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है उनको हटाने की बात है।

श्री यदुनाथसिंह : पूरी सरकार पर ही नाजायज कब्जा है।

(व्यवधान)

श्री अहमदबख्श सिंधी : अच्छा ठीक है। आप यही सोचते रहिये। आप इसमें ही खुश होते हों तो होते रहिये।

जहां तक सरकारी महकमों का वक्फ प्रोपर्टी पर कब्जा है उसके लिए हमने यह व्यवस्था की है कि उनसे लीज डीड लिखवायें। लीज डीड लिखवाने का आर्डर पास कर दिया है। उनसे लीज मनी ली जाएगी और हर साल प्रीमियम वसूल किया जाएगा।

श्री यदुनाथसिंह : कब्रिस्तान पर सरकारी कब्जे हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अहमदबख्श सिंधी : इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि...

श्री कमलेन्द्रसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं जानना चाहता हूं कि माननीय शिवचरण जी की श्रीमती जी ने जो वक्फ प्रोपर्टी पर कब्जा कर रखा है उसको हटायेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री कमलेन्द्रसिंह : अलग कैसे है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर, ग्रार्डर ।

प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(व्यवधान)

मैं दुबारा पूछ लेता हूं । ग्रार्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ग्रावाज ही निकल नहीं रही है ।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया ।

प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव ग्रस्वीकार किया गया ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, शांत रहें ।

प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(ग्रस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए पारित किए जाने का ।

**विधेयक का पारण**

श्री ग्रहमदबख्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जावे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : महिला पहले ।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : वैसे भी मेरा अधिकार बनता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहां पर समय सीमा बढ़ाने का संशोधन ....

श्री नाथूसिंह : महिला ग्रौर वयोवृद्ध में से किस को प्रिफरेंस देंगे, अध्यक्ष महोदय ?

श्री चन्दनमल बैद : वयोवृद्ध महिला को ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं ?

(100)



(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मंत्री महोदय समय सीमा बढ़ाने के लिए यह संशोधन लाये हैं। पिछली दफा 1980 तक का समय बढ़ाया गया था। 1980 से अब तक तीन साल हो गए. मंत्री महोदय को शायद ध्यान ही नहीं होगा कि क्या किया जाना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहती हूं, सीधी सादी बात है कि वक्फ सम्पत्तियों की रक्षा यह सरकार नहीं कर सकती। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न पूछा था उस समय मुझे बताया गया कि 13 लाख रुपये सरकारी विभागों से वक्फ को लेने थे। यह सरकार इतना तक भी नहीं कर सकी कि सरकारी विभागों से अपना पैसा जमा करा ले। वक्फ की सम्पत्ति पर जो नाजायज कब्जे हो रहे हैं उनको रोकना तो दूर की बात है यहां जयपुर में एम. एल. ए. क्वार्टर के बिल्कुल सामने एक दिन में, पूरा होटल तैयार हो जाता है, एक दिन में पूरा कारखाना तैयार हो जाता है, सरे आम हो जाता है। इसमें या तो कोई मिलीभगत है या आप जान-बूझ कर अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। लोगों का विश्वास इस महकमे से उठने लगा है। चाहे तो कोई शिया समाज हो या सुन्नी समाज हो, दोनों समाज के लोगों ने वक्फ प्रोपर्टी को तैयार करने में अपना सब कुछ लगा दिया, मंत्री महोदय मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जिस तरफ से आते हैं मैं समझती थी कि आप वक्फ सम्पत्तियों की रक्षा करेंगे लेकिन आप इतने अकर्मण्य साबित हुए हैं कि आप वक्फ की सम्पत्ति की रक्षा भी नहीं कर सके हैं। कोई भी कब्जा कर ले, चाहे कोई भी भंगी कब्जा कर ले, चाहे सरकारी विभाग कब्जा करले, उससे आप पैसा तक वसूल नहीं कर सके हैं। आप वक्फ प्रोपर्टी की सुरक्षा नहीं कर सके हैं। आप यू. आई. टी. के माध्यम से, पुलिस डिपार्टमेन्ट के माध्यम से, उनसे सहायता लेकर कब्जे हटा सकते थे। जैसा कि आपने खुद अभी स्वीकार किया है कि कानून है तो है, अन्यथा इसके अलावा भी हम अपनी सम्पत्ति की खुद रक्षा कर सकते हैं लेकिन आपने वह काम नहीं किया। आपने अध्यक्ष को भी अकर्मण्य बना रखा है। आपसे अध्यक्ष भी पीड़ित हैं। आप उनकी मदद नहीं करते हैं। उनके पास टेलीफोन नहीं है। केवल एक—दो पीओन आपने उनको दे रखे हैं। टाइपिस्ट तक उनके पास नहीं है। वे नोटिस कैसे दें। नोटिस देने की बात तब पैदा होती है जब उनके पास साधन हो। बोर्ड क्या करे। उसके पास टाइपिस्ट नहीं है। क्या अपनी जेब से पैसा देकर वह टाइप करायें, जेब से डाक के टिकिट लगायें। आप उनको पैसा नहीं देते हैं। उनको दफ्तर की जरूरी सुविधा तक नहीं देते हैं। विभिन्न विभागों से सामंजस्य बिठा कर उनकी मदद नहीं करते। आपको समय कैसे दिया जावे। आप इस समय को भी बर्बादी करेंगे। आप तो चले जायेंगे इसलिए 1985 तक का टाइम लेकर आप क्या करेंगे....

(व्यवधान)

बीच में चुनाव हो या न हो मैं इस प्रक्रिया में जाती नहीं हूं लेकिन 1985 तक आप क्या करेंगे? एक महीने, दो महीने, तीन महीने का एक्सटेन्शन ले सकते हैं। कितनी ऐसी सम्पत्ति है जिसके लिए आपको 1985 तक का टाइम चाहिए? जिसके दिल पर चोट पड़ती है वह बेचैन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

होता है। धरती की एक-एक इंच भूमि के लिए सिर फूट जाते हैं। आपने वक्फ सम्पत्ति की रक्षा न करने का संकल्प किया है. मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं आरोप लगाती हूं, माननीय मंत्री महोदय, आप अकर्मण्य हैं, आप इस्तीफा दीजिए। आपका डिपार्टमेन्ट अकर्मण्य है। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो वक्फ की सम्पत्ति है, दूसरे लोगों ने समाज के काम में आने के लिए सम्पत्ति दी आपने इस सारी सम्पत्ति को कबाड़ियों को दे रखा है। किसी भी सम्पत्ति में जाइये, मैं जयपुर का हवाला देना चाहती हूं, किस तरह से उस पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। इतना ही नहीं जहां मनुष्य का अंतिम स्थान है, मौत के बाद जहां जाते हैं, उस कब्रिस्तान पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप समय लेना चाहते हैं, आप जाइये, आप देखिये कि वक्फ सम्पत्तियों की हालत क्या है। क्या हालत बना रखी है? जिन लोगों ने तन, मन, धन से भक्ति की, उन लोगों ने सम्पत्ति दी थी। उन्होंने दिलभो जान से भक्ति की। वह खुदा की भक्ति करते थे इस कारण से उन्होंने दी। उनके पास कुछ नहीं रहा किन्तु आपको सरकार उसको संजो कर नहीं रख सकती, उनको बढ़ावा नहीं दे सकती। वक्फ मंत्रीजी, मैं आपको फिर आगाह करना चाहती हूं, वक्फ की सम्पत्ति आपकी सम्पत्ति है आप जल्दी से जल्दी एक डेढ़ महीने में जिनके भी कब्जे में वक्फ प्रोपर्टी है उनके नाम प्रस्तुत कर दीजिये। हो सकता है आप रहें या नहीं रहें इसलिये वक्फ का सरकारी विभाग या किसी विभाग में बकाया है उसको आप एक डेढ़ महीने में वसूलिये। आप हंस रहे हैं। यह बात हंसने वाली नहीं है। आपने सब मंदिरों के पैसे हजम कर लिये। छोड़िये इस बात को। वक्फ की जमीन व मंदिरों की जमीन पर लोगों के पोतड़े सूख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं पा रही हूं सरकार को क्या हो गया है। वक्फ व मंदिर की जमीन पर पेटीकोट सूख रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको। भक्ति भाव से लोगों ने अपनी सम्पत्ति दी थी और आप हंस रहे हो। मैं इतनी ही बात कहना चाहती हूं यदि आपमें साहस नहीं है तो आप भी यह यह देख लें लोग आप पर थूकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनसे कह दीजिये....

(व्यवधान)

बहुमत के बल से आप कोई बात भले ही कह दें लेकिन क्या किया आपने। जो आरोप लगाया उसका खंडन नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, इनका क्या चरित्र है यह समझ में नहीं आता। मैं कहना चाहती हूं कि इस पर विचार करें, सारे सदन में विचार करें। विचार करने पर अनुमति होगी, सहमति होगी तो होगी। मेरी तो आपको अनुमति देने की इच्छा नहीं है।

धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष**: श्री राज बहादुर।

**श्री राज बहादुर** (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन का शून्यकाल होता है एक घंटा बहुत बढ़ जाये दो घंटा, तीन घंटा हो जाता है लेकिन वक्फ बोर्ड का वक्फ मिनिस्टर साहब का शून्यकाल पूरे दो साल नौ महीने रहा। यानि जो पीरीयड है 31 दिसम्बर, 1980 से लेकर सितम्बर, 1983 तक

(श्री राजबहादुर)

जब गर्वनर मोहर लगा देंगे इस बिल पर उस वक्त तक का पीरियड अनकवंड रहा, वह शून्य काल रहा वोइड था खुला था।

मैं पहले यह कहूंगा कि यह एक गवर्नमेंट के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि कितना एक्टिव है इनका लॉ डिपार्टमेंट, कितना एक्टिव है इनका वक्फ डिपार्टमेंट यह माना जाय कि पौने तीन साल में कोई भी दावे नहीं हुए ? यह साफ साफ नजर आता है कि पौने तीन साल में कोई दावे नहीं हुए।एक और है एक तरफ कहा जाता है हाउस के लिये काम ही नहीं है हम तीन सैशन कैसे बुलायें, दूसरी तरफ जो बिल इतना जरूरी था जो छप कर आना चाहिये था, वह आया नहीं। यह बताते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं यह क्लियर आप रिट्रास्पेक्टिव लेजिस्लेशन कर रहे हैं, आप रिट्रास्पेक्टिव वेलिडिटी और लीगलिटी क्लोज कर रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं, आपने कुछ आंकड़े दिये थे इसमें से कितने दावे किये हैं अब तक ? कितने दावे करने बाकी हैं ? जितने आपने दावे किये वे कब तक किये ! क्या 31 दिसम्बर, 80 तक कर दिये थे सब या उसके बाद भी किये ! किये तो, किस कानून से किये ? कैसे किये ! क्या वेलिडिटी है उनकी ? रिट्रास्पेक्टिव लेजिस्लेशन लिमिटेशन के बारे में हो सकता है क्या ? प्रवर समिति का एक पाइन्ट जो उन्होंने कहा इस मायने में वेलिड था कि क्या रिट्रास्पेक्टिव लेजिस्लेशन इस्तेमाल में लिया जा सकता है ? इस प्रकार जो लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी हैं, राइट्स एक्रू हो चुके हैं, बन चुके हैं उनको क्या आप रिट्रास्पेक्टिव लेजिस्लेशन से डिमालिस कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं ? मेरे ख्याल में 3–4 बात बिलकुल साफ हैं ! एक तो यह है कि आपने तीन साल में कुछ नहीं किया। शून्यकाल रखा, खुला रखा। दूसरा यह है कि आप रिट्रास्पेक्टिव लेजिस्लेशन कर रहे है। तीसरा यह है कि आपका जो बहाना है सशन न बुलाने का, और सैशन कन्टीन्यू न करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं है यह भी बिलकुल दिखावटी है क्योंकि काम तो आपके पास होता है लेकिन काम लाते नहीं है आप। जो हम लोग काम देते हैं वह काम करते नहीं है। मैं आपसे जाना चाहता हूं वक्फ बोर्ड का कितनी दफा रिकांस्टीटयूशन और कांस्टीट्यूशन हुआ है ? क्या वक्फ बोर्ड का फाइनल रिकांस्टीट्यूशन हो चुका है ? मैं जानना चाहता हूं, कौन इसके चेयरमैन हैं ? एक चेयरमैन हमारे वकील सवाईमाधोपुर के थे उनको आपने कहीं और चेयरमैन बनाकर रख दिया। जो तजुर्बेकार मुसलमान साहबान हैं, हो सकता है जो इस काम को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो कि एक बड़े सेक्रिफाइज के साथ, कुर्बानी के साथ, एक भावना डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं, उनको आप बिलकुल अलग निगाह से देखते हैं। मैं किसी का नाम ले दूंगा तो इसका नाम तो अपोजिशन की तरफ से आ गया। लेकिन एक नहीं अनेकों ऐसे मुसलमान साहबान हैं जो बहुत इज्जत के काबिल हैं, जिनको आप भी जानते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते।

प्रॉपर्टी का हाल यह है कि बिलकुल अमानत में खयानत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं और फिर वह खयानत करते हैं। किराये की आमदनी खा जाते हैं। आपके नोटिस में मैं लाया था भरतपुर की मिसाल और आप से यह तजवीज की थी कि भरतपुर शहर में

(श्री राजबहादुर)

जो वक्फ की जायदाद है, बयाना में है, भुसावर में है उसके वास्ते आप अलग कुछ रख रहे हैं, रखें। आप सारे राजस्थान का रखें। लेकिन वहां की जायदाद काफी है। जामा मस्जिद भरतपुर की काफी मशहूर है। इसके अलावा और भी जायदाद है उसकी। उस जायदाद के वास्ते आप भरतपुर शहर के वक्फ बोर्ड का एक छोटा बोर्ड बनायें जो कि आपके बड़े बोर्ड के नीचे काम करे, ऐसा रखिये। लेकिन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि न आपके पास वक्त है न आपके पास इनिशियेटिव, पहल है! मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इन बातों पर गौर करें फिर देखें कि यह तीन साल का वक्त खुले में निकल गया है, बहुत खुला नहीं, खुले में निकल गया है क्या आप उसको कवर कर सकेंगे–रिट्रास्पेक्टिव लेजिस्लेशन से?

इन शब्दों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इनका कुछ खुलासा करेंगे और कुछ तफसील से बतायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : हाजी चाव खां।

**श्री चाव खां (कामां)** : अध्यक्ष महोदय, सदन में वक्फ के बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में हमारे साथियों ने कुछ बताया है। यह बात सही है कि आज हमें यहां पर आये हुए करीब सवा तीन साल गुजर चुके हैं लेकिन इस दौरान वक्फ प्रोपर्टी की सिवाय बरबादी के उससे आय या वक्फ सम्पत्ति कब्जे से निकलवाने का सबूत नहीं आ पा रहा है। इससे पहले वह विभाग श्री अब्दुल रहमान चौधरी के पास था। उन्होंने भी इसमें कुछ नहीं किया। इसी तरीके से एक साल गुजार दिया। उसके बाद श्री चन्दन मल जी बैद के पास आया। उन्होंने इसको इसलिये नहीं छेड़ा कि यह डिपार्टमेंट मुसलमानों का है। कोई भी मुसलमान मंत्री अगर आता है तो वह इसका काम खुद संभाल लेगा। मैं वक्फ का काम इसलिये नहीं करना चाहता कि लोगों ने बहुत जायदादों को दबा रखा है। उन्होंने इसकी ओर कभी आंख उठा कर नहीं देखा। अभी हाल ही में यह हमारे मौलाना श्री सिंधी साहब के पास आया है। यह बात बिलकुल सही है कि आज वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनी हुई है, वह खुद इन जायदादों पर कब्जा कर रही है। उनके सम्बन्ध में हमने दरख्वास्तें दी हैं। यह बात माननी पड़ेगी कि मंत्री महोदय ने उनको नोटिस दिये हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उसमें जो देरी हो रही है वह नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा आप जब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं करेंगे तब तक वक्फ बोर्ड की जायदाद इसी तरह बरबाद होती जायगी। इसको कोई निकलवाने वाला नहीं है। लिहाजा चेयरमैन का चुनाव जल्दी से जल्दी करवायें।

वक्फ की जायदाद के लिये अभी हाल ही में एक नयी बात हुई है। इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी है। सरकार चाहती है मैं यह नहीं कहता कि सरकार नहीं चाहती, मैं यह नहीं कहता कि सरकार नहीं चाहती, इंदिरा जी की चिट्ठी आई, 27 तारीख को मीटिंग में उसको पढ़कर सुनाया गया, उसमें साफ लिखा है कि जितनी भी वक्फ की जायदाद है उनके ऊपर देश में आम झगड़े होते हैं इसलिये उन जायदादों को तुरन्त वक्फ के हवाले किया जाये। आगे यह लिखा है कि वक्फ की जमीन पर जो लाखों रुपये की संपत्ति, मकानात बन चुके हैं उनको तुड़वाया न जाये बल्कि उनसे आज की कीमत

(श्री चाँद खाँ)

के मुताबिक जमीन की कीमत ली जाये या उसको लीज पर देकर बोर्ड को उसका किराया दिलाया जाये। सरकार चाहती है, सरकार का कसूर हम नहीं मानते हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आपके पास सिर्फ एक सवा साल का समय रह गया है, अगर इसमें आपने सुस्ती की, आपने इसमें जल्दी कार्यवाही नहीं की तो जैसे दूसरों ने आज तक वक्फ की जायदाद को बरबाद किया उसी तरह आपका इसमें काला मुंह होगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय। अब समय हो गया। एक घंटे का समय दे दिया।

श्री भूपालसिंह। दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : अच्छा दो मिनट। श्री भूपालसिंह।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : मेरा यह अर्ज करना है कि दो तरह की जायदाद होती है एक चारदीवारी के अन्दर होती है, एक खुली रहती हैं। हमारे भारत में दो प्रथा हैं एक जलाने की और एक दफनाने की। जो जलाने के लिये जमीन है वह भी धार्मिक काम में आती है और जो दफनाने के लिये जमीन है वह भी धार्मिक काम में आती है। धार्मिक काम में आने वाली चाहे जलाने की जमीन हो, चाहे दफनाने की जमीन हो, चाहे फारसियों की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे हिन्दुओं की हो, हिन्दुओं में बहुत से दफनाते हैं, उन जायदादों का कोई ठिकाना नहीं है, बढ़ती चली जाती हैं। मेरे ख्याल से आज के 50 वर्ष बाद आधी जमीन तो हिन्दुस्तान की इस काम में आने लायक हो जायगी। हम किराये पर देना चाहते हैं। दफनाने की जमीन को किराये पर देना शायद किसी कानून में नहीं लिखा है, लेकिन दिये जा रहे हैं। यह कानून सन् 1970 में बना जिसको 12 वर्ष हो गये हैं.... मियाद बढ़ा दी गई, सब कुछ हो गया। 12 वर्षों के कब्जों को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। सरकार अगर पचासों वर्षों के कब्जों के लिये 10 वर्षों में दावे नहीं कर सकी, तो अब दो साल में क्या कर सकेगी? मेरे ख्याल से इतना समय गुजर चुका है अब कोई मियाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दस वर्षों से इन जमीनों की शक्ल ही बदल गई है। इससे तो सैकड़ों दावे तैयार हो जायेंगे और अन्य झगड़े तैयार हो जायेंगे। इसलिये मेरा यह कहना है कि इसको पास नहीं किया जाय। जो पहले हो गया वहीं रहने दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक इसका भी जवाब दे दें कि आपने 31-12-80 के बाद तो कितने दावे किये और आर्डिनेंस निकालने के बाद कितने दावे किये?

श्री अहमद बख्श सिंधी : यह तो पिछले साल का पैंडिंग बिल है। आर्डिनेंस किसने निकाला?

श्री भंवरलाल शर्मा : राजस्थान प्रिमिसेट (रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड एविक्शन) एक्ट, 1950 के सेक्शन 2 के सब-सेक्शन (3) में यह है कि आप प्रोपर्टीज को इसके अन्तर्गत ले सकते हैं तो मेरा यह पूछना है कि क्या आपने जिस प्रकार से यह नोटिफिकेशन नं० एफ 20 (14) राजस्व 1/76 दिनांक 20-8-76 को निकाला है जिसमें

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह कहना है कि-" The State Government, being satisfied that it is necessary to do so in public interest"' "

**श्री अध्यक्ष** : इस समय विधेयक के सम्बन्ध में विचार हो रहा है। सरकार ने कौनसा आदेश निकाला, कौनसा नहीं निकाला, इस पर मन्त्री महोदय पूर्ण सूचना देंगे।

आर्डर प्लीज। बैठ जायें। मन्त्री महोदय।

**श्री अहमद बख्श सिंधी** : अध्यक्ष महोदय, यह नाजायज कब्जे हटाने का सवाल कैसे पैदा हुआ और कब हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण देश का बंटवारा हुआ और हिन्दुस्तान से हजारों लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गये। वक्फ जायदादें, जिनका इन्तजाम वे करते थे, का कोई इन्तजाम करने वाला नहीं रहा। कई कब्रिस्तान में हैं जिनकी चार दिवारी बनी हुई नहीं थी और जो खुले जंगल में थी। अब आबादी बढ़ गई, शहर के बीच में आने से उनकी कीमतें बढ़ गई उनकी वेल्यू बढ़ गई। हर शख्स का दिल ललचाया, जिसने चाहा कब्जा कर लिया। कोई दुकान बना लेते हैं, कोई मकान बना लेते हैं। तो इन नाजायज कब्जों को हटाने के लिये यह जरूरी हुआ कि इसके लिये कोई ऐसा प्रावधान और कानून बनाया जाय ताकि उस मियाद के अन्दर इन कब्जों को हटाया जा सके। राजस्थान में वक्फ बोर्ड 62 में बना है, उस वक्फ बोर्ड के जिम्मे कर्जा था, सरकार से कर्जा लेकर वक्फ बोर्ड पर चल रहा था। फिर तमाम वक्फ जायदादों का सर्वे किया गया, उनको नोटिफाई किया गया लेकिन फिर भी नाजायज कब्जा हटाने में वहां के मुलाजिम असमर्थ रहे। अव्वल तो उसके पास पैसा नहीं कि कोर्ट फीस जमा करा कर दावा कर सके। इस बीच सरकार ने इनकी मदद की और सिर्फ फीस जमा कर दावा कर सके। इस बीच सरकार ने इनकी मदद की और सिर्फ 15) रुपये के स्टाम्प पर दावा करने का बिल पास हुआ। अब वक्फ बोर्ड जब से बना है उसके बाद में कांग्रेस सरकार के दरमियान वक्फ बोर्ड ने काम किये और सब का काम कंपलीट होने के बाद अलग अलग मुकाम पर इन्तजाम करने के लिए वक्फ कमेटियां बनाई गई और लोगों के नाजायज कब्जे हटाने के बाबत अख्तियार दिये गये। फिर जनता सरकार आई, फाइलें देखीं हैं, उस समय बजाय उनको प्रोटेक्शन देने के और बचाने के बरबाद किया गया है ....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : किन को ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** ; यह चार्ज किस पर लगा रहे हैं, साहब ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऐसा है, चार्ज किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध लगाया जाता है, पार्टियां आपस में जनतंत्रवाद में एक दूसरे के बारे में कुछ कहती रहती है, यह ऐसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : पार्टी तो व्यक्ति से बड़ी है।

**श्री अहमद बख्श सिंधी** : कृपया मुझे बीच में टोकिये मत।

(श्री अहमदबख्श सिन्धी)

मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो भी वक्फ मिनिस्टर बना उसने इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी। 8–9 महीने हुए मेरे पास यह महकमा आया तब से मैंने ऐसे इन्तजाम किये हैं और स्टेप्स उठाये हैं कि वक्फ प्रापर्टी का डवलपमेंट बराबर होता रहे। यहां तक कि जहां जहां वक्फ प्रापर्टी सरकारी महकमों के कब्जे में थी उस पर भी एक्शन लिया है और पैसे वसूल करने का इन्तजाम किया है। इसके अलावा जिन लोगों ने कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा करके बड़ी आलीशान इमारतें बना ली हैं, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कुछ लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने भी कब्जे किये यह मैं मानता हूं लेकिन उनके खिलाफ आपने जो इलजामात लगाये हैं वह मुझे लिख कर दीजिये, मैं सख्त एक्शन लूंगा। अगर कोई मुसलमान इस जायदाद को हड़प करता है, नाजायज फायदा उठाता है तो इसको मैं डबल सजा दिलाऊंगा। जो बेनिफिट उठाया है वह वसूल करूंगा और जबसे कब्जा किया है वह प्रोसीक्यूट करूंगा। तो यह कदम उठाने का मैंने निर्णय लिया है।

दूसरा मैंने जहां जहां वक्फ प्रापर्टीज अधिक हैं जहां इन्स्पेक्टर मुकर्रर कर दिये हैं ताकि वे नाजायज कब्जा हटाने की एस्टेट आफिसर को दरख्वास्त देते रहें......

**एक माननीय सदस्य** : जोधपुर में भी ?

**श्री अहमद बख्श सिन्धी** : जोधपुर में कोई मसला नहीं है। माफ कीजिये।

एक भाई ने कहा कि कब्रिस्तान बढ़ते हैं तो आधा हिन्दुस्तान कब्रिस्तान बन जायेगा। उनको मालूम नहीं कि कब्रिस्तान क्लोज करने के बाद उनको वक्फ बोर्ड डवलप करता है। जब कब्रिस्तान बन्द कर दिये जायेंगे या शहर के बीच में आ जाने की वजह से मुर्दे दफन करने बन्द कर दिये जायेंगे तो उसको हम डवलप करते हैं वक्फ बोर्ड उसके लिये सक्षम है। कोई आदमी यह कहे कि कब्रिस्तान की जमीन दूसरे कामों में नहीं आ सकती है यह कई लोगों ने मुझे लिखकर भेजा लेकिन मैं उनको बता दूं कि सेन्ट्रल वक्फ कौंसिल ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि जो वक्फ प्रापर्टी कब्रिस्तान के काम में नहीं आ सकती, शहर के बीच में आ गई है उसको डवलप करके आमदनी का जरिया बढ़ाया जाय। इसी किस्म के खैराती कामों में खर्च करें।

अब एक सवाल यह किया गया कि यह सरकार जायदादों की रक्षा नहीं कर सकती मैं समझता हूं जितनी इस सरकार ने जायदादों की रक्षा की है और कर रही है उतनी आज तक किसी ने नहीं की। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने जे.डी.ए. से भी मदद ली है। खाली कराने के लिये।

**एक माननीय सदस्य** : आर.ए.सी. से भी मदद ली है।

**श्री अहमद बख्श सिन्धी** : कृपया मुझे बोलने दीजिये, सुनिये।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय, ऐसा है कि समाप्त हो गया है इसलिये अपने उत्तर को जल्दी समाप्त करें।

**श्री अहमद बख्श सिंधी** : एक यह कहा गया कि कब्रिस्तानों में लोगों को बसा दिया गया। उनको बसा नहीं दिया गया है, उनको निकालना है।

**एक माननीय सदस्य :** कब्रिस्तानों से भी कोई बाहर निकलते हैं ?

**श्री अहमद बख्श सिन्धी :** एक साहब ने वक्फ जायदाद की बर्बादी के बारे में कहा बोर्ड खुद हड़प कर जाता है, यह इल्जाम लगाया है। आप लिख कर मुझे दें मैं इसकी इन्क्वायरी कराऊंगा और कार्यवाही करूंगा।

**श्री भंवर लाल शर्मा :** आप कब तक रहेंगे ?

**श्री अहमद बख्श सिन्धी :** इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाये।

**श्री अध्यक्ष :** विधेयक पर मतदान। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

**अहमद बख्श सिन्धी :** यह हमारा इन्टर्नल मामला है।

**श्री अध्यक्षः** आर्डर आर्डर..आसन पैरों पर है।

प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

**श्री शीशराम ओला :** राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक 1983 को विचारार्थ लेने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**श्री शीशराम ओला** (राज्य मन्त्री, पंचायत): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983।

**विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष :** संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे। चार माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं डा. उजला अरोड़ा श्री दाऊ दयाल, जोशी, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री भंवर लाल शर्मा कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कृपया समय का ध्यान रखें।

**डा. उजला अरोड़ा :**

**श्री यदुनाथ सिंह :** अध्यक्ष महोदय, हिन्दी अंग्रेजी....

**श्री अध्यक्ष :** आपको इस पर बोलने का अवसर दूंगा।

**व्यवस्था का प्रश्न उपाध्यक्ष का निर्वाचन**

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहूंगा। यह जानकारी मैं पहले भी करना चाहता था लेकिन उस अवसर पर आप चले गये। डिप्टी स्पीकर के चुनाव के बारे में क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं, यह न गवर्नमेन्ट

# Page No 108

(108)



(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का काम है और न अपोजीशन का काम है। आप अपना काम करना चाहते हैं या नहीं? दूसरे आपके ऊपर कुछ परिस्थितियों का दबाव है जिसके कारण आप नहीं करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, यह कैसे मान सकते हैं आप कानून के जानकार हैं, विधि विधान के जानकार हैं, कानून की रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारियां हैं। विधान सभा की सारी कार्यवाही विधिवत चले इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसके बाद भी डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। यह एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है कि आपको कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। यह तो नहीं · · ·

**श्री अध्यक्ष** : उपयुक्त उम्मीदवार तो बहुत हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : फिर आप चुनाव क्यों नहीं कराते ?

**श्री अध्यक्ष** : इस समस्या पर विचार करके कल मैं सदन को निवेदन करूंगा।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह गुर्जर** : सिन्धी जी को वापस उपाध्यक्ष बना दें ? · · ·

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ऐसे लोग मंत्रीमण्डल में ही खप सकते हैं विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर नहीं · · ·

**विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव**

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान पंचायत समिति एक जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को एक माह के लिये जनमत जाने हेतु परिचालित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला अलग से बन जानने के कारण ही यह बिल लाया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि चुनाव कब तक करायें जायेंगे ? सरकार कुछ कहती नहीं है। पिछले सत्र में यहां राजस्थान विधान सभा में जयपुर के लिये बात कही थी, चार बार कहा कि हम जयपुर नगर परिषद के चुनाव करायेंगे। विधान सभा के अन्दर चार बार कहा परन्तु घोषणा करने के बाद भी चुनाव नहीं कराये गये। अब स्थिति क्या होगी। वहां पर अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। वे नागरिक हितों की रक्षा कर सकेंगे या नहीं ? मैं समझ नहीं पाती हूं। यह बता दें कि कब तक चुनाव करायेंगे तब तो यह मानकर चलती हूं कि जिला परिषद ही काम करेगी। इस समय शून्य की स्थिति बन गयी है। अधिकारियों को नियुक्त करने की यह पद्धति चलती रही तो जो चुने हुए लोग हैं, जो लोग अपने विचारों को क्रियान्वित करना चाहते हैं वे अपना काम नहीं कर पायेंगे · ·

(3.55 म.प.)

**(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)**

मैं यह कहना चाहूंगी कि जनता पार्टी के राज्य के समय पंचायतों को अधिकार दिये गये थे कि वे 3 हजार से लेकर 21 हजार तक का काम करा सकेंगी लेकिन वह बंद कर दिया गया। अब विकास की स्थिति बिलकुल नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो बिल लाया गया है इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। जब तक सरकार इनके चुनाव कराने की तिथि की घोषणा नहीं करे तब तक सरकार को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यह अधिकार नहीं दिया जाये । मैं अपनी बात यहीं कह कर समाप्त करती हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा ।...

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, मैं पहले मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि आप इस बिल के साथ इसको क्यों ला रहे हैं, इसके कारण लिखे हैं, स्टेटमेन्ट ग्राफ ग्रॉब्जेक्ट एण्ड रीजन्स...

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है । दो बिल रखे गये हैं, दोनों का संशोधन विधेयक, 1983 लिखा है...कौनसा बिल है, फर्स्ट नहीं लिखा है, सैकण्ड नहीं लिखा है...

श्री राजबहादुर : यह दोनों जानबूझ कर रखे गये हैं ताकि आसानी से पास हो जायें । एक में यह है कि सेक्शन चार को ओमिट किया जाये ।...

श्री शीशराम ग्रोला : माननीय सभापति महोदया, जो बिल पहले पेश हुआ है वह पहला माना जायेगा और जो बाद में पेश हुआ है वह दूसरा माना जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने दो बिल विचारार्थ रखे हैं या एक बिल रखा है ?

श्री शीशराम ग्रोला : विचारार्थ तो एक ही बिल रखा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कौनसा है? बिल का नाम बताइये ।

श्री शीशराम ग्रोला : बिल नम्बर 7, 1983 ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सदन में विचारार्थ कौनसा बिल प्रस्तुत किया है वह पढ़ कर सुना दें ।

श्री शीशराम ग्रोला : बिल नम्बर 7, 1983 । और कौनसा होगा । यह है राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद (संशोधन) विधेयक 1983 ।

श्री यदुनाथसिंह : मूल बिल तो अंग्रेजी में है । यह हो ही नहीं सकता । हिन्दी में ट्रान्सलेशन है । बिल अंग्रेजी में है इसलिए अंग्रेजी में ही रखा जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बिल जो विचारार्थ ले रहे हैं वह तो आज के एजेन्डा में नहीं है ।

श्री शीशराम ग्रोला : आप इसके लिये अध्यक्ष महोदय से पूछिये । मेरी बात मेरे से पूछिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन दोनों में अन्तर है । आपने कौनसा विचारार्थ रखा है ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभापति महोदया, हाऊस को स्थगित करें। हाऊस सस्पेन्स में नहीं रह सकता। इन्होंने जो दूसरा बिल प्रस्तुत किया है उस बिल का संशोधन है। यह जो बिल विचारार्थ है उसमें द्वितीय संशोधन का रखा है।

आपने किस बिल को विचारार्थ रखा है? दोनों में अंतर है।

**श्री शीशराम ओला :** क्या आप बता सकते हैं कि आप क्या कह रहे हैं?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** 1983 के ही दो बिल हैं, आपने कौनसा···

**श्री शीशराम ओला :** हां, 1983 का ही किया है। कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री यदुनाथसिंह :** किस पर बोलूं? हम तो राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिये विधेयक पर बोलने को तैयार होकर आये हैं। दूसरा भी यही है राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983। दोनों यही है तो बताओ कि अब किस पर बोलूं? बिल नं. 7 पर बोलूं या बिल नं. 16 पर बोलूं? फिर चर्चा किस पर होगी। हम तो इस पर तैयार होकर आये हैं।

**श्री शीशराम ओला :** तो आप किस पर चर्चा करना चाहते हैं?

**श्री भगवानदास शास्त्री :** आप किस विधेयक को पास कराना चाहते हैं। आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं।

**श्री शीशराम ओला :** I am satisfied. Very much satisfied मेरा प्रस्ताव यह है, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 ही आज की कार्य सूची में है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** जो बिल रखा है वह तो राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 लिखा है···

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** अगर है तो वह उसको ठीक कर लेंगे।

**श्री बुलाकीदास कल्ला (राज्य मंत्री, शिक्षा) :** राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 आज की कार्य सूची में है। इसके लिये ही मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है।

**श्री यदुनाथसिंह :** यह तो सही हो सकता है लेकिन एक ही नाम के दो बिल हैं तो कौनसा बिल माना हुआ समझा जाय।

**श्री शीशराम ओला :** दोनों अलग हैं एक तो नं. 16 है और दूसरे का नं. 7 है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आप यह बतायें आपने कौनसा रखा है।

**श्री शीशराम ओला :** नं. 16 को नहीं लिया है नं. 7 रखा है।

**श्री बुलाकीदास कल्ला :** सभापति महोदया, आज की लिस्ट आफ बिजनेस का पेज नं. 4 देखें, उसके ऊपर लिखा है, "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 उसी को मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसी को विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

श्री शीशराम ओला : आज तो इसको ही पास करने की बात है। दूसरे की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नं. 7 कौनसा है।

श्री शीशराम ओला : जो सदन की कार्य सूची में शामिल है वही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन की कार्य-सूची में तो 2 नम्बर पर है आप 17 नम्बर पर कौनसा बता रहे हैं।

श्री सभापति : प्रभार मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिसिंह : यह सही है अगर विचारार्थ लेने के प्रस्ताव में, कोई गड़बड़ हो गयी है तो उसको वापस रख देते हैं।

श्रीशीशराम ओला : कोई गड़बड़ नहीं हुई है।

श्री सभापति : आप दोनों को कैसे डिफरेंसिएट करेंगे।

श्री शीशराम ओला : मैंने जो पढ़ा है वह पास करना है। मैंने यह पढ़ा है-"मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।"

इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। इसको ही लेना है।

श्री सभापति : 1959 का बिल तो ओरिजिनल है।

एक माननीय सदस्य : और यह शायद डुप्लीकेट है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन प्रश्न यह है कि 1983 के ही तो दोनों विधेयक हैं।

श्री सभापति : आप दोनों में किस आधार पर डिफरेंस करेंगे।

श्री शीशराम ओला : यह वही बिल है जो पिछले सेशन में रखा गया था।

श्री सभापति : नाम बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, नाम तो दोनों का एक ही है।

श्री शीशराम ओला : इसमें तो 'संशोधन' ही लिखा हुआ है और उसमें 'द्वितीय संशोधन' लिखा। पहले वाला विचारार्थ है और सदन के समक्ष है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों विधेयकों का नाम एक ही है। "राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक 1983", इसमें 'द्वितीय संशोधन' कहां है ?

श्री शीशराम ओला : जिसमें 'द्वितीय संशोधन' लिखा है वह अभी नहीं लिया जा रहा है।

श्री सभापति : जिसमें 'संशोधन' लिखा है वह चर्चा में है और जिसमें द्वितीय संशोधन' लिखा हुआ है वह चर्चा में नहीं है।

श्री शीशराम ओला : हां वह दूसरा है वह आज चर्चा में ही नहीं है।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 को और संशोधित करने के लिये जो विधेयक है वह यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, वह विधेयक 1983 ही है।

श्री भगवान दास शास्त्री : वह तो नवम्बर 16 है।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : वही लिया गया है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन वह नहीं लिया गया है।

श्री शीशराम श्रोला : दूसरा तो विचारार्थ आया ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर आपने संशोधन कैसे स्वीकार कर लिया।

श्री बुलाकीदास कहला : विचारार्थ लिया जायेगा तो संशोधन कहां से आयेगा ?

एक माननीय सदस्य : विचारार्थ पर संशोधन नहीं आयेगा तो क्या पुरःस्थापित पर आयेगा ?

श्री सभापति : भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने जो संशोधन की सूचना दी है वह तो "द्वितीय संशोधन" पर दी है। मैं इसको वही बिल समझा था इसलिये इस पर संशोधन दिया है। मैं इस पर क्या बोलूं ?

श्री शीशराम श्रोला : विधान सभा को आप पार्लियामेंट समझ लें तो हम क्या करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो संशोधन सर्क्युलेट हुआ है और जो यह है वह अलग है हम किस पर बोले।

श्री शीशराम श्रोला : माननीय सदस्य ने जो 24 घन्टे पहले संशोधन प्रस्तुत किया है उस पर बोलना है माननीय सदस्य को।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो मैं जानता हूं कि मैंने क्या दिया है।

श्री शीशराम श्रोला : आप यहां पर पार्लियामेंट की बात सोचें तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप इस सदन की बात न सोचकर और कुछ सोच रहे हैं तो क्या हो सकता है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री शीशराम श्रोला : दोनों के अलग अलग नाम हैं। इनके संशोधन 'द्वितीय संशोधन" पर है इस पर नहीं है।

श्री सभापति : संशोधन मूव किये गये हैं पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, पहले या दूसरे पर नहीं दिये गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन मैंने तो दूसरे पर दिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : दूसरे पर किया है।

श्री शीशराम श्रोला : अनावश्यक गलत फहमी हो गयी है माननीय सदस्या को और दूसरे माननीय सदस्य को भी विरोधी पक्ष के माननीय नेता दूसरे दृष्टिकोण से कभी-कभी मुझे भी सम्भाल लिया करते हैं। आप चक्कर में आने की चेष्टा न करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आ गये क्या ?

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा, आप नहीं बोलना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : यस मानो, आपको मतलब क्या है ? आप तो जब वोट पड़ेगा तब हाथ उठा देना, इतना ही ताल्लुक है बस। यस-नो, यस-नो, इसके अलावा कोई काम है नहीं।

**श्री यदुनाथसिंह** : सभापति महोदया, जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद.......

**श्री सभापति** : आपका इस स्टेज पर कोई संशोधन नहीं है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : है साहब।

**श्री सभापति** : आपका संशोधन अगली स्टेज पर है। इस स्टेज पर कोई संशोधन नहीं है। अगली स्टेज पर आप बोलिये। माननीय शर्मा जी अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो इसको वोट के लिए पुट-अप करना होगा।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अमेण्डमेंण्ट हो या नहीं हो। अमेण्डमेंण्ट तो तीन ही तरह के होते हैं या तो सलेक्ट कमेटी को भेजा जाऐ या पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय और या कोई मेम्बर इसका विरोध करना चाहे तो अमण्डमेंण्ट देने की जरुरत नहीं है, वह विरोध कर सकते हैं। माननीय सदस्य विरोध के रूप में बोल रहे हैं इनको कोइ संशोधन देने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री राजबहादुर** : मैं विरोध में बोलना चाहता हूं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

**श्री यदुनाथसिंह** : मैं विरोध में बोल रहा हूं।

**श्री सभापति** : अच्छा बोलिये।

**श्री यदुनाथसिंह** : सभापति महोदया, जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के समय में कुर्बानियां, मेरे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने....

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, आपस में न बोलिये। आसन को एड्रेस करके बोलिये

**श्री यदुनाथ सिंह** : ...सब ने कुर्बानी दी और यह आशा बांधी जिन लोगों ने आजादी हासिल करने में अपना जीवन खपा दिया, अपने परिवार खपा दिये, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने यह कल्पना की थी कि आजादी के बाद महात्मा गांधी के सपनों के ग्राम स्वराज्य की स्थापना होगी। गांधीजी के सपनों को साकार किया जायगा। सभापति महोदया, इस बिल से यदि मैं चलना शुरू करूं, इस बिल को आप देखेंगी, पढ़ेंगी तो आप पायेंगी। कि किस तरह से प्रजातन्त्र और पंचायती राज की धज्जियां इस बिल के द्वारा उड़ायी जा रही हैं। आव देखें, सभापति महोदया, यह कहते हैं--When a district, for which the zila Parishad has been constituted, is bifurcated. The State Government shall by notification published in official gazette dissolve the exising Zila Parishad on a specific date, and shall reconstitute.

सबने पहली बात, सभापति महोदया, ध्यान देने की यह है कि किसी जिले का बाइ

(श्री यदुनाथ सिंह)

फरकेशन हो गया सरकार की मरजी पर तो कोई समय इन्होंने निश्चित नहीं दिया कि जिला अलग होने के बाद एक महीने, दो महीने में उसकी जिला परिषद को री-कन्स्टीट्यूट कर दिया जायेगा । जब सरकार की मर्जी हो यानि एक तरफ तो डी-सैन्ट्र-लाईजेशन की बात की जाती है कि प्रशासन और राजनीति से नीचे से नीचे तक हिस्से-दारी बढ़े, एक तरफ तो यह घोषणाएं की जाती हैं, बड़ी-बड़ी योजनायें बनायी जाती है लेकिन, सभापति महोदया, दूसरी तरफ दिल्ली और जयपुर से होने वाली यह बहुत सुन्दर घोषणाएं अधर-भूल में लटक कर रह जाती हैं. सभापति महोदया, इससे अन्दाज लगाइये, ये बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत राज की और बिल ला रहे हैं उल्टा । बिल अंग्रेजी में बनाया है और उसकी ट्रांसलेशन हिन्दी में कर रहे हैं । क्या आप शहरी सोच के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहते हैं ? और सभापति महोदया, आगे देखिए, किस प्रकार से अपने मोहरे जिला परिषदों में बैठाने की इन्होंने इस बिल के द्वारा षड्यंत्र रचने की कोशिश की है । यह कहते हैं—

कोई समय नहीं—"And shall re-constitute a new Zila Parishad for the bifurcated district or constitute a new Zila Parishad for the newly created district in accordance with the provision of this act.

आगे लिखते हैं इसमें—टू में "With effect from the of date existing Zila Parishad is dissolved under Sub. Section (1) the State Goverment shall cause all the powers and functions of the Zila Parishad in relation to the bifurcated district to be exercised and performed by such person or authority as it may appoint in that behalf until the Zila Parishad is reconstituted यानि सभापति महोदया, मतलब यह हुआ कि जिला प्रमुखों का जैसा जो ओहदा हैं, जिस पर नीचे से सरपंच, पंच से चुनकर प्रधान बनाये जाते हैं, उन लोगों से चुनकर, सरपंचों द्वारा चुनकर आने वाला आदमी सरकार की कठपुतली बना दिया जाए । यह क्यों करना चाहते हैं? सभापति महोदया, सरकार की बड़ी-बड़ी घोषणायें बनायी जाती है, जैसे एन. आर. ई पी. पंचायत से कराया गया । लेकिन अब जो एक ताजपोशी की देश में तैयारी की जा रही है, उन राजकुमार को बीकानेर बुलाकर पंचायती राज का बहुत मजाक उड़ाया गया । ऐसी घोषणायें की गयीं, ऐसा लगने लगा कि उन सरपंचों के बेचारों के कपड़े फट गये । सभापति महोदया, पंचायतों का सही स्वरूप देखना था, हम यह नहीं कहते कि हम पूर्ण कर चुके थे, लेकिन जनता पार्टी के समय में पंचायतों ने पहली बार ग्रामीण विकास की ओर कदम उठाया था । आज क्या हो रहा है, सभापति महोदया ? आज राजनीतिक कारणों से एन. आर. ई. पी. का नाम बदल दिया गया । आप अपनी सुविधा के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम रखिये, 25 सूत्री कार्यक्रम रखिये, एक सूत्री कार्यक्रम रखिये, इन्दिरा गांधी कितने भी सूत्र दे लें, सब सूत्रों का सारा झूठा है । उनका सिर्फ एक ही सच्चा

(श्री यदुनाथसिंह)

सूत्र है-मेरे परिवार का राज किस प्रकार से रहे. किस तरह से पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से उस राज को कायम करने के लिए अपनी कठपुतलियों को जिला प्रमुख बनाकर अपना काम किया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, यह पंचायती राज का खुला मखौल है। इस तरह की ताकत किसी को नहीं देनी चाहिए। एक निश्चित अवधि में हमको हर स्तर पर चुनाव करवाने चाहिए।

यही नहीं सभापति महोदया, हमें पंचायती सिस्टम को, पंचायती रूपरेखा को संवैधानिक भी करना चाहिए। आज यह सिस्टम संवैधानिक नहीं है, पंचायत को चाहे जब सरकार भंग करे, चाहे जब तोड़ दे। यही कारण रहा है, सभापति महोदया, कि देश में नियोजन का ढांचा बिगड़ रहा है। एक पूरे राज्य के लिए योजना बना दी दिल्ली और जयपुर के सेक्रेटेरिएट में बैठकर एयर कण्डीशन कमरों में। लेकिन जिलों-जिलों की विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, इसलिए उनका नियोजन अलग ढंग से करना होता है। राज्य के लिए एक योजना बन गयी, जिले के लिए एक, वह सब जगह कारगर ढंग से लागू नहीं की जा सकती है। इसीलिए कोई योजना पूरी नहीं होती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं, कोई काम पूरा नहीं हो पाता। जो लक्ष्य है, उनकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यही है, सभापति महोदया, कि जो ढांचा हमने बनाया है। प्रशासन का उसमें जिले को इकाई बना दिया है। जिले का कलैक्टर मालिक है। He is more powerful than the previous rulers. वह ज्यादा पावरफुल है। वह सारी पावर रखता है। जब आप एक हाथ में सारी शक्ति देते हैं तो मैं यह यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, जब तक पंचायत समिति नियोजन की एक कड़ी नहीं मानी जायेगी, उसके माध्यम से योजनायें नहीं बनाई जायेंगी, उसको नियोजन का हक नहीं दिया जायेगा तब तक इस देश में विकास होने वाला नहीं है। इसीलिए दिन-प्रतिदिन गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों की भूखों मरने की नौबत आ रही है।

सभापति महोदया, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। बहुत लोग इस पर बोलेंगे। इस वक्त इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का षडयंत्र सरकार अपने आपको चुनने वालों के साथ कर रही है। हमें जनता ने भेजा है नुमायंदा बना कर कि किसी को इस तरह की पावर्स नहीं देने दें, मैं निवेदन करना चाहता हूं ठीक है, अपनी मर्जी के आदमियों को आपने जिला प्रमुख बना दिया लेकिन चुनाव कब करवायेंगे? चुनाव में तो आपकी दिलचस्पी नहीं है। चुनाव से सरकार बहुत घबराती है, घबराकर भागना चाहती है। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं करवाना चाहती है। अब आप प्रशासन को शहरों की ओर ले जाना चाह रहे हैं। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। प्रशासन का यह वैक्यूम है। कोई प्रशासन है ही नहीं। एक तरफ तो आप प्रशासन गांव की ओर ले गये, अब शहरों की ओर ले जा रहे हैं। कौन से प्रशासन की बात आप करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, सभा-महोदया, पंचायतों को और सुदृढ़ किया जाय। लड़ाई यह नहीं होनी चाहिए कि इसमें किसी को नोमिनेट करने की पावर सरकार लें। सरकार की मंशा वह होनी

# Page No 116

(116)



[श्री यदुनाथ सिंह]

चाहिए जिसमें जनता की भावना प्रतीत हो सकती हो। और इसलिए जनता की चुनी हुई संस्थायें हैं, उनके चुनाव समय पर करवायें जायें। किसी भी हालत में सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह उनमें नियुक्ति करे। संवैधानिक अधिकार पंचायतों को मिलना चाहिए।

सभापति महोदया, मुझे याद आता है वह दिन, मैं जनता पार्टी के टाइम में एक पंचायत का सरपंच था। कितने विश्वास के रूप में सरकार चलती थी। बहुत से लोग कहते हैं, उसने भ्रष्टाचार किया, सरपंच पैसा, अनाज खा गये। यह बात ठीक नहीं है। जिस तरह से हम चुने हुए लोग हैं उसी तरह वह सरपंच भी चुने हुए लोग हैं। यहां का एम.एल.ए. या एम.पी. भ्रष्टाचार करे तो ग्राम आदमी को पता नहीं लगेगा लेकिन सरपंच भ्रष्ट होगा तो उसका हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। कोई मन्त्री बनता है, कोई सन्तरी बनता है, कोई कुछ और बनता है, यह बात नहीं है।

सभापति महोदया, जब पेमेंट करते हैं, 20 रुपये से ऊपर वाले पर तो 20 पैसे का टिकट लगाते हैं लेकिन सरपंच पर इतना विश्वास करके चली सरकार कि कोरे कागज पर दस्तखत करके जितनी जरूरत हो जितनी इच्छा हो जितनी हिम्मत हो, जितना काम करने का माद्दा हो, उतना पैसा ले लें।

......और आप आंकड़े देखेंगी, सभापति महोदया, आप पायेंगी कि आदमियों को जितना रोजगार मिला उससे अधिक तो पंचायतों को पंगु बना दिया और अब कह रहे कि यह देंगे वह दे देंगे, मिडिल स्कूल दे देंगे, प्रशासन गांवों की ओर ले जायेंगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सेक्रेटेरियट जयपुर से ग्राम स्तर पर पहुंच रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि इनकी मन्शा यहां जो विधेयक आते हैं उससे पता लगता है, माननीय सभापति महोदया। जो भावना थी उस भावना के अनुरूप निश्चित कार्यक्रम लेकर चलिये और पंचायतों को सक्षम बनाइये, पंचायतों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा नियोजन कराइये। किसी आदमी की नियुक्ति करके न कराइये क्योंकि यह प्रजातंत्र की मूल भावना के विपरीत है।

इतना ही निवेदन करते हुए, सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार प्रजातंत्र का जो ढिंढोरा पीटती है, गांधीजी का नारा लगाती है, गांधी जी की समाधि पर जाती है वह असत्य और झूठा नारा लगाती है। माननीय सभापति महोदया, सरकार बिलकुल फरेब करती है, गांधी जी की बेइज्जती करती है जिनका ग्राम स्वराज का सपना था। माननीय सभापति महोदया, ग्राम पंचायत का यह जो विधेयक है उस ग्राम स्वराज के सपने की धज्जियां उड़ाने वाला है। तीन महीने के अन्तर पंचायतों के चुनाव कराने की बात थी लेकिन सरकार पंचायतों में अपने चहेते अधिकारियों को मनोनीत करना चाहती है, उनको मनोनीत करने का अधिकार लेना चाहती है।

मैं, सभापति महोदया, इस प्रकार की भावना वाले बिल का घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस बिल को सरकार वापस लेगी, वापिस नहीं लेगी तो कम से कम कोई ऐसा संशोधन करेगी जिससे कि पंचायत समितियों और जिला

(श्री यदुनाथसिंह)

प्रमुखों के चुनाव करा दिये जायेंगे, सरकार किसी व्यक्ति को वहां पर नियुक्त नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदया, नगर-पालिकाओं के चुनाव सरकार क्यों नहीं करा रही हैं? सरकार जनता के चुने हुये नुमाइन्दों से काम नहीं कराना चाहती है, यह प्रजातंत्र की मूल भावनाओं के विपरीत है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो बिल यहां आया है उसको सरकार वापस ले। और यदि वापस नहीं ले तो निश्चित अवधि जरूर बताये और संशोधन करे कि तीन महीने की अवधि में पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव निश्चित तौर पर करा दिये जायेंगे। मैं इतना ही निवेदन करते हुये आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

**श्री सभापति**: माननीय श्री राजबहादुर जी।

**श्री राज बहादुर (भरतपुर)**: सभापति महोदया, यदुनाथसिंह जी ने जिन सपनों के संजोने की बात की उन सपनों को संजोने वाले लोगों में एक छोटा-मोटा आदमी मैं भी हूं उसी नाते बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सपने हमने संजोये थे जिन सपनों के बलबूते पर हम जिये थे, आगे-बढ़े थे वह सपने सचमुच एक एक कर धूमिल होते जा रहे हैं। और जिम्मेदारी किन पर है! जिनके पास जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उन्हीं की ठहरायी जा सकती है। मोटी-मोटी बातें हैं। पंचायत समितियों का और पंचों का चुनाव होता है, और भी चुनाव होते हैं। क्या हमारे यह चुनाव आज फेयर रह गये हैं, फ्री रह गये हैं? क्या सत्तारूढ़ दल इन चुनावों में, नीचे से लेकर ऊपर तक के चुनावों में जिला प्रमुख परिषद तक के चुनावों में अपने अधिकारों का अपने स्थान और स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते? क्या यह बात नहीं है कि हर पंचायत के इलेक्शन में हर गांव और हर ग्रामपंचायत को दो विभागों में विभाजित कर दिया गया है और राजनैतिक दलबंदी हुई है? क्या हमारा कानून जो आज का है, में इस बात की गुंजाइश रहती है कि हमारी पापुलेशन का जो वीकर सेक्शन है खासतौर से गांव में बसने वाला, उसको न्याय मिल सकेगा? क्या वे लोग वोट भी फ्री ली दे सकते हैं? यह सवाल आज इस संदर्भ में उठते हैं। आज वे फ्रीली वोट भी नहीं दे सकते-लेकिन मैं इन बड़े प्रश्नों में नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो अमेन्डमेंट लाये हैं एक दिन में क्या बात हो गयी? आज कहते हैं कि एक ही लाये हैं लेकिन सर्कुलेट दो हुए हैं। दूसरे में हमारा समय निकला। दूसरे में मैंने बहुत सोचा कि क्या चीज है जिसकी वजह से सेक्शन फोर में अमेन्डमेंट कर दिया जायगा। उसमें आगे जाकर अब मालूम पड़ता है जिले का विभाजन हो गया है, जिला परिषदें अलग-अलग की गई हैं।

भरतपुर जिले का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद भरतपुर और धौलपुर दो जिले हो गये। धौलपुर जिला 15 मई 1982 को बना, जहां तक मुझे याद है तारीख गलत हो सकती है। लेकिन महीना 5 ही है। तो विभाजन हुआ और नया धौलपुर जिला बनाया गया। मैं तो इसे उप-चुनाव जिला बोलता हूं। धौलपुर जिले की बजाय इसे उप-चुनाव जिला कहता हूं क्योंकि एक उप-चुनाव जीतने के लिये ही इसे जिला बनाया गया है। पहले भी बनाया जा सकता था, पहले बन सकता था

(श्री राजबहादुर)

या बाद में बन सकता था लेकिन उप-चुनाव जीतने के लिये ही बनाया गया। और शायद यही कारण है कि दौसा जिला नहीं बना। और दौसा जिला नहीं बना तो दौसा से जो जीतकर आये हैं उनको बधाई तो देनी ही है लेकिन यह निश्चित बात है कि वहां पर सत्ता पक्ष की कुछ चली नहीं।

अब सवाल आता है कि 15 मई, 1982 से लेकर सितम्बर, 1983 तक आप बैठे रहे और आपने अब सोचा है कि जिला परिषद अलग-अलग बने....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : मैं आपको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इसमें समय लगेगा। इस मेन एक्ट 1959 की धारा 42 है, उसको मैं पढ़ देता हूं जिसमें प्रावधान है कि हर जिले में एक जिला परिषद आवश्यक रूप से होगी :

The State Government by notification in the Official Gazette may constitute a Zila Parishad for a district with effect from such date as may be decided there-in.

इसका मतलब यह नहीं कि जिला तो विभाजित हो गया—भरतपुर और धौलपुर अलग-अलग जिले बन गये और वहीं एक जिला परिषद ही चलती रहे। कई दरख्वास्तें दीं लोगों ने, मैंने भी कई पत्र लिखे, कई संस्थाओं ने कहा कि जब जिले दो बन गये हैं तो जिला परिषद भी अलग-अलग करायी जाय। लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब उसकी तैयारी हुई है तो उसमें क्या रखा गया है, सवा साल तो निकल गया ? और सवा साल निकलने के बाद ब्लैकेट पावर ले ली गई जो बिलकुल आब्जेक्शनल है। ब्लैकेट पावर यह है कि जब तक जिला परिषद नहीं बनेगी तब तक राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अथारिटी को, आॅथोरिटी नाम है, नियुक्त कर सकती है, या पर्सनल नियुक्ति करके वह सरकारी अधिकार दे सकती है। कब तक ? जब तक चुनाव दूसरे न हों, और चुनाव कराना हमारे हाथ की बात है। क्या मंत्री महोदय स्थान पर हैं ? अपने स्थान पर तो नहीं हैं। क्या मंत्री महोदय अपने अधिकारियों से सलाह-मशविरा करके यह कह सकते हैं कि कितने दिन में वह चुनाव करवा देंगे ? कितनी अवधि लेंगे ? अवधि इसमें नहीं आई है जबकि अवधि आनी चाहिये थी। जिला नया बनेगा तो इसके दो महीने के अन्दर, तीन महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव करा देंगे, यह होना चाहिये था। वह भी नहीं है।

एक बात और है। यदि कोई आदमी, मुझे डर लगता है, कोई बाल की खाल खींचने वाला हो और रीडिंग करता हो तो इसका मिसयूज भी हो सकता है :

"When a district for which a Zila Parishad has been constituted is bifurcated, the State Government shall, by notification". By notification है, By election नहीं है।

119



(श्री राजबहादुर)

"Dissolve the existing Zila Parishad from a specified date and shall re-constitute a Zila Parishad."

बाई नोटिफिकेशन वे डिजोल्व भी कर सकते हैं और री-कान्स्टीट्यूट भी कर सकते हैं। आखिर में आया है :

"For a new Zila Parishad to be created in accordance with the provisions of the Act."

मेरा कहना यह है, चाहे ड्राफ्टिंग की गलती से या जान-बूझकर "and" शब्द का प्रयोग किया है, "and" लफ्ज यहां पर नहीं आना चाहिये था। सेंटेन्स इस प्रकार खत्म होना चाहिये :

"When a district, for which Zila Parishad has been constituted, is bifurcated, the State Government shall, by notification published in this regard dissolve the existing Zila Parishad from the specific date. उसके बाद तक सेंटेंस आना चाहिए था। thereupon "एण्ड" शब्द का जोड़ने का मतलब है। by notifiction दोनों कवर कर लेंगे। आशा करता हूं अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायगा इस तरह से तोड़ा-मरोड़ा नहीं जायेगा जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके मुताबिक चुनाव होंगे।

दूसरे पैरे ग्राफ में यह है कि जब तक बनती नहीं हैं तब तक।

"The powers shall be exercised by such person or authority as it may appoint, that the Government may appoint."

कब तक के लिये अवधि है इसकी क्या आश्वासन मिलेगा सदन को दोनों बातों का ? एक वो यह कि किसी जिले का विभाजन होगा और नया जिला बनेगा तो आप निश्चित अवधि में जिला परिषद् चुनाव देंगे नये जिले के लिये और पुराने जिले के लिए।

दूसरी बात यह है कि किसी आदमी की नियुक्ति करेंगे आप, तो कितने दिन के लिये ? अभी तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप जितना जल्दी चुनाव करा सकें जिला बनने के बाद तो करा दीजिए। किसी आदमी को नियुक्त क्यों करते हैं ? दोनों बातों का आश्वासन अगर सरकार की तरफ से नहीं आता है, जिस प्रकार से अब तक चुनाव देखे हैं। हमारा तजुर्बा है दूसरी बातें हैं, जिस प्रकार की और बातें देखी हैं उससे दुरुपयोग होगा। अन्तिम निर्णय तो जनता के हाथ में है। वह निर्णय करेगी, लेकिन निश्चित बात यह है कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों, पंचायतों का हमारा जो सपना था वह धूमिल हो गया है, और उनके सुधार और उनके परिवर्तन के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं कोई इस विधेयक का विरोध तो नहीं करता, इतना तो कहना चाहूंगा कि दो आश्वासन सरकार को अवश्य देने चाहिये। इस बात के लिये कि जब नया जिला बने तो तुरन्त नया जिला

(श्री राजबहादुर)

परिषद् बनवायेंगे, कोई समय उसमें नहीं लगेगा, निश्चित अवधि के अन्दर चाहे एक हफ्ते के अन्दर, चाहें एक महीने के अन्दर या दो महीने की निश्चित अवधि में जिला में जिला परिषद् के चुनाव होंगे।

दूसरे नये नये आदमी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नया आदमी नियुक्त करना हो तो उसकी भी अवधि होनी चाहिये यह नहीं कि अनिश्चित काल के लिए, जैसा अब तक चलता रहा और आगे भी चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदया, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है और इसको मैं जितना समझ पाया हूं, उसमें मुझेकुछभ्रांन्ति हो रही है। मैं समझता हूं कि सरकार का जब स्पष्टीकरण नहीं हो तब तक इस विधेयक को पारित करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। माननीय मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि कि उन्होंने विधेयक किस मन्शा से प्रस्तुत किया है। धौलपुर एक नया जिला बना है और उस नये जिले के लिए एक नई जिला परिषद का गठन करना आवश्यक है। आप धौलपुर के लिए नई जिला परिषद का गठन करना चाहते हैं, और नये काम करेगी, जिला परिषदों का गठन नहीं हो उस वक्त तक जिला परिषद किस प्रकार से गठित होगी और काम करेगी उसका अधिकार लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक की सरकार की मन्शा केवल यही है। लेकिन इस मन्शा के साथ भरतपुर जिले की जिला परिषद को भी डिजोल्व करना चाहते है, और करेंगे। डिजोल्व करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, सभापति महोदया, इसको यदि हम पढ़ें "when a district for which a Zila Parishad has been constituted is bifurcated, the State Govt.shall by notification published in the official Gazette dissolve the existing Zila Parishad पहला पार्ट तो यह कि आप भरतपुर जिला परिषद को भंग कर दें। दूसरा यह कि "The Zila Parishad for the bifurcated district and constitute a new zila parishad for the newely created disfrict in accordance with the provisions of the Act.

आपने भरतपुर जिला परिषद को भंग कर दिया और धौलपुर जिला परिषद के गठन के लिए अधिकार ले लिये हैं। जिला परिषद के गठन का पुराना प्रोविजन है उसमें अमेण्डमेंट कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भरतपुर जिला परिषद का गठन किस प्रकार से होगा? क्या वहां भी नोमिनेशन करेंगे? मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि आप एक नया जिला बनाने के साथ वैसे भरतपुर जिला बनाकर वहां भी नोमिनेट करना चाहते हैं और धौलपुर नया जिला बना है वहां भी नोमिनेट करना चाहते हैं। यह दोनों में नोमिनेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से चलेगी?

**श्री सभापति**: माननीय

Page No 121

121



**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप पूछ लीजिये कोई गलती कर जायं आप और हम मिलकर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूं कि जिला परिषद एक की दो हुई, दोनों नोमिनेटेड हो गई क्या यह सरकार की मन्शा है ?

**श्री रामबहादुर** : यह हो नहीं सकता। होनी नहीं चाहिये।

**श्री शीशराम ओला** : सरकार की मन्शा इसमें यह है, धौलपुर जिला परिषद का तो गठन करना चाहते हैं और भरतपुर जिला परिषद का पुनर्गठन करना चाहते हैं। इसलिए कि उसमें जो वोटर्स थे, भरतपुर के जिला परिषद के चुनाव में उसमें से बहुत सारे वोटर्स धौलपुर में आ गये और कुछ भरतपुर में रह गये। भरतपुर और धौलपुर में सहवृत सदस्य बट गये तो सरकार की मन्शा स्पष्टतः यह है कि धौलपुर की एक जिला परिषद का गठन किया जाय और भरतपुर की जिला परिषद का पुनर्गठन किया जाय।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : पुनर्गठन करने के पहले भरतपुर जिला परिषद को डिजोल्व किया जाय, यही है न ?

**श्री शीशराम ओला** : जी हां।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : तो भरतपुर का जिला परिषद डिजोल्व होगा, वहां सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपाइन्ट होगा और फिर सरकार भरतपुर जिला परिषद के चुनाव करायेगी आपकी मन्शा यह है ?

**श्री शीशराम ओला** : बिलकुल।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : दूसरी मन्शा यह है कि धौलपुर का नया जिला बनेगा और नये जिला परिषद के चुनाव कराये जायेंगे ? अब आप स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में पढ़िये। उसमें यह मन्शा नहीं है। उसमें लिखा है :- According to the provisions of Sec. 42 of the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads Act, 1959 a Zila Parishad has to be constituted for each district...."

यह तो एक्ट का प्रोविजन आ गया।

"The Act however, does not contain any provision to meet with the contingency when a district for which a Zila Parishad has been constituted, is bifurcated, To meet with such contingency, it is proposed, to insert a new Section 42-A in the Act to provide that in such cases, the State Government shall dissolve the existing Zila Parishad from a specified date and shall re-constitute the Zila Parishad for the bifurcated district and constitute a new Zila Parishad for the newly created district."

bifurcated district से मतलब ही धौलपुर का है।

**श्री देवेन्द्रसिंह** : बाइफरकेशन तो भरतपुर का हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने ऊपर दूसरा किया। आपने ऊपर प्रोविजन में लिखा है–

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

"New Zila Parishad for the newly created district."

और उसमें लिखा है–

"Dissolve the existing Zila Parishad from the specified date and shall reconstitute the Zila Parishad for the bifurcated district."

फिर आगे लिख दिया–

"And constitute a new Zila Parishad for the newly created district."

यह दोनों कर दिये, यह दोनों इसमें नहीं बैठते हैं। उसमें थोड़ा उल्टा कर दिया, यह है मतलब ?

**श्री शीशराम श्रोला** : मैं इसका उत्तर दूंगा, मैं समझता हूं आपकी सारी शंका का समाधान हो जायेगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी शंका का समाधान हो तो गया शंका मुझे यह थी कि शायद आप जिला धौलपुर को भंग नहीं करेंगे आपने कह दिया कि जिला परिषद को हम भंग नहीं करेंगे और भंग करने के साथ ही आप धौलपुर जिला परिषद नयी बनायेंगे। दोनों जगह आप अपनी तरफ से जिला परिषद का अध्यक्ष अपाइंट करेंगे।

**श्री शीशराम श्रोला** : नहीं, दोनों जगह नहीं करेंगे। धौलपुर के लिए इलेक्शन करायेंगे। धौलपुर को जो नयी जिला परिषद का गठन कर रहे हैं वहां तो इलेक्शन करायेंगे। इससे पहले किसी को नोमीनेट नहीं करेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : और भरतपुर में क्या करेंगे ?

**श्री शीशराम श्रोला** : भरतपुर में तो नोमीनेशन होगा, जब तक चुनाव नहीं होंगे। धौलपुर के चुनाव होंगे

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मतलब धौलपुर के चुनाव होंगे उस समय तक तो कोई नोमीनेशन नहीं होगा और भरतपुर का नोमीनेशन होगा . . .

**श्री शीशराम श्रोला** : मैं उत्तर दूंगा तब स्पष्टीकरण . . .

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह है कहां इसमें ?

**श्री शीशराम श्रोला** : मैं उत्तर दूंगा तब स्पष्टीकरण करूंगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अच्छा बता दीजिये। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

**श्री सभापति** : मन्त्रीजी कोई जवाब चाहेंगे ? माननीय सदस्यों ने जो बोला है उसके अतिरिक्त आप कुछ कहना चाहें तो संक्षिप्त में कहें।

**श्री मालाराम (खेतड़ी)** : सभापति महोदया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनमें एक भी आर.ए.एस. नहीं लगाया और जो है वे अस्थाई हैं। पंचायत मंत्री यह बतायें कि कब तक लगायेंगे। दूसरी बात पंचायत समितियों और जिला परिषदों में सिवाय मास्टरों की बदली करने के और कोई

(श्री मालाराम)

विकास का काम नहीं हो रहा है। बदली करादी और अधिकारियों ने, और मास्टरों ने टी.ए.डी.ए. उठा लिये। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो दस पंचायतों का उदाहरण देख लें।

**श्री सभापति :** मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

**श्री शीशराम ओला :** (पंचायत राज्य मन्त्री) : सभापति महोदया, यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य विचार रखे और इस बिल के लिये अपने संशोधन भी दिये हैं। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रचालित किया जावे। बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां पर यह भी कहा कि सरकार पंचायत समितियों और जिला प्रशासन के चुनाव कराने में डरती हैं। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल में, हमारी राजस्थान की सरकार ही पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सरकार है जिसने अपने प्रांत में पंचायती राज के थ्री टायर सिस्टम को लागू किया है और राजस्थान की सरकार ने घोषणा करके एक महीने में ही पूरे किये। पंचायती राज के चुनाव कराये। यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने पंचायती राज के चुनाव तो करा दिये पर पंचायतों को कोई शक्तियां नहीं दी हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जिला प्रशासन में जिला परिषदों को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। मैं अलग से निवेदन करना चाहूंगा कि नम्रतापूर्वक कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई है पंचायत राज विभाग में तो पंचायतों में जो चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, वह हैं राजस्थान में पंचायतों के चुनाव कराकर उसमें जन प्रतिनिधियों को काम करने के अवसर प्रदान किये हैं। अब इस बिल को लाने की इस लिये आवश्यकता पड़ गयी क्योंकि धौलपुर को अलग से जिला बना दिया गया है। धौलपुर अलग जिला बन जाने के कारण वहां की जिला परिषद अलग होगी। सभापति महोदया, धौलपुर को जिला 15-4-82 को बनाया गया है। जब धौलपुर नया जिला बन गया तो फिर वहां के लिये जिला परिषद का गठन होना आवश्यक था इसलिये धौलपुर के लिये जिला परिषद का गठन किया जाय, वह बिल लाया गया है। अब स्थिति यह है कि बहुत सारे माननीय सदस्यों को यह शंका थी कि वहां पर अभी की जिला परिषद भंग करने के बाद चुनाव नहीं कराये जायेंगे और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर दिया जायेगा। मैं यहां पर सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार भरतपुर और धौलपुर में दो महीने में जिला परिषद के चुनाव करा देगी। धौलपुर में जिला परिषद गठित की है। कोई भी वहां नोमीनेट नहीं होगा और भरतपुर जिला परिषद में जो नोमीनेटेड हो गया कलेक्टर होगा या जो भी होगा वह नियुक्त किया जाएगा। जैसे जनता पार्टी के जमाने में भी जिला परिषदें जो भंग हुई उसमें भी कलेक्टर्स को उसके लिए नोमीनेट किया गया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि धौलपुर में जिला परिषद का गठन होगा और भरतपुर की जिला परिषद कायम रहेगी और चुनाव में जो भी व्यक्ति सक्षम है वह आयेगा। इसलिए यह लिया गया है।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद

(श्री सभापति)

(संशोधन) विधेयक, 1983 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

(ध्वनि-मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ना पक्ष जीता।

श्री हीरालाल देवपुरा : Ayes have it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुबारा पूछ लीजिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाये।

(ध्वनि-मतदान)

श्री हीरालाल देवपुरा : Ayes have it.

(व्यवधान)

श्री सभापति : वोट करवाना है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Noes have it.

(व्यवधान)

अभी रोकिये इसको। अभी पहाड़िया जी आने वाले हैं उनका रीयक्सन देखिये। क्योंकि उनका जिला परिषद भंग हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : यह तो मजाक कर रहे हैं।

श्री सभापति : हां पक्ष जीता।

श्री यदुनाथसिंह : No, ना पक्ष जीता।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री): आप इस पर डिवीजन करायेंगे क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोचेंगे।

श्री सभापति : माननीय विपक्ष के नेता महोदय डिवीजन की मांग कर रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवीजन मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहले घन्टी बजायें मेम्बर्स उपस्थित होंगे, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन पुट करें, उसके बाद में हम अपनी बात कहेंगे।

(व्यवधान)

(मत विभाजक घन्टी)

श्री महाराम चौधरी : सब की नींद जगाओ।

(व्यवधान)

(4.45 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

विधेयक पर खण्डशः विचार। खण्ड 2 में संशोधन प्रस्ताव श्री हरिसिंह कुम्हेर प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमान् मैं जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं वह इस प्रकार है "In Sub-clause (2) of clause 2 after the words "person or authority" and before the words "as it may appoint" the words" in consultation with the Pradhans and members of Rajasthan Legislative Assembly belonging to the area of the bifurcated and newely created district as the case may be" may be inserted.

श्रीमन् जहां तक इस बिल के लाने का प्रश्न है. मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ओरिजनील एक्ट था. उसके सम्बन्ध में बिल का सम्भवतः परिस्थितियों का विचार नहीं किया यदि बिल का बाई-फरकेशन हो सकता है और यदि बाईफर-केशन हुआ तो जो जिला परिषद उसका क्या रूप होगा जैसे राजस्थान में एक्ट है उसमें प्रावधान है कि यदि म्यूनिसिपैलिटी से कोई भाग निकलता है कोई पंचायत समिति है या कोई पंचायत का भाग निकलता है तो उस समय क्या स्थिति होगी उस पंचायत की या म्युनिसिपैलिटी की, कौन वार्ड मैम्बर होंगे, कौन सरपंच होंगे, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है लेकिन जिला परिषद के अन्तर्गत इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था ऐसा प्रावधान करना सरकार के लिए आवश्यक होगा। जब भरतपुर का बाइफरकेशन हुआ, ऐसी स्थिति में जो पहले जिला परिषद थी वह धौलपुर जिला नया बना तो कानून के हिसाब से काम नहीं कर सकती। जब तक चुनाव नहीं हों, जब तक धौलपुर की जिला परिषद कान्स्टीट्यूट नहीं हो, तब तक एक एक पर्टीक्यूलर व्यक्ति में जिला परिषद की समस्त शक्तियां निहित कर दी जायेंगी। ऐसा नहीं है कि जिला परिषद की कुछ शक्तियां एक व्यक्ति में निहित हों....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह ; जगन तू बहकावे में मत आना।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : बल्कि जिला परिषद की पूरी शक्तियां, जो परिषद के काम-काज हैं. जो प्रधान काम करता है बैठ कर, जो हम एम. एल. एज बैठ कर काम करते हैं, एक व्यक्ति में निहित हो जायेंगे-ऐसा सरकार इसमें प्रावधान करने जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की सरकार घोषणायें किया करती है कि हम जिला परिषद को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं, उसको अधिकार दिये भी हैं। जितने भी डवलपमेंट के मामले हैं, चाहे स्कूल खोलने का सवाल हो, सड़क का मामला हो, वह सब जिला परिषद तय करके सरकार के पास सुझाव भेजा करती है। अब क्या होगा? अब जब तक चुनाव आप करायेंगे, तब तक जो चुने हुए मैंबर हैं, एम.एल.ए हैं, हम उसके पार्ट एण्ड पार्सल हैं, जो हम अपनी राय देना चाहते है, उसके सदस्य है, हम उससे वंचित रह जायेंगे। न किसी प्रधान की राय ली जाएगी न किसी एम. एल ए. की राय ली जाएगी और एक

(श्री हरिसिंह)

व्यक्ति सारा कार्य करेगा। इसलिए मैंने एक अमेंडमेंट पेश किया है, आप जिस व्यक्ति के लिए अधिकृत करें जिला परिषद में काम करने के लिए ही–

He should work in consultation with the Pradhans and member of Rajasthan Legislative Assembly belonging to the area of the bifurcated and newly created district as the case may be.

इसमें सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि दो महीने में चुनाव करा देंगे। खुशी की बात है आप करा भी देंगे लेकिन कभी भी जब एक्ट बना करते हैं, इस प्रकार के आश्वासन पर नहीं बना करते हैं। कोई भी परिस्थितियां हो सकती हैं। आज हमारे मंत्री आश्वासन देते हैं चुनाव करा भी देंगे लेकिन जब यह प्रश्न 10 साल बाद पैदा हो तब क्या होगा? तब क्या आपका आश्वासन है कि हम दो महीने में करा देंगे। और किसी भी जिला बाइफर्केट करना चाहते तो वो क्या दो महीने में करा देंगे या तीन महीने में करा देंगे, आप कराए भी दो महीने के अन्दर लेकिन हाई कोर्ट से स्टे आ सकता है. अन्य समस्यायें भी हो सकती हैं तो भविष्य के लिए क्या परिस्थिति आयेगी उसको देखते हुए एक्ट बनाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं संक्षेप में, चुनाव आप कब करायेंगे कैसे करायेंगे यह प्रश्न नहीं। हम कहना चाहते हैं कि जो एक्ट का प्रोविजन है प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुकूल उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। इसलिए जिला परिषद की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति में निहित कर रहे हैं। आप इसमें जोड़ेंगे वह व्यक्ति राय लेगा कार्य इन कन्सल्टेशन विथ प्रधान और एम.एल.ए. से करेगा। मैं समझता हूं राज्य सरकार की मन्शा नहीं है कि आप पंचायत समिति को डिजाल्व कर रहे हैं। जिला परिषद में जो व्यक्ति काम करेगा इसके लिए पाबंदी होनी चाहिए कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी मन्शा के हिसाब से वह काम करें। इसलिए सरकार का आश्वासन नहीं बल्कि सरकार की ओर से एक्ट में प्रोवीजन होना चाहिए। इसी भावना के साथ मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के प्रस्ताव पर बोलें।

**श्री शीशराम ओला** (पंचायत राज मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मूल जो जिला परिषद पंचायत समिति एक्ट है उसमें प्रावधान है कि जब भी कोई जिला परिषद भंग हो उसमें नामीनेशन हो और वह कोई जरूरी नहीं है कि किसी अधिकारी को हो या पब्लिक सर्वेंट भी हो हो वह जनता का प्रतिनिधि भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। अमूमन कलक्टर के ईक्वल पोस्ट के व्यक्ति को या कोई अच्छा सोशल वर्कर हो उस बारे में सरकार विचार करके नोमीनेट करती है। लेकिन क्योंकि इसमें सरकार की कहीं मन्शा नहीं है कि इसको लम्बा खींचा जाए अथवा नोमीनेशन के जरिए ऐसा व्यक्ति बैठाया जाए जो जिला परिषद में कार्यरत है, यह कतई मन्शा नहीं है। यह तो नया जिला बना नया जिला सृजित किया गया। इसके लिए जिला परिषद का गठन करना आवश्यक था इसलिए बिल को लाया गया। माननीय सदस्य ने यह भी

(श्री शीशराम ओला)

फरमाया कि आज जो विकास कार्य किए जा रहे है वे विकास कार्य सारे प्रधान और सरपंच के माध्यम से किए जा रहे हैं और इस प्रकार के व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा तो सारे कार्य रुक जायेंगे, कार्य नहीं हो पायेंगे मैं माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इसके उत्तर में कि विकास कार्य जो भी हैं, वे जैसे भी हैं किसी प्रकार होते रहेंगे क्योंकि न तो हम पंचायत समिति भंग कर रहे हैं न पंचायत भंग कर रहे हैं। पंचायत समिति और पंचायत यथावत कायम रहेंगे इसलिए दिक्कत उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि सरकार की कहीं भी मन्शा नहीं है कि कोई जबरन किसी को थोपे, एम. एल. ए. या सरपंच बैठा रहे, जल्दी से जल्दी चुनाव कराने की बात हमने कही है, ये दो महीने में होंगे इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके आपसे विनती करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को वापस लें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जब मतों से गिर जावेगा तो वापस लेना ही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में संशोधन जो श्री हरिसिंह कुम्हेर ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो पर जो संशोधन श्री हरिसिंह कुम्हेर ने प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए।

प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र प्रस्तावना और नाम आदि स्वीकार किए जायं !

(स्वीकृत)

खंड 1 स्वीकार किया गया।

## सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन की अनुमति से बैठक का समय आधे घंटे के लिए....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : एक घंटे के लिए।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से एक घंटे के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

## विधेयक का पारण

मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री शीशराम ओला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 को पारित किया जाए।

मैं दुबारा पढ़ दूं ?

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है श्री यदुनाथसिंह।

**श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि मेरी यह मन्शा नहीं है कि दो महीने के अन्दर चुनाव नहीं कराए जायं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की मंशा नहीं चलती, इनकी मंशा कुछ भी हो करना ऊपर के आदेशों से पड़ेगा। इसलिए इनकी मन्शा को इस कानून के साथ जोड़ना कोई महत्व की बात नहीं है। अच्छी मन्शाएं हो सकती हैं। मंत्री महोदय के बहुत अच्छे विचार हो सकते हैं लेकिन क्या उनको यह अधिकार है, क्या उन्हें पहले ये अधिकार थे कि वे अपनी मन्शा को कार्यरूप में परिणत कर सकें? मुख्य मंत्री ही नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा था, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भारी षड़यंत्र नजर आएगा। विशेष तौर से जो आदमी एकदम सीधे प्रभावित होने वाले हैं, इस सदन में भरतपुर और धौलपुर के सदस्य बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि इससे आप के अधिकारों को काटकर, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, कलेक्टर को जिला प्रमुख बना दिया जाएगा। आम जनता की समस्याओं....

(5.00 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पीठासीन)

के निस्तारण में, उन समस्याओं के निराकरण में आपकी भागीदारी न रहे इसके लिए इस बिल के द्वारा यहां पर षड़यंत्र रचा जा रहा है। मैं इसकी भाषा पढ़ता हूं:

"...by notification published in the official Gazette dissolve the existing Zila Parishad..."

जो जिला बायफरकेट हुआ उसके कारण धौलपुर नया जिला बना यानि भरतपुर के जिला प्रमुख को बरकरार रखा जा सकता है। उसका इलेक्टोरल कालेज दूसरा था। उसके चुनाव में धौलपुर के एम. पी. विधायक, सरपंच, प्रधान ने वोट दिया था। उन लोगों के वोट से बना हुआ प्रधान इस विधेयक के द्वारा, इस कानून के द्वारा आज गैर कानूनी हो गया। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, आपकी भावना अच्छी होगी, मैं यह नहीं कहता कि आपकी भावना अच्छी नहीं है मैं आपकी भावनाओं पर चर्चा नहीं कर रहा हूं आप खुद पंचायत से संबंधित रहे हैं, प्रधान भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं, मैं तो यह कह रहा हूं कि आपकी भावना को कोई चलने नहीं देगा, न भावनाओं को चलने दिया जाता है। जैसा हरिसिंह जी ने कहा कि भावनाओं के आधार पर एक्ट, कानून नहीं बनाये जाते। भावनाओं और आश्वासनों से एक्ट, कानून नहीं बनाये जा सकते। आपका आश्वासन काम नहीं आयेगा। इसलिए यह जो षडयन्त्र चल रहा है कि अमुक जिला प्रमुख को अमुक अपनी कठपुतली को वहां पर रखा जाय, नतीजा यह होगा, सभापति महोदय, इस प्रकार की हरकतों से कि जब आप चाहेंगे जिला भंग कर देंगे और जिसको चाहेंगे उसको अपाइन्ट कर देंगे। यह दोनों जिला परिषदें निश्चित अवधि में एक महीने के अन्दर भंग होनी चाहिए थीं। अब आप जो जिला भंग करने के लिए एक्ट बना रहे हैं उसमें धौलपुर–भरतपुर जिला लिखा नहीं है। आपकी इच्छानुसार काम हो सके। आपकी मंशा क्या है? जिस समय और भी

(श्री यदुनाथसिंह)

जिले आप बनायेंगे, आपकी मर्जी हो गई साहब कि यह जिला प्रमुख तो हमारा कतई विरोधी है उस समय आप नया जिला बना कर उस जिला परिषद को भंग कर देंगे और नई नियुक्ति कर देंगे। इसलिए आप अपने प्यादों को बैठाने का षड़यन्त्र रचने की कृपा नहीं करें। आप अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे तो फिर दूसरा भी करेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिला परिषदों को भंग करें व एक निश्चित अवधि में किसी भी सूरत में चुनाव करायें। यह सरकार का प्रजातन्त्र और पंचायती राज की भावना पर कुठाराघात और एक करारा तमाचा है कि वहां सरकार का नुमाइंदा अपाइन्ट करके बैठा दें। इसका नतीजा क्या होगा सभापति महोदय, नतीजा यह होगा, जो बुरी हालत है वह और बुरी हो जायेगी। आज एन.आर.ई.पी. का अधिकारियों के भरोसे काम हो जाता तो इनको बनाने की जरूरत नहीं होती N.R.E.P. के काम हैं और सब दूसरे काम हैं, इनके झूठे आंकड़े बनाये जा रहे हैं। यानी जो आपने पंचायत समितियां बनाई हैं, पंचायती राज का जो अब तक का ढांचा खड़ा किया है, अभी जो अनुदान देने की बात कही गई है यह सब फर्जी है। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एन.आर.ई.पी. के काम के लिए एक कमेटी बनाई, एम.एल.ए. उसका सदस्य होगा, प्रधान उसका सदस्य होगा और बी.डी.ओ. उसका सदस्य होगा। एम.एल.ए., बी.डी.ओ. और सरपंच तय करेंगे कि कौन-कौन से काम होंगे। लेकिन हमारे जिले में मैं चार्ज करना चाहता हूं, अभी तक ऐसी किसी समिति की कोई मीटिंग नहीं हुई। किसी पंचायत में पांच लाख रुपये लग रहे हैं तो किसी में चवन्नी भी नहीं लग रही। जो जिला विकास अधिकारी है उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया है। मेरे को पसन्द नहीं करता, मेरी उससे लड़ाई है, मेरे से रंजिश रखता है मैं उसकी जी-हजूरी नहीं कर सकता तो मेरी पंचायत में कोई काम नहीं होगा। सभापति महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा था कि ऐसे कोई कानून पास करने से पहले इस सदन को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए। आज आपकी सरकार है कल हमारी आ सकती है, परसों किसी और की आ सकती है। ऐसे अधिकार किसी सरकार को मत दीजिये। इस देश की आजादी की कल्पना करते समय लोगों ने ग्राम स्वराज्य और पंचायती राज के माध्यम से देश को नियोजित करने और देश में विकास और सत्ता लाने की बात कही थी ताकि सरकार कठपुतलियां बन कर रह जायं। मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय फिर से विचार करेंगे इस पर कि किसी एक एक आदमी को बनाये रखने या हटाने के लिए लाये गये, ऐसे कानून को यह सदन पास नहीं करे। साथ ही मैं अर्ज करूंगा कि इसमें निश्चित अवधि के तीन महीने में चुनाव करा दिये जायेंगे। इस तरह का इसमें प्रावधान करने का श्रम करें तभी राजस्थान की जनता और विशेष रूप से भरतपुर की जनता वास्तव में समझेगी कि राजस्थान की वर्तमान सरकार है वह प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है, वरना प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ते हुए हम देखेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोरल कालेज के बिल रख सकते हैं आप चाहें तो भंग कर सकते हैं आप, चाहें जिसको अपाइन्ट कर सकते हैं आप इस तरह से इसको एक राजनीतिक मोहरा मत बनाइये। आपने चुनाव एक निश्चित समय में कराने की घोषणा की है। पहाड़िया जी

# Page No 130

(130)



(श्री यदुनाथ सिंह)

की बात आप कर रहे थे, आप चिल्ला रहे थे। पहाड़िया जी की नहीं चली, उनके साथ तो 40 एम.एल.ए. बताते हैं, उनको तो शक्तिशाली सदन के नेता बताते हैं वह बुरी तरह हारे तो शीशराम जी ओला आप तो बहुत सीधे आदमी हैं आपको कौन चलने देगा। शिवचरण माथुर साहब आपको नहीं चलने देंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जल्दबाजी नहीं करें, इसको तुरन्त वापस लें, इस पर फिर से मनन करें, विचार करें इसके क्या कान्सीक्वेंसेज होने वाले हैं यही निवेदन करते हुए आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद अर्पित करता हूं।

**श्री सभापति :** माननीय मन्त्री जी।

**श्री शीशराम ओला :** सभापति जी, माननीय सदस्य श्री यदुनाथसिंह जी ने अपने विचार रखे। यह भी फर्माया कि आज तक कोई भी जिला परिषद इस प्रकार से भंग नहीं हुई। चुनाव भी नहीं हो पायेंगे। कई शंकाएं व्यक्त की। मैं सबसे पहले माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शायद वह भूल गये कि 26 जिला परिषद 236 पंचायत समितियां एक कलम से डिजाल्व की गईं थीं। जिला परिषद का उस वक्त मैं भी प्रमुख था। यह तो एक ही जिला परिषद है भरतपुर की जो डिजाल्व की जा रही है....

**श्री यदुनाथसिंह :** नहीं की। आप गलत कह रहे हैं।

**श्री शीशराम ओला :** सवाल हार का और जीतने का नहीं है। व्यवस्था का है। इस प्रकार की व्यवस्था पहले भी थी मुझ को दोषी बता रहे हैं, जो आपने फर्माया, यह उसी का उत्तर है।

फिर भी जो शंकायें माननीय सदस्य ने यहां प्रस्तुत की हैं, यह कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता है कि मैं चुनाव नहीं करवा पाऊंगा, या सरकार चुनाव नहीं करवा पायेगी। चुनाव तो सरकार ही करायेगी, व्यक्ति छोटा है सरकार के समक्ष। हमारी सरकार ने तो थ्री टायर सिस्टम के चुनाव कराये जैसा मैंने आपको निवेदन किया, सुव्यवस्थित तरीके से एक निश्चित समय में चुनाव सम्पन्न करवाये और सारे राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यरत है। यह नया जिला गठित होने की वजह से यहां पर जिला परिषद का गठन करना आवश्यक था। मैंने जिस तरीके से पंचायत समिति के चुनाव करवाये। इसी तरह से, मैंने आपको निवेदन किया है, सदन के समक्ष यह अर्ज किया है कि दो महीने की अवधि में चुनाव करवा दिये जायेंगे। इसमें कोई...

**श्री यदुनाथसिंह :** आने वाली सरकार ने नहीं किया तो।

**श्री शीशराम ओला :** कोई सरकार आये कोई जाये, यह सदन की कार्यवाही कायम रहेगी। आपकी सरकार तो आने वाली नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** कृपया मंत्री जी का उत्तर सुनने का कष्ट करें।

**श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह :** आपने कहा था कि सारी जिला परिषदों की स्टेंडिंग कमेटी

(श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह)

के चुनाव एक महीने में करवा दिये जाएंगे। आज 6 महीने हो गये हैं।

श्री शोशराम ओला : अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आपने कहा था या नहीं कि दो महीने के अन्दर करवा दिये जाएंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : इस सरकार की घोषणा का कैसे हम विश्वास कर लें कि यह सही घोषणा होगी। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि दो महीने तो क्या दो साल तक चुनाव नहीं होंगे और निश्चित रूप से नुमाइन्दों का नामिनेशन होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि जो सरकार घोषणा करती है सदन के समक्ष उस पर राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करें। पिछली दफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि भरतपुर में गरीब लोगों के ऊपर पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाई, लोगों पर अत्याचार किया था, उसके लिए एक कमीशन बैठा दिया जायेगा, जुडिशियल इन्क्वायरी बिठा दी जायगी। आज तक ज्युडिशियल इन्क्वायरी नहीं बिठाई गई और पुलिस आज तक उन पर झूठे मुकदमे चला रही है। सभापति महोदय, ऐसी सरकार के आश्वासन पर हम कैसे विश्वास करें। पिछली बार माननीय श्री परसराम मदेरणा जी ने इसी सदन में कहा था कि राजस्थान हाउस का जो मैनेजर है उसने बेइज्जती की है उसको दिल्ली से हटा दिया जायेगा लेकिन उसको दिल्ली से नहीं हटाया गया। फिर हम कैसे विश्वास करें ऐसी सरकार के आश्वासन पर

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें। माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक नहीं पचासों प्रकार की घोषणा सरकार ने की हैं। यह सरकार तो x x x है। इसकी बात का कौन विश्वास करे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : थोथी घोषणा करना और जनता को गुमराह करना है

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय ओला साहब, आप आश्वासन देते तो हम मान लेते लेकिन सरकार के आश्वासन पर कोई विश्वास नहीं है। आप कहते तो हमें आशा थी और विश्वास था लेकिन आपने कहा कि सरकार घोषणा करती है तभी से हमें विश्वास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार की नहीं मानते। ओला साहब कहते तो मानते।

(व्यवधान)

---

x x x शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री यदुनाथसिंह)

पिछले आश्वासन दिये उनका क्या हुआ ? इस आश्वासन पर हम किस प्रकार से विश्वास करें। हमें आपके जवाब से सन्तोष नहीं है...

(व्यवधान)

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यहां कोई असन्तुष्ट नहीं है। सब सन्तुष्ट हैं।

(व्यवधान)

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया था उस प्रश्न का स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री महोदय ने दिया। अभी तो उनको जवाब देना शेष है और चर्चा कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 36 नगरपालिकाओं के चुनाव जून माह में हो जायेंगे ऐसी घोषणा माननीय श्री अहमद बख्श सिंधी साहब ने राजस्थान विधान सभा में की थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चुनाव की घोषणा करते हैं रहा और कराते नहीं हैं। स्वायत्त संस्थाओं की स्थिति सब प्रकार से खराब हो रही है। कहां गया उनका आश्वासन ? जून गया, जुलाई गया और अगस्त भी गया। क्या तरीका है ? दो माह में चुनाव कराने की घोषणा करने का क्या मतलब है ? चुनाव के बारे में तो हमारा मत है कि दोसा चुनाव के बाद यह सरकार कोई चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। इसकी हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थर्ड रीडिंग पर बोलने का अवसर दिया जाये।

**श्री सभापति** : थर्ड रीडिंग पर बोलने का अधिकार दिया गया है।

**श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** : मंत्री महोदय कह दें कि एक महीने की घोषणा उन्होंने नहीं की ? आज 6 महीने हो गए।

**श्री यदुनाथ सिंह** : इसी सदन में माननीय खेतसिंह जी ने कहा था कि मैं रामगोपाल का मुंह नहीं देखना चाहता। उसी रामगोपाल को वह अपने पास लगाये बैठे हैं।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : इसी सदन में हम भी बैठते हैं। ऐसी बात नहीं कही।

(व्यवधान)

**श्री सुजानसिंह** : सभापति महोदय, इसी सदन में ट्रेक्टर ट्राली पर टैक्स माफ किया था बजट सेशन के अन्दर लेकिन वह अभी तक लागू है।

**श्री ब्रजसुन्दर शर्मा** : वह तो हो चुका।

**श्री सभापति** : यह इश्यू नहीं है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : इश्यू कैसे नहीं है। आश्वासन दिया ..

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आप थर्ड रीडिंग पर बोल रहे हैं।

**श्री सुजानसिंह** : नहीं साहब। मैं तो एश्योरेन्स राज्य सरकार ने दिया उसके लिए अर्ज कर रहा हूं। विधानसभा का लास्ट डे था तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ट्रेक्टर ट्राली पर से टैक्स हटा दिया जायेगा।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** : वह तो हो चुका है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** (यातायात मन्त्री) : वह बिलकुल असत्य है। गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया है और कोई ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है।

अनेक माननीय सदस्य : किया जा रहा है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : माननीय शर्मा साहब आपका ट्रैक्टर ट्राली से क्या वास्ता। टैक्स लिया जा रहा है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : मैंने जैसा कहा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। मैं कल सदन मे वह नोटिफिकेशन पेश कर दूंगा। यदि कोई ऑफिसर उस नोटिफिकेशन के बावजूद भी टैक्स वसूल कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जायेगा।

**श्री यदुनाथ सिंह** : 6 महीने के बाद क्या प्रस्तुत करेंगे? सभापति महोदय, देख लीजिए। ऐसा काला कानून पास नहीं होने देंगे। इस सरकार के आश्वासन को कैसे मानें?

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : कल आपको हाउस में बता दूंगा। मैंने कहा है कि नोटिफिकेशन निकल चुका है।

**श्री नाथूसिंह** : किस तारीख को?

**श्री जयकृष्णा शर्मा** : कल बता दूंगा। तारीख तो कल बता दूंगा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यमसे माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, नियम यह है कि नोटिफिकेशन होते ही अविलम्ब उसको राजस्थान विधान सभा में रखा जाता है। क्या अभी तक आपने रख दिया है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम 12 जिले मेरे ध्यान में हैं जहां ट्रैक्टर ट्राली का टैक्स वसूल कर रहे है। मंत्री महोदय गलत बयानी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह** : सभापति महोदय, पिछले सत्र मे दिये गये आश्वासन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप थर्ड रीडिंग पर बोलना चाहते हैं?

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदय, सरकार बार बार यहां पर विधेयक लाती है और हम पास करते है लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं होती। जैसा कि सदस्यों की आम राय है कि सरकार सिर्फ घोषणायें ही करती है

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, बात नहीं करें।

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदय यह पंचायत मंत्री महोदय हैं। इसी सरकार ने, कांग्रेस (आई) की सरकार ने बीकानेर में सरपंच का सम्मेलन किया था, आपको ध्यान होगा उसमें इन्होंने कई घोषणायें की थीं जो जो घोषणायें कीं, सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं क्या इन्होंने लागू की हैं, वह घोषणायें? कोई घोषणा लागू की हैं?

# Page No 134

(134)



**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** लागू करने का सवाल नहीं है, पंचायत मंत्री को याद भी नहीं है।

**श्री शीशराम ओला :** हम गलत बातें सुनने के लिये तैयार नहीं हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** (सिंचाई मंत्री) **:** उन सारी घोषणाओं की एक किताब छपवा दी गई है और पंचायत समितियों को सक्यूंलेट कर दी गई है।

(व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** छपी हुई किताब में जो आपने घोषणायें की किस किस का आपने पालन किया ?

**श्री परसराम मदेरणा :** पंचायत मंत्री जी आपको जवाब देंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** पंचायत मंत्री को यह भी मालूम नहीं है किताब छपी हुई है।

**श्री सभापति :** आप सब बातों का एक साथ जवाब दे दें तो ठीक रहेगा।

**श्री नाथूसिंह :** उन घोषणाओं की क्या कार्यान्वित की है। किताब छपाकर भिजवा देना ही क्रियान्विति नहीं है।

**श्री सभापति :** आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं।

**श्री नाथूसिंह :** सवाल यही है कि जितनी घोषणायें की हैं उनमें से किसी की क्रियान्विति की हो तो बतायें। दूसरा अभी भीलवाड़ा में सम्मेलन हुआ उसमें इन्होंने कई घोषणायें कीं, कई आश्वासन दिये, यह करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ। सम्मेलन ही सम्मेलन करते हैं। केन्द्र से पैसा मिलता है उसको भी खर्च नहीं कर पाते हैं .. ..

**श्री दिनेश डांगी :** (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) कौन कहता है खर्च नहीं कर पाते हैं। जितना मिलता है उसको पूरा खर्च करते हैं। हमारे बजट के हिसाब से हम पैसा खर्च करते हैं.... ...

**श्री नाथूसिंह :** जयपुर की मीटिंग में स्वीकार किया है जितना पैसा मिलना है, खर्च नहीं होता।

**श्री दिनेश डांगी :** यहां के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को सहयोग नहीं दिया इसलिये खर्च नहीं हो पाया ......

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह :** जिला प्रशासन आपका है सहयोग नहीं दिया आपको ..

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह :** सभापति महोदय, सुन लीजिये। कह रहे हैं जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिला ...

**एक माननीय सदस्य :** xxx है।

**श्री नाथूसिंह :** यह बहुत दुखद स्थिति होगी, जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया। क्या किया जिला प्रशासन ने ?

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य।

**श्री मेघराज तावड़ :** मंत्री जी कह रहे हैं इसका मतलब है सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है

---

xxxअभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित की गई।

श्री सभापति : अब आपकी बात हो चुकी है ।

श्री नाथूसिंह : मंत्री महोदय ने कहा है कि जिला प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया । क्या यह बात सही है ?

श्री दिनेश डांगी : जन प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को सहयोग नहीं दिया ।

(व्यवधान)

उनको पता ही नहीं है पैसा कहां खर्च हो रहा है

श्री नाथूसिंह : जिले में मीटिंग हो ही नहीं पाती

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं । भरतपुर जिले में मीटिंग नहीं हुई जिसमें एन.आर.ई.पी. के तहत कामों की मन्जूरी दी जाती है ..

श्री दिनेश डांगी : जयपुर जिले की बात कर रहा हूं । भरतपुर जिले की बात नहीं कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

भरतपुर जिले के दो टुकड़े हो गये मीटिंग होती कहां से ।

श्री यदुनाथसिंह : आप कहां की बात कर रहे हैं । अमेंडमेंट भरतपुर जिले के लिये आया है आप क्यों बोल रहे हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री जी को मालूम नहीं है ...

(व्यवधान)

इनको मालूम है बंगला कैसे हड़पा जाता है बाकी मालूम नहीं है ।

श्री नाथूसिंह : मुझे खुशी है अकर्मण्यता को इन्होंने स्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे ऊपर लगा रहे हैं । कांग्रेस के आदमी को 'मंत्री मण्डल से निकाला XXX कहकर, हमको पूरा पता है इस बात का

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसको कहा है XXX ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जन प्रतिनिधियों को बदनाम कर रहे है । कांग्रेस का नाम लो, उनको कहो, कहो, XXX कुछ कहो....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पशुपालन मन्त्री कह रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सभापति महोदय ।

मंत्री महोदय ने जो बात कही, जन प्रतिनिधियों को इस बात का ज्ञान नहीं है, यह किसके लिये कह रहे हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह नहीं कहा ज्ञान नहीं है, यह कहा सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यह नहीं कहा है, पूछ लो।

एक माननीय सदस्य : कहा है।

एक माननीय सदस्य : सहयोग नहीं मिला, यह कहा है।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : आप अकर्मण्य हो सकते हैं। हम लोग नहीं। कांग्रेस के होंगे।

**श्री मेघराज तावड़** : माननीय मन्त्री महोदय बतायें, किस तारीख को सर्क्युलर जारी किया और जन प्रतिनिधि नहीं आये।

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : वैसे तो बात कही नहीं है। कह भी दिया तो क्या है, पशुपालन मंत्री हैं...

(व्यवधान)

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : आपको बरखास्त किया है....

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : यह आप लोगों के लिये कहा है....

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदय, जो सरकार स्वयं स्वीकार करले कि जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है उस सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है ?

**श्री दिनेश डांगी** : जन प्रतिनिधियों के समय पर सहयोग नहीं देने से नहीं हो पाया है...

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** : क्या इसीलिये भरतपुर के कलेक्टर को नामीनेट करने की योजना बना रहे हैं। जन प्रतिनिधियों को नकारा करार कर दिया। यह हमारे ऊपर रिफलेक्शन है..

**श्री दिनेश डांगी** : विपक्ष के नेता ने कहा, क्या पावर्स दी हुई है..

**श्री सभापति** : मंत्री जी कह रहे हैं सुन लें।

**श्री दिनेश डांगी** : नाथूसिंहजी ने कहा। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि जिस समय मैंने जिला परिषद की बैठक बुलायी तो उस एन.आर.ई.पी. की बैठक में केवल श्री नाथूसिंह और भैरूंलाल जी भारद्वाज ही उपस्थित हुए और कोई भी विधायक नहीं था।

**श्री नाथूसिंह** : आपने पहले तो यह स्वीकार किया कि जन प्रतिनिधि कौन होते है? जन प्रतिनिधि संसद सदस्य, विधायक और प्रधान होते हैं या कौन होते हैं, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय, आपकी पार्टी के भी विधायक हैं तो क्या उन लोगों ने भी आपको सहयोग नहीं दिया ? इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टी के लोगों ने आपसे सहयोग नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि वह इग्नोरेन्ट है और जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना–देना नहीं, आपकी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है, मन्त्रियों का कोई लेना देना नहीं। इस बात को आपने मन्त्री महोदय स्वयं स्वीकार किया है...

**श्री सभापति** : श्री नाथूसिंह जी, समाप्त कीजिए।

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदय, कोटा के अन्दर एक सम्मेलन हुआ....

# Page No 137

(137)



**श्री सभापति** : आप बैठ जायें, कृपया विराजें।

**श्री नाथूसिंह** : सरकार और कांग्रेस का सम्मेलन हुआ इसलिए सभापति महोदय...

**श्री सभापति** : अब आप समाप्त करिये। आपको काफी समय हो गया।

**श्री नाथूसिंह** : बोलने तो दीजिये।

**श्री सभापति** : आप काफी बोल लिये हैं। कोई समय की सीमा होती है। कृपया विराजें।

**श्री राम कंवार** : जिस तरह से चर्चा चल रही है इस तरह खतम होने का सवाल ही नहीं है।

**श्री नाथूसिंह** : आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मैं बोलूंगा।

**श्री सभापति** : जो समय दिया गया वह पर्याप्त है।

**श्री नाथूसिंह** : आप मुझे समय दीजिए। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कितना डिस्क्रिमिनेशन करते जन प्रतिनिधियों के साथ। जो जन अभाव उपयोग समिति है, उनसे उनका कोई ताल्लुक है...

(व्यवधान)

मैं बता रहा हूं ना...

आप जो यहां कहते हैं वह करते नहीं हैं और कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसका उदाहरण आपको दे रहा हूं। कई सरपंचों के विरुद्ध आपके पास प्रस्ताव आये हुए हैं कि इन्होंने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है धोखाधड़ी की है इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह राज्य सरकार की रिकमन्डेशन है। जयपुर जिले की अभाव उपयोग समिति की ओर से कलेक्टर की ओर से कुछ सरपंचों के भ्रष्टाचार के मामले आये थे मेरे क्षेत्र से भी आये जिसमें यह आरोप थे कि उन्होंने सिलाई की मशीन अपने परिवार के लोगों को बांट दी और कई फर्जी प्रमाण-पत्र दे दिये। यह सब मन्त्री महोदय के पास पड़े हुए हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह** : लेकिन राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण जो सरपंच आपकी पार्टी के नहीं है उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाकर उनको बर्खास्त किया जा रहा है सभापति महोदय......

**श्री सभापति** : कृपया आसन ग्रहण करें।

**श्री नाथूसिंह** : यह सिर्फ घोषणायें करते हैं। घोषणाओं पर चलने वाली सरकार...

**श्री सभापति** : कृपया बैठ जायें।

**श्री नाथूसिंह** : की गाड़ी इसी तरह चल रही है और वह भी पंक्चर हो गयी। इसीलिए, सभापति महोदय, इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको पास न किया जाय।

**श्री सभापति** : श्री राम कंवार बैरवा।

**श्री राम कंवार बैरवा** : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले

(श्री रामकंवार बैरवा)

दिनों राजस्थान की सरकार ने सभी पंचायत हैड क्वाटर्स को सड़कों से जोड़े जाने का निर्णय लिया था ? यदि लिया था, तो वह योजना क्या खटाई में पड़ गयी ? यह एक गरीब अमीर सब की सुविधा और सुख देने वाली बात है । इसका पंचायत मंत्री जी स्पष्टीकरण करें कि वह कब तक राजस्थान के प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर को सड़क से जोड़ा जायेगा ? यह एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

**श्री सभापति** : प्रश्न पूछ लीजिए ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : प्रश्न क्यों पूछें, बहस होगी इस पर, सभापति महोदय ।

**श्री सभापति** : बहुत लम्बी बहस कर ली आपने ।

**एक माननीय सदस्य** : मन्त्रियों के ज्ञान का परिचय भी मिल रहा है इसमें ।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : जिला परिषदों के बारे में सभापति महोदय, अभी यह बताया गया कि जन सहयोग नहीं मिल रहा है जिला परिषदों में...

**श्री सभापति** : आप तो टू दि पाइन्ट ही बोला करते हैं ।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : टू दि पाइन्ट ही बोलूंगा और

**एक माननीय सदस्य** : अब समय समाप्त हो गया ।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : मैं इस संबंध में आपके माध्यम से यह बता सकता हूं कि जन प्रतिनिधि सहयोग नहीं देते या इनके अधिकारी सहयोग नहीं देते, इसका एक उदाहरण कोटा जिला परिषद की बैठक की कार्यवाही से मिल जायेगा । इसके आधार पर यह बताना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जो करते हैं या नहीं करते हैं "श्री प्रमुख महोदय ने बताया कि आज कृषकों की भूमि पर जो कैचमेन्ट किया जा रहा है उसका खर्चा 4-5 हजार रुपया प्रति हैक्टेयर आता है जो किसान की क्षमता के बाहर है । भूमि सुधार के यंत्रों द्वारा जो कैचमेन्ट आज किया जा रहा है उसकी कार्य प्रणाली इतनी दोषित है कि कार्य पर जो व्यय किया जाता है वह प्लान्ट्स एवं मशीनरी कमेटी एवं रेट एण्ड कास्ट कमेटी भारत सरकार से भी अधिक है अतः इस पर पुनविचार किया जाना अपेक्षित है कि इसकी लागत इतनी अधिक क्यों आती है । इसके साथ ही काश्तकारों से कैचमेंट नहीं होने के पहले ही वसूलियां भी प्रारम्भ कर दी गयी हैं जो भी स्थगित की जानी चाहिये । इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दोषी ठहराया तो मन्त्री महोदय ने उसके ऊपर क्या कार्यवाही की । सभापति महोदय, जो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर यह आक्षेप कर सकते हैं हमारे ऊपर नहीं । दूसरा उदाहरण इस संबंध में और देना चाहता हूं । 'श्रीप्रमुख जिला परिषद, कोटा ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस प्रकार की आम शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि जहां पीने के पानी की समस्याएं हैं वहां हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं तथा ऐसे स्थानों पर हैंड पम्प लगा दिये गये हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध है अथवा कम गहराई पर ही पानी उपलब्ध हो जाता है । इसी प्रकार खराब हैण्ड पम्पों के बारे में राज्य

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सरकार के निर्देशानुसार अभी अभी 10 मई 1983 से 24 मई, 1983 तक अभियान चलाया गया था उसमें भी विभागीय अधिकारियों द्वारा यथोचित सहयोग नहीं दिया गया है।'' यह जिला परिषद की मीटिंग की कार्यवाही में है। इससे साफ है कि आपकी पार्टी के जिला परिषद के प्रमुख कितने हैं और जिला प्रमुख कितने हैं जो आपको सहयोग नहीं देते या आपके अधिकारी ऐसे हैं जो आपको सहयोग नहीं देते हैं? जो आपने नीतियां बना रखी हैं आज वह कार्यान्वित नहीं हो रही हैं, यह इस बात का उदाहरण है कि आपने लाखों रुपये खर्च करके एक सम्मेलन कर लिया बीकानेर में राजीव गांधी को प्रसन्न करने के लिए लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकला जिससे पंचायत राज कायम हो सके या कुछ काम हो सके। ऊपर से यहां बैठकर हम पर आरोप लगाते हैं कि जन प्रतिनिधि सहयोग नहीं करते। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बात उचित नहीं है इसलिए मैंने आपको उदाहरण देकर बताया कि जिला परिषद कोटा की मीटिंग में आपके अधिकारी नहीं आये या कलेक्टर, जो उसके सैक्रेटरी हैं, मौजूद नहीं थे। मीटिंग में चूंकि कलेक्टर नहीं थे इसलिए सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार को जन प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है और कलेक्टर ज्यादा विश्वसनीय है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पंचायती राज को पंगु बना दिया है। अब आप फिर से भरतपुर की जिला परिषद को नोमिनेट करना चाहते हैं। आपको मजबूर होकर बाद में चुनाव कराने पड़ेंगे। वैसे आपने 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह शाम को तो आपको होश नहीं रहता है लेकिन दिन में तो हाऊस में बैठे रहते हैं। और यहां बैठकर हम पर जन प्रतिनिधियों पर लांछन लगाते हैं। रात से लेकर सुबह 10 बजे तक आपको खुमारी रहती है और शाम के 7 बजे के बाद फिर आपको खुमारी चढ़ने लगती है तो कम से कम 11 बजे से 5 बजे तक तो पूरी तरह आप होश में यहां बैठिये। आपको अपनी पंक्ति से चिंता हो सकती है कि कबूतर उड़ने वाला है न जाने किसके सिर पर बैठ जाए लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं है। आपको जो खुमारी चढ़ी रहती है, उस खुमारी की भी हमें चिन्ता नहीं है' भगवान करे हर महीने कबूतर उड़ें और एक के सिर से दूसरे सिर पर बैठ जायं। उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। चाहे हर महीने यहां मुख्य मंत्री बदलते रहें लेकिन 4 साल जब तक हैं तब तक तो ठीक तरह से चला लीजिए। इसलिए, सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं यह बतावें कि जन प्रतिनिधि सहयोग नहीं करते हैं, या आपके कर्मचारी सहयोग नहीं करते हैं, आप सहयोग नहीं करते हैं। आप झूंठी बातें विधान सभा में करते हैं, आपके अधिकारी दोषी हैं और आप उन पर लांछन नहीं लगाना चाहते। पंचायती राज को ठीक से चलाने के लिए आपने जो घोषणायें की हैं, उनकी कार्यान्विति शीघ्र से शीघ्र करें।

**श्री यदुनाथसिंह** : माननीय सभापति महोदय, मैं एक बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। सभापति महोदय, बड़ी गलतफहमी हो गई है।

**श्री शीशराम ओला** : पाइन्ट आफ आर्डर।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मंत्री महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं।

**श्री यदुनाथसिंह** : सभापति महोदय, एक बहुत गलतफहमी है। ये 13 बरस तक चुनाव नहीं करायेंगे।

**श्री सभापति** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मैं यह स्पष्टीकरण चाहती हूं कि यह केवल भरतपुर के लिए ही है या जहां-जहां पर जिले बनेंगे उनके लिए भी है। केवल भरतपुर या सभी जिलों के लिए है।

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** : आप भी बोलने की जुर्रत कर रहे हैं। आप भी हमारे सामने बोलने की जुर्रत कर रहे हैं। आर.ए.सी. ने नंगा करके घसीट करके बाहर फेंक दिया और हमारे सामने बोलने की जुर्रत कर रहे हैं। नंगा करके घसीट करके पटक दिया।

(5-40 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

**श्री भैरूंसिंह गुर्जर** : ये XX शब्द प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसी बात नहीं कहे कि नंगा करके उठा कर फेंक दिया।

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इनको नंगा करके बाहर फेंक दिया।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : मुख्य मंत्री ने इनको बरखास्त कर दिया और मंत्री पद से हटा दिया फिर भी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है इसलिए...

**श्री जगनसिंह (बयाना)** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो दो जिला परिषदों का गठन हो रहा है क्या इन दोनों के चुनाव साथ-साथ होंगे या एक का नोमिनेशन होगा और एक का चुनाव होगा ? अगर चुनाव होगा तो कब तक होगा और कब तक नोटिफिकेशन हो जायेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री शीशराम ओला** : अध्यक्ष जी, माननीय श्री नत्थूसिंह जी ने...

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : यदुनाथसिंह जी ने।

**श्री शीशराम ओला** : आपने ही सारी अक्ल का ठेका नहीं लिया है। दूसरों की बात भी सुनें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : नत्थूसिंह कैसे कहा।

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : इन्होंने यह फर्माया कि कई सरपंच यहां के ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़ी गड़बड़ियां की हुई हैं, बड़े गड़बड़ घोटाले किये हैं, पैसे का बड़ा भारी दुरुपयोग किया है और फाइल यहां पर पड़ी है लेकिन उस पर इसलिए एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वह कांग्रेस से सम्बन्धित है।

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

# Page No 141

(१४१)



(श्री शीशराम ओला)

मैं स्पष्ट तौर से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता कि यदि इस प्रकार का कोई भी उनके पास उदाहरण हो, तो वह चाहे जब प्रस्तुत कर दें उस पर निश्चित रूप से एक्शन होगा। व्यक्ति विशेष का फेवर नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी फर्माया और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने भी फर्माया कि बीकानेर में सम्मेलन बुलाकर बड़ी घोषणायें की थीं किन्तु कुछ भी उन पर अमल नहीं हुआ। मैं बहुत अदब से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों को कि बीकानेर में जो कुछ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणायें कीं थीं उन सब पर अमल हुआ है। दो चार ऐसी घोषणायें हैं जो एक दूसरे विभागों के बीच में विचाराधीन हैं। इसलिये यह कहना सही नहीं है कि उन पर अमल नहीं हुआ। माननीय...............

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कोई एक भी बता दें जिस पर अमल हुआ।

(व्यवधान)

**श्री शीशराम ओला** : सब पर हुआ है। बीकानेर में, भीलवाड़ा में जहां कहीं पर भी घोषणायें हुई हैं उन सब पर अमल हुआ है।

(व्यवधान)

देखिये, मैं आपको सुन रहा था। कोटा के लिए आपने फर्माया...........

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में उत्तर दे दीजिए तो विधेयक पारित कर दें।

**श्री शीशराम ओला** : माननीय जगन सिंहजी ने भी एक प्रश्न प्रस्तुत किया है, क्वेश्चन पूछा है। मैंने तीन चार बार सदन के समक्ष कहा है और मैं पुनः कहता हूं कि दोनों जिला परिषदों के चुनाव; एक दो दिन का फर्क हो जाय यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन दो महीने में हो जायेंगे इतना कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को पारित किया जावे।

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथसिंह** : आप क्या कहते हैं। आप देखिये, अध्यक्ष महोदय, घना गोलीकांड में लोगों को भून दिया। मुख्य मंत्री ने इसी सदन में घोषणा की थी कि ज्युडिशियल इन्क्वायरी बिठा दी जायेगी आज तक उसका क्या हुआ?

**श्री अध्यक्ष** : कृपया विराज जावें। इस तरह से तो बात का कोई अन्त ही नहीं होगा।

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि कैसे इस सरकार के कथन का विश्वास किया जाय। आप हमारे संरक्षक हैं, अध्यक्ष महोदय। कैसे इनके कथन का विश्वास किया जाय

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। सदन से पूछ लेते हैं विश्वास करेंगे या नहीं, सामने आ जाएगा।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जावे ?

(ध्वनि-मतदान)

**श्री यदुनाथसिंह** : ना पक्ष जीता।

**अनेक माननीय सदस्य** : हां पक्ष जीता।

**श्री यदुनाथसिंह** : ना पक्ष जीता।

**श्री अध्यक्ष** : मैं दुबारा पूछ लेता हूं।

**श्री यदुनाथसिंह** : कितनी ही बार पूछ लीजिए, अध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीतेगा।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ?

(ध्वनि-मतदान)

**श्री यदुनाथसिंह** : ना पक्ष जीता। हम पार्टी नहीं बन सकते ऐसे कानून की जो प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है, जो मखौल उड़ा रहा है। पंचायत राज का। ऐसे कानून को पास नहीं होने देंगे, अध्यक्ष महोदय।

**श्री खेतसिंह राठोड़ (संसदीय कार्य मंत्री)**: आपकी पार्टी के नेताओं को तो पूछ लो।

**श्री यदुनाथसिंह** : हमारे विचार अलग अलग नहीं होते आपकी तरह।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। आप विभाजन की मांग कर रहे हैं।

**श्री यदुनाथसिंह** : जी हां।

(मत विभाजक घण्टी)

**श्री यदुनाथ सिंह** : मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं। वे इस बात को बतायें कि घना गोली कांड की ज्युडिशियल इंक्वायरी की आपने बात कही थी उसका क्या हुआ। आज भी घर-घर जाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप कह दें तो इस पर भी विश्वास कर लें। पंचायत मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उस पर भी विश्वास कैसे विश्वास करें, आप बताइये। सदन में घोषणा करें और उसकी पालना नहीं करें यह प्रजातन्त्र नहीं है, यह मखौल है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर।

**श्री यदुनाथ सिंह** : यह प्रजातन्त्र का मखौल उड़ाया जा रहा है।

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : माथुर साहब की सरकार और माथुर साहब के द्वारा एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया जा रहा है। दो साल के दौरान यहां कितने ही आश्वासन दिए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। लगता ही नहीं है कि माथुर साहब कोई सरकार भी चला रहे हैं या नहीं। कोई सरकार है भी या नहीं पता ही नहीं चलता है। लगता ही नहीं है कि सरकार है कोई राजस्थान में।

**श्री बालचन्द्र आर्यवीर** : माथुर साहब की सरकार तो मरवाने का काम कर रही है।

(व्यवधान)

**श्री मेघराज तावड़** : इसके बाद भी कई काण्ड हुए । भिवाड़ी का कांड हुआ । माथुर साहब की सरकार ने मजदूरों को गोली से भून दिया । इससे तो अच्छा है, माथुर साहब, आप जल्दी से इस्तीफा दे दें । ये तो असंतुष्ट हैं लेकिन सारे राजस्थान के मजदूरों पर गोली–कांड हो रहे हैं

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो ।

**श्री मेघराज तावड़** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो । बाधा नहीं डालें माननीय सदस्य ।

**श्री मेघराज तावड़** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो रहा है । अंकित न हो ...

**श्री मेघराज तावड़** : XXX

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान····

**श्री मेघराज तावड़** : मैं माथुर साहब की ऐसी नालायक सरकार और अप्रजातांत्रिक सरकार के खिलाफ बहिर्गमन करता हूं । सरकार की नीतियों के खिलाफ बहिर्गमन करता हूं ।

(बहिर्गमन)

**एक माननीय सदस्य** : दरवाजे तो बन्द हैं ।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर । शांत रहें, माननीय सदस्य ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : घना गोली–कांड की ज्युडिशियल इंक्वायरी का क्या हुआ, यह घोषणा मुख्यमंत्री से करवा दें तो यह समय जाया होने से बच जायेगा, अध्यक्ष महोदय ।

**श्री खेतसिंह राठोड़** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1983 पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

**श्री अध्यक्ष** : राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक ।

**श्री यदुनाथ सिंह** : कल करना, अध्यक्ष महोदय, बहुत बहस की जरूरत है ।

**श्री अध्यक्ष** : अभी नहीं । माननीय सदस्य प्रारम्भ कर दें ।

संकल्प प्रस्तुत किया है माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया व श्री ···

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : कल ही ठीक रहेगा, महत्वपूर्ण हैं ।

**श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री)** : सभी महत्वपूर्ण हैं ।

---

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

परिनियत संकल्प

**राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प है :

यह सदन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जून, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।

**श्री अध्यक्ष** : एक घन्टे में इसे पारित करना है। कृपया समय का ध्यान रखें।

**श्री यदुनाथ सिंह** : अध्यक्ष महोदय, जमीन हड़पो अभियान है इस पर खुल कर बहस होगी।

**श्री मेघराज तावड़** : अध्यक्ष महोदय, असेम्बली का समय बढ़ाना चाहिये। ऐसे महत्वपूर्ण कानून लाते हैं, कानून बनते हैं उनको एक एक घन्टे में जल्दी में पारित नहीं किया जाये। इस सरकार की मंशा यही है, अध्यक्ष महोदय, इसलिये यह प्रजातन्त्र की रक्षा करना आपके हाथ में है।

**श्री अध्यक्ष** : बाधा नहीं डालें।

**श्री मेघराज तावड़** : बाधा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से कानून पास होंगे ... तो जनता हमारे मुंह पर थूकेगी कि हम ऐसे प्रतिनिधि हैं जो यहां विरोध नहीं करते, ऐसे कानून को पास होने देते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, जिस अध्यादेश पर हम विचार कर रहे हैं वास्तव में वह अध्यादेश- जनता को एक सब्ज बाग दिखाने वाला अध्यादेश मात्र है। सबके मन में यह लगता है कि सीलिंग के इस कानून के द्वारा हम शायद वह भूमि प्राप्त कर लेंगे जो भूमि हम गरीबों में वितरित करके उन्हें खुशहाली की ओर ले जायेंगे। पिछले तीस साल का इतिहास यह बात बता रहा है कि सीलिंग के अन्तर्गत आयी हुई एक इंच जमीन पर भी आज तक किसी गरीब का अधिकार नहीं हो पाया। यहां तक कि अगर सीलिंग की भूमि पर किसी को कागजों में हमने कब्जा दे भी दिया तो उसको मौत का शिकार बनना पड़ा या मुकदमे में उसको उलझना पड़ा लेकिन भूमि पर उसका अधिकार नहीं बना। 1973 में हम यह बिल लाये। उसके बाद पिछले सत्र में इसको पेश किया था लेकिन यह पास नहीं हो पाया। हमने इसको इस सदन में इसलिये रखा कि हम इस सीलिंग के कानून में ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं जिसके द्वारा जो सीलिंग के केसेज पहले निर्धारित हो गये, जो आलरेडी डिसाइड हो गये जिनकी आगे जाने की अवधि समाप्त हो गयी, जिन पर विचार करने का अवसर समाप्त हो गया, उनको हम फिर पिछली डेट से रिओपन कर रहे हैं। वास्तव में इसके द्वारा कोई भूमि हमें प्राप्त होने वाली नहीं है। हम एक तलवार लटकाना चाहते हैं उन भूमिपतियों पर जो पहले से ही आपके इस कानून की व्याख्या के कारण भूमिपति से भूमिहीन हो गये। आपने उनको भूमि पर रहने का इस तरह से उपयोग किया है। पहले उन्होंने अपनी जमीनें बेच

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दी थीं, अब आप यह कहते हैं हम जिसे पसंद करेंगे उसमें से भूमि लेंगे। ऐसे कई भूमिपति हैं जिनको आपने इस कानून के तहत भूमिहीन बना दिया। अब जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी उन्होंने कानून, कोर्ट के सहारे अपने केस को डिसाइड कराया है, 10-12 वर्षों तक मुकदमा लड़ने के पश्चात् किसी एक नतीजे पर पहुंचे हैं आज इस कानून के द्वारा उन लोगों के सिर पर फिर तलवार लटका रहे हैं इसलिये नहीं कि उनसे भूमि प्राप्त करनी है लेकिन इसलिये कि वह सरकार से चमकते रहें, सरकार से भयभीत होते रहें और सरकार की इच्छा के अनुरूप अपने आप को चलाते रहें। अध्यक्ष महोदय, क्या वास्तव में कानून बनाने का यही औचित्य है? क्या कानून के पीछे हमारी मंशा यही है कि केवल हम अपने कुछ राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये कानूनों को समय समय पर मोड़ते रहें, जोड़ते रहें, तोड़ते रहें? आपकी परेशानी तो यही थी कि आपके डिप्टी सैक्रेटरी ने कोई निर्णय दे दिया उस निर्णय के विरुद्ध वे लोग हाई कोर्ट में चले गये, इसके कारण आपको कई मुकदमों में मात खानी पड़ी। केवल आप इस गलती को सुधारने के लिये डिप्टी सैक्रेटरी को इस कानून के तहत, इस अमेंडमेंड के द्वारा यह अधिकार देने जा रहे रहे हैं कि उसका जो निर्णय होगा वह मान्य होगा, विधि के अनुसार होगा। केवल इन छोटी छोटी गलतियों को निकालने के लिये हम 1973 के इस कानून में यह अमेंडमेंड ला रहे हैं।

मेरी आपसे एक ही विनती है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर वास्तव में आपकी यह मंशा है कि जिन लोगों के पास अधिक भूमि है उनकी भूमि प्राप्त करके हम गरीब आदमी को बांटना चाहते हैं तब तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन पिछले तीस साल का अनुभव रहा है, इस सरकार की जो आदर्त, मंशा रही है उसके आधार पर यह सन्देह पक्का होता है कि सरकार भूमि नहीं देना चाहती. केवल भूमिहीन व्यक्तियों के आधार पर अपनी राजनीति की रोटियां सेंकना चाहती है, केवल लोगों को सम्पत्ति के आधार पर डराये रखना चाहती है, उनको चमकाना चाहती है. उनको भयभीत करना चाहती है ताकि सरकार के विरोध में विरोध का झंडा लेकर खड़े न हों, वह राजनीति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकें, अपनी राजनीति के प्रभाव में लाकर वे जनता के भाव बदल न सकें, उन लोगों को डराने, चमकाने के लिये हम यह अमेंडमेंड ला रहे हैं। मैं यह चाहता हूं इसको पास करने से पहले इस पर विचार करें। हम कोई छोटा मोटा कानून पास नहीं करने जा रहे हैं। यह कानून भी क्यों पास करें? हमने इसकी अवधि भी घटा दी, पहले जोतों की जो सीमा थी वह खतम हो गयी। हमने इस अमेंडमेंड के द्वारा उनकी सीमा को बढ़ाने के लिये क्या नाटक किया? हमने चाहा कि जब तक केस विचाराधीन रहा उस पीरियड को माइनस करने के साथ उसकी अवधि को काउंट किया जायगा, इसका मतलब यह है कि आप जिस केस को भी चाहें, जो आलरेडी डिसाइड हो चुका है, चाहे 10 साल पुराना होगा, चाहे 15 साल पुराना होगा, उसको रिओपन करके सारे लोगों को इस भट्टी में झोंकना चाहते हैं।

(श्री गुलाबचंद कटारिया)

कहने के लिये सरकार यह कह सकती है, हम प्रगतिशील हैं, हम गरीबों को कुछ देना चाहते हैं । किन्तु इस प्रगतिशीलता के नाटक के पीछे वास्तव में षड़यंत्र है । मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके आप इस पर विचार करें, अगर आपको लगता है इसके द्वारा हमको करोड़ों एकड़ जमीन मिलने वाली है उसके आधार पर हम गरीब को दे पायेंगे ...

**श्री अध्यक्ष :** समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय जब अपना जवाब दें तो कृपा करके वह बतायें कि आज दिन तक सीलिंग के आधार पर आपने कितनी भूमि प्राप्त की, उसमें से कितनी आपने गरीब लोगों को अलाट की और उसमें से कितने लोगों ने कब्जा करके उसको काश्त के योग्य बनाया ? आज वास्तव में विवाद के कारण ...

**श्री अध्यक्ष :** समय काफी हो गया है, माननीय सदस्य ।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया :** केवल दो मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं, मैं तो ।

**श्री अध्यक्ष :** दो मिनट का तो समय हो गया । दस माननीय सदस्यों का परिनियत संकल्प है ।

(व्यवधान)

कल भी समय की तो यही समस्या रहेगी । आधा इसको पूरा आज कर देते हैं आधा कल कर लेंगे ।

**श्री हीरालाल देवपुरा राजस्व मंत्री :** पूरा पास करवा दीजिये !

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त कर रहा हूं कि यह सरकार प्रगतिशीलता के नारे में न आये, उसके ढोंग में न आये, जो केस आलरेडी डिसाइड हो गये है उनको रिओपन करने का कोई औचित्य नहीं है, उसको हम उचित नहीं मानते हैं । पिछले सत्र में भी इस विवाद के कारण और कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा इसे ठीक नहीं मानने के कारण यह नहीं आ सका । यह रखा रहा । लेकिन इस सरकार की हठधर्मी के कारण कुछ लोगों को राजनैतिक प्रेशर में दबाये रखने के कारण, उनका नाजायज फायदा लेने के लिये इसे रिओपन कर रहे हैं । इससे गरीब का कोई भला नहीं होगा ।

## सदन की कार्यवाही

### विधानसभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री अध्यक्ष :** सदन की अनुमति से बैठने का समय आधा घन्टे के लिये बढ़ाया जाता है ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा ।** संक्षेप में अपनी बात कहेंगी ।

## परिनियत संकल्प

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जून 1983 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिक-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

'तम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश 1983 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1983) को अस्वीकार करता है।

अध्यक्ष महोदय, जो बिल ला रहे हैं पहले अध्यादेश लाये थे, उसके बारे में मैं मन्त्री महोदय से एक बात करना चाहती हूं अरबन सीलिंग में बिल्कुल जमीन प्राप्त नहीं हो सकी, रूरल सीलिंग में भी कहीं जमीन प्राप्त हो सकी। जो झगड़े उस समय समाप्त हो गये थे इस संशोधन विधेयक के कारण बहुत अधिक संख्या में बढ़ जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष पैदा हो जायगा। इस तरह सारे मामले को रिओपन करना कदाचित उचित नहीं है। यही कहते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बिल को वापस ले लें और झगड़े न बढ़ायें।

**श्री अध्यक्ष :** श्री नाथूसिंह, कोई नई बात हो तो फरमावें।

**श्री नाथूसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा यह परिनियत संकल्प है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जून, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 1 सन 1983) को अस्वीकार करता है।

मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो मेन पर्पज है उसके पीछे सरकार की कोई अच्छी भावना नहीं बल्कि दुर्भावना है। अध्यक्ष महोदय, सीलिंग के मामलों के जो कोर्टस् में फैसले होते हैं उनको री–ओपन करना सरकार का कोई प्रगति–शील कदम नहीं होकर प्रतिक्रियावादी कदम है। यह सरकार अपने आपको प्रगतिशील कहे और कदम प्रतिक्रियावादी उठावे, अध्यक्ष महोदय, यह उदाहरण है इस सरकार का। इसके पीछे जो दुर्भावना है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ इनके आफिसर हैं, कुछ को-ऑपरेटिव सोसायटीज हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे फंसे हुए हैं जिनको यह सरकार लाभ देना चाहती है। उनको लाभ पहुंचाने के लिये यह इस तरह का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। इसलिये इस तरह का आर्डिनेंस निकाला है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, बैठे बैठे बातें न करें।

समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री नाथूसिंह :** अध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेन्स को जारी करने की ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। विधान सभा का सत्र आ रहा था इसलिए आपने फालतू ही जल्दबाजी की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल इस पर प्रकाश डालूंगा, इसलिये इसको अस्वीकार किया जाय।

**श्री अध्यक्ष :** श्री कैलाश मेघवाल। सुश्री पुष्पा जैन। श्री महावीर प्रसाद। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा परिनियत संकल्प है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 16 जून, 1983 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों की अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1983) को अस्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इस अध्यादेश के जरिये सीलिंग के केसेज री-ओपन करने में उप शासन सचिव को अधिकार देना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यदि वास्तव में सरकार की इस तरह की इच्छा होती तब हम अलाटमेंट करने के लिये गये तो हमने देखा कि सीलिंग की जमीन उन लोगों को अलाट की है जिनका अधिकार उन लोगों के पास आ चुका था। जिनकी वह जमीनें थीं उन्होंने पैसा लेकर ऐसे अमीर लोगों को बेच दीं और गरीबों का नाम लेते हैं। इस प्रकार इंडिविजुअल जो अलाटमेंट के नियमों में आते हैं उनको सीलिंग की जमीनें हमने अलाट की और जो पैसे वाले थे उन्होंने जमीनों के मालिकों से वह जमीनें खरीद ली ...

**श्री अध्यक्ष** : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि उप सचिव को अधिकार देकर सारे लोगों को जयपुर में बुलाना चाहते हैं। यदि री-ओपन कराना चाहते हैं तो जिस प्रकार से एक्ट में प्रावधान है पहले से उन्हीं लोगों को जिला स्तर पर अधिकार दे दिये जांय तो मैं समझता हूं कि लोगों को राहत मिलेगी। यदि हमने उप सचिव को अधिकार देकर सारे राजस्थान के गरीब लोगों को यहां पर बुलवाया तो न तो वह इतना खर्चा बरदाश्त कर सकेंगे और न सचिवालय में जा सकेंगे, उनको प्रवेश भी नहीं दिया जायेगा। इसलिये मैं मानता हूं कि इसको निरस्त किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री दाउदयाल जोशी, श्री हीरालाल आर्य, श्री देवीसिंह भाटी, श्री हीरालाल देवपुरा।

**श्री हीरालाल आर्य** : मैं बोल रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, हीरालाल आर्य।

**श्री अध्यक्ष** : आपका नाम आगे आ रहा है। मन्त्री महोदय, संक्षेप में।

**श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश पर परिनियत संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं कि इसको निरस्त किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके विचार सुने हैं जिनसे मुझे ऐसा लगा कि माननीय सदस्य इस अध्यादेश को पूरा समझ नहीं पाये हैं। इस अध्यादेश में कहीं किसी को परेशान करने की बात नहीं है। राजस्थान में सीलिंग लॉ वैसा का वैसा ही एग्जिस्ट करता है। केवल कुछ कानूनी खामी जो हाई कोर्ट द्वारा बताई गई उसको ठीक करने की बात की गई है। री-ओपन करने की जो बात कही गई है, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में जो दोनों सीलिंग लॉ, जो 1973 का है और उसके पहले वाला कांग्रेस सरकार ने पास किया, प्रगतिशील कानून है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। उसी के अन्तर्गत हमने प्रावधान रखा था कि किसी की ज्यादा जमीन निकलती है और किसी को ज्यादा मिल सकती है उसको हमने गलती से कम जमीन दे दी तो नये कानून में री-ओपन करने का प्रावधान होगा। कांग्रेस सरकार ने कहीं किसी का आउट आफ वे जाकर कोई केस री-ओपन नहीं किया है। जनता पार्टी की सरकार आई तब उसने उनको री-ओपन किया। आज वे सबके सब केसेज सरकार के सामने निर्णय के लिये हैं। प्रत्यक्षतः जिनमें निर्णय होना बाकी है। री-ओपन की दो स्टेज होती हैं,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, यह समझे होंगे, जैसा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अधिकार दे दिये जांय। तो इसका फाईनल फैसला तो जिला स्तर पर ही होता है. सचिवालय में नहीं होता। सचिवालय में तो केवल इस बात को देखा जाता है कि केस री-ओपन होने के लायक है या नहीं। उसको देख कर जो री-ओपन के लायक होता है उसको सम्बन्धित जिले में भेज देते हैं। वहां पर ए. डी. एम. या जो भी आथोराइज्ड अधिकारी है वह खुद फैसला करते है। जिला स्तर पर ही निर्णय होता है। खामी इस बात की है कि केस को री-ओपन करने का जो ओरिजनल एक्ट में प्रावधान किया गया था कि री-ओपन करने के लिये उप सचिव उसको देखेगा और सचिव डिस्पोज ऑफ करेगा। सारे केस को उप सचिव सुनता था और वह निर्णय के लिये सचिव को पेश कर देता था. हाई कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि यह गलत तरीका है। जो केस को सुनता है उसी को फैसला करना है। सेक्रेटरी अगर सुनता है तो सेक्रेटरी को पूरा केस सुन कर फैसला करना पड़ेगा। सेक्रेटरी के पास इतना समय नहीं हो सकता इसलिये इसको ठीक करने के लिये हमने प्रस्ताव किया कि उप सचिव को अधिकार दे देते हैं कि वह सुन कर री-ओपन करने के लायक है या नहीं, इसका फैसला कर ले। इसको कानूनी स्वरूप देना था। केसेज बहुत पेंडिंग थे किन्तु हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया तो केसेज डिस्पोज ऑफ हुए नहीं और पाइल-अप हो रहे हैं। हम चाहते है कि केसेज में जल्दी निर्णय हो जाय। कोई दूसरी नई पालिसी की बात नहीं थी जिसके लिये असेंबली का वेट करना पड़े। जरूरी था फैसला करना। लोगों के केसेज पेंडिंग थे उनका फैसला समय पर नहीं हो रहा था, उधर से आवाज उठा रहे थे कि हमारे केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिये इस अध्यादेश के माध्यम से यह संशोधन लाये, उप सचिव को अधिकृत कर दें इसके माध्यम से जिससे कि वह इनका फैसला करने में सक्षम हो जाय और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी पालना कर सकें, उसकी मंशा भी मान सकें, इसकी वजह से अध्यादेश लाये हैं।

दूसरा प्रोवीजन इसमें है उसके लिये निवेदन कर दिया। माननीय सदस्य शायद यह समझ रहे है कि लिमिटेशन देकर मैं स्वयं केसेज को री ओपन करवा रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैं केवल उन केसेज की बात कर रहा हूं जिसमें हाई कोर्ट ने इस टेक्निकल आधार पर फैसला किया हुआ है कहीं किसी केस में मेरिट पर फैसला किया हुआ है. वह कहीं इसमें कवर नहीं होता। तो यह कहना कि एक बार फैसला हो गया और फिर दुबारा होवे, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, केवल टैक्निकल आधार पर भेज दिये गये हैं कि उनका अधिकार नहीं था इसलिये हम अपील मन्जूर करते हैं। जो केसेज री-ओपन करने के लायक हैं वह भी बेकार चले गये। इसके लिये मियाद की मांग की है। इसमें जो केसेज इस तरह से अपील में या हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वापस टेक्निकल आधार पर आ जाते हैं तो उनको री-ओपन नहीं कर सकते क्योंकि कानून में उस पर्टीक्यूलर मियाद में नोटिस नहीं दे सकते। जिस पीरियड में कोर्ट में पेंडिंग रहे हैं, उसके लिये जो जनरल लॉ है लिमिटेशन का उसको हमने लिया है। उस पीरियड को इस मियाद में से निकाल दिया

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जाय जिसमें केसेज पर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया और उनको वापस री-ओपन कर फैसला कर सकें, यही प्रावधान किया है।

एक प्रावधान यह है कि जो उप सचिव ने फैसले किये उनको हम वेलिडेट कर दें जिससे वे भी बरकरार, कायम रह सकें। यही मंशा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ओरिजनेल एक्ट जो है सो है ही, कोई दूसरी बात नहीं है। जमीन जितसे लेनी थी वह हमने एक्ट में ली है और बांटी भी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि लगभग पांच लाख एकड़ से ऊपर जमीन हमने ली है और तीन लाख एकड़ ऊपर जमीन हमने लोगों को बांटी है। उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, और दूसरे लोग भी हैं, यह कई बार मैंने बताया है। जब वक्त आयेगा तो फिर निवेदन करूंगा। इसलिये जो अध्यादेश निकाला है वह सही था उसको मन्जूर किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री नाथूसिंह व श्री महावीर प्रसाद जैन ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : जनता पार्टी ने जो काम किये हैं उसकी तो आप स्वयं ही सराहना कर रहे हैं। उसका जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है लेकिन काम्पलीकेशन्स कितने हैं। आखिर कहीं न कहीं कोई सीमा तय करना होगी? लेण्ड सीलिंग के केसेज किस सीमा तक रहेंगे। जो कानून आपने बनाया है, ओरिजिनल कानून है, उसकी समयावधि आप कितने वर्ष तक रखना चाहते हैं, कितने वर्ष तक इन मामलों को आप पेन्डिंग रखना चाहते हैं ....

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह नये केसेज के लिये नहीं है?

**श्री अध्यक्ष** : पारित करने की स्टेज पर बोल लें। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : एक बार चर्चा होगी।

**श्री अध्यक्ष** : इस विषय पर जिनके संशोधन प्रस्ताव आये हैं वे बोल लें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इसको कल के लिये रखने में दिक्कत क्या है?

**श्री अध्यक्ष** : चार माननीय सदस्य हैं। दो दो मिनट में कह लेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय भी स्वीकार करेंगे। यह केवल डिप्टी सेक्रेटरी तक ही सीमित नहीं हैं। इस पर सभी बोलेंगे....

**श्री अध्यक्ष** : आप याद दिला रहे है।...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि मामला बहुत ही इम्पार्टेन्ट है। कब तक पेन्डिंग रखेंगे। यह तलवार, डेमोक्लीस सोर्ड लोगों के सिर पर लटकी हुई है। इसके सम्बन्ध में कभी न कभी सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। चाहे आपकी सरकार निर्णय ले या और कोई सरकार निर्णय करें, मेरा मतलब व्यक्तिगत तौर पर माथुर साहब से नहीं है, हमारी ओर से चाहे देवपुरा साहब आयें, सब एक से होंगे। मेरा

कहने का मतलब यह है कि मसला इम्पार्टेन्ट है, इसलिये है कि केवल डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पर केसेज खुल रहे है, सुनवाई हो रही है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर डिप्टी सेक्रेटरी इन मामलों की सुनवाई कर रहा है । रेवेन्यू बोर्ड में कई मामले विचाराधीन हैं । कई केसेज रेवेन्यू बोर्ड में जाते हैं । रेवेन्यू बोर्ड में बहुत मामले पेन्डिग हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं चाहे सरकार की मंशा कितनी ही सही हो, पुराने केसेज हाई-कोर्ट में है, उसकी वेलिडिटी करने का प्रश्न है । यह प्रश्न बिलकुल अलग है। इसके साथ मेन सीलिंग लॉ के जितने भी काम्पलीकेशन्स हैं उसके बारे में हम सरकार को निवेदन करना चाहते हैं ताकि उनको रिमूव किया जा सके । जो इस दायरे में आते हैं । इसलिये इसको कल पर रख लिया जाये तो अच्छा होगा ।

**श्री अध्यक्ष :** इस बिल को विचारार्थ ले लें ।

**राजस्व मंत्री महोदय ।** विचारार्थ लिये जाने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

**विधेयक पर विचार**

**श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री):** अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1983 विचारार्थ लिया जाये ?

**श्री अध्यक्ष :** सदन की कार्यवाही अब दिनांक 7 सितम्बर, 1983 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनंतर सदन की कार्यवाही सायं 6.15 बजे बुधवार दिनांक 7 सितम्बर, 1983 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

(152)



## परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 36 की प्रति)

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र श्री रतन कुमार चाचाण एडवोकेट तारानगर वार्ड नं. 9 दिनांक 4-2-83 जो जिलाधीश महोदय, चूरू को प्रस्तुत की गई।

सेवा में,

श्रीमान जिलाधीश महोदय,

चूरू

विषय:-वार्ड संख्या 9 (नया) तारा नगर में निर्वाचक नामावली प्रगणक द्वारा की गई अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाने बाबत।

श्रीमानजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कस्बा तारा नगर वार्ड संख्या 9 (नया) में श्री ताज मोहम्मद स. अ. निर्वाचन नामावली प्रगणक द्वारा सैकड़ों नाम फर्जी दर्ज किये गये हैं जो कस्बा तारानगर के कभी निवासी नहीं रहे है। इस प्रकार श्री ताज मोहम्मदजी ने लोक दस्तावेज को जान बूझ कर फर्जी तैयार किया है।

इसके अलावा कस्बा तारानगर के वार्ड संख्या 9 (नया) के काफी व्यक्तियों के नाम पिछले ग्राम पंचायत चुनावों के समय किसी व्यक्ति द्वारा जान बूझ कर ग्राम पंचायत निखाला तहसील तारानगर में पार्टी व गलत रूप से दर्ज किये है जब कि ये लोग कस्बा तारानगर वार्ड नं. 9 के निवासी हैं व वहीं पर इनके राशनकार्ड व पक्के मकानात बने हुए है इनके अलावा इनके कहीं भी निवास स्थान नहीं हैं।

अतः श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र पर गौर फरमाया जाकर उचित आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी

ह.

रतनकुमार चाचाण

एडवोकेट, तारानगर

दिनांक 4-2-83

प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र जो एस.डी.ओ. राजगढ़ को प्रस्तुत की गई।

विषय:-नगरपालिका तारानगर की मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच हेतु।

श्रीमान्जी,

नगरपालिका तारानगर के वार्डों की मतदाता सूची प्रगणकों द्वारा तैयार की जाकर संशोधन हेतु नगरपालिका तारानगर के कार्यालय में रखी हुई है। जिसका अवलोकन करने से मालूम हुआ है कि इस बार मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हुई है जो किन्ही व्यक्तियों द्वारा प्रगणकों से मिलकर किया हुआ कोई षड़यन्त्र प्रतीत होता है जिसकी निष्पक्ष एवं सम्पूर्ण जांच करके सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है जिससे प्रशासन एवं स्थानीय लोगों को बार बार परेशान न होना पड़े।

(1) कई वार्डों में सैकड़ों की तादाद में फर्जी मतदाता जोड़े गये हैं जो न तारानगर के निवासी है और न पहले कभी थे एवं इस प्रकार के लोग कहीं पर भी नहीं हैं जिसका नाम केवल झूठे व कपोल कल्पित है जिससे समय पर फर्जी मतदान करवाया जा सके।

(2) बहुत से मतदाता जो तारानगर नगरपालिका के निवासी नहीं है जिसके तारानगर में न कोई मकान है और न ही कोई राशन कार्ड है तथा रिहायश का कोई सबूत नहीं है बल्कि पंचायत समिति की पंचायतों के निवासी है तथा सम्बन्धित पंचायतों की मतदाता सूची में जिनके नाम अंकित है जिसकी सूची आपको अलग से पेश की जायेगी।

(3) अनेक ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची में आये हैं जो पंचायत समिति चूरू एवं तहसील भादरा व नोहर पंचायतों के निवासी हैं और उनके नाम सम्बन्धित पंचायत समितियों की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों में अंकित है।

(4) पंचायत समिति तारानगर में चुनिन्दा एवं सहवृत कई सदस्यों के नाम तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों के नाम भी नगरपालिका की मतदाता सूची में अंकित है। कई मतदाता जो अन्य वार्ड के निवासी हैं और जिनके घर व राशन कार्ड अन्य वार्डों में हैं किसी एक विशेष वार्ड में ही जान बूझ कर प्रगणकों ने साजिश करके लिख दिये है।

(5) नाबालिग बच्चों के नाम भी मतदाता सूचियों में जानबूझ कर जोड़े गये हैं तथा कई घरों में मतदाता मौजूद होते हुए भी नाम नहीं लिखे गये तथा परिवार में कई मतदाताओं को जानबूझ कर छोड़ दिया गया तथा सम्बन्धित घरों पर नम्बर भी अंकित नहीं किये गये हैं।

(6) मतदाता सूची में अनेकों ऐसे नाम सम्मिलित किये गये हैं जिनके वास्तविक नाम और ही हैं और यहां पर नाम वल्दियत बनावटी दिखाये गये हैं। किन्ही के पिता का नाम तथा किन्हीं के स्वयं का नाम बदल दिया गया है और इस सबसे बड़ा प्रमाण इस बात से

(154)



मिला है कि एक ही मकान में मतदाता की संख्या 30–40 तक दिखाई गई है जिनकी आयु 21–70 वर्षों की है मगर उनमें सभी पुरुष मतदाता ही हैं और स्त्रियों के नाम कहीं भी नहीं हैं।

अतः आपसे प्रार्थना है कि आकस्मिक रूप से जांच कर सच्चाई एवं सही तथ्यों को देख कर दोषी लोगों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन एवं अन्य धाराओं के अधीन कार्यवाही करें ताकि भविष्य में इस प्रकार बार बार दोहराई जाने वाली प्रवृत्ति का निदान हो सके और पूर्व में भी दिनांक 3–6–82 को मतदाता सूची में सुनवाई के समय जब बहुत से मतदाताओं के नाम जो गलत जोड़े गये थे आपके ही कार्यालय द्वारा हटा दिये गये थे वे पुनः वर्तमान सूची में अवैध रूप से जोड़ दिये गये है।

प्रार्थी<br>
ह०<br>
सम्पतराम मेघवाल<br>
वार्ड नं 2<br>
तारानगर (चूरू)<br>
ह०<br>
जुगलकिशोर शर्मा<br>
वार्ड नं. 4<br>
तारानगर

प्रतिलिपि

सेवामें,

श्रीमान् निर्वाचक पंजीयन अधिकारी महोदय,<br>
न.पा. तारानगर<br>
एस.डी.एम. राजगढ

विषयः –मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

नम्र निवेदन हैं कि वार्ड संख्या 4 के प्रगणक श्री रमेशचन्द्र स्वामी ने पूर्वाग्रह से अथवा किसी राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर मतदाता सूची (वार्ड संख्या 4) में काफी गड़बड़ी की है। जिनकी आप निष्पक्ष रूप से जांच करके कानूनी कार्यवाही करेंगे। कुछेक दोष-युक्त बिन्दु निम्न प्रकार है :—

(1) प्रगणक महोदय श्री रमेशचन्द्र स्वामी वार्ड संख्या 2 के निवासी है। किन्तु स्वयं प्रगणक होने के कारण अपना नाम वार्ड संख्या 4 में लिखा है। जो उनकी पूर्वाग्रह ग्रसित मन्शा का स्पष्ट द्योतक है।

(2) अपने कुटुम्बी जनो का नाम भी उनका निवास स्थान वार्ड नं. 2 में होने के बावजूद वार्ड नं. 4 में अंकित किया है यह भी उनकी भावी योजना को प्रदर्शित करता है।

(3) ऐसे व्यक्ति के परिवारजनों का नाम लिखा गया है जो स्वयं पंचायत समिति की उपसमिति का सदस्य है और कुल परिवार देहात में ही अपने ग्राम में रहता है।

(4) एक ही परिवार में विभिन्न स्थान व वल्दियत वाले नाम लिखे गये हैं।

(5) 5 वर्ष से 30 वर्ष तक की काल अवधि में भी तारानगर नहीं रहे, एवं सम्प्रति कुछेक के विदेश में होने पर भी नाम लिख दिये हैं जबकि सही परिवारों व परिवार जनों ने कुछ नाम जानबूझ कर छोड़ दिये गये हैं।

अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सही तथ्यों की जांच कर कानूनी कार्यवाही करें। आवश्यक प्रमाण हम प्रस्तुत करेंगे।

दिनांक 9-2-83

प्रार्थी,

ह.

(द्वारकाप्रसाद चावाण)

वार्ड नं. 4, तारानगर/

प्रतिलिपि दरख्वास्त करीमबक्स पुत्र कमरूदीन वार्ड नं. 7 तारानगर जो एस.डी.एम. राजगढ़ को दिनांक 17-2-83 को प्रस्तुत की गई।

सेवामें,

श्रीमान एस.डी.एम. महोदय,

राजगढ़

विषयः –वार्ड संख्या 7 की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियों के क्रम में।

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि वार्ड संख्या 7 में प्रगणक महोदय नोरतन ने मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में फर्जी वोट जोड़ दिये हैं। अतः कृपा करके आप इनकी सही जांच करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

यह कि वार्ड की कुल जनसंख्या 874 है और उसमें मतदाता 698 है यह आंकड़े बताते हैं कि इनमें फर्जी वोट ज्यादा है चूंकि पड़ोसी वार्ड संख्या 6 में कुल जनसंख्या 826

(158)



है और मतदाता 500 है । इस अन्तर से यह स्पष्ट है कि झूठे मतदाता वार्ड संख्या 7 में काफी है । यह कि घर संख्या 54 में एक ही स्थान पर 35 मतदाता भिन्न-भिन्न वल्दियत के दिखाये हैं जो कि वास्तविक रूप में तारानगर के रहने वाले नही है । यह कि घर संख्या 121 में 12 मतदाता दिखाये हैं जबकि इस नाम व वल्दियत वाले व्यक्ति भी यहां नहीं रहे और न अब ही रहते हैं जबकि तथाकथित गृह स्वामी अमीचन्द तारानगर पंचायत बेमड़े के अलायला ग्राम पंचायत के सरपंच हैं ।

कृपया उक्त तथ्यों के बारे में सही जांच कर दोषी व्यक्तियों व प्रगणक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें ।

वरवक्त जांच और भी तथ्य प्रस्तुत किये जायेंगे ।

प्रार्थी
ह. करीमबक्स,
पुत्र कमरूदीन, वार्ड नं. 7
तारानगर ।

प्रतिलिपि पत्र द्वारा चाचाण दिनांक 19.2.82 जो निर्वाचक पंजियक अधिकारी नगरपालिका तारानगर को प्रस्तुत किया गया ।

श्रीमानजी,

मैंने वार्ड नं. 4 की जो मतदाता सूची में नाम जोड़े गये है उनके विषय में एतराज प्रस्तुत नियमानुसार निर्धारित अवधि में कर दिये गये है । जिनके विषय में लिखित एतराज तथ्यों के साथ आज प्रस्तुत कर रहा हूं ।

(1) यह कि जो मैंने एतराज प्रस्तुत किये हैं वे सभी लोग पंचायत क्षेत्र के स्थाई निवासी हैं जिनमें अधिकांश अलायला पंचायत के गांगटिया चारनान के निवासी हैं । वर्तमान में जो नाम घर संख्या 95 में क्रम संख्या 397 से 413 तक प्रगणक ने जोड़े है उनके विषय में निवेदन है कि ये सभी अलायला पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 व 6 के निवासी है जिनका नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज है । इसलिये जन प्रतिनिधि अधिनियम एवं नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तारानगर विधान सभा क्षेत्र में दो जगह नाम मतदाता सूची में लिखे जा सकते । इसलिये क्रम संख्या 397 से 413 तक बिना आधार के दर्ज किये जाने के कारण हटाने योग्य है ।

(2) यह कि उपरोक्त नामों के विषय में जो 397 से 413 तक गलत ढंग से दर्ज किये हैं वोही नाम गलत ढंग से पहले भी दर्ज किये थे जिनको तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री मेहरा जो आपके पूर्वाधिकारी थे, ने बाद सुनवाई व जांच करके हटा दिये थे क्योंकि इनको तारानगर का निवासी नहीं माना था । जो नाम हटाये गये थे उनकी सूची संलग्न अवलोकनार्थ प्रस्तुत है । जिनके विषय में निर्णय हो चुका है उन्हीं तथ्यों पर पुनः निर्णय नियमों के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है ।

(3) यह कि जो नाम वर्तमान में जो घर संख्या 61 में 248 से 260 तक दर्ज गलत ढंग से किये है उनके विषय में निवेदन है कि श्री नोरंगराम 248 का नाम पहले क्रम संख्या 828 मे दर्ज था को तारीख 3-6-82 को हटाने का निर्णय हो चुका है जो सूची में दर्ज है। अब उसने मतदाताओं की संख्या भी गलत ढंग से बढ़ाई हैं जो अब भी हटाने योग्य है। क्योंकि ये पंचायत समिति के क्षेत्र के गाजूवास ग्राम पंचायत के दूणास ग्राम के हैं। वहीं उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं जिसका पूर्ण विवरण प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आक्षेप-पत्र में दर्ज कर दिया गया है। श्री नोरंगराम ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने का कारण पंचायत समिति तारानगर की वित्त एवं स्थाई प्रशासन समिति का सहवृत सदस्य है। अतः इसके परिवार एवं स्वयं का नाम तारानगर-पालिका क्षेत्र में नियमानुसार दर्ज नहीं हो सकता। इसलिये क्रम संख्या 248 से 260 तक हटाने योग्य है। न ये यहां के स्थाई निवासी है न इनका राशन कार्ड है न इनका मकान है न ये किसी के किरायेदार है और न इनका जनगणना से तारानगर में नाम दर्ज है। प्रगणक श्री रमेश चन्द्र स्वामी जो वार्ड नं. 2 का स्थाई निवासी है व श्री केदार मल स्वामी का स्वयं जाति का रिश्तेदार भी होने के कारण गलत ढंग से मिल कर नाम दर्ज किये है। जो नाम हटाने योग्य है।

(4) यह कि जो नाम 208 से 213 क्रम संख्या में दर्ज किये है वे आनन्दसिंहपुरा के क्रम संख्या 248, 249, 237 238, 250 ग्राम गोडास वार्ड नं० 4 में दर्ज है जिनके राशन कार्ड भी 382, 381, 385 नम्बर के गोडास ग्राम के हैं। इसलिये ये नाम भी हटाने योग्य है। न यहां इनका घर है और न ही किरायेदार है और न स्थाई या अस्थाई निवासी है और न इनका राशन कार्ड है।

(5) यह कि जो नाम क्रम संख्या 241 से 244 तक दर्ज किये गये हैं वे सभी ग्राम करणपुरा के निवासी है वहीं उन्होंने अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करा रखे हैं जिनका राशन कार्ड नं. 54 है।

(6) यह कि जो घर संख्या 44 में क्रम संख्या 201 से 205 तक दर्ज किये है वे सभी ग्राम घटेल (चूरू) के रहने वाले हैं ये गलत ढंग से नाम दर्ज किये गये हैं जो हटाने योग्य हैं।

(7) यह कि प्रगणक श्री रमेश चन्द्र स्वामी ने फर्जी रेकार्ड तैयार करने का रेकार्ड ही तोड़ दिया है। उसने स्वयं ने भी वार्ड नं. 2 की बजाय वार्ड नं० 4 में क्रम संख्या 296 से 399 तक अपना व अपने परिवार का जिसमें भाई व उसकी पत्नि का नाम दर्ज किया है जबकि वे वार्ड नं० 2 के स्थायी निवासी है तथा क्रम संख्या 145 व 146 नम्बर का राशन कार्ड भी है जो वार्ड संख्या 2 का है।

(8) यह कि जो नाम क्रम संख्या 330 से 333 तक भंवरलाल स्वामी व सुमन कंवर के नाम से 4 नाम दर्ज किये हैं वे वार्ड संख्या 2 के स्थायी निवासी हैं तथा इनके राशन

158



कार्ड वार्ड सं. 2 के बने हुए हैं जिनका नं. 136 है। प्रगणक श्री रमेश चन्द्र स्वामी ने जान बूझ कर अपने सब जनों के नाम गलत ढ़ंग से लिखे हैं। अतः ये हटाये जाने योग्य हैं।

(9) यह कि प्रगणक श्री रमेश चन्द्र स्वामी ने अपने ताऊ के लड़कों महावीर प्रसाद व इन्द्रजीत व उनकी पत्नियों के नाम भी केदारमल स्वामी के इशारे पर क्रम संख्या 263 से 266 तक जो नाम दर्ज किये हैं वे वार्ड नं. 2 के निवासी हैं जिनका राशन कार्ड नं. 173 व 175 है। वे वर्तमान में वहीं रहते हैं। जो नाम दर्ज किये हैं वे सभी प्रगणक श्री रमेश चन्द्र स्वामी ने जानबूझ कर फर्जी रेकार्ड तैयार करने के उद्देश्य से श्री केदारमल स्वामी से मिलकर तैयार किये जो जन प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 17 के अनुसार गलत है। तथा नगरपालिका अधिनियम के संशोधित धारा 17 के अनुसार भी गलत है।

(10) यह कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय जिसमें ए आई.आर. 1964 पटना पेज 459 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र के लिये बनाई गई मतदाता सूची ही नगरपालिका क्षेत्र के लिये निदेशक का कार्य करेगी जिसके अनुसार प्रगणक श्री रमेश चन्द्र स्वामी ने उपरोक्त नगरपालिका क्षेत्र के बाहर के व अन्य वार्डों के गलत ढ़ंग से दर्ज किये हैं जो नियमों के तहत नहीं है। इससे कानून की निश्चित रूप से अवहेलना की गई है जो चुनाव अवैध घोषित कराने में सहयोगी सिद्ध होगी।

(11) यह कि जांच अधिकारी श्री आर.आई. (गिरदावर) श्री नोरंगराम पूनिया ने बिना मौके पर गये जांच की है जो न नियमों के अनुसार है और न तथ्यों के अनुसार है इसलिये इसके द्वारा की गई जांच अवैधानिक है।

अतः आपसे निवेदन है कि न्याय व इन्साफ की दृष्टि से व कानून व नियमों के रक्षक होने के कारण लोक हित में निष्पक्ष कार्यवाही के हित में उपरोक्त सैंकड़ों नाम जो प्रगणक श्री रमेश चन्द्र स्वामी ने गलत ढंग से जोड़े हैं वे हटाये जावें तथा श्री स्वामी के खिलाफ फर्जी रेकार्ड तैयार करने का मुकदमा चलाया जावे।

प्रार्थी

संलग्न :—पूर्व में हटाये गये नामों की अधिकृत सूची तारीख 19-2-83

ह/-
द्वारका प्रसाद पुत्र श्री बजरंगलाल चाचाण
तारानगर।

प्रतिलिपि जिलाधीश महोदय चूरू।

प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र सम्पतराम मेघवाल वार्ड नं. 2 तारानगर दिनांक 18-8-83 जो श्रीमान् जिलाधीश महोदय को प्रस्तुत किया।

सेवामें,

श्रीमान् जिला दण्डनायक महोदय, चूरू

विषय :—फर्जी कार्य तथा फर्जी रेकार्ड तैयार करने के विषय में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने बाबत।

श्रीमान्जी,

प्रार्थी कस्बा तारानगर का स्थाई निवासी हूँ तथा सामाजिक कार्यकर्ता है। उपरोक्त विषय में निम्न निवेदन करता हूं :–

यह कि वार्ड नं. 2 की मतदाता सूची में प्रगणक ने उन नामों को दर्ज किया जो कभी भी तारानगर के स्थाई साधारण निवासी नहीं रहे तथा जो ग्राम पंचायतों के रहने वाले हैं और जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में अंकित है। प्रार्थी ने जिनके बारे में नियमानुसार ई. आर. ओ. तारानगर ( एस. डी. एम. ) राजगढ़ के समक्ष आक्षेप पत्र प्रस्तुत कर दिये थे।

यह कि ई. आर. ओ. ( एस.डी.एम. ) राजगढ़ ने लगभग 50 मतदाताओं के नाम तो हटा दिये मगर 48 व्यक्तियों के नामों को नहीं हटाया जिसके बारे में जिलाधीश महोदय, चूरू के यहां अपील कर रखी है तथा जिलाधीश कार्यालय से इन मतदाताओं के नाम सम्मन पत्र तामील हेतु तहसीलदार कार्यालय तारानगर में पहुंचे तो कर्मचारियों से मिल कर फर्जी तामील तस्दीक फर्जी अंगूठे व हस्ताक्षर द्वारा करदी गई तथा शिनाख्त–कर्ता एक भी वार्ड नं. 2 का व्यक्ति नहीं है बल्कि स्वयं प्रगणक के कुछ लोगों की शिनाख्त की है।

यह तारीख पेशी पर श्री केदारमल एडवोकेट ने फर्जी अंगूठे व हस्ताक्षर लगाकर तथा स्वयं हस्ताक्षर कर सभी व्यक्तियों की तरफ से वकालतनामा पेश किया था जिसके बारे में प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र व प्रार्थना-पत्र भी पेश कर दिया था उपरोक्त अंगूठे व हस्ताक्षर फर्जी है। मगर अभी तक इस बारे में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के नाते प्रार्थी का दायित्व है कि किसी भी सार्वजनिक हित में गलत कार्य का विरोध करे। इसी प्रकार नियमों की पालनामानी से हो प्रार्थी निवेदन करता है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने व उसमें सहयोग देने वालों का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है। इसलिये व इन्साफ तथा सार्वजनिक हित में उक्त मामले में पुलिस में भारतीय दण्ड सहित के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करा कर जांच कराई जावे तथा दोषियों को दण्ड दिलाया जावे ताकि इस परम्परा को बढ़ावा न मिल सके।

नोट :—उदाहरण के तौर पर श्री अनन्तराम पुत्र श्री दीपाराम व मनीराम पुत्र श्री गजानन्द जो अध्यापक हैं के हस्ताक्षर साथ में संलग्न है।

प्रार्थी
हस्ताक्षर
सम्पत राम मेघवाल
वार्ड नं. 2
तारानगर (चूरू)

दिनांक :–18–8–83

160



प्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र द्वारका प्रसाद चाचाण वार्ड नं. 4 तारानगर (चूरू) दिनांक 18–8–83 जो जिलाधीश महोदय, चूरू को प्रस्तुत की गई।

सेवा में,

श्रीमान जिला दण्डनायक महोदय, चूरू

विषयः–फर्जी कार्य एवं फर्जी कागजात तैयार करने के विषय में पुलिस में मुकद्मा दर्ज कराने के बाबत।

श्रीमान्‌जी

प्रार्थी कस्बा तारानगर का स्थाई निवासी है तथा नगरपालिका का भूतपूर्व सदस्य भी है एवं भारतीय जनता पार्टी का सम्प्रति जिला मंत्री भी है निम्न निवेदन करता हूं:–

यह कि वार्ड संख्या 4 में जब मतदाता सूची में लोगों के नाम दर्ज कर दिये गये जो तारानगर के कभी स्थाई व अस्थाई व साधारण निवासी नहीं रहे हैं बल्कि ये विभिन्न पंचायत क्षेत्रों तथा अलायला, आनन्दसिंहपुरा व सांखू आदि के निवासी हैं तथा प्रार्थी ने नियमानुसार एतराज ई. आर. ओ. के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे।

यह कि आक्षेपित नामों में से कुछ यानि 39 तो काट दिये गये एवं 19 नाम बाकी रह गये जो कि काटे नहीं गये। इसके अतिरिक्त सात नाम और भी गलत रूप से जोड़ दिये गये जिनके विषय में जिलाधीश महोदय के यहां अपील भी नियमानुसार प्रस्तुत कर दी है। जिनके विषय में ऐतराज था उनको जिलाधीश महोदय के अनुसार नोटिस भर कर प्रस्तुत करने पर तामील हेतु तहसीलदार तारानगर के पास जिलाधीश महोदय ने भेज दिये थे।

यह कि उक्त सम्मनों की तामील फर्जी तौर से गलत अंगूठे व दस्तखत करके पहचानकर्ता श्री शिवबक्स स्वामी व उनके सहयोगियों ने हस्ताक्षर करवा कर दी है। तथा फर्जी दस्तखत व अंगूठे लगवाकर यहां भी वकालतनामा श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट ने प्रस्तुत किया है। जो कि उक्त श्री शिवबक्स जी के लड़के हैं। इस विषय में निवेदन है कि जिन आवेदनों के आधार पर जिन व्यक्तियों के नाम लिखे गये हैं वे अधिकांश फर्जी अंगूठे व दस्तखतों के आधार पर कार्यवाही की है जिनकी साक्षी श्री केदारमल स्वामी एडवोकेट ने बतौर उसी वार्ड का होने के नाते की है जो रिकार्ड आपके अधीनस्थ कार्यालय चूरू व राजगढ़ में मौजूद उक्त फर्जी कार्यवाहियों के विषय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र जो अपीलें प्रस्तुत की उनमें प्रस्तुत कर दिया है।

सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के नाते कानून व नियमों की पालना सही ढंग से इस उद्देश्य से श्रीमान् जी से निवेदन करता हूं कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने व उसमें सहयोग देने

161



वालों का कृत्य भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है । इसलिए न्याय एवं इन्साफ व सार्वजनिक हित में श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि उक्त मामले में पुलिस में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करवा कर जांच करवाई जावे तथा दोषियों को दण्ड दिलाया जावे । दिनांक 18–8–83 ।

प्रार्थी

ह.

द्वारका प्रसाद चौहाण

वार्ड नं. 4

तारानगर (चूरू)

प्रतिलिपि पत्र संख्या शून्य दिनांक 17–5–83 ओर से उपजिलाधीश राजगढ़ निमित्त जिलाधीश महोदय चूरू ।

मुख्य प्रगणकों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में ।
प्रसंग : आपका दूरभाष सन्देश ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नगरपालिका क्षेत्र तारानगर की मतदाता सूची बनाने हेतु कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था । उक्त कर्मचारियों द्वारा तैयारी मतदाता सूची में भारी अनियमितता करने की शिकायतें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी एवं प्राप्त हुई थी ।

जांच के दौरान पाया गया कि श्री विजयकुमार एवं रमेशचन्द्र स्वामी अध्यापक आदि ने भारी पैमाने पर फर्जी नामों का अंकन किया एवं ऐसे छात्रों के नाम भी मतदाता सूची में जुड़वा दिये जिनकी आयु 21 वर्ष से बहुत ही कम थी । शिक्षक होने के नाते इनकी इन्हें अच्छी तरह से जानकारी थी ।

जांच के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे प्रशासन की छवि बिगड़े एवं आम लोगों में अविश्वास की भावना पैदा हो । पुनः जांच के दौरान भी इन व्यक्तियों ने खुल कर लोगों को लाने एवं जांच को प्रमाणित करने का प्रयास किया । विवरणिका में अंकित नामों को हटाये जाने के बाद भी कई नामों के सम्बन्ध में अपील श्रीमान् के यहां विचाराधीन है ।

(162)



आश्चर्य की बात यहां तक है कि अध्यापक विजयकुमार ने तो आपके यहां से प्रेषित नोटिसों को मनीराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर कुछ लोगों से हस्ताक्षर करवा कर तामील करवाये बताये जाते हैं जिनकी पहचान स्वयं विजय कुमार ने ही की है। जो व्यक्ति स्वयं प्रगणक है। जांच उसी के किये कार्य पर चल रही हो उसी व्यक्ति द्वारा बाहर के व्यक्ति का पहचानकर्ता बनना न केवल कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतना है बल्कि जांच को प्रभावित भी करना है।

मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करवायी एवं दण्डित करवाया जाये जिससे चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता में लोगों का विश्वास जमा रहे। आवश्यक पत्रादि संलग्न है।

भवनिष्ठ

ह०

अलाउदीन आजाद
एस० डी० ओ०, राजगढ़

सादर
श्रीमान् अतुल कुमार साहब गर्ग
आई० ए० एस० जिलाधीश, चूरू

## परिशिष्ट – 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 38 की प्रतियां)

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
जयपुर (राजस्थान)

विषयः—ग्राम पंचायत घासा तहसील मावली द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जिलाधीश, उदयपुर द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी की जांच के संदर्भ में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में लेख है कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, उदयपुर की ओर से जो जांच अधिकारी ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच हेतु आये उनसे जो विस्तृत सूचना निर्माण कार्यों की मिली उसमें सरपंच ने जो गोलमाल किया उसका ब्यौरा श्रीमान् की सेवा में विस्तृत जांच हेतु प्रेषित है—

(1) सन् 1979–80 में दूध तलाई हेतु 5105 रुपया 75 पैसा निर्माण कार्य के उठाये गये कोई कार्य नहीं हुआ जांच कराई जाये।

(2) एनिकट पर सिचाई विभाग की ओर से कार्य हुआ जबकि 5044–65 रुपये उठाये गये मात्र जमा खर्च है।

(3) खुरा बस स्टेण्ड के सदर बाजार तक बनाने के 4057–79 रुपये उठाये गये जबकि यह कार्य हुआ ही नहीं। जो कार्य कराया गया वह घासा से देलवाडा रोड़ की गेंग व माल मेटेरियल के अब कराया गया, दोनों ही कार्य विधि गलत है।

(4) नालियों के नाम से जो राशि सन् 79–80 में 5466–30 रुपये उठाये गये जबकि गांव वालों से प्रति गृहस्थी 25–25 रुपये चन्दा एकत्रित किया गया। यह राशि कहां गई?

(5) हनुमान जी पार्क की बाउन्ड्री के रुपये 8901–80 रुपये उठाये गये यह पत्थर पूर्व के थे और कार्य भी पहले हो चुका था यह राशि भी हड़प ली गई है।

(6) नाली जैन मन्दिर से समाज कल्याण तक के 6241–80 रुपये दर्शाए गये जब कि लोगों से चन्दा किया गया और कार्य की जांच करायी जाय नाली इतने रुपयों में भी कम में बनी है।

(7) नाली निर्माण जो बस स्टैण्ड के नालियों का चौरा तक बनाने के 5525–44 रुपया दर्शाये गये यह भी पूर्ण रूप से गलत है

(8) सड़क घासा से बावेर तक के 4979–10 रुपया दर्शाये गये कार्य श्रमदान से हुआ मौके पर पधार कर जांच करायें यह पूर्ण राशि हड़पी गई है।

सत्र 1979–80

(1) प्रा० विद्यालय कन्या शाला हेतु इस सत्र में 19036–66 रुपया उठाये गये ठेकेदार को बहुत कम राशि में ठेका दिया गया बयान पूर्व में जांच अधिकारी के कर आ गये और सीमेंट के 60 कट्टे दर्शाये गये जबकि ठेकेदार के अनुसार 20 कट्टे ही लगाये गये।

(2) सार्वजनिक सराय व बाउन्ड्री वाल का कार्य उस हेतु 19267–08 रुपये उठाये गये और 40 सीमेंट थैला प्राप्त किये जबकि स्थानीय गांव में सराय नाम से कोई स्थान ही नहीं है।

(3) पंचायत भवन के नाम [illegible] स सत्र में 14999-30 रुपये व 10 सीमेंट के कट्टे उठाये गये प्लास्टर का ठेका 1000 रुपया एक हजार में हुआ और फर्श का कार्य 550 पांच सौ पचास रुपया में बकाया [illegible] सरपंच देवीलाल खा. गया ठेकेदार के बयान जांच अधिकारी के पास दर्ज हैं, जांच कराइ जाय (10 थैले सीमेंट भी उठाई जबकि 5 थैले ही लगाये गये।)

सत्र 1980-81

(1) सड़क घासा से रस्यानव तक बनाने के 26460–54 रुपया उठाये गये कार्य जन सहयोग सहित 500) पांच सौ रुपया का भी नहीं हुआ सबसे बड़ा गबन है सड़क कागजों में ही बनी है अविलम्ब जांच कराये। स्थानीय सरपंच विशेष रूप से 420 में दक्षता प्राप्त कर रखी है।

(2) प्रा० वि० कन्या शाला बाउन्ड्री की दीवार के 7000 सात हजार रुपया उठाये गये हमने विकास अधिकारी को लिखा कि यह बिल पास नहीं किया जाय क्योंकि पत्थर गांव के हैं और हमारे चन्दे से लाये हैं परन्तु वह राशि उठा ली गई हैं कृपया जांच कराये लोगों की इस शिकायत का प्रार्थना-पत्र, आज भी अध्यक्ष, सुभाष युवक मण्डल के पास मौजूद है।

(3) दूध तलाई में कुआं बनाने में 7079–00 रुपये उठाये गये कार्य 1200) रुपये का भी नहीं हुआ सरकार को धोखा दिया गया है जांच करायें।

(4) महादेवजी के वहां सार्वजनिक बावड़ी को ठीक कराने के 6013 रु. 44 पैसे उठाये गये जबकि कार्य 1000) एक हजार रुपया का भी नहीं कराया जांच करायें।

(5) प्रा. विद्यालय जिसके बारे में हमने आपको ज्ञापन दिया वहां 22920–42 रुपया व 138 सीमेन्ट के कट्टे उठाये गये सीमेंट उसमें से 38 कट्टे भी नहीं लगाये बकाया सीमेन्ट ब्लेक में बेचा गया और कार्य भी 22920/ –का भी नहीं बल्कि 12 हजार रुपया का भी नहीं है। अल्प राशि व्यय कर इन नन्हें मुन्हें बच्चों की जिन्दगी का खिलवाड़ खेला गया है। इस निर्माण कार्य से कभी भी ये भवन बिना किसी संकेत मिले गिर जायगा उस समय शाला समय में पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने आहलीजा प्राप्त कर लेंगे अन्दाज नहीं है। यदि इस घटना में कोई भी शिशु मरणासन्न हो जायेगा तो इस घटना के आप स्वयं पूर्ण रूपेण जिम्मेदार होगे।

(6) संजय युवक मण्डल के नाम को 8018 रु. 80 पैसे व 10 सीमेन्ट के कट्टे उठाये गये जो बिल्कुल फर्जी है इस नाम का कोई मण्डल है ही नहीं, पचानक छापा मार कर जांच कराये नहीं, तो कागजी कार्यवाही करके बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। संजय युवक मण्डल का कोई भवन ही नहीं है न कोई कार्यालय ही है न इस मण्डल का गठन ही हुआ है।

सत्र 1981–82

(1) प्रा. विद्यालय निम्बोला का गुड़ा के नाम के 30,000) रुपया स्वीकृत हुए हैं, इसकी जांच करायी जाय जन सहयोग भी लिया जा रहा है।

(2) प्राथमिक विद्यालय कन्या शाला के नाम से भी 30,000) तीस हजार स्वीकृत हुए हैं। इसके पत्थर गांव के हैं फर्जी पैसे पुन: उठाये जावेंगे जांच करावें और कार्य किसी अन्य को सौंपा जाय।

(3) आयुर्वेद चिकित्सालय हेतु 30,000) तीस हजार स्वीकृत हुए उसमें भी कच्ची दीवार बनी हुई है और उसको पक्का कराने के नाम से रुपये उठाये जा रहे हैं फर्जी कार्य दर्शा कर पैसे बटोरे जा रहे हैं रोक लगा कर जांच करायें।

(4) शाला उद्यान के नाम से 30,000) तीस हजार रुपया स्वीकृत हुए हैं और 1138 रु 20 पैसे उठा भी लिये गये हैं जबकि यह उद्यान मात्र कागजों में बना हुआ है यह भी गबन है जांच करावें। स्थानीय गांव में कोई उद्यान नहीं है। एक ही स्थान सार्वजनिक पार्क को दो नाम से कर राशि हड़पी गई है।

उपरोक्त तथ्यों के अलावा :

(1) गांव के चन्दों व शादी विवाह में एकत्र चन्दों से प्रा. वि. का कार्य हुवा चन्दों की जांच करावें कितना हुवा है और कहां लगाया गया क्योंकि नियन्त्रण सरपंच का है।

(2) स्व. निरंजन नाथ आचार्य के नाम पर स्मारक बनाने हेतु शायद 15000) रु. इकट्ठे किये गये कहां गये रसीदें मौजूद हैं जांच करावें।

(166)



(3) कूपन पर प्रति कूपन 1–40 रु. व सीमेन्ट पर 2) रु. लिये जाते हैं हिसाब की जांच की जाये।

(4) विद्यालय व अन्य निर्माण कार्यों हेतु जिन श्रमिकों की मजदूरी दर्शाई गई उन्होंने जन सहयोग के रूप में चढ़ाई फर्जी राशि उठाई गई।

(5) संजय नव युवक मण्डल के नाम का जो कमरा दर्शाया गया वह किसान समाज सुधार समिति ने बनाया उनके लेखों में सभी राशि दर्ज है यह राशि पूर्ण रूप से हड़पी गयी, जांच करायें।

कुल 2 लाख 70 हजार रु. के कार्य मन्जूर हैं इसमें से आधा कार्य भी नहीं हैं ऐसे ही गेहूं, चावल व 510 सीमेन्ट की बोरियां हैं पूर्ण जांच करावें।

(5) स्थानीय गांव में भीलों का मोहल्ले मे गोरख्या माता जी का मन्दिर बना हुआ है यह मन्दिर भीलों ने अपने निजी राशि से बनाया जिसकी राशि निम्न तरीके से प्राप्त करली।

(क) जन सहयोग से राशि प्राप्त की गई इस राशि को पूरी पूरी हड़प ली है।

(ख) भीलों को यह बात कही गई कि मैं गोरख्या माता जी के मन्दिर पर पट्टियां चढ़ा दूंगा। पट्टी चढ़ाई गई उसकी राशि जन सहयोग तथा अन्य निर्माण कार्य (शाला भवन) में भी बता कर प्राप्त करली।

(6) श्रमिकों को श्रमिक एव जाना में गेहूं तथा चावल दिये गये इनमें प्रत्येक श्रमिक से अपनी इच्छानुसार कटौती की गई। इस कटौती का एकत्रित गेहूं, चावल बिक्री कर स्थानीय सरपंच ने अपना निजी स्वार्थ सिद्ध किया है।

(7) सरकार ने लघु योजना (सिलाई बुनाई कताई व चर्म उद्योग) स्थापित कर बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने का कार्य स्थानीय गांव में स्थापित की और उसका पारिश्रमिक मिला इस कार्य के ट्रेनिंग दाता तथा सीखने वाले व्यक्तियों को कितना पारिश्रमिक दिया गया जांच कराई जावे।

(8) स्थानीय इस सरपंच (देवी लाल) द्वारा गत वर्षों में जो भी कार्य कराए उन कार्यों के भुगतान हेतु नियमानुसार जो वाउचर्स होने चाहिये समय पर प्राप्त नहीं किये और विकास खण्ड मावली से बिना किसी कार्य के पत्रादि की पूर्ति होते हुए राशि प्राप्त करली उन कार्यों से सम्बन्धित पत्रादि की पूर्ति कराई जा रही है।

(9) पिछले 5 वर्ष 77-78, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82 के आय-व्यय के लेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिलाने की व्यवस्था अविलम्ब स्थानीय सुभाष युवक मण्डल के पदाधिकारी जी को उपलब्ध कराई जावे प्रतिलिपियां उपलब्धता पश्चात् और अनियमितता का भण्डाफोड़ किया जा सके। विलम्बता के आप स्वयं जिम्मेदार हैं।

(10) ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों के नाम पर राशि अंकित कर स्वयं ने राशि उठाई जिसका भुगतान सम्बन्धित व्यक्ति को करना पड़ा है इस लेखे की जांच गुप्तचर विभाग से कराई जावे।

संक्षिप्त ब्यौरा जो और नीचे दर्शाया जा रहा है कि इसके पढ़ने से आप स्वयं भलीभांति परिचित हो चुके हैं कि स्थानीय सरपंच ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति द्वारा राजकीय राशि जन सहयोग की राशि तथा एक ही कार्य के दो नाम लेकर कार्य निर्माण नहीं होने की अवस्था में फर्जी मस्टर रोल बना पेमेन्ट करने में आप कितने चातुर्य हैं।

समुचित कार्यवाही अपनाने में समय की आवश्यकता रहेगी जिसका लाभ स्थानीय सरपंच को प्राप्त हो जावेगा अतः इस कार्यवाही से पूर्व सरपंच को तत्काल निलम्बित कराया जावे अन्यथा विलम्बित नहीं होने की दशा में अपने वर्चस्व से इन दर्शाये गये आरोपों से मुक्त हो जावेगा जिसके सहयोगी आपको माना जावेगा।

| क्र.सं. | कार्य का नाम | राशि जो उठाई गई | विशेष टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दूध तलाई पर निर्माण कार्य | 5105-75 | एक पैसे का कार्य नहीं कराया पूरी राशि हड़पी। |
| 2 | एनिकट | 5044-65 | ,, ,, ,, |
| 3. | बस स्टेण्ड से सदर बाजार एक खुर्रा बनाना। | 4057-79 | कार्य पी.डब्लू.डी के देलवाड़ा वामा रोड के माल मेटेरियल से यह राशि हड़पी गई। |
| 4. | आबादी में नालियां का निर्माण | 5466-30 | जन सहयोग प्रति परिवार 25-25 रु० हड़पी गई। |
| 5. | हनुमान जी के सामने पार्क | 8901-80 | कार्य पूर्व की राशि दुबारा उठाई। |
| 6. | जैन मन्दिर से समाज कल्याण तक नाली निर्माण। | 6241-80 | इतना कार्य नहीं है। |
| 7. | बस स्टेण्ड से नौलिया का चोरा तक नाली निर्माण | 5525-44 | कार्य आधा भी नहीं। |
| 8. | घासा से वापेर सड़क निर्माण | 4979-10 | पूर्ण कार्य जन सहयोग से व राशि सरपंच ने उठाई पूर्ण गबन। |

# Page No 168

(168)



| 1 | 2 | 3 | 4 5 6 |
|---|---|---|---|
| 9. | प्राथमिक कन्या विद्यालय | 19036–66 | (1) कार्य ठेके पर अल्प राशि में। (2) सीमेंट कम लगा कर ब्लेक की। (3) कमजोर कार्य के कारण अभी पट्टी टूट कर गिर गयी (देखें प्रातःकाल, जय राजस्थान उदयपुर एक्सप्रेस दि० 7 से 10 अक्टूबर) |
| 10. | सार्वजनिक सराय | 19267–08 | सराय नाम का स्थान ही नहीं है। सीमेंट थैला 40 उपरोक्त अनुसार। |
| 11. | पंचायत भवन के नाम से | 14999–30 | भवन पूर्व का प्लास्टर का ठेका 1000) रु. में व फर्श का ठेका 550) रु. में हुआ बयान जांच अधिकारी के पास मौजूद है। सारी बकाया राशि का गबन। |
| 12. | सड़क भासा से रख्यावल तक | 28460–54 | सबसे बड़ा गबन सड़क पूर्ण रूप से कागजों में बनी कार्य नहीं हुआ। |
| 13 | प्राथमिक कन्या विद्यालय, बाउन्ड्री वाल | 7000–00 | मटेरियल जन सहयोग का, मात्र मजदूरी के 7000) रु. उठाये। यह भी गबन है। |
| 14. | दूध तलाई में कुआ निर्माण | 7079–00 | 1200) रु. भी खर्च नहीं किये एम.बी. झूठी भरी गयी जांच कराये। |
| 15. | महादेव जी के मन्दिर के सामने की बावड़ी | 6013–44 | अल्प राशि व्यय 500) रु. का कार्य भी नहीं। |
| 16. | प्राथमिक विद्यालय | 22920–42 | (1) अल्प राशि व्यय की गई (2) सीमेन्ट कट्टे 138 व्यय दर्शाये, लगाये 38 भी नहीं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | संजय नवयुवक मण्डल | 8018-80 | इस नाम के मण्डल का न तो कोई गठन हुआ है और न है। राशि का मात्र जमा खर्च है। | |
| 18. | प्राथमिक विद्यालय निम्बोला का गुडा | 30000 (राशि स्वीकृत) | क्वालिटी कमजोर, कन्या शाला की तरह यह भी गिरेगा। | |
| 19. | प्राथमिक कन्या विद्यालय | 30,000-00 | पट्टियां गिरी, कार्य कमजोर और गिर सकती है व छात्रों की जान लेवा बन सकती है।<br>कृपया ध्यान दें नहीं तो आमेर (जयपुर) काण्ड कभी भी हो जायेगा। | |
| 20. | आयुर्वेद औषधालय | 30,000-00 | कार्य कमजोर, जन सहयोग को भी इसमें शामिल किया गया। | |
| 71. | शाला उद्यान | 30,000-00 (स्वीकृत) | स्थान ही नहीं और 1138-80 रु. उठा भी लिया गया। पता नहीं कहां खर्च किया गया। राशि हड़पी जा रही है। | |
| 22. | विद्यालय कार्य | | जन सहयोग, शादी विवाह के चन्दों से हो रहा है और राशि हड़पी जा रही है। | |
| 23. | स्व० निरंजननाथ आचार्य स्मारक | | जन सहयोग से कितना रुपया इकट्ठा किया गया रसीदें मौजूद हैं। हजारों का घोटाला इसमें हुआ है। | |
| 24. | राशन कार्ड वितरण व सीमेन्ट थैलों की राशि | | राशन कार्ड पर 1.40 रु० व सीमेन्ट प्रति थैला 2) रु० हिसाब किताब का भुगतान मालिक, प्रशासन मौन। | |
| 25. | रोड कटिंग की राशि | | प्रति नल कनेक्शन के 5) रु० लिये गये। हिसाब किताब सरपंच की जेब में। | |

(170)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 26. | प्लाटों के नाम पर | प्लाटों के नाम से लोगों से हजारों रुपये लिये गये खुले आम रिश्वत। हिसाब किताब भगवान जाने, प्रशासन मौन, सरपंच दिन दहाड़े लूट रहा है। प्रमाण मांगीलाल जोशी, अध्यक्ष, सुभाष युवक मण्डल के पास मौजूद है। | |

विशेषः-(1) रेकार्ड में हेरा फेरी, सहयोग पंचायत समिति के वरिष्ठ लिपिक श्री अम्बा लाल धाकड़ का दो दिन रुक कर हिसाब-किताब ठीक किया गया और पता लगा कि पूर्व में लोगों के झूठे अंगूठे लगाये गये और अब पेमेन्ट हो रहा है और श्री धाकड़ कुछ राशि लाये और अब भुगतान हुआ।

(2) देवीलाल कुमावत ओवरसियर से झूठी एम. बी. दबाव डाल कर भरवाई गई। पूर्व का कार्य भी इस एसेसमेन्ट में शामिल। गबन पर गबन पच्चीसों कागज प्रशासन को दिये किन्तु प्रशासन मौन। बहुत ही आश्चर्य सभी कार्य का मांगीलाल जोशी (अध्यक्ष) के सामने मेजरमेन्ट करावें। मण्डल के अध्यक्ष ने सरपंच के खिलाफ बीस-पच्चीस पत्र प्रशासन को लिखे पर अधिकारी मौन साधे हुए हैं।

आश्चर्य है विभाग के कर्मचारी भी खुले आम इस भ्रष्ट व्यक्ति को सहयोग कर रहे हैं तो इस देश का क्या होगा? रेकार्ड बदले जा रहे हैं, राशि का जमा खर्च हो रहा है, झूठी एम. बी भरी जा रही हैं। दूसरी तरफ वह अपने राजनैतिक स्वार्थ हेतु खुले आम प्लोट सीमेन्ट का आवंटन कर रहा है। अधिकारियों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। कृपया सभी मामले की किसी विशेष जांच अधिकारी से जांच करायी जाय। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को निलम्बित किया जाय और सारी जांच के समय श्री मांगीलाल जोशी, अध्यक्ष, सुभाष युवक मण्डल को साथ रखा जाय। नहीं, तो कभी सच्ची बात सामने नहीं आयेगी।

अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र पंचायत को सीज करें और रेकार्ड स्वयं जिलाधीश महोदय अपने अधिकार में लें नहीं तो यह घोटाला होता रहेगा और यह मान कर चलूंगा कि प्रशासन इसमें प्रत्यक्ष सहयोग कर रहा हैं।

हस्ताक्षर
गुलाबचन्द कटारिया
सदस्य
राजस्थान विधान सभा

**जांच प्रतिवेदन**

भूतपूर्व सरपंच पंचायत घासा पंचायत समिति मावली श्री देवीलाल के विरुद्ध श्री गुलाबचन्द कटारिया विधायक राजस्थान विधान सभा जयपुर द्वारा की गई। शिकायत की जांच हेतु उप जिलाधीश, वल्लभनगर को राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 20(2) के तहत जांच अधिकारी जिलाधीश महोदय के आदेश पत्रांक एफ पबि/जांच/81-82/5919, दिनांक 9-12-81 द्वारा नियुक्त होने से जांच की गई।

यह जांच कार्यवाही मेरे द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी, भूतपूर्व सरपंच श्री देवीलाल वर्तमान सरपंच, ग्रुप सचिव पंचायत घासा, श्री जगन्नाथ वरिष्ठ लिपिक पंचायत समिति मावली एवं श्री गुलाबचन्द कटारिया के प्रतिनिधि श्री मांगीलाल तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष नवयुवक मण्डल, घासा के सामलात की गई। पंचायत का रेकार्ड देखा, स्थल निरीक्षण जिन जिन कार्यों का श्री कटारिया के प्रतिनिधि श्री मांगीलाल ने चाहा, किया। जहां पर नाप में गड़बड़ी या ओवरसियर द्वारा गलत मेजरमेन्ट लेना बताया उन कार्यों का पुनः नाप कराना चाहा उनकी दुबारा जांच कराने के लिए जिलाधीश महोदय को निवेदन किया। जिलाधीश कार्यालय से सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास द्वारा, नाप दुबारा लिया गया जांच पत्र शामिल पत्रावली किया गया। भूतपूर्व सरपंच ने अपना लिखित में शिकायत पत्र के मुकाबले में उत्तर प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

मैंने प्रत्येक आरोप को पढ़ा उसके अनुसार सचिव पंचायत श्री जगन्नाथ ने रेकार्ड दिखाया, उसका अवलोकन करके एवं स्थल निरीक्षण करके जांच कार्यवाही की जिससे आरोप वाईज निम्न प्रकार से तथ्य सामने आये:—

**वर्ष 1979-80**

**आरोप संख्या–1**

सन् 1979-80 में दूध तलाई हेतु 5105.75 पैसे निर्माण कार्य के उठाये गये हैं कोई कार्य नहीं हुआ जांच कराई जावे।

शिकायतकर्ता की ओर से श्री मांगीलाल उपस्थिति हैं जिन्होंने आरोप के बारे में सही होना बताया लेकिन कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये।

सरपंच का इस आरोप के संबंध में उत्तर हैं कि यह कार्य वर्ष 78-79 में हुआ सारा कार्य पंचायत की बैठक के निर्णय अनुसार किया गया। कार्य पर व्यय पंचायत की बैठक से आदेश होने पर होता था सारा रेकार्ड एवं लगातार उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत में उपलब्ध है अवलोकन करावे।

रेकार्ड के मुताबिक दिनांक 4-12-78 की बैठक में दूध तलाई की पाल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव सं. 15 पारित किया है जो ग्राम सभा की बैठक में पारित किया गया है।

-172



इस कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र कोरम द्वारा दिया गया है। इस कार्य पर 4903|– रुपया व्यय रजिस्टर 60(क) से होना पाया जाता है।

रेकार्ड के अवलोकन से एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या–2

एनिकट पर सिचाई विभाग की ओर से कार्य हुआ जबकि 5044.65 रुपया उठाये गये मात्र जमा खर्च हैं।

शिकायतकर्ता की ओर से श्री मांगीलाल ने इस सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये केवल अपने लिखित आरोप को सिद्ध होना बताया।

सरपंच ने आरोप संख्या-1 में जो जबाव दिया है उसी को पुनः दोहराया है।

रेकार्ड के अनुसार ग्राम सभा की बैठक दिनांक 4-12-78 के प्रस्ताव संख्या 17 द्वारा एनिकट का पाल का अधूरा कार्य पूर्ण कराने का प्रस्ताव पारित किया है। इस कार्य का तखमीना अधिदर्शक द्वारा 5000/– रुपये का बनाया गया है। इस कार्य पर 48 क्विन्टल गेहूं माफिक मस्टररोल व्यय किया गया है उपयोगिता प्रमाण पत्र 5000/– रुपये का बनाकर फाईल में लगाये गये हैं जिस पर पंचों के हस्ताक्षर हैं कार्य का आडिट भी हो चुका है जिसमें 50 किलो 500 ग्राम का अधिक भुगतान होना आडिट ने बता रखा है। मस्टररोल संख्या 482558 पर पेमेन्ट आदेश बैठक 25-5-79 में 8-83-500 का भुगतान करना है परन्तु पंचायत के आदेश में 8-33-00 के पेमेन्ट के आदेश हैं। दि. 25-5-79 की कार्यवाही में श्री मिठालाल जैन एवं श्री तेजा के ही हस्ताक्षर हैं। बकाया खाने खाली हैं।

आरोप एवं सरपंच के जबाव तथा रेकार्ड के निरीक्षण से इस कार्य पर व्यय हेतु तखमीना बनाया गया है पंचायत ने कार्य कराया, रेकार्ड का आडिट हुआ उसमें आडिट ने 30-500 ग्राम का अधिक भुगतान होना बताया है। मस्टररोल संख्या 483558 पर पंचायत द्वारा पेमेन्ट आदेश 8-33-00 का है जबकि चुकारा माफिक मस्टररोल 8-83-500 का हुआ है। जहां तक आरोप का मुख्य बिन्दु कार्य नहीं होना लिखा है कतई गलत है। पंचायत द्वारा कराये गये कार्य का चुकारा पंचायत ने किया उसका एसटीमेंट बना एवं प्रमाण पत्र दिया गया है इसलिए आरोप सरपंच के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होता है। 50 किलो 500 ग्राम की वसूली के लिए आडिट को तसल्ली कराई जा सकती है। यह मुख्य आरोप से परे है।

आरोप संख्या–3

खुर्रा बस स्टेण्ड से सदर बाजार तक बनाने के 4057-59 रुपये उठाये गये जबकि यह कार्य हुआ ही नहीं। जो कार्य कराया गया वह धाणा से देलवाडा रोड गैंग व माल मेटेरियल के अब कराया गया दोनों ही कार्य विधि गलत हैं।

शिकायत के प्रतिनिधि ने शिकायत की पुष्टि में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये कि यह कार्य पंचायत द्वारा नहीं कराया गया है। सिर्फ आरोप को दोहराया है।

सरपंच ने अपने उत्तर में आरोप संख्या-1 में लिखे गये उत्तर को दोहराया है।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य का प्रस्ताव दिनांक 4–12–78 की ग्रामसभा से प्रस्ताव संख्या 12 लिया गया है। हिसाब का आडिट हो चुका है। इस कार्य पर 38 क्वीन्टल 1 किलो 500 ग्राम गेहूं व्यय किया गया है। पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र 38 क्विंटल का दे रखा है जो फाईल में मौजूद है।

आरोप के सम्बन्ध में शिकायतकर्त्ता की ओर से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने एवं सरपंच के गवाह तथा रेकार्ड के अवलोकने से यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य पंचायत ने नहीं कराया क्योंकि पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर यह कार्य कराया, मस्टर रोलों का भुगतान कौरम के आदेश से हुआ एवं प्रमाण पत्र भी पंचायत ने दिया। शिकायतकर्त्ता की ओर से मस्टरोल के अनुसार किसी व्यक्ति से यह बयान नहीं कराये कि हमने खुर्द पर कार्य नहीं किया एवं चुकारा नहीं लिया इसलिये यह आरोप भी सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या–4 नालियों के नाम से जो राशि (सत्र 79–80 में 5466–30 रुपये उठाये गये जब कि गांव के लोगों से प्रति व्यक्ति 25–25 रुपये चन्दा एकत्रित किया गया। यह राशि कहां गई।

आरोप संख्या–6 नाली जैन मन्दिर से समाज कल्याण तक के 6241–80 पैसा व्यय दर्शाये गये हैं जबकि लोगों से चन्दा किया गया कार्य को जांच कराई जावे। नाली इतने रुपये की नहीं बनी है।

आरोप संख्या–7 नाली निर्माण जो बस स्टेण्ड से नालियां के चोराये तक बनाने 5525–44 रुपये दर्शाये गये हैं यह भी पूर्ण रूप से गलत है।

उपरोक्त आरोप संख्या 4, 6 एवं 7 एक ही तरह के होने से तीनों नाली निर्माण की एक साथ जांच की गई जो निम्न प्रकार है :–

इन तीनों आरोपों के सम्बन्ध में शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि ने मौके पर नालियों के निर्माण के लिये चन्दा वसूल करना बताया एवं राशि कहां गई इसकी जांच कराई जावे आरोप सही है परन्तु लिखित में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये।

सरपंच ने अपने जवाब में वही आरोप संख्या 1 का उत्तर दोहराया है।

रेकार्ड के मुताबिक पंचायत द्वारा निम्न तीन नालियों का निर्माण कराया है :–

(अ) नाली जैन मन्दिर से समाज कल्याण

(ब) नाली जैन मन्दिर से हवेली तक

(स) नाली बस स्टैण्ड से नीलियों का चौराया

(अ) इस कार्य का तखमीना 4990) रु. का अधिदर्शक द्वारा बनाया गया है। इस कार्य पर कुल व्यय 25 क्विंटल 4 किलो गेहूं कीमती 2754.40 एवं 2434 रुपया नकद तथा 300) रु. जन सहयोग से व्यय किया गया है कुल व्यय 5488.40 का हुआ और उपयोगिता प्रमाण पत्र 6441.40 का फाईल में लगा रखा है। जन सहयोग 25) रु. प्रति व्यक्ति से 300) रु. वसूल किया है लिस्ट फाईल में मौजूद है उपयोगिता प्रमाण-पत्र 25 क्वि. गेहूं एवं 2434) रु. नगद व्यय का प्रमाण पत्र दे रखा है। इस कार्य का ऑडिट हो चुका है जिनमें व्यय राशि 6241.40 पैसा बता रखा है। जो स्वीकृत है उसका रिवाईज्ड एस्टीमेंट स्वीकृति चाही है।

(ब) नाली निर्माण खासा हवेली तक का एस्टीमेंट 5000) रु. का अधिदर्शक द्वारा बनाया गया है। इस कार्य पर कुल गेहूं 21 क्वि. 97 किलो 500 ग्राम माफिक मस्टर रोल व्यय होना पाया जाता है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र 23 क्वि. का दे रखा है सामग्री विभाग पर 2339.80 पंचायत कोष से व्यय किया गया है जन सहयोग के 475) रु. होना बताया जिसकी लिस्ट फाईल में संलग्न है।

(स) बस स्टेन्ड से नीलियों का चौराया तक नाली निर्माण का एस्टीमेंट 5000) रु. तक का अधिदर्शक द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस कार्य पर व्यय सामग्री मांग पर 2881) रु. गेहूं व्यय 25 क्वि. 98 किलो 500 ग्राम एवं जनसहयोग 75) रु. प्राप्त किया गया है। इस प्रकार इस कार्य पर कुल व्यय 6278-45 का आडिट ने होना बताया जिसका रिवाईज्ड ऐस्टीमेंट चाहा है।

इन तीनों कार्यों पर ग्रामसभा की बैठक दिनांक 4-12-78 के अनुसार यह कार्य कराने की स्वीकृति ले रखी है परन्तु उक्त कार्य नाली जैन मन्दिर से हवेली तक की पंचायत अथवा ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं मिला। पंचायत द्वारा तीनों नालियों पर व्यय 17056.85 का बता रखा है। अधिदर्शक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा 20831.50 का कार्य होने का प्रमाण पत्र दिया है।

ये तीनों आरोप नाली निर्माण से सम्बन्धित हैं। हमने इनका स्थल निरीक्षण किया एवं तकनीकी जांच कराने के लिये जिलाधीश महोदय को निवेदन करने पर उनके सहायक अभियन्ता द्वारा मौके पर जाकर तकनीकी जांच की गई उसके आधार पर तीनों नालियों पर व्यय राशि 20831.50 का होना नाम के आधार पर सही बताया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि पंचायत द्वारा जो राशि इन तीनों नालियों के निर्माण पर बता रखी है उससे कार्य नाम के आधार पर अधिक होना पाया जाता है। जहां तक चन्दा वसूली का आरोप है जिन जिन व्यक्तियों से चन्दा लिया है रोकड़ में जमा है। पंचायत में लिस्ट

मौजूद है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने आकर यह नहीं कहा कि मैंने चन्दा दिया जिसकी रसीद नहीं मिली और न शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि ने ही इस आरोप को प्रमाणित करने में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह नालियां निर्माण सम्बन्धी तीनों आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होते हैं।

आरोप संख्या–5 हनुमानजी पार्क की बाउण्ड्री के रुपये 8901/-80 उठाये गये, यह पत्थर पूर्व के थे और कार्य भी पहले हो चुका था यह राशि भी हड़पली गई है।

शिकायत कर्त्ता के प्रतिनिधि ने लगाये गये आरोपों को सही होना बताया। इसके अलावा और कोई प्रमाण आरोप की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं किये गये।

सरपंच का जवाब आरोप संख्या 1 के उत्तर में दे रखा है उसे ही दोहराया है। पंचायत के रेकार्ड के मुताबिक हनुमानजी के पार्क का प्रस्ताव संख्या 20 दिनांक 4–12–80 पर ग्राम सभा की बैठक में पारित किया गया है। इस कार्य का तखमीना 5000)रु० का अधिदर्शक द्वारा बनाया गया है। इस कार्य पर गेहूं 43 क्विटल 91 किलो 500 ग्राम व्यय किया गया है। एवं सामग्री मांग पर 2343 रुपये का व्यय होना बताया तथा कुल व्यय राशि 6644–50 बता रखी है। जिसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र पंचायत ने दिया जो फाईल में संलग्न है। इस कार्य का आडिट हो चुका है। जिस पर आंडिट ने कुल व्यय तखमीना 5000)रु० के मुकावले में 8901–55 पैसा होने से रिवाईज्ड तखमीना प्राप्त करने हेतु लिखा है।

पंचायत के रेकार्ड के अनुसार पंचायत ने प्रस्ताव पास करके यह कार्य कराया है। तखमीना बनाया गया है। इस कार्य पर जो राशि व्यय की है उसको भुगतान करने के आदेश पंचायत द्वारा दिये गये हैं। उपयोगिता प्रमाण पत्र भी दे रखा है। पत्थर पूर्व के थे और कार्य पहले का था इसकी पुष्टि में शिकायत कर्त्ता के प्रतिनिधि द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। और रेकार्ड से इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसलिए सरपंच के खिलाफ यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या 8 सड़क घासा से वामेर तक के 4979–10 पैसा व्यय पंचायत ने बताये है कार्य श्रमदान से हुआ। मौके पर पधार कर जांच करावें। यह पूर्ण राशि हड़पी गई है।

शिकायत कर्त्ता के प्रतिनिधि ने बताया कि कार्य श्रमदान से हुआ है राशि हड़पली है। इसके प्रमाण में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

सरपंच ने अपने उत्तर में आरोप संख्या 1 में दिये गये उत्तर को दोहराया है।

रेकार्ड के मुताबिक यह कार्य पंचायत की ग्राम सभा दिनांक 4–12–78 के प्रस्ताव संख्या 13 से स्वीकृत किया गया है। कार्य का तखमीना 5000)रु. का अधिदर्शक द्वारा

बनाया गया है। कुल व्यय 45 क्वि. 92 किलो 500 ग्राम व्यय मस्टररोल के आधार पर होना पाया जाता है। नकद व्यय राशि 221)रु. पंचायत कोष से होना बताया। उपयोगिता प्रमाण-पत्र गेहूं 45 क्वि. 91 किलो 500 ग्राम का दे रखा है। नकद राशि 221) रुपया का प्रमाण-पत्र नहीं दे रखा है।

पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके यह कार्य कराया गया है। उसका ऐस्टीमेट बना हुआ है उसका भुगतान कोरम के आदेश से किया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र गेहूं व्यय का ही दे रखा है 221) रु. नकद व्यय का नहीं दे रखा है यह व्यय पत्थर पर किया गया है जिसको अब भी देखा जा सकता है एवं प्रमाण-पत्र लिया जा सकता है और यदि मौके पर कार्य नहीं हुआ है जो राशि वसूल की जा सकती है। जहां 45 क्वी. 91 किलो 300 ग्राम गेहूं का भुगतान पंचायत द्वारा प्रमाणित किया है और कार्य हुआ है तो इस राशि 221)रु. को प्रमाण-पत्र के अभाव में अमान्य नहीं किया जा सकता है। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 67(5) के तहत यह राशि यदि अमान्य की जाय तो आदेश दावा से वसूल की जा सकती है।

आरोप संख्या 9 (1) प्राथमिक कन्या विद्यालय हेतु इस सत्र में 19036-66 रुपये उठाये गये हैं। ठेकेदार को बहुत कम राशि में ठेका दिया गया। बयान पूर्व में जांच अधिकारी के सामने कराये और सीमेंट के 60 कट्टे दर्शाये गये जबकि ठेकेदार के अनुसार 20 कट्टे ही लगाये गये हैं।

शिकायतकर्त्ता से प्रतिनिधि ने इस कार्य का निरीक्षण कराया। मैंने स्थल निरीक्षण किया। मौके पर जो कार्य कराया गया है शिकायतकर्त्ता ने ठेके पर होना बताया एवं इस सन्दर्भ में तीन व्यक्तियों के बयान पंचायत प्रसार अधिकारी के सामने कराये।

सरपंच ने जवाब दिया है कि जितनी राशि इस कार्य पर व्यय की गई है उसका हिसाब पंचायत में मौजूद है और इसका प्रमाण-पत्र भी पंचायत की फाईल में उपलब्ध है।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य की स्वीकृति जिलाधीश (सहायता) के आदेश क्रमांक एफ डब्लू/ 78-79 दिनांक 13-11-79 से 15000)रु. की स्वीकृति हुई है जिसमें गेहूं 58 क्वी. कीमत 7000)रु. मेटेरियल 8000)रु. के व्यय करने की स्वीकृति है। पंचायत द्वारा इस कार्य पर गेहूं 58 क्वी. 35 किलो 500 ग्राम कीमत 8223-23 एवं सामग्री मांग पर 20,811-43 कुल व्यय 19036-66 होना पंचायत के रेकार्ड से पाया जाता है। अधिदर्शक द्वारा इसका नाप लेकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नाम पुस्तिका नं. 40 पृष्ठ संख्या 54-55 पर दिनांक 26-10-81 को 21806)रु. का दे रखा है।

शिकायतकर्त्ता के कहने के मुताबिक इस कार्य का नाप पुन: चैक कराया उसके आधार पर सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास ने इस कार्य को 210)रु. का होना प्रमाणित किया है। क्योंकि मौके पर खिड़कियें नहीं होने से 734)रु. का अमान्य किया है। रेकार्ड

के आधार पर 19036-66 व्यय होना उचित ने बताया। जहां तक यह कार्य ठेके पर कराने का सवाल है कम राशि में ठेके पर देने का उल्लेख है, इस सिलसिले में पंचायत प्रसार अधिकारी के समक्ष दिये गये बयानों को फाईल में देखा। श्री छोगालाल पिता देवुलाल सुथार भंवरलाल पिता कूकाजी मिस्त्री के बयानों को हमने अवलोकन किया जिसमें उन्होंने मजदूरों की मस्टर रोल पर हाजरी लेना और उनको चुकारा करना तथा भरपाई कराना बताया है। तीनों कार्य पशु चिकित्सालय भवन एवं कन्याशाला पर ठेके के रूप में कार्य करना बयानों में बता रखा है। ठेका कितने रुपयों में लिया नहीं बताया गया। इन तीनों कार्यों को पूरा करा कर 850) रु. शेष देना होना बताया है। इन कार्यों पर सारा मेटेरियल पंचायत द्वारा देना बताया, सीमेन्ट कम खर्च होना बताया है।

यदि यह मान भी लिया जाय कि इन कार्यों का ठेका दिया है परन्तु रेकार्ड से साबित नहीं होता है कि सिर्फ बयानों पर तसल्ली करना उचित नहीं है। क्योंकि मौके पर अधिदर्शक ने नाप लिया एवं सहायक अभियन्ता ने पुनः चैक कर जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य नहीं हुआ है। पंचायत द्वारा जो खर्च राशि खर्च होना बताया उससे अधिक का कार्य अधिदर्शक के नाम से आता है। इसलिए यह आरोप सरपंच के खिलाफ सिद्ध नहीं माना जा सकता। क्योंकि यदि कार्य कम होता तो राशि सरपंच से वसूल होती और यदि राशि ज्यादा देदी जाती तो भी सरपंच से वसूल होती है। आरोप संख्या 10 (2) सार्वजनिक सराय व बाउन्डरीवाल का कार्य हेतु 19267-58 पैसा उठाये गये और 40 थैला सीमेन्ट प्राप्त की, जब कि स्थानीय गांव में सराय नाम से कोई स्थान नहीं है।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने आरोप को दोहराया इसके अलावा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये। श्री छोगालाल एवं श्री भंवरलाल के बयान ठेके के मुत्तलीक कराये जिसका विवरण आरोप संख्या 9 (1) में दे रखा है।

सरपंच का कहना यह है कि जो भवन सराय के नाम से बना हुआ है उसमें इस समय पशु चिकित्सालय चल रहा है सर्व श्री मांगीलाल भी पशु चिकित्सालय के उद्घाटन के समय उपस्थित थे इस कार्य की स्वीकृति जिलाधीश महोदय के यहां से 19200) रु. की हुई। इस भवन का कार्य जो कराया गया। उसका हिसाब स्वीकृति एवं कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंचायत में मौजूद है।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य पर जिलाधीश (सहायता) के क्रमांक एफ 4/70/78-79/7005 से 8, दिनांक 23-8-79 द्वारा 19200) रु. की स्वीकृति हुई है जिसमें गेहूं 71 क्वि. कीमत 8520) रू. कुल सामग्री 10680) रु. 19200) रू. की स्वीकृति है। पंचायत द्वारा कुल व्यय 19267-00 का खर्च किया गया है उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र नाम पुस्तिका संख्या 40 के पृ. 7 से 62 दिनांक 26-10-81 को दर्ज है जिसमें 20803) रु. का कार्य होना प्रमाणित किया है। इस समय इस जगह पशुचिकित्सालय चल रहा है।

(180)



शिकायतकर्ता का यह कहना तो सही है कि सराय नाम का कोई भवन नहीं है परन्तु मौके पर जिस भवन का स्थल निरीक्षण शिकायत कर्ता के प्रतिनिधि एवं भूतपूर्व सरपंच के सामनात किया गया है एवं मौके पर बताया गया कि यह भवन सराय के नाम से बनाया गया था और इसमें इस समय पशु चिकित्सालय चल रहा है। वास्तव में भवन बना हुआ है। इस कार्य पर पंचायत के रेकार्ड से 19261-38 व्यय होना बताया है। अधिदर्शन की नाप पुस्तिका के आधार पर यह कार्य 20603 रु. का होना प्रमाणित किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह आरोप भी सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप संख्या 11 (3) पंचायत भवन के नाम से इस सत्र में 14999-30 रुपया व 10 सीमेन्ट के कट्टे उठाये गये। प्लास्टर ठेका 1000) रू. में हुआ और फर्श का कार्य 550) रू. में हुआ। बकाया राशि सरपंच देवीलाल खा गया। ठेकेदार के बयान जांच अधिकारी के पास दर्ज हैं जांच कराई जाय। 10 थैला सीमेन्ट भी उटाई जबकि 5 थैले ही लगाये गये है।

शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाया है उसके अनुसार इस कार्य का स्थल निरीक्षण किया पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को कराया एवं पूर्व में पंचायत प्रसार अधिकारी के समक्ष दिलाये गये बयानों का जीक्र किया उसमें इस कार्य को ठेके पर देने का प्रमाण होना जाहिर किया।

सरपंच का कथन है कि पंचायत भवन का कार्य पंचायत के सदस्यों की राय से कराया गया एवं जो खर्च हुआ वह पंचायत के रेकार्ड में मौजूद है। इस कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी फाईल में मौजूद है।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य पर स्वीकृति जिलाधीश (सहायता) के पत्रांक एफ 14। 26। सहा।, 79-80। 3715-75 दिनांक 8-10-79 द्वारा 15000) रु. की दी गई। इसमें गेहूं 58 क्वी. कीमत 7000) रु. सामग्री भाग 8000) रु. कुल 15,000) रु. की स्वीकृत है। पंचायत द्वारा इस कार्य पर गेहूं 57 क्वी. 99 किलो 500 ग्राम कीमत 8177-20 पैसा नकद एवं सामग्री भाग पर 6822 रुपया कुल 14999-30 पैसा का कार्य होना बताया है जिसका नाम अधिदर्शन द्वारा एम बी. नं. 40 पेज संख्या 62 से 64 दिनांक 26-10-89 को दर्ज किया जिन्होने इस कार्य पर 17522) रु. का कार्य होना प्रमाणित किया है।

इसी पंचायत भवन में बैठ कर पंचायत के रेकार्ड को देखा। शिकायत कर्ता के प्रतिनिधि द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी के समक्ष दिलाये गये बयानों को देखा जिसका विश्लेषण आरोप संख्या 9 (1) में दिया गया है। इसलिए यहां पर दुबारा नहीं दोहराया जा रहा है। पंचायत द्वारा इस कार्य पर जिलाधीश उदयपुर (सहायता) से स्वीकृति 15000) रु. की है और पंचायत द्वारा व्यय 14999-30 का होना बता रखा है।

अधिदर्शक के नाप के अनुसार यह कार्य 17525) रु. का होना जाहिर होता है इस प्रकार यह आरोप भी सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता।

वर्ष 1980–81

आरोप सं.–1 सड़क धारा से रख्याबल तक बनाने के 26460–54 उठाये गये। कार्य जन-सहयोग सहित 500 रुपये तक का भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा गबन है। सड़क कागजों में ही बनी है। अविलम्ब जांच करावें। स्थानीय सरपंच विशेष रूप से 420 में दक्षता प्राप्त कर रखी है।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने इस कार्य का स्थल निरीक्षण कराया एवं इस कार्य में सबसे बड़ा घोटाला बताया। सिर्फ 500) रु. का कार्य होना बताया। इसके अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

सरपंच का कथन है कि जिलाधीश की स्वीकृति से कार्य कराया। पंचायत द्वारा चुकारे के आदेश होने पर भी राशि व्यय की गई एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधिदर्शक द्वारा प्राप्त किया गया जो फाईल में मौजूद है। अवलोकन करें।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य की स्वीकृति जिलाधीश महोदय के पत्रांक एफ 4(26) 80–81/सहायता/,दिनांक 10–5–80 द्वारा 25000)रु. की स्वीकृति हुई है जिसमें गेहूं 132 क्वी. कीमत 18612) रु. सामग्री भाग पर 6388) रु. कुल 25000) रु स्वीकृत है। इसमें पंचायत द्वारा इस कार्य पर गेहूं 136 क्वी. 24 किलो 500 ग्राम जिसकी कीमत 19210–54 पैसा एवं सामग्री भाग पर 7250) रु. कुल व्यय 26460–54 पैसा व्यय किया गया है। अधिदर्शक ने इस कार्य का नाप लेकर एम.बी. संख्या 40 पेज 17–18 दिनांक 26–10–81 को नाप कर 26745) रु. का कार्य होना प्रमाणित किया है।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के अनुसार हमने इस कार्य का नाप पुनः चैक कराया जिसको सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास ने देखकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार यह कार्य 26745) रु. का होना प्रमाणित किया है। जबकि पंचायत के रेकार्ड के अनुसार कार्य 26460-54 पैसा का व्यय होना बताया है। इस प्रकार सरपंच के खिलाफ यह आरोप भी प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप सं.–2 प्रा.वि. कन्या शाला बाउण्डरी की दीवार के 7000) रु. उठाये गये है। हमने विकास अधिकारी को लिखा कि यह बिल पास नहीं किया जाय क्योंकि पत्थर गांव के है और हमारे चन्दे से लाये है परन्तु यह राशि उठाली गई है। कृपया जांच करावें। लोगों की शिकायत का प्रार्थना-पत्र आज भी अध्यक्ष सुभाष नवयुवक मंडल के पास है।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने शिकायत की पुष्टि में कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है केवल शिकायत पत्र में अंकित शिकायत को दोहराया है।

(180)



सरपंच ने अपने कथन में बताया है कि इस कार्य पर जिलाधीश महोदय की स्वीकृति के अनुसार पंचायत की कोरम से कार्य करवाया गया है। व्यय राशि का हिसाब एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत की फाईल में मौजूद है।

रेकार्ड के अनुसार इस कार्य पर स्वीकृति जिलाधीश (सहायता) से पत्रांक एफ/ 7/ 80-81/1579-82, दिनांक 25-2-81 से 7000) रु. की हुई है। जिस पर गेहूं व्यय 35 क्वि. कीमत 4935) रु. एवं सामग्री मांग पर 2065) रु. व्यय करने की स्वीकृति है। पंचायत द्वारा इस कार्य पर गेंहू 35 क्वि. कीमत 4935) रु. एवं नकद 2065) रु. का खर्च होना बता रखा है। जिसका नाप अधिदर्शक ने नाप पुस्तिका संख्या 40 पेज संख्या 51-52, दिनांक 26-10-81 को दर्ज कर कार्य की माप के अनुसार 7550) रु. का होना प्रमाणित किया है। इस कार्य पर ग्रास 20 क्वी. के 22) रु. प्रति क्वी. से 440) रु. होते है मगर वाउचर 490) रु. का है। इस प्रकार पंचायत ने 50) रु. का अधिक भुगतान बता रखा है।

उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा पत्थर गांव के होने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने से यह नहीं कहा जा सकता कि गांव के कितने पत्थर थे। एवं पंचायत ने कितने पत्थर डलवाये। इसलिए रेकार्ड के आधार पर शिकायत साबित नहीं होती है जिलाधीश महोदय की स्वीकृति से कार्य कराया और पंचायत की राय से राशि 7000) रु. व्यय किये जिसका प्रमाणपत्र अधिदर्शक द्वारा 7750) रु. का कार्य प्रमाणित होना बताया। इस कार्य में चूने के वाउचर में पार्टी को 50) रु. का भुगतान अधिक हो गया जो वसुल किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह शिकायत सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होती है।

आरोप संख्या-3 दूध तलाई में कुआ बनाने के 7079) रु. उठाये गये। कार्य 1200) रु. का भी नहीं हुआ। सरकार को धोखा दिया गया है। जांच करावें।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने इस आरोप को सही प्रमाणित करने के लिए स्थल निरीक्षण कराया और बताया कि इस कार्य पर इतना व्यय नहीं हुआ है। 1200) रु. का कार्य भी नहीं हुआ है। 7079) रु. गलत उठाये हैं। इसके अलावा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

सरपंच का जवाब यह है कि जितना कार्य इस कुएं पर किया गया है कोरम की स्वीकृति से एवं जिलाधीश महोदय की स्वीकृति से किया गया है। हिसाब एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र पंचायत के रेकार्ड में मौजूद है।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य को कराने का पंचायत का प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 29-3-80 को 7000)रु. इस कार्य पर व्यय करने की स्वीकृति के लिए विकास अधिकारी को लिखने का प्रस्ताव पारित किया है। पंचायत ने इस कार्य पर 48 क्वी. गेहूं

कीमत 6768 रुपये एवं नगद 310) रु. योग 7078 रुपये का व्यय होना बताया है जिसका नाप अधिदर्शक ने एम.बी. नं. 40 पेज 58–59 पर दिनांक 26–10–81 को दर्ज कर इस कार्य को 3903) रु. का होना प्रमाणित किया है।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि के कहने के मुताबिक हमने इस कार्य का स्थल निरीक्षण किया। इस कार्य का पुनः नाप करवाया गया। सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास ने नाप दुबारा चेक कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने डोवाटरींग की राशि 1000) रु० कम कर दिया है जिससे कार्य की कुल लागत 2903) रु० ही होना जाहिर किया है। मौके पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। पंचायत ने इस कार्य पर 7078) रु० का कार्य होना बताया जो कि नाप के आधार पर कम बैठता है जिससे 4175) रु० सरपंच से वसूल योग्य है। परन्तु अधिक व्यय राशि के लिए सरपंच अकेला जिम्मेदार नहीं है। जिन परिस्थितियों में राशि अधिक व्यय हुई न तो शिकायतकर्ता ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है और न सरपंच ने ही अपने जवाब में अंकित किया हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 67(5) के मुताबिक राशि वसूली योग्य है जिसमें अधिक व्यय राशि आदेश दाताओं से वसूल करने का प्रावधान है। इसलिए ज्यादा व्यय के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से राशि वसूल की जावे। सरपंच के खिलाफ कार्य नहीं कराने का आरोप सही नही माना जा सकता। कार्य अवश्य कम हुआ है।

**आरोप संख्या–4** महादेवजी के यहां सार्वजनिक बावड़ी को ठीक कराने के 6013-44 रुपये उठाये गये। जबकि कार्य 1000) रु० का भी नहीं कराया। जांच करावें।

शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि ने शिकायत को दोहराया। प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये।

सरपंच का जवाब है कि जितना कार्य हुआ पंचायत की राय से हुआ। हिसाब व उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत में उपलब्ध हैं।

पंचायत ने इस कार्य पर गेहूं 29–98 किलो व्यय किये जिसकी कीमत 4227–18 पैसा एवं सामग्री मांग पर 1786–26 पैसा योग व्यय 6013–44 बता रखा है। पंचायत द्वारा इस कार्य को 6000) रु० की स्वीकृति दे रखी है। जिसका नाप अधिदर्शक द्वारा नाप पुस्तिका संख्या 40 पेज नं० 53–54 दिनांक 26–10–81 को दर्ज है पर इस कार्य को 7607) रु. का होना प्रमाणित किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, उपलब्ध रेकार्ड को शिकायत बिन्दु के आधार पर देखा गया। पंचायत द्वारा इस कार्य पर व्यय राशि 6013–44 बता रखी है। एवं अधिदर्शक ने 7507) रु० का कार्य होना प्रमाणित कर रखा है। जिससे यह आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नही होता है।

**आरोप संख्या-5** प्राथमिक विद्यालय जिसके बारे में हमने आपको ज्ञापन दिया वहां 22920-42 पैसा व 138 सीमेंट के कट्टे उठाये गये। सीमेंट उसमें 38 कट्टे भी नहीं

लगाये गये। बकाया सीमेंट ब्लैक में बेचा गया और कार्य भी 22920) रु० का भी नहीं हुआ। आदि आदि।

शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि ने आरोप को दोहराया और बताया कि इस कार्य पर पंचायत द्वारा बताई गई व्यय राशि गलत है। मौके पर कार्य 12000) रु० का भी नहीं हुआ।

सरपंच का जवाब है कि कार्य नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करके पंचायत द्वारा कराया गया। हिसाब एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत की फाईल में उपलब्ध है।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य पर 22300) रु० की स्वीकृति जिलाधीश (सहायता) के आदेश संख्या एफ. 4(26) सहा/80-81|22146-49, दिनांक 8-5-80 द्वारा दी गई है। जिसमें गेहूं 53 क्वी. कीमत 7470) रु० सामग्री भाग पर 5575) रु० जुमला 13045) रु० राजकीय अनुदान एवं बकाया कार्य जन सहयोग से कराने की स्वीकृति है। पंचायत ने इस कार्य पर 50 क्वी 90 किलो 500 ग्राम गेहूं एवं 15472-82 पैसा कुल 22920-42 का व्यय किया है। जिसका नाप अधिदर्शक ने नाप पुस्तिका संख्या 40 पे. सं. 56 से 58 तक दिनांक 26.10.81 को दर्ज किया जिसमें उन्होंने इस कार्य पर 25656) रु० का कार्य होना प्रमाणित किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पंचायत ने यह कार्य नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर 22920) रु० का रेकार्ड के मुताबिक कराया है। अधिदर्शक ने नाप के आधार यह कार्य 25656) रु० बताया है। जहां तक कार्य कमजोर हुआ या बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा यह तकनीकी मामला है एव जो उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाता है वह कार्य को देख कर ही दिया जाता है। इसकी इस प्रकार की जांच मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं है। राशि के व्यय के संबध मे कार्य के संबध में मेरी यह मान्यता है कि मौके पर कार्य पचायत की व्यय राशि से अधिक होना प्रमाणित होता है। इसलिये यह राशि आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है।

आरोप सं०-6 संजय युवक मंडल के नाम की 8018-80 पैसा एवं सिमेंट के 10 कट्टे सरपंच द्वारा फर्जी उठाये हैं। इस नाम का कोई मंडल है ही नहीं छापा मारकर जांच करावे। नहीं तो कागजी कार्यवाही करके बहुत बड़ा धोका कर सकता है। संजय युवक मंडल का कोई भवन ही नहीं है। आदि

शिकायत कर्ता ने इस नाम का न तो कोई मंडल हा होना बताया और न कोई भवन ही होना बताया। इसके अलावा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

सरपंच ने अपने जवाब में लिखा है कि भवन मौके पर मौजूद है और हिसाब तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत में उपलब्ध है।

रेकार्ड के अनुसार पंचायत ने इस कार्य पर 7000) रु० व्यय करने की स्वीकृति दी उस पेटे पंचायत ने 35 क्वी. गेहूं कीमत 4435) रु० एवं सामग्री भाग पर 3083-80 पैसा कुल 8018-80 का व्यय होना बताया। जिसका नाम अधिदर्शक के नाप पु.सं. 40 पेज सं. 59 60 दिनांक 26.10.81 को दर्ज किया। जिसके अनुसार यह कार्य 9965) रु० का होना प्रमाणित किया।

हमने इस भवन का स्थल निरीक्षण किया मौके पर. शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि एवं तत्कालीन सरपंच उपस्थित थे मौके पर सरपंच ने भवन बताया जिस पर संजय नवयुवक मण्डल लिख रखा है। इस कार्य पर पंचायत ने 8018-80 रुपया व्यय किये एवं अधि-दर्शक ने इस कार्य को 9965) रुपये का होना बताया जिससे यह आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है कि भवन नाम की कोई चीज ही नहीं है और न इस कार्य पर व्यय ही किया गया है यह शिकायत निराधार है।

वर्ष 1981-82

**आरोप संख्या-1**

प्राथमिक विद्यालय निम्बोला के गुडा के नाम से 30,000) रुपया स्वीकृत हुए हैं इसकी जांच कराई जाय। जन सहयोग भी लिया जा रहा है।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने आरोप की जांच चाही। कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

सरपंच ने अपने जवाब में लिखा है कि जिलाधीश महोदय की स्वीकृति से यह कार्य कराया गया है। जिसका हिसाब एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत में उपलब्ध है।

रेकार्ड के अनुसार इस कार्य की स्वीकृति जिलाधीश (सहायता) के पत्र क्रमांक एफ 4(26)80/81/ 642-723 दिनांक, 10-4-81 के अनुसार 30,000) रुपया की स्वीकृति हुई है इस कार्य पर श्रम भाग 21100) रुपया एवं सामग्री भाग पर 9900) रुपया कुल 30,000) रुपया स्वीकृति है। पंचायत ने इस कार्य पर कुल व्यय 32276-29 का बताया है अधिदर्शक द्वारा इस कार्य का नाप लिया जो एम० बी० पु० नं० 40 पे०सं० 33 से 37 दिनांक 25-10-81 को दर्ज कर इस कार्य की 36348) रुपये का कार्य होना प्रमाणित किया है।

सचिव द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड के अनुसार पंचायत ने इस कार्य पर 32276)29 का व्यय होना बताया है अधिदर्शक ने 36348) रुपये का कार्य होना बता रखा है इसलिए यह आरोप भी सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप संख्या–2**

प्राथमिक विद्यालय कन्याशाला के नाम से भी 30000) रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें पत्थर गांव के हैं। फर्जी पैसे उठाये जावेंगे। जांच करावेंगे। और कार्य किसी अन्य को सौंपा जावे।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने आरोप को सही होना बताया। कोई प्रमाण पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये।

सरपंच ने अपने जवाब में लिखा है कि जिलाधीश महोदय की स्वीकृति एवं पंचायत के निर्णय अनुसार कार्य कराया है जिसका हिसाब एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र पंचायत में उपलब्ध है।

रेकार्ड के मुताबिक इस कार्य पर जिलाधीश सहायता के पत्र क्रमांक एफ (4/सहा/15–19–82 दिनांक 28–2–81 को 5000) रुपये स्वीकृत हुये हैं। पंचायत ने इस कार्य पर कुल व्यय 5241–00 व्यय बताया है। अधिदर्शक द्वारा इस कार्य का नाप पु० सं० 40 पे० सं० 41 से 43 दिनांक 25–10–81 को लिया जिसमें उन्होंने यह कार्य 6718–00 का होना प्रमाणित किया है। इसी कार्य पर पुन: जिलाधीश सहायता के पत्रांक 682–723 दिनांक 10–4–81 के अनुसार 30000) रुपये की स्वीकृति हुई है। इस कार्य पर पंचायत ने इस स्वीकृति के पेटे 32596–51 पैसे का व्यय होना बताया है। इस कार्य का नाप अधिदर्शक के नाप पु० सं० 40 के पं० सं० 43 से 48 पर दिनांक 25–10–81 को दर्ज कर इस कार्य को 31927) रुपये का कार्य होना प्रमाणित किया किया है। इस तरह अधिदर्शक के नाप के अनुसार 669–51 पैसा अधिक व्यय पंचायत ने किया है।

इस कार्य का स्थल निरीक्षण शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में एवं तत्कालीन सरपंच की मौजूदगी में किया गया। मौके पर काम मौजूद है सहायक अभियन्ता द्वारा इस कार्य का मेजरमेन्ट पुन: चैक किया। उन्होंने बताया है कि कन्या विद्यालय घासा (द्वितीय) का नाम के आधार पर 32475) रुपये का होना प्रमाणित किया। क्योंकि मौके पर 4 खिड़कियां नहीं लगने से 452–09 पैसा कम किये हैं। पंचायत द्वारा व्यय राशि के मुकाबले में यह कार्य 1121)51 का कम होना पाया जाता है। इसी कार्य में पूर्व स्वीकृत राशि 5000) रुपये व्यय राशि 5241) रुपये एवं नाप के आधार पर 6718) रुपये का प्रमाण पत्र दिया है इसमें कार्य 1477) रुपये का अधिक होना पाया जाता है। सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास ने प्रा० वि० (प्रथम) दर्ज कर पुन: चैक करने से 6 खिड़कियों की राशी 734) रुपये काट दिया है। नियमानुसार जो राशि अधिक व्यय होती है उसकी वसूली सरपंच एवं चुकारे में आदेश दाता से वसूल करने का प्रावधान है इसलिये अधिक व्यय राशि नियमानुसार वसूल की जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

**आरोप संख्या-3**

आयुर्वेद चिकित्सालय हेतु 30,000) रुपये स्वीकृत हुए उसमें भी कच्ची दीवार बनी हुई है और उसको पक्का करने के नाम से रुपये उठाये जा रहे हैं। फर्जी कार्य दर्शा कर पैसे बटोरे जा रहे हैं रोक लगा कर जांच करावें।

शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने स्थल निरीक्षण कराया एवं इस कार्य पर इतना व्यय नहीं हुआ। दुबारा जांच कराई जावे।

सरपंच ने अपने जवाब में लिखा है जिलाधीश महोदय की स्वीकृति एवं पंचायत की राय से कार्य कराया जिसका हिसाब व उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत में उपलब्ध है।

रेकार्ड के मुताबिक जिलाधीश महोदय के पत्रांक एफ 4 (सी)सहा/81-82/3703-45, दिनांक 9-6-81 को 30,000) रुपये स्वीकृत हुए पंचायत ने इस कार्य पर 33115-88 व्यय होना रेकार्ड से बताया कार्य की नपती अधिदर्शक ने नाप पु०सं० 40 पेज सं० 41-51 दिनांक 25-10-81 को दर्ज कर 32486) रुपये का कार्य होना प्रमाणित किया है जिससे 629-88 का अधिक व्यय होना बता रखा है।

मैंने स्थल निरीक्षण शिकायतकर्ता एवं तत्कालीन सरपंच की उपस्थिति में किया भवन मौके पर मौजूद है। इसका मेजरमेंट पुनः सहायक अभियन्ता द्वारा किया गया, उन्होंने पुनः चैक कर बताया कि नाप के आधार पर 32486) रु. का कार्य होना अधिदर्शक ने बताया है जो ठीक है पंचायत ने 629.88 पैसों का अधिक व्यय किया है यह अधिक व्यय आदेशदाताओं से नियमानुसार वसूली योग्य है। सरपंच के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं कहा जा सकता।

**आरोप संख्या-4**

शाला उद्यान के नाम से 30000) रु. स्वीकृत हुए हैं और 1138-20 रु. उठा लिया गया है जबकि उद्यान मात्र कागजों में बना हुआ है यह भी गबन है, जांच करावें। स्थानीय गांव में कोई उद्यान नहीं है। एक ही स्थान सार्वजनिक पार्क को दो नाम से कर राशि हड़पी गई है।

शिकायतकर्त्ता ने शिकायत सही होना दोहराया एवं सिर्फ कागजों में ही कार्य होना व्यक्त किया। स्थल निरीक्षण कराया जावे।

सरपंच ने अपने जवाब में जाहिर किया कि हनुमानजी के पार्क के नाम से यह जगह जानी जाती है। इस कार्य पर पहले हनुमानजी के पार्क के नाम से राशि खर्च होना बताया कार्य पूरा नहीं होना जाहिर किया एवं कुई बनी हुई होने से पंचायत द्वारा पंचायत समिति से शाला उद्यान के नाम से एक विद्युत मोटर इस कुई पर लगाई। और बला नाम पड़त जमीन पर शाला उद्यान के नाम से जिलाधीश महोदय के यहां से 7100) रु. की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसका कार्य कराया, जिससे इस पार्क में पौष्टिक आहार बच्चों की

मिल सके। कार्यों का हिसाब एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंचायत में मौजूद है। कार्य मौके पर हनुमानजी के मन्दिर के पास शाला उद्यान के नाम से कराया गया है।

रेकार्ड के आधार पर जिलाधीश महोदय के पत्रांक एफ 4/सहा/81-82/ 1579-82, दिनांक 28-2-81 को 7000) रु. की स्वीकृति पंचायत द्वारा इस कार्य पर कुल व्यय 8728-54 रु. का होना बताया। अधिदर्शक की नाप पु.सं. 40 पे.सं. 38-41 दिनांक 25-10-82 को दर्ज कर इस कार्य को 9679) रु. का होना प्रमाणित किया है।

मैंने शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया मौके पर तत्कालीन सरपंच ने बाउण्ड्रीवाल बनी हुई बताई। पंचायत के रेकार्ड के मुताबिक 8728-54 पैसों का खर्च होना एवं अधिदर्शक के नाप के आधार पर 9679) रु. का कार्य होना बताया है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ ही नहीं. कार्य मौके पर मौजूद है इसलिये यह आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता।

**आरोप संख्या-5**

स्थानीय गांव में भीलों के मोहल्ले में भीलों ने मन्दिर बनाया। यह मन्दिर भीलों की निजी राशि से बना है। पंचायत द्वारा पूरी राशि हड़प ली है। आदि 2।

पंचायत द्वारा न तो इस कार्य का रेकार्ड रखा गया है और न इसकी राशि रोकड़ में जमा की गई है। शिकायतकर्त्ता ने भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह आभास हो सके कि मन्दिर के कार्य में सरपंच द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है। बिना प्रमाण के यह आरोप सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप संख्या-6**

श्रमिकों को गेहूं चावल दिये प्रत्येक ने उसमें से कटौती कराई उस कटौती का गेहूं चावल बिक्री कर सरपंच ने अपना निजी स्वार्थ सिद्ध किया है आदि।

शिकायतकर्त्ता ने यह शिकायत किसी प्रमाण के आधार पर नहीं की है किस-किस मजदूर से कितनी कटौती की है उसका ब्यौरा न तो शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया और न किसी श्रमिक ने ही उपस्थित होकर यह जाहिर किया है कि मेरे से इतने गेहूं काटे गये जिससे कि सरपंच को उसके बारे में पूछा जा सके और न पंचायत में इसका कोई रेकार्ड ही है। बिना प्रमाण के यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप संख्या-7**

सरकार द्वारा लघु योजना के अन्तर्गत सीखने वाले व्यक्तियों को कितना पारिश्रमिक दिया, जांच कराई जावे आदि।

पंचायत द्वारा किसी तरह का चुकारा नहीं किया जाता है जिससे सरपंच, के प्रति आरोप नहीं बनता है।

आरोप संख्या–8

स्थानीय सरपंच द्वारा वाउचर्स समय पर प्राप्त नहीं किये और विकास खण्ड मावली से बिना किसी कार्य के पत्रादि की पूर्ति होते हुए राशि प्राप्त करली उन कार्यों से संबंधित पत्रादि की पूर्ति कराई जा रही है आदि।

पंचायत का हर वर्ष आडिट होता है जिस कार्य में अनियमितता रहती है उसके लिये सरपंच दोषी रहता है एवं अधिक व्यय का भी सरपंच जिम्मेदार रहता है शिकायतकर्त्ता का प्रतिनिधि ने मौके पर कोई स्पष्ट पत्रादि का उल्लेख नहीं किया जिससे कि उसकी जांच की जा सके।

आरोप संख्या–9

पिछले 5 वर्ष 77–78 से 81–82 तक के आय-व्यय के लेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दिलाने आदि।

जांच अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां देने का कोई प्रावधान नहीं है नियमानुसार प्रतिपियां मिलती हैं जो पंचायत से प्राप्त की जावें।

आरोप संख्या–10

ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्यों के नाम पर सरपंच ने राशि उठाई और उसका भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को करना पड़ा इसकी जांच गुप्तचर विभाग से कराई जावे।

इस बिन्दु का पंचायत से कोई सम्बन्ध नहीं है। सहकारिता विभाग से सम्बन्धित है। शिकायतकर्त्ता के प्रतिनिधि ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि अमुक व्यक्ति की राशि सरपंच ने ली एवं सरपंच ने भी इस आरोप का खण्डन किया है। सरपंच के प्रति आरोप नहीं बनता है।

## उपरोक्त तथ्यों के अलावा

आरोप संख्या–1

गांव के चन्दा व शादी विवाह में एकत्र चन्दा से प्रा० वि० का कार्य हुआ। चन्दों की जांच कराई जावे क्योंकि इस पर नियन्त्रण सरपंच का है।

इससे पंचायत का कोई सम्बन्ध नहीं है। पंचायत में जो राशि चन्दे की प्राप्त होती है उसकी रसीद दी जाती है। पंचायत ने इस आरोप के सम्बन्ध में न तो कोई रेकार्ड

है न शिकायतकर्ता ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है। सरपंच ने भी इससे अपना सम्बन्ध नहीं होना जाहिर किया है। बिना रेकार्ड के यह आरोप सरपंच पर प्रमाणित नहीं होता है।

**आरोप संख्या–2**

स्व. निरन्जन नाथ आचार्य के नाम पर स्मारक बनाने हेतु 15,000/– रु० इकट्ठे किये गये कहां गये रसीदें मौजूद हैं जांच कराई जावे।

स्मारक बनाने का रेकार्ड पंचायत में नहीं है और न सरपंच ने अपने ताल्लुक बताया शिकायतकर्त्ता ने भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे सरपंच पर आरोप प्रमाणित हो सके।

**आरोप संख्या–3**

कूपन पर प्रतिकूपन 1–40 पैसा व सिमेन्ट पर 2) रु० लिये जाते हैं हिसाब की जांच की जावे।

रेकार्ड के अनुसार पंचायत ने कूपन 896 जारी किये जिसकी राशि केश–बुक पेज नं० 8 पर 871 कूपन के 1.40 पैसा के हिसाब से 1219–40 पैसा दिनांक 31–5–81 को जमा ले रखे हैं इसी प्रकार कूपन नं० 872 से 892 एवं 893 से 894 रोकड़ पाना 9 दिनांक 28–6–81 एवं रोकड़ पाना 38 दिनांक 2–10–81 पर जमा ले रखे हैं सिर्फ 2 कूपन 895 व 896 के 2–80 पैसे पंचायत में जमा नहीं लिये हैं जो अब भी जमा कराये जा सकते हैं।

**आरोप संख्या–4**

विद्यालय व अन्य निर्माण कार्य हेतु जिन श्रमिकों की मजदूरी दर्शाई गई उन्होंने जन सहयोग के रूप में चढ़ाई, फर्जी राशि उठाई गई।

आरोप स्पष्ट नहीं हैं न शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि ने कोई प्रमाणित प्रमाण ही प्रस्तुत किये हैं पंचायत के रेकार्ड से स्पष्ट नहीं होता है कि आरोप कहां तक सही है।

**आरोप संख्या–5**

संजय नव युवक मण्डल के नाम का जो कमरा दर्शाया गया वह किसान समाज सुधार समिति ने बनाया। उनके लेखों में सभी राशि दर्ज है यह राशि पूर्ण रूप से हड़पी गई। जांच करावें।

इसका उल्लेख पूर्व के आरोप में विस्तृत रूप से किया गया है इसलिए अलग से टिप्पणी नहीं दी जा रही है।

आरोप संख्या–5 (क)

कुल 2 लाख 70 हजार रुपये का कार्य मन्जूर है जिसमें आधा कार्य भी नहीं है आदि ।

इस राशि के लिये प्रत्येक आरोप में अलग-अलग विश्लेषण किया हुआ है इसलिये अलग से जांच लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

निष्कर्ष:–

मैंने उपरोक्त सभी आरोपों को पढ़ा । आरोप बिन्दु के अनुसार ग्रुप सचिव पंचायत एवं जगन्नाथ, वरिष्ठ लिपिक पंचायत समिति मावली ने रेकार्ड का अवलोकन कराया जिसका विवेचन प्रत्येक आरोप में अलग अलग किया गया है सरपंच के खिलाफ जो-जो आरोप शिकायतकर्ता ने लगाये हैं वे स्पष्टतया सरपंच के खिलाफ प्रमाणित नहीं होते हैं । जिन-जिन कार्यों में व्यय राशि से उपयोगिता प्रमाण-पत्र कम मिला है उसके लिये सरपंच स्वयं जिम्मेदार रहता है एवं उनसे राशि वसूल होनी चाहिए या राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 67 (5) के अनुसार सभी आदेश दाताओं से राशि वसूल की जाने का प्रावधान है । तत्कालीन सरपंच द्वारा मौके पर कार्य अवश्य कराया गया है नाप के आधार पर कोई–कोई कार्य पंचायत द्वारा की गई व्यय राशि से कम हुआ है व कोई–कोई कार्य पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि से अधिक । नाप के आधार पर बताया गया है जिन–जिन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र पंचायत के अधिकार क्षेत्र में देने का प्रावधान है वह प्रमाण-पत्र पंचायत ने दिया है एवं जिन–जिन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अधिदर्शक द्वारा देना होता है अधिदर्शक ने दिया है । मस्टररोलों में कांटफांस, कम उम्र के व्यक्तियों को अधिक उम्र के व्यक्तियों के बराबर राशि चुकाना, निशानी अंगूठा पर उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, सरपंच द्वारा हस्ताक्षर एवं अंगूठे को प्रमाणित नहीं करना, कार्य प्रारम्भ से पूर्व किसी–किसी कार्य का एस्टीमेट व नक्शा नहीं बनाना, टेण्डर्स प्राप्त नियमानुसार नहीं करना, अंगूठों की स्याही स्पष्ट नहीं होना आदि आदि अनियमितताएं हुई हैं जिसके लिये सरपंच के साथ–साथ ग्रुप सचिव की जिम्मेदारी थी । इन कार्यों का डिटेल आडिट होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है । इसलिये मेरी राय में आडिट कराया जावे । निर्माण कार्य में व्यय राशि एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का स्टेटमेन्ट सचिव ने प्रस्तुत किया है जो साथ संलग्न है ।

ह०

उप जिलाधीश, वल्लभनगर

पंचायत शाखा, पंचायत समिति मावली में निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं व्यय
तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र का मानचित्र रूप सचिव द्वारा प्रस्तुत

| क.सं. | कार्य का नाम | स्वीकृत राशि | व्यय राशि | उपयोगिता प्रमाण-पत्र | अधिक व्यय | अधिक काम हुआ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | हनुमानजी के चौक में बाउण्ड्री | 5000-00 | 8901-55 | 8901-55 | — | — |
| 2. | सड़कवासा सेवा पर | 5000-00 | 45-91-500<br>221-00 नकद | 45-91-500<br>गेहूं | 221) | — |
| 3. | एनिकट | 5000-00 | 8-83-500 गेहूं | 8-33-00 | 51 केजी | 500 ग्राम |
| 4. | दुधतलाई | 5000-00 | 4903-00 | 4903-00 | — | — |
| 5. | नाली जैन मन्दिर से कवेली | | | | | |
| 6. | बस स्टेण्ड से नीलाचोरा | | | | | |
| 7. | जैन मन्दिर से समाज कल्याण 6-7-8 कु. स्वीकृत | 15000) | 17056-85 | 20831-50 | — | 3774-65 |
| 8. | चुरा सदरबजार से प.म. | 5000-00 | 38-1-500 | 38-00-00 | 0-1-500 | — |
| 9. | महादेवजी की बावड़ी | 6000-00 | 6013-44 | 7507-00 | — | 1493-56 |
| 10. | सड़क घासा से संध्यावल | 25000) | 24460-54 | 25745) | — | 284-46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. प. भवन बाउन्ड्री | 15000) | 11999–30 | 17525) | — | 2525–70 |
| 12. प्रा. वि. क. शा. | 7000) | 7000) | 7550) | — | 550–00 |
| 13. संजय नवयुवक मण्डल | 7000) | 8018–80 | 9965) | — | 1946–20 |
| 14. कुई दूधतलाई | 7000) | 7078–00 | 3603) | 4175) | — |
| 15. प्रा० वि० बरामदा | 22300) | 22920–42 | 25656) | — | 2735–58 |
| 16. प्रा० वि० क० शाला | 15000) | 19036–66 | 21075) | — | 2038–34 |
| 17. सराहा एवं बाउण्ड्री | 19200) | 19267–08 | 20803) | — | 1535–62 |
| 18. नाम्बोलाका गुड़ा | 30000) | 32276–29 | 36348) | — | 4071–71 |
| 19. कन्याशाला | 30000) | 32566–51 | 31927) | 1121–57 | — |
| 20. आयुर्वेदिक औषधालय | 30000) | 33115–88 | 34486) | 629–88 | — |
| 21. शाला उद्यान हनुमानजी के चौक में | 7000) | 8727–54 | 9679) | — | 950–46 |
| 22. कन्याशाला बाउण्ड्री | 5600) | 5241–00 | 6718–00 | — | 1477–00 |
| योग : | | | | 6147–45<br>गेहूं 51–500 ग्राम | 23380–28 |

(192)



# परिशिष्ट 3

## तारांकित प्रश्न संख्या 39 की सूचियां

| क्रमांक | वस्तु का नाम | मात्रा जो जब्त की गई |
|---|---|---|
| 1. | चीनी | 716 क्विंटल |
| 2. | खाद्यान्न | 9977 क्विंटल |
| 3. | खाद्य तेल | 678 टिन |
| 4. | केरोसीन | 44,142 लीटर |
| 5. | सीमेन्ट | 11,700 थैले |
| 6. | डीजल | 18,538 लीटर |
| 7. | आटा, मैदा, सूजी | 51 क्विंटल |
| 8. | कापियां | 14,567 |
| 9. | दाल, दलहन | 846 क्विंटल |
| 10. | खण्डसारी एवं गुड़ | 1,216 क्विंटल |
| 11. | तिलहन | 513 क्विंटल |
| 12. | कोयला | 1,830 क्विंटल |
| 13. | कपड़ा | 335 मीटर |
| 14. | अन्य | 131 क्विंटल |

उक्त जब्त माल की अनुमानित कीमत 71,37,750 रुपया है।

| क्रम संख्या | मामलों का विवरण | मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | विभागीय कार्यवाही | 11,131 |
| 2. | अनुसंधान जारी | 968 |
| 3. | चालान | 621 |
| 4. | बरी | 236 |
| 5. | मामले वापिस लिये गये | 208 |

# परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

**रामगढ़ झील में नौकायन (रोविंग) प्रतिस्पर्धा केन्द्र की स्थापना**

40. **वैद्य भैरूलाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़): क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जमुवा रामगढ़ झील को रोविंग प्रतिस्पर्धा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये विश्व में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है ? क्या इन खेलों को आगे बढ़ाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस झील पर प्रशिक्षण के लिए रखी गई नावें अन्यत्र भेज दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस झील पर एशियाड के समय उक्त प्रतिस्पर्धा के लिये लाखों रुपयों की सुविधा जुटाई गई थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस झील पर उक्त स्पर्धा से संबंधित खेलों के प्रशिक्षण चालू करने में कोई बाधा उत्पन्न हो गई डेढ़ वर्ष से एशियाड के बाद इस स्थल पर खेलकूद के आयोजन क्यों नहीं किये जा सके ?

(5) क्या बांध पर बने बोट हाउस और खिलाड़ियों के लिये निर्मित चेंजरूम आदि की देखभाल की सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

**उत्तर**

(1) जमुवा रामगढ़ झील को रोविंग प्रतिस्पर्धा केन्द्र स्थापित करने के लिए विश्व में सर्वश्रेष्ठ घोषित किये जाने की कोई विधिवत घोषणा नहीं की गई है किन्तु पानी के खेलों के विशेषज्ञों की यह राय है कि यह स्थल कई प्रकार के खेलों के लिये श्रेष्ठ है।

इन खेलों को आगे बढ़ाने हेतु एक योजना बनाकर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेज दी गई है।

(2) उपलब्ध नौकाएं प्रतिस्पर्धा के लिए थी न कि प्रशिक्षण के लिए।

(3) प्रतिस्पर्धा हेतु निर्माण कार्यों पर रुपये 20 लाख व्यय किया गया।

(4) जी नहीं। योजना के अनुमोदित होते ही खेलों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) जी हां। यह सम्पत्ति राज्य सरकार की है।

**महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञ**

41. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) :

**श्री शकरदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में कनिष्ठ व वरिष्ठ विशेषज्ञों के कितने पद

(193)



(श्री दाउदयाल जोशी)

स्वीकृत हैं और कितने विशेषज्ञ अभी कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अन्य अस्पतालों के किस स्वीकृत पद के विरुद्ध महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा के किस विषय के विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रतिनियुक्ति पर रखे गये इन डाक्टर्स का कोटा अस्पताल से स्थानान्तरण हो गया था और इनको कोटा में रखने के लिये अन्य अस्पतालों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है ?

(4) क्या यह सही है कि बारां अस्पताल के स्वीकृत पद (कनिष्ठ विशेषज्ञ औषधि) के विरुद्ध भी कोटा अस्पताल में एक डाक्टर को प्रति नियुक्ति पर रखा गया है। यदि हां, तो क्या बारां अस्पताल में इस पद की आवश्यकता नहीं है ?

## उत्तर

(1) महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में स्वीकृत/कार्यरत विशेषज्ञों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| कनिष्ठ विशेषज्ञ | | वरिष्ठ विशेषज्ञ | |
|---|---|---|---|
| स्वीकृत | कार्यरत | स्वीकृत | कार्यरत |
| 11 | 11 | 11 | 11 |

(2) उपरोक्त स्वीकृत पदों के अतिरिक्त तीन और कनिष्ठ विशेषज्ञ इस अस्पताल में अन्य पदों के विरुद्ध कार्यरत हैं। स्त्रीरोग, बालरोग एवं मेडिसन के तीन कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों के विरुद्ध तीन डाक्टरों को एम. बी. एस. अस्पताल कोटा में प्रति नियुक्ति पर लगा रखा है। सूची संलग्न है।

(3) जी हां। तीन डाक्टर :—

1–डा. आर. एम. सिंघवी,
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)

2–डा. एम. एस. सिंघवी,
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) एवं

3–डा. सी. बी. दास गुप्ता,
कनिष्ठ विषशेज्ञ (बालरोग) को कोटा महाराव भीमसिंह अस्पताल में अन्य स्वीकृत पदों के विरुद्ध लगा रखा है।

(4) उपरोक्तानुसार यह सही है। बारां में पद की आवश्यकता है और उसके लिये पदस्थापन आदेश जारी हो चुके है।

194



### महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञों की सूची

| पद का नाम | स्वीकृत पद | डाक्टर का नाम | विशेषज्ञ विवरण |
|---|---|---|---|
| रेडियोलोजी | 1 | डा. देशराज शर्मा | |
| सर्जरी | 1 | डा. एच. के. गुप्ता | |
| मेडिसन | 2 | डा. ए. क्यू. खान<br>डा. आर. एन. टण्डन | |
| पेथेलोजी | 1 | डा. वेदप्रकाश अग्रवाल | |
| ई.एन.टी. | 1 | डा. आर. के. शर्मा | |
| ओर्थोपेडिक | 1 | डा. जे. एस. ढाका | |
| टी. बी. | 1 | रिक्त | डा. आर. के. खरोलीवाल, कनिष्ठ विशेषज्ञ कार्यरत हैं । |
| ओपथलमोलोजी | 1 | डा. जे. एस. सरोया | |
| अनेस्थीसिया | 1 | डा. एन. के मित्तल | |
| पेडेस्ट्रिक्स | 1 | रिक्त | डा. एम. के. जोशी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेडेट्रिक) कार्यरत हैं |
| | 11 | | |

### महाराव भीमसिंह अस्पताल, कोटा में कार्यरत कनिष्ठ विशेषज्ञों की सूची

| पद का नाम | स्वीकृत पद | डाक्टर का नाम | विशेषज्ञ विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| मेडिसन | 2 | डा. वी. एम. बोहरा<br>डा. गिरीशप्रसाद माथुर | डा. आर. एस. सिंघवी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन), कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी के पद के विरुद्ध कार्यरत हैं । कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) का पद राजकीय चिकित्सालय अटरू में स्वीकृत है जिनकी प्रतिनियुक्ति कोटा में है । |

Page No 196

(195)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| सर्जरी | 3 | डा. बी. एल. चौरासिया<br>डा. जयसिंह शेखावत<br>डा. एस. एन. सत्री | |
| ओप्थलमोलोजी | 1 | डा. एस. के. जेरठ | डा. एम. एस. सिंघवी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) बारां के स्वीकृत कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) पद के विरुद्ध कोटा में कार्यरत हैं। |
| ओर्थोपेडिक | 1 | डा. पी. के. गुप्ता | |
| ई.एन.टी. | 1 | डा. उमानन्द त्यागी | |
| साइकोलोजिस्ट | 1 | डा. एम. एस. अग्रवाल | |
| स्कीन एण्ड वी.डी. | 1 | डा. जयगोपाल अरोड़ा | |
| डेन्टीस्ट | 1 | डा. पी. पी. गर्ग | डा. सी बी. दास गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेडिट्रिक) अटरू कोटा में प्रतिनियुक्ति हैं। |

**कोटा अस्पताल में प्रतिनियुक्ति डाक्टरों की सूची**

राजकीय चिकित्सालय, अटरू

1. डा० आर. एन. सिंघवी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) जिनको कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद के विरुद्ध लगा रखा है।
2. डा० सी. बी. दास गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेडेट्रिक).

राजकीय चिकित्सालय, बारां

1. डा० एम. एस. सिंघवी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (ओप्थल) जिनको कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडीसन के पद के विरुद्ध लगा रखा है।

(196)



**कोटा-बूंदी क्षेत्र में सिंचाई हेतु बाड़ा बंदी कार्यक्रम**

42. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा, बून्दी सिंचित क्षेत्र में सिंचाई हेतु (बाड़ा बन्दी) कार्यक्रम लागू किया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा कोटा बून्दी सिंचाई विभाग को कितनी राशि कब-कब दी गई ? कृपया कार्यक्रम लागू होने की तिथि से वर्ष-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कोटा-बून्दी सिंचित क्षेत्र में वारा-बन्दी कार्यक्रम वर्ष 1972–73 से लागू किया गया है।

(2) कार्यक्रम लागू होने की तिथि के बाद से वर्षवार आवंटित की गयी राशि की तालिका संलग्न है।

**बाराबन्दी कार्यक्रम के लिए कोटा-बूंदी सिंचाई क्षेत्र में वर्षवार आवंटित की गई राशि एवं उसके अन्तर्गत खर्च की गई राशि का विवरण**

| वर्ष | आवंटित धनराशि (लाख रु.में) | खर्च की गई धनराशि (लाख रु.में) |
|---|---|---|
| 1972–73 | — | — |
| –74 | —1973 | — |
| 1974–75 | 5.10 | 4.51 |
| 1975–76 | 5.50 | 2.57 |
| 1976–77 | 4.70 | 4.47 |
| 1977–78 | 6.85 | 7.51 |
| 1978–79 | 7.44 | 6.19 |
| 1979–80 | 7.41 | 5.65 |
| 1980–81 | 8.27 | 7.48 |
| 1981–82 | 5.63 | 8.12 |
| 1982–83 | 7.24 | 6.65 |
| 1983–84 | 24.10 | — |

**प्रताप नगर में हाउसिंग बोर्ड को पार्क निर्माण हेतु प्रदत्त राशि**

43. **श्री भैरूलाल मीणा** ( उदयपुर ग्रामीण ) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि प्रतापनगर के नागरिकों द्वारा हाउसिंग बोर्ड को पार्क बनाने के लिए 18 हजार रुपया जमा कराया गया है ? यदि हां, तो पार्क का कार्य क्यों नहीं कराया गया है ?

(2) क्या यह शिकायत है कि उदयपुर हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों के फर्श से भूमिगत पानी निकल आता है ? क्या यह भी सही है कि बहुत से मकानों की हालत खराब होने से नागरिक उसमें जाना पसन्द नहीं करते हैं ? क्या सरकार इस प्रकार की अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

**उत्तर**

(1) यह सच नहीं है कि प्रतापनगर (उदयपुर) के नागरिकों द्वारा आवासन मण्डल को पार्क बनाने के लिए 18,000 रुपये जमा कराये गये हैं।

(197)



(आवासन मन्त्री)

(2) जी नहीं। मकानों के फर्श से भूमिगत पानी निकल आने जैसी कोई शिकायत मण्डल कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। पार्वटियों द्वारा मकानों का कब्जा लेने की गति से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि नागरिक मकानों में नहीं जाना चाहते हैं। अब तक जितने मकानों के कब्जा पत्र जारी हुए हैं उनमें से करीब करीब व सभी का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष मकानों का कब्जा दिया जा रहा है। अतः इस संबंध में सरकार द्वारा किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**केन्द्र से राज्य के कोटे की सीमेन्ट प्राप्त करना**

45. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

**श्री बाऊलाल जोशी (दीगोद) :** क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.––

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों से राज्य को केन्द्र से पूरी सीमेन्ट नहीं मिलने से विकास कार्य पिछड़ रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अपने कोटे की सीमेंट लेने में असमर्थ रही है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में अपने हिस्से की पूरी सीमेन्ट प्राप्त करने की कोशिश करेगी ?

**उत्तर**

(1) सीमेन्ट वितरण की दोहरी नीति लागू होने के बाद राज्य को केन्द्र से 60600 मैं. टन सीमेन्ट का त्रैमासिक आवंटन होता रहा है। 1 अप्रेल, 83 से 4,200 मैं टन सीमेन्ट का अतिरिक्त आवंटन हुआ है। हमारी मांग में यह आवंटन कम है इसलिए विकास कार्यों के लिए पूरी मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

(2) केन्द्र सरकार उत्पादित सीमेन्ट को पूरे देश की आवश्यकता के अनुसार आवन्टित करती है। राज्य में बिजली की कटौती के कारण पूर्ण क्षमता से सीमेन्ट पूरी मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती है।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित सीमेन्ट को पूरी मात्रा में प्राप्त करने के साथ ही अतिरिक्त मात्रा में भी सीमेन्ट प्राप्त करने के निरन्तर प्रयास राज्य सरकार द्वारा किये जाते रहे हैं।

**उप जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालयों की क्रमोन्नति**

46 **श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या सरकार ने उप-जिला मुख्यालयों के चिकित्सालयों को क्रमोन्नत कर 20 शैय्या वाले चिकित्सालय कायम करने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा चिकित्सालय उपजिला मुख्यालय का चिकित्सालय होते हुए भी अभी तक यह 50 साल पुराने स्तर पर ही स्थित है, जो देशी रियासत कोटा के समय था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को अब क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

(198)



(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(1) सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। जन सहयोग से भवन निर्माण कराये जाने पर ग्रकनेरा ग्रस्पताल को क्रमोन्नत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**नगर परिषदों के चुनाव**

47. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम):–क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर, अजमेर, उदयपुर आदि की नगर परिषदों के चुनाव कब कब स्थगित किये गये हैं ? उपरोक्त बड़े नगरों के चुनाव कब तक सरकार करवाना चाहती है ?

(2) क्या 12-12 वर्षों तक चुनाव स्थगित करना स्वायत्तता पर कुठाराघात नहीं है ?

**उत्तर**

(1) इन नगर परिषदों के चुनाव कराने की तिथि अधिसूचित नहीं हुई अतः स्थगित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। चुनाव कराये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(2) चुनाव यथा शीघ्र कराये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**जनजाति उपयोजना समन्वय परामर्शदात्री परिषद की बैठकें**

48 **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़)-क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

वर्ष 1980 के पश्चात जन जाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति एवं राजस्थान अनुसूचित जन जाति परामर्शदात्री परिषद का गठन कब किया गया एवं इनकी अब तक कब-कब बैठकें आयोजित की गई ? कृपया बैठकों में लिये गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

वर्ष 1980 के पश्चात जन जाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति का गठन 18–11–81 को किया गया व 6 अप्रेल, 1983 को इसमें चार सदस्य और मनोनीत किये गये। राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का पुनर्गठन दिनांक 23–2–82 को किया गया। अब तक इनकी बैठकें दिनांक 16-3–82 व 19–1–83 को हुई हैं। बैठक में लिये निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

**जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति की बैठकों में लिये गये निर्णय**

**प्रथम बैठक दिनांक** 16–3–82

1. राजस्थान के अन्य हिस्सों पर जो व्यय होता है उसका एक निश्चित भाग जनजाति विकास योजनाओं पर होना चाहिये।

2. लघु सिंचाई योजना एवं एनीकट निर्माण का कार्य लिया जाना चाहिये।

3. आदिवासियों के पास कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसलिए एनीकट बनाकर उनकी भूमि को सिंचित किया जाना चाहिये।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

4. जनजाति क्षेत्र में छोटे छोटे जलाशय हैं उन सबको आदिवासियों को ही मछली पकड़ने के लिये आवंटित किये जावें जिसमें वे अपना जीवकोपार्जन कर सकें।

5. आदिवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जावे।

6. जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति आवश्यकतानुसार उपसमिति के माध्यम से कार्य करे।

7. अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की अगली बैठक उदयपुर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में रखी जावे।

8. जो जनजाति जनसंख्या माडा एवं उपयोजना द्वारा लाभान्वित नहीं होती उसके विकास कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी जनजाति आयुक्त को दी जावे।

9. राजस्थान की वह जनसंख्या जो उपयोजना व माडा कार्यक्रम द्वारा लाभान्वित नहीं होती उनके विकास के लिए वार्षिक योजना 1983–84 में विकास-कार्यक्रम सम्मिलित कर योजना आयोग भारत सरकार को प्रस्तुत किये जावे।

10. लघु उद्योग के आधार पर कुछ ऐसे धन्धे करने चाहिये जिससे आदिवासियों को सीधा रोजगार मिल सके।

11. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जावे जिनमें सेवा का भाव निहित हो।

12. आदिवासी क्षेत्र में शराब बन्दी का बहुत महत्व है उसे फौरन लागू किया जाना चाहिये।

13. शिक्षा के क्षेत्र में अधिक स्कूल भवनों का निर्माण, लघु उद्योग स्थापना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रसार के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

14. माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत घोषित माडा क्षेत्र के अतिरिक्त भी कुछ जनसंख्या इन कार्यक्रमों से वंचित रह गई है।

15. आयुक्त, जनजाति को अधिक प्रशासनिक शक्तियां एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये जावें।

**द्वितीय बैठक दिनांक 19–1–83**

1. हर विभाग अपने कार्यक्रमों से सम्बन्धित निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। वर्ष 1982–83 में जो विकास कार्यक्रमों के लिये प्रावधान निश्चित किया है, बजट राशि उसी वर्ष में उपयोग कर ली जावे।

2. जनजाति क्षेत्र की खनिज सम्पदा का दोहन किया जावे और जनजाति क्षेत्र में छोटे एवं घरेलू उद्योग लगाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जावे।

3. जनजाति के लोगों को खनिज के पट्टे देने के बारे में विचार किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि यदि व्यक्तिगत आधार पर खनिज के पट्टे का कार्य जनजाति के लोग करने में असमर्थ हों तो सहकारिता के आधार पर यह काम कराया जावे।

4. मत्स्य आखेट का कार्य केवल सहकारिता के आधार पर किया जाना चाहिये एवं मत्स्य आखेट के कार्य ठेकेदारों को नहीं दिया जाना चाहिये।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

5. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए एवं समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस क्षेत्र में विद्यालयों की कमी एवं शिक्षकों की कमी को पूरा किया जावे।

6. व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को क्षेत्र की उपयोगिता एवं आवश्यकता अनुसार चिन्हित किया जावे एवं क्षेत्र की प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनाई जावे और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

7. पीने के पानी की सुविधा के लिए राज्य सरकार एक ही स्त्रोत उपलब्ध करायेगी।

8. सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के पहले लोगों को भूमि का आवंटन किया जावे।

9. जनजाति क्षेत्र में उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये जिन्हें जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम का पर्याप्त अनुभव है। विशेष चयन द्वारा हर सेवाओं में सब केडर की प्रथा चालू की जावेगी।

**बांसवाड़ा जिले में श्री प्रभाशंकर पण्ड्या के नाम पर निर्माणाधीन हॉल**

49. **श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)** :

**श्री बहादुर सिंह (डानपुर)**: क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिला पंचायत समिति गढ़ी के अन्तर्गत श्री प्रभाशंकर पंड्या के नाम पर एक हॉल का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो इस हॉल को बनाने में धनराशि कहां-कहां से प्राप्त की गई है व इस हाल को पूर्ण करने में कितनी धनराशि लगाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन निर्माण के लिए पंचायत समिति गढ़ी के प्रत्येक अध्यापक से 10 रुपये प्रतिमाह लिये गये हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(3) क्या यह भी सही है कि अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों से भी उक्त भवन निर्माण के लिए राशि वसूल की गई है? यदि हां, तो कितनी?

**उत्तर**

(1) जी हां! हाल के निर्माण की स्वीकृति राहत कार्यों में उप शासन सचिव, सहायता विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक 17828-43, दिनांक 18-4-83 द्वारा 1-50 लाख की जारी की गई थी, परन्तु अब उक्त कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में चलाया जा रहा है। हाल हेतु 1.50 लाख रुपये जन सहयोग से एकत्रित किया जा रहा है। इस तरह कुल रुपया 3.00 लाख व्यय का तखमीना है।

(2) जी नहीं!

(3) जी नहीं!

**राज्य में गेहूं व चने की खरीद**

50. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No 202

(201)



(श्री हीरालाल आर्य)

(1) इस वर्ष राज्य में गेहूं व चने की किन किन केन्द्रों पर कितनी तादाद में समर्थित मूल्य पर खरीद की गई ? कृपया जिले वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी जिलों में समय पर खरीद नहीं की गई ? यदि हां, तो कहां तथा क्यों तथा इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार पाया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में गेहूं की समर्थित मूल्य पर जिलेवार, केन्द्रवार की गई खरीद की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। चने की समर्थित मूल्य पर कोई खरीद नहीं की गई।

(2) गेहूं की खरीद सभी क्रय केन्द्रों पर समय पर प्रारम्भ की गई थी एवं इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

सूची

| क्र.सं. | नाम जिला | नाम क्रय केन्द्र | खरीद किये गये गेहूं की मात्रा क्विंटल में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्रीगंगानगर | 1— मिर्जावाला | 14823 |
| | | 2— श्रीविजयनगर | 58486 |
| | | 3— हिन्दूमलकोट | 17217 |
| | | 4— लालगढ़ | 17369 |
| | | 5— हनुमानगढ़ टाऊन | 135697 |
| | | 6— हनुमानगढ़ जंक्शन | 75593 |
| | | 7— रीडमलसर | 18554 |
| | | 8— तिब्बी | 21806 |
| | | 9— फालूही | 17000 |
| | | 10— रामसिंहपुर | 14400 |
| | | 11— बिन्जबायला | 18732 |
| | | 12— 17—जेड | 12530 |
| | | 13— सूरेवाला | 15338 |
| | | 14— अरयन | 9594 |
| | | 15— तलवाड़ाझील | 22096 |
| | | 16— गणेशगढ़ | 9078 |
| | | 17— शेरेकान | 10570 |
| | | 18— सुकचैनपुर | 11[illegible]52 |
| | | 18— रावला | 9666 |
| | | 20— पदमपुर | 141119 |
| | | 21— श्रीकरणपुर | 195515 |

| 1 | 2 | 3 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| | | 22– श्रीगंगानगर | 158073 |
| | | 23– केशरीसिंहपुर | 108220 |
| | | 24– गजसिंहपुर | 90920 |
| | | 25– रायसिंहनगर | 91627 |
| | | 26– सांगरिया | 77616 |
| | | 27– पिलीबंगा | 139233 |
| | | 28– सादुलशहर | 57681 |
| | | 29– अनुपगढ़ | 25861 |
| | | 30– सूरतगढ़ | 32094 |
| | | 31– चूनावाड़ | 23679 |
| | | 32– डबली राठान | 16641 |
| | | 33– गोलूवाला | 35230 |
| | | 34– जेतसर | 22222 |
| | | 35– रावतसर | 11876 |
| | | 36– घरसाना | 20500 |
| | | 37– समिजा | 12804 |
| | | 38– नोहर | 300 |
| 2. | भीलवाड़ा | 1– भीलवाड़ा | 143 |
| | | 2– शाहपुरा | 47 |
| | | 3– माण्डलगढ़ | 40 |
| 3. | भरतपुर | 1– भरतपुर | 97 |
| | | 2– डीग | 445 |
| | | 3– कामां | 622 |
| 4. | अलवर | 1– खैरथल | 496 |
| | | 2– नोगांव | 982 |
| | | 3– गोविन्दगढ़ | 387 |
| | | 4– बहरोड | 83 |
| | | 5– रामगढ़ | 619 |
| | | 6– खंडली | 26 |
| 5. | सवाईमाधोपुर | 1– गंगापुरसिटी | 109 |
| | | 2– हिण्डोनसिटी | 13 |
| 6. | कोटा | 1– अन्ता | 35 |
| 7. | बून्दी | 1– बून्दी | 3800 |
| | | योग : | 17,79,356 |

**अटरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत डाक्टर्स**

51. **श्री छोतरलाल आर्य (अटरू):** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अटरू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर्स के कितने पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में इस स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने डाक्टर्स कार्यरत हैं ?

(2) क्या सरकार इस केन्द्र पर स्वीकृत संख्या में डाक्टर रखने का विचार रखती है।

(3) क्या यह सही है कि इस केन्द्र में नियुक्त डाक्टर्स में से कोई डाक्टर कोटा अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उन डाक्टर्स को उनके नियुक्ति स्थान पर वापिस भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अटरू पर पांच डाक्टर के पद स्वीकृत हैं, तीन डाक्टर कार्यरत हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां, दो कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रतिनियुति पर कार्यरत हैं।

(4) जी हां।

**पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन के कुओं की खुदाई**

52. **श्री [illegible]सिंह गुर्जर (खारची) :-** क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत, समिति, मारवाड़ जंक्शन में कुओं की खुदाई के बदले अनाज देने के मामले में अनाज का घोटाला पकड़ा गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक जांच में ही विकास अधिकारी व एक कनिष्ठ लिपिक इस काण्ड में दोषी पाये गये ?

(3) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उक्त कांड में कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

(4) क्या दोषी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जिलाधीश, पाली द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन में पंचायत समिति, मारवाड़ जंकशन में कुओं की खुदवाई के बदले अनाज देने के मामले में कुछ अनियमितताएँ होना बताया गया है।

(2) जी हां।

(3) विकास अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पंचायत समिति के माध्यम से करवाकर अन्तिम निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करवाने के लिए जिलाधीश, पाली को लिखा जा चुका है।

(4) मामले के तथ्यों को देखते हुये आरोपित अधिकारी व कर्मचारी को निलम्बित किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(204)



## कोटा जिले में चिकित्सीय स्टाफ की पूर्ति

53. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में कहां कहां कितने उप–स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालय हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमशः कितने डाक्टर्स एवं ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं तथा कब से और क्यों ?, रिक्त स्थानों को कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) ऐसे कितने केन्द्र एवं चिकित्सालय हैं जहां पर ए. एन. एम. एवं डाक्टर्स की नियुक्ति तो कर दी गई किन्तु वे कार्यभार सम्भाल कर फिर ड्यूटी पर वापस नहीं गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उप केन्द्रों पर डाक्टर का कोई पद स्वीकृत नहीं होता है। उप केन्द्र पर केवल एक प्रसाविका का पद सृजित होता है। कोटा जिले में कुल स्वीकृत 187 उप केन्द्रों में से छः उप केन्द्र पर प्रसाविका के पद वर्ष 1982 से प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में रिक्त पड़े हुये हैं।

इन रिक्त पदों को स्टाफ उपलब्ध होते ही भर दिया जायेगा।

(3) केवल 5 उपकेन्द्रों पर पांच प्रसाविकायें कार्यभार–ग्रहण करने के बाद अनुपस्थित रहीं। इनके विरुद्ध प्रशिक्षण काल में भुगतान किये गये स्टाईफण्ड की राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। राजकीय चिकित्सालय (डिस्पेन्सरी) जेपला व आटोन में 1.6.83 को चिकित्सकों का पदस्थापन किया गया था परन्तु उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

### सूची

### चिकित्सालय एवं डिस्पेन्सरियों की सूची

| क्र.सं. | चिकित्सा संस्था का नाम | पंचायत समिति | तहसील |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा | लाडपुरा | लाडपुरा |
| 2. | जे.के. लोन महिला चिकित्सालय, कोटा | ,, | ,, |
| 3. | जिला क्षय निवारण केन्द्र, कोटा | ,, | ,, |
| 4 | जिला जेल चिकित्सालय, कोटा | ,, | ,, |
| 5. | राजकीय चिकित्सालय, बारां | ,, | ,, |

205



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| सिटी डिस्पेन्सरी, कोटा | | | |
| 1. राजकीय डिस्पेन्सरी भीमगंज मंडी, कोटा | | लाडपुरा | लाडपुरा |
| 2. ,, ,, | रामपुरा, कोटा | ,, | ,, |
| 3. ,, ,, | छावनी, कोटा | ,, | ,, |
| 4. ,, ,, | दादाबाड़ी, कोटा | ,, | ,, |
| 5. ,, ,, | सूरजपोल, कोटा | ,, | ,, |
| 6. ,, ,, | टिप्टा, कोटा | ,, | ,, |
| 7. पुलिस लाइन डिस्पेन्सरी, कोटा | | ,, | ,, |
| 8. राजकीय डिस्पेन्सरी, 5वीं बटालियन आर.ए.सी. | | ,, | ,, |
| 9. राजकीय धर्मादा सिटी डिस्पेन्सरी, बारां | | बारां | बारां |

ग्रामीण डिस्पेंसरी एवं एडपोस्ट

| क्र.सं. | पंचायत समिति | प्रा०स्वा० केन्द्र | डिस्पेन्सरी का नाम | एडपोस्ट का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | लाडपुरा | कैथुन | मण्डाना | वलियानी वरियानी |
| | | | अरण्डखेडा | ताजेड़ |
| 2. | शाहबाद | केलवाड़ा | शाहबाद | कस्बा थाना |
| | | | घट्टा घट्टी | समरनिया |
| | | | भंवरगढ़ | नाहरगढ़ |
| 3. | अटरू | अटरू | आटोन | सकतपुरा |
| | | | | मोठपुर |
| | | | | कुन्जेड |
| | | | | सालपुरा |
| 4. | सांगोद | आंवा | सांगोद | वापरकलां |
| | | | कनवास | कुन्दनपुर |
| | | | | लुहावद |
| 6. | छबड़ा | छबड़ा | जेपला | |
| | | | कोटडी | |
| 6. | इटावा | पीपल्दा | इन्द्रगढ़ | डीपरी |
| | | | इटावा | ककरावदा |
| | | | खातोली | |
| | | | अवाना | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. अन्ता | बमोरीकलां | मांगरोल<br>अन्ता<br>सीसवाली<br>वोहत | पलायथा |
| 8. सुल्तानपुर | मण्डावरा | सुल्तानपुर<br>बरोद<br>दिगोद | — |
| 9. बारां | बामला | सुन्दरलक<br>कोथला | माथना |
| 10. चेचट | मोडक स्टेशन | रामगंज मण्डी<br>चेचट<br>मुकेत | जुल्मी |
| 11. छीपाबड़ोद | सारथल | हरनावद शाहजी<br>छीपाबड़ोद<br>कवाई | <br>टांचा<br>खिलण्डी |
| 12. किशनगंज | किशनगंज | पं०सं० शाहबाद में चिकित्सा संस्था इस पंचायत समिति में उपलब्ध है, क्योंकि यह पंचायत समिति नई बनी है। | |

**उपकेन्द्र**

| क्र.सं. | पंचायत | प्रा०स्वा० केन्द्र | उप केन्द्र चिकित्सा | उप केन्द्र प०क० | उपकेन्द्र ए.एन. एफ.पी.ए. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | इटावा | पीपल्दा | गणेशगंज<br>बलवन्त<br>छापोल<br>नोनेरा<br>निमोला | गेता<br>अवाना<br>सुमेरगंजमंडी<br>तलाव | करवाड<br>विनायका<br>बावई<br>बागली<br>दुर्जनपुरा<br>अन्धोरा |
| 2. | अटरू | अटरू | नमावता<br>खुरी<br>कुफड़ी | अरडान<br>कटावर<br>शेरगढ़<br>शहरोद | पिपलोद<br>सजावा<br>बडोरा<br>पटना<br>रहालाई<br>अन्ताना<br>कनोतिया |

(207)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. शाहबाद | केलवाड़ा | रामगढ़ | रामपुरिया | सेमलीफाटक |
| | | सांसरा | छिनोद | महुदरा |
| | | तलवाड़ा | देवरी | छतरगंज |
| | | गरहा | कुशियारा | दीगोदपार |
| | | रेलावन | | बंजरगढ़ |
| | | राजपुरा | | खिरिया |
| | | | | मुन्डियार |
| | | | | मिसई |
| | | | | खान्डातहरौल |
| | | | | करवरीकलां |
| 5. अन्ता | बामोरीकलां | बड़गांव | | |
| | | खारसन | | |
| | | बड़पा | | |
| | | रायथल | | |
| | | मिर्जापुर | बालदड़ा | बिजोरा |
| | | | मावमोरी | पाटूदा |
| | | | पचेलकलां | भोज्याखेड़ी |
| | | | बोहत | इश्वरपुरा |
| | | | | बमोलियामाताजी |
| | | | | काचरी |
| | | | | मख |
| 6. सांगोद | श्रावां | घुलेट | श्यामपुरा | हिंगोनिया |
| | | खजूरी | कमोलर | कुराड |
| | | मोहिकलां | देवली | दरा स्टेशन |
| | | राजगढ़ | किशनपुरा | मोईखुर्द |
| | | सावनभादो | | श्रामली |
| | | | | विनोद खुर्द |
| | | | | गुरायता |
| 7. रामगंजमंडी | मोडक | सेडाकला | वडोदियाकलां | कुकड़ा खुर्द |
| | | छएडना | रीछिडिया | सालेडाकलां |
| | | गोयन्द | श्रालोद | सातलखेड़ी |
| | | मोखु | हाथियाखेड़ी | खीमच |
| | | | | कुंभकोट |
| | | | | देवलीकलां |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मदनपुरा |
| | | | | | थाइपुरा |
| | | | | | हेडली |
| | | | | | पीपाखेड़ी |
| | | | | | घरनावदा |
| | | | | | देवली खुर्द |
| | | | | | गादिया |
| | | | | | मानपुर |
| | | | | | सलावद खुर्द |
| | | | | | सहरावदा |
| 8. | छीपा बड़ोद | सारथल | मोक्षनपुरा | गोर्धनपुरा | सेतकेन्द्र |
| | | | बिलेन्डी | पनोरीघाटा | सतनपुर |
| | | | असनावर | राई | ढोलम |
| | | | | बनवरी | |
| 9. | बारां | वामला | प्रटापदा | रघवद | कलमन्डा |
| | | | फतेहपुर | सुन्दरलक | बोरदा |
| | | | कोयला | वडा | इफलेरा |
| | | | | मायना | नारेड़ा |
| | | | | | व[illegible]ना |
| | | | | | हु[illegible]सा |
| | | | | | प[illegible]थेड़ा |
| | | | | | धू[illegible]रा |
| 10. | सुल्तानपुर | मन्डावरा | कल्यानपुरा | सीनजिया | ब[illegible]री |
| | | | कोडिया | डूगरजा | को[illegible]डाटीपसिंह |
| | | | निमोदा | बुहाहीत | ल[illegible]सनीजा |
| | | | | मोरपा | ने[illegible]ताडा |
| | | | | | पं[illegible]लाईकलां |
| | | | | | रे[illegible]गांव |
| | | | | | ट[illegible]करवाड़ा |
| 11. | छबडा | छबड़ा | कडिया मोहर | तीतरखेड़ी | गु[illegible]र |
| | | | गुवाहेड़ी | कडेगाहाट | बा[illegible]था |
| | | | को व[illegible]वा नीचा | कडया नोहर | हा[illegible] हेडी |
| | | | | कोटडी | को[illegible]डा |
| 12. | लाडपुरा | केपून | दसार | बोराबास | म[illegible]सा |
| | | | चन्द्रसेल | काल्याखेड़ी | रा[illegible]पुर |
| | | | बनियानी | मरन्ड खेड़ा | खेड़ा रसूलपुर |
| | | | | किशनपुरा | गिरधरपुरा |
| | | | | | म[illegible]नाना |
| | | | | | म[illegible]नस गांव |

**राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के रिक्त पद**

54. श्रीमती उजला अरोड़ा ( जयपुर ग्रामीण ) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने मा. न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं और इनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने मुकदमें विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. राजस्थान उच्चन्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के 18 पद स्वीकृत हैं इनमें से 15 पद भरे हुये हैं तथा तीन पद रिक्त हैं।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय में दिनांक 1-1-83 को कुल 37200 मामले विचाराधीन थे।

**उदयपुर जनजाति निगम की सस्ते दर की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें**

55. श्री देवेंन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या उदयपुर जनजाति निगम की उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे--सस्ते अनाज, कपड़ा की दुकानें हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) निगम द्वारा संचालित उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों से निगम को सालाना कितना लाभ हानि होती है ?

(3) निगम द्वारा सस्ते दर का कपड़ा थोक, कहां से, किस भाव से खरीद कर आदिवासी क्षेत्रों में भेजा जाता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी नहीं। राजस संघ के अधीन आदिवासी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं लेम्पस/पेक्स जिनकी संख्या अभी कुल 152 हैं के माध्यम से दैनिक आवश्यकता की उपभोक्ता खाद्य सामग्री व कपड़ा आदि विक्रय किया जाता है। इनके अतिरिक्त भी चल उपभोक्ता वाहन कार्यरत हैं।

2. गत तीन वर्षों में संघ द्वारा उपभोक्ता व्यापार से प्राप्त सकल लाभ का विवरण परिशिष्ट 'क' में उपलब्ध है।

3. संघ के अधिकारियों व क्षेत्रीय प्रबंधकों की गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर संघ में पंजीकृत थोक निर्माता व्यापारियों से लेम्पस की मांग के अनुसार कपड़ा क्रय कर आदिवासी क्षेत्रों में विक्रय हेतु भेजा जाता है।

## परिशिष्ट–क

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि०, प्रतापनगर, उदयपुर

उपभोक्ता सामग्री विक्रय एवं सकल लाभ

| विवरण | वर्ष 1979–80 | | वर्ष 1980–81 | | वर्ष 1981–82 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नियन्त्रित | अनियन्त्रित | नियन्त्रित | अनियन्त्रित | नियन्त्रित | अनियन्त्रित |
| प्रारम्भिक स्टोक | 460.00 | 2,53,987.55 | 3,48,755.30 | 6,25,953.66 | 95,665.31 | 8,60,767.74 |
| क्रय | 58,25,616 97 | 53,83,561.56 | 105,27 799.52 | 67,57,970.96 | 138,01,991.14 | 51,58,058.03 |
| योग | 58,26,076.97 | 56,37,549.11 | 108,76,554.82 | 73,83,924.62 | 138,97,656.45 | 60,18,825.77 |
| विक्रय | 55,07,779.31 | 51,71,529.58 | 108,13,863.59 | 66,24,280.35 | 132,82,757.30 | 55,84,008.09 |
| अन्तिम स्टोक | 3,48,755.30 | 6,25,953.66 | 95,665.37 | 8,60,767.74 | 8,02,575.47 | 5,79,016.33 |
| योग | 58,56,534.61 | 57,97,483.24 | 109,09,528.96 | 74,85,048.09 | 140,85,332.77 | 61,73,024.42 |
| सकल लाभ | 30,457.64 | 59,934.13 | 32,974.14 | 1,01,123.47 | 1,87,676.32 | 1,44,198.65 |

**पंचायत समिति डीडवाना में ग्राम सेवकों की नियुक्ति**

56. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)- क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति, डीडवाना में माह दिसम्बर, 1982 में 11 ग्राम सेवकों को अस्थाई तौर पर नियुक्ति के लिये चयनित किया गया ?

(2) क्या उक्त चयन तथा नियुक्तियां नियमानुसार नहीं होने की वजह से सरकार ने जांच के आदेश दिये हैं ?

(3) क्या इन ग्राम सेवकों को हटा कर नई नियुक्तियां दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति ने जाहिर किया है कि सरप्लस ग्रामसेवक उपलब्ध होने तक हटाये जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पद रिक्त रह जायेंगे।

**फागी तहसील में "बेघर से घर" योजना अभियान**

58. श्री रामकंवार बैरवा (फागी)- क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि "बेघर से घर" बसाने की योजना के अन्तर्गत चलाये गये अभियान के तहत फागी तहसील में, तहसील द्वारा तथा पंचायत समिति द्वारा चरागाह व सिवायचक में पट्टे वितरित किये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जो पट्टे वितरित किये गये हैं उस भूमि को आबादी में परिवर्तित की है या नहीं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या उक्त भूमि की किस्म जमीन परिवर्तन नहीं होने के कारण तहसील द्वारा उक्त भूमिहीनों के खिलाफ कार्यवाही कर उनसे पेनल्टी भी वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह न्यायसंगत है ?

(4) क्या उक्त भूल को सुधारने हेतु सरकार क्या कोई तुरन्त कदम उठावेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। इस योजना में दिसम्बर, 74 व जनवरी, 75 में अभियान के अन्तर्गत तहसील द्वारा निशुल्क आवासीय भूखण्ड के पट्टे वितरित किये गये थे उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पंचायत समिति द्वारा कोई भूखण्ड आवंटन नहीं किया जाता है।

(2) जिस भूमि के पट्टे वितरित किये गये हैं, उसको आबादी में परिवर्तित किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(212)



सूची

| क्र.सं. | नाम पंचायत | नाम ग्राम | तादाद परिवार जिनको आवंटन हुआ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1–फागी | (1) | फागी | 198 |
| 2–मण्डोर | (2) | पिनाच | 96 |
| | | टीकेल पुरोहितान | 22 |
| | | कुंजबिहारीपुरा | 62 |
| | | कुचियावास | 5 |
| | | रोटवाडा | 43 |
| | | सावल | 36 |
| | | किरनपुरा | 67 |
| 3–लदाना | (3) | लदाना | 136 |
| | | काग्या | 44 |
| 4–पचाला | (4) | पचाला | 55 |
| | | झोडिन्दा उर्फ भोजपुरा | 57 |
| | | साणाका वास | 43 |
| | | सुलतानिया | 27 |
| | | आवंडिया | 20 |
| 5–कासेल | (5) | हिंगोनिया | 30 |
| | | शेरपुरा | 5 |
| | | नन्दलालपुरा | 26 |
| | | बूंकनी | 8 |
| | | छारपड़ा | 22 |
| | | गोविन्दपुरा उर्फ बासडा | 29 |
| | | सवाई जयसिंहपुरा | 47 |
| | | कासेल | 58 |
| | | सालरसू | 13 |
| | | राताखेड़ा | 16 |
| | | टीकेलनरुकान | 30 |
| 6–मण्डोर | | मण्डोर | 27 |
| | | हरबंशपुरा | 6 |

(213)



| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 7–रेनवाल (6) | रेनवाल | 374 |
| 8–गोहन्दी (7) | गोहन्दी | 111 |
| | रायथल | 3 |
| | अमरपुरा | – |
| | चक गुलाबपुरा | – |
| | कटारिया | – |
| | हीरापुरा | 16 |
| | हरिरामपुरा | 4 |
| | जावद | 5 |
| | किशनपुरा | 5 |
| | जानकीनाथ पुरा | 7 |
| | कारण | – |
| | निहालपुरा | – |
| | गुलाबपुरा | – |
| | रामपुरा चोखावला | 1 |
| | नवलकिशोरपुरा | 20 |
| 9–चितोडा (8) | चितौडा | 7 |
| | प्रतापपुरा | – |
| | श्रीराजपुरा | 25 |
| | मानपुरगेट | 42 |
| | चादावास | 12 |
| 10–पीपला (9) | पीपला | 73 |
| | मस्ता | – |
| 11–मण्डावरी (10) | गणेशपुरा (पोड़ीयाना) | 304 |
| | घाटियाली | 26 |
| | मण्डावरी | 90 |
| | कुडली | 56 |
| 12–नारेडा (11) | नारेडा | 105 |
| | छापरी | 63 |
| 13–मेन्दवास (12) | मन्डावरा | 62 |
| | हचूकडा | 18 |
| | बालनिया | 4 |
| | नारीखेडा | 20 |
| | मेहन्दवास | 98 |
| | धावालिया | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14 | माढी (13) | माढी | 17 |
| | | मोहनपुरा रणवा | 28 |
| | | रथेली | 54 |
| 15 | किशोरपुरा (14) | समेलिया | 69 |
| | | लीखावास | 7 |
| | | किशोरपुरा | 36 |
| | | मोहनपुरा राजावास | 52 |
| | | मण्डप | 17 |
| | | चादयाखुर्द | 24 |
| 16 | लसाडिया (15) | पालडी | 9 |
| | | लसाडिया | 35 |
| 17 | परवण (16) | परवण | 32 |
| | | पावसू | 6 |
| | | धावालिया | 49 |
| | | मोरडी | 12 |
| 18 | किशोरपुरा | विमलपुरा | — |
| | | राधन्द्रपुरा | 1 |
| 19 | परवण | मदनपुरा | 8 |
| | | कवरपुरा | 6 |
| | | गोकुलपुरा | 18 |
| | | खाण्डूज | 5 |
| | | केरया | 1 |
| | | वाठमोरडी | — |
| 20 | लसाडिया | सिरस्या | 15 |
| | | नेवल्या | 27 |
| | | महज | 20 |
| 21 | गाढी | नथमलपुरा | 14 |
| | | रतनपुरा | 50 |
| | | रामपुरा रेलवे | 8 |
| 22 | किशोरपुरा | घाटरामचन्द्रपुरा | बेचिराग |
| | | बाढ़गोटडी | — |
| 23 | मोहब्बतपुरा (17) | डावलाबुजुर्ग | 22 |
| | | डावलाखुर्द | 4 |
| | | गणेशपुरा | 67 |
| | | मोहब्बतपुरा | 48 |

215



| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 24–हरसूलिया (18) | जयचन्दकाबास | 15 |
| | मोहनपुरा पृथ्वीसिंह | 27 |
| | हरसूलिया | 41 |
| | खेजड़ा का बास | 1 |
| | रायपुरा | — |
| | थला | 16 |
| 25–झाडला (19) | झाडला | 72 |
| | माण्डालिया गोगर | 35 |
| | खाजूरिया | 34 |
| | काटोली | 2 |
| | भोजपुरा | 179 |
| | पुतली | 101 |
| 26–पहाडीया (20) | बासडी जांगिया | 7 |
| | पटाडिया | 196 |
| | बोकडावास | 38 |
| | जयपालपुरा | — |
| 27–चोरू (21) | चोरू | 230 |
| 28–चकवाड़ा | चकवाड़ा | 146 |
| | भरतपुरा | 11 |
| | शंकरपुरा | 25 |
| 29–नीमेड़ा (23) | नीमेड़ा | — |
| | जगन्नाथपुरा | — |
| | श्रीरामगंज | — |
| 30–माधोराजपुरा (24) | माधोराजपुरा | 202 |
| | खोडा श्री हनुमानजी | 35 |
| 31–भांकरोटा (29) | भांकरोटा | 68 |
| | झराना | 24 |
| | ढीची | 174 |
| 32–चांदयाकला (26) | चांदयाकला | 110 |
| | मटकाखोड़ा | 22 |
| | भाजनोटा | — |
| | बिसाल | 47 |

| 1 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|
| 33–डाबिच (27) | डाबिच | 88 |
| | रामसिंहपुरा | 20 |
| | फतेहरामपुरा | 14 |
| | श्रीरामजीपुरा | 16 |
| | गोपालपुरा | 57 |
| 34–डीडावता (28) | डीडावता | 58 |
| | मुकन्दपुरा | 2 |
| | भानपुरा | 9 |
| | हुत्याखुर्द | 51 |
| | संग्रामपुरा | 4 |
| | हुनुत्याकलां | – |
| 35–ढोसरा (29) | ढोसरा | 81 |
| | गोविन्दपुरा | 47 |
| | प्रेमपुरा | बेचिराग |
| | सहश्वरिया | 63 |
| | भर्तपुरा | 6 |
| | नोनन्दपुरा | 13 |
| | सरस्वतीपुरा | – |

### कामां चिकित्सालय के डाक्टर का स्थानान्तरण

59. **श्री चाव खां (कामां)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डाक्टर कमलेश कुमार आर्य को कस्बा कामां में करीब 14 वर्ष हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस डाक्टर का कामां से तुरन्त स्थानान्तरण करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री कमलेश कुमार, डाक्टर का स्थानान्तरण दिनांक 20-10-1981 क्रमांक संख्या सी. ए. एस. । एटी।स्थाना. (2) 1811470 से हो चुका है ? यदि हां, तो यह स्थानान्तरण किसके द्वारा, क्यों कैन्सिल किया गया ?

#### उत्तर

(1) डा. कमलेश नन्दन आर्य, चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय कामां (भरतपुर) में दिनांक 15-7-1972 से लगातार कार्यरत है ।

(2) डा. कमलेश नन्दन आर्य के स्थानान्तरण के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(212)



(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) डा. कमलेश नन्दन आर्य का आदेश क्रमांक 470 दिनांक 20·10-81 से राजकीय चिकित्सालय कामां (भरतपुर) से राजकीय चिकित्सालय खेड़ली गडासिया (भरतपुर) को किया गया था जिसे स्थानीय मांग पर राज्य सरकार के आदेशानुसार दिनांक 16-12-81 से निरस्त किया गया।

**धरियावद व भभराना आदिवासी छात्रावास भवन**

60. श्री कमला भाई मीणा (सलाडिया) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या धरियावद और भभराना के आदिवासी छात्रावास में 100 छात्रों के रहने की सन्तोषप्रद व्यवस्था है ?

(2) क्या धरियावद और भभराना आदिवासी छात्रावास में लड़कों के रहने के लिए भवन बना दिया गया है ?

(3) यह सरकार धरियावद व भभराना दोनों जगहों पर छात्रावास भवन बनाने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) अभी कोई निर्णय नहीं है।

**भूतपूर्व सरपंच निम्बाहेड़ा (माण्डल) के विरुद्ध गबन प्रकरण में जांच**

61. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा एस.डी.ओ. कार्यालय की मिसल नं. 76/सन् 1965-66 चालू नं. 2 सन् 1972 के अनुसार आरोपों की जांच में श्री भंवरलाल तिवाड़ी, भूतपूर्व सरपंच, निम्बाहेड़ा (माण्डल) द्वारा पंचायत कोष का कितना गबन करना पाया गया ?

(2) उक्त गबन की वसूली हेतु क्या पुलिस कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त गबन की वसूली हेतु आज तक अन्य क्या कार्यवाही हुई ? वर्तमान में कुल कितनी राशि की वसूली की कार्यवाही जारी है ?

उत्तर

(1) जिलाधीश, भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भंवरलाल तिवाड़ी, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, निम्बाहेड़ा (माण्डल) के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा की गयी जांच में रु. 5187 पंचायत कोष की राशि का गबन एवं दुरुपयोग होना पाया गया।

(2) जी हां। पुलिस में एफ. आई. आर दर्ज करवायी गयी है। पुलिस अनुसंधान जारी है।

(3) जांच के आधार पर मामला राज्य सरकार के समक्ष सुनवाई में चल रहा है। निर्णय होने पर नियमानुसार वसूली की जायेगी।

**रतनगढ़ में चिकित्सीय स्टाफ की पूर्ति**

62. श्री जयदेवप्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ़ जिला चिकित्सालय

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

में सी.एम. एण्ड एच.ओ. का पद रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या रतनगढ़ के एस. एम. जे. अस्पताल में दन्त चिकित्सक का स्थान रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो कब से और क्या निकट भविष्य में उक्त पद की पूर्ति की जायगी?

(3) रतनगढ़ के एस. एम. जे. अस्पताल में कम्पाउडर्स तथा नर्सेज के कितने स्थान स्वीकृत हैं, और वर्तमान में कितने कम्पाउन्डर्स व नर्सेज सेवारत हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी हां, क्योंकि

दिनांक 24-10-82 से पदस्थापित दन्त चिकित्सक कार्य से अनुपस्थित है। अब शीघ्र ही उस पद पर अन्य व्यक्ति को पदस्थापित कर दिया जायेगा।

(3) रतनगढ़ अस्पताल में कम्पाउण्डर्स एवं नर्सेज के स्वीकृत पद एवं सेवारत निम्न प्रकार हैं :—

| नाम पद | स्वीकृत | सेवारत |
|---|---|---|
| 1. मेल नर्स श्रेणी प्रथम | 4 | 4 |
| 2 मेल नर्स श्रेणी द्वितीय | 15 | 9 |
| 3. स्टाफ नर्स | 8 | 5 |

**पी.बी.एम. चिकित्सालय, बीकानेर**

63. **श्री सुरजाराम** (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर पी. बी. एम. चिकित्सालय में कुल कितने आपरेशन थियेटर्स हैं? किस थियेटर में किस-किस रोग से सम्बन्धित आपरेशन होते हैं?

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न रोगों के आपरेशन के केसेज अधिक होने से कुछ और आपरेशन थियेटर्स स्थापित करने की मांग पी बी.एम. चिकित्सालय एवं नोखा पी.एच.सी. द्वारा की गई है? यदि हां, तो मांग कब तक पूरी हो जावेगी?

(3) बीकानेर पी. बी. एम. अस्पताल एवं मेडिकल कालेज में कुल कितनी एक्सरे एवं हार्ट-लंग्स मशीन्स हैं? उनमें से कितनी कब से खराब पड़ी हैं? क्या सरकार इन्हें चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि बीकानेर पी.बी.एम. अस्पताल के एक्सरे प्लेट्स का कोटा बहुत ही कम है जिसके कारण गरीब एवं निर्धन मरीजों को बाजार से ऊंची दर पर एक्सरे कराना पड़ता है? यदि हां, तो गरीब निर्धनतम मरीजों के हितार्थ क्या सरकार एक्सरे प्लेट्स का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(5) क्या पी.एच.सी. नोखा में लेबोरेटरी व एक्सरे मशीन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी है? यदि हां, तो क्यों?

(6) पी.बी.एम. अस्पताल में (नाइट कैज्यूल्टी) रात्रि में कार्यरत स्टाफ कितना रहता है? क्या ऐसी शिकायतें हैं कि नाइट केज्यूल्टी में दुर्घटनाओं के एवं गम्भीर केसेज के प्रति कार्यरत स्टाफ द्वारा लापरवाही बरती जाती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) पी. बी. एम. चिकित्सालय, बीकानेर में कुल 12 आपरेशन थियेटर हैं। विभिन्न रोगों की सर्जरी सप्ताह में इस प्रकार की जाती है—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जनरल सर्जरी | 21 थियेटर |
| 2. | गाइनिक्स | 24 ,, |
| 3. | नेत्र विभाग | 6 ,, |
| 4. | ई.एन.टी | 4 ,, |
| 5. | आर्थोपेडिक्स | 4 ,, |
| 6. | दंत चिकित्सा | 1 ,, |
| 7. | प्लास्टर रूम | 7 ,, |
| 8. | आपातकालीन थियेटर चौबीसों-घन्टे कार्य करता है। | |

(2) पी.बी.एम. अस्पताल में आपरेशनों की संख्या को देखते हुए अन्य थियेटर की आवश्यकता नहीं है। नोखा पी. एच. सी. में थियेटर स्थापना का सुझाव "Reorientation of Medical Education" स्कीम द्वारा दिया गया था जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) कुल 13 एक्सरे मशीनें हैं। पांच मशीनें मरम्मत हेतु पड़ी हैं जिनकी मरम्मत हेतु कम्पनी को लिखा जा चुका है। मशीन "कण्डम" हो चुकी है। यहां "हार्ट-लंग" की कोई मशीन नहीं है।

(4) पी. बी. एम. अस्पताल में एक्सरे प्लेट्स का "कोटा" कम नहीं है। भर्ती मरीजों के लिये यह कमी 'आटो फाइनेंसिंग" स्कीम लागू होने के पश्चात समाप्त हो गई है। बाह्य मरीजों के लिये एक्सरे प्लेटस का "कोटा" मांग के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। वित्तीय साधनों के अभाव में यह कोटा बढ़ाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) पी.बी.एम. अस्पताल में सभी आपातकालीन सेवा हेतु दो इन्टर्न्स (फर्स्ट इयर रेजिडेन्ट) सेकेन्ड इयर रेजीडेन्ट व एक थर्ड इयर रेजिडेन्ट के अतिरिक्त एक सीनियर लेक्चरार की ड्यूटी रहती है व आवश्यकतानुसार पैरा मेडीकल स्टाफ कार्यरत रहता है। इन सेवाओं में लापरवाही बरतने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## DEPARTMENT OF RADIOLOGY
## POSITION OF X-RAY MACHINES

| S.No. | M.A. of the X-Ray machine and make | Place of installation at present Hosp./Dispy./P.H.C. | Name of the Firm from whom purchased. | Date of Purchase | Whether in working order or out of order | If out of order date from which out of order | Whether absolute or repairable | Action taken by you | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 300 mA Scienee | PBM Hospital BKN | Siemens | 5-3-79 | Working order | – | – | – | |
| 2. | 500 mA Siomons | -do- | -do- | 25-3-68 | Out of order | 25-7-82 | Repairable | Request has been made to repair Company has been asked to supply valves. | |
| 3. | 300 mA Escorts | -do- | Escorts | 1963 | Out of order | 12-3-82 | -do- | | |
| 4. | 300 mA I. G. E. Co. | -do- | I.G.E Co. | 14-12-77 | Working order | – | – | | |
| 5. | 200 mA I.G.E.Co. | -do- | -do- | 1964 | -do- | – | – | – | |
| 6. | 60 mA I.G.E.Co | -do- | -do- | 12-5-76 | Out of order | 20-8-83 | Repairable | Company has been asked to repair. | |
| 7. | 60 mA Siemens (Mobile) | -do- | Siemens | 6-1-83 | Working order | – | – | | |
| 8. | 60 mA Siemens | -do- | -do- | 18-12-72 (Transferred from College) | – | – | – | – | |
| 9. | 50 mA I.G.E.Co,(Mobile) | -do- | I G.E.Co. | 1-8-79 | Out of order | 19-3-83 | Repairable | Tub head sent for repair. | |
| 10. | 100 mA Escorts (Mobile) | -do- | Escorts | 3-6-65 | -do- | 30-7-81 | -do- | Transformer oil has been re-quisitioned. | |
| 11. | 15 mA I.G.E.Co.(Mobile) | -do- | I G E.Co | 1939 | -do- | 1978 | Not Repairable | To be condemmed. | |
| 12. | 15 mA Dental Philps | -do- | Philips | 1973 (Transferred from Dental O.P.D.) | Working order | – | – | – | |
| 13. | 30 mA Escorts | -do- | Escorts | before 1973 | Working order | – | – | – | |

221



**भीलवाड़ा नगर में आवासन मंडल द्वारा आवंटित आवास**

.64. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा)–श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)–क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा नगर की विभिन्न बस्तियों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाये जाने वाले मकानों के लिये सन् 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में कितने आवेदन किस-किस श्रेणी के मकानों के लिये आये ?

(2) उक्त आवेदकों को किन शर्तों पर निर्मित मकान कब तक दिये जाने थे ?

(3) आवासन मंडल के द्वारा भीलवाड़ा में निर्मित विभिन्न श्रेणियों के मकानों पर प्रति मकान कितना-कितना खर्च आया और अब आवंटियों से कितना अधिक मूल्य लेने का निर्णय लिया गया और क्यों ?

उत्तर

(1) सूचना सूची (अ) में सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) मण्डल द्वारा भीलवाड़ा के इन आवेदकों को भी समय-समय पर मकान बन कर उपलब्ध होने पर किराया क्रय पद्धति अथवा नकद भुगतान पर आवंटित किये जाते हैं।

(3) सूचना सूची (ब) में सदन के पटल पर रख दी गई है।

---

**सूची 'अ'**

राजस्थान आवासन मण्डल में 80–81, 82–83 में भीलवाड़ा शहर में निम्नलिखित संख्या पंजीकरण की गई है :–

| क्रम संख्या | वर्ग | आर्थिक दृष्टि से क. | अल्प आय वर्ग | मध्यम आय वर्ग 'अ' | मध्यम आय वर्ग 'ब' | उच्च आय वर्ग | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1980–81 | 70 | 116 | 159 | 180 | 112 | 637 |
| 2. | 1981–82 | — | — | — | — | — | — |
| 3. | 1982–83 | 22 | 42 | 70 | 80 | 13 | 227 |
| | योग:– | 92 | 158 | 229 | 260 | 125 | 864 |

सूची (ब)

योजना का नाम:––

शास्त्री नगर भीलवाड़ा

उपरोक्त स्कीम में आवंटन लाटरी सं. 1/1981–82 में आवंटित हुए मकानों का मूल्य निर्धारण किया गया है।

| मकान का साइज | श्रेणी | मूल्य |
|---|---|---|
| 9.2×18 | एम आई.जी. II | 46920/- |
| 6 × 15 | एम.आई.जी. I | 30000/- |
| 6×11.25 | एम आई.जी. I | 28850/- |

उपरोक्त मूल्य निर्धारण लागत पर आधारित है, तथा नियमों के विपरीत लागत से अधिक नही लिया जा रहा है।

---

**चौमूं में आवासन मण्डल की योजना**

65. श्री तेजपाल यादव (चौमूं)–क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चौमूं में किस–किस वर्ग के कितने आवासीय मकान बनाने की योजना है ?

(2) उक्त योजना के तहत चौमूं में कितने व्यक्तियों ने अब तक पंजीयन कराया है ?

(3) आवासीय मकान बनाने हेतु कितनी भूमि किस स्थान पर अवाप्त की जावेगी ? क्या इस सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा स्थान प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो कौन–कौन से खसरा नम्बर की भूमि का ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल की प्रक्रियानुसार कम से कम 200 आवेदन–पत्र प्राप्त होने की स्थिति में ही मकानों के निर्माण की योजना बनायी जाती है। चूंकि चौमूं में कुल 145 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। अतः फिलहाल आवासीय योजना निर्माण करना सम्भव नहीं है।

(2) चौमूं में पंजीकरण हेतु कुल 145 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं।

(3) चौमूं में किस स्थान पर कितनी भूमि अवाप्त की जानी है यह अभी तय नहीं हुआ है। नगर पालिका द्वारा इस सम्बन्ध में जो स्थान प्रस्तावित किया गया है उससे सम्बन्धित खसरा नम्बर की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

## सूची

### चौमूं में नगर पालिका द्वारा प्रस्तावित भूमि के खसरा नम्बर एवं उसके रकबे का विवरण

1--प्रस्तावित भूमि नं. 1 का विवरण

| खसरा नम्बर | रकबा बीघा-बिस्वा |
|---|---|
| 1922 | 20-00 |
| 1921/2 | 22-05 |
| 1921/3 | 9-00 |
| 1924/4 | 3-06 |
| | कुल रकबा--54-11 |

2--प्रस्तावित भूमि नं. 2 का विवरण:—

| खसरा नं. | रकबा बीघा-बिस्वा |
|---|---|
| 1774/4 | -- -- |
| 1775/5 | 0-08 |
| 1775/1 | 0-01 |
| 1775/5 | 8-17 |
| 1774/1 | 4-10 |
| | कुल रकबा--13-16 |

# परिशिष्ट —5

## अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची

प्रवेशित छात्रों एवं परीक्षा में सम्मिलित छात्रों का विवरण व परीक्षा परिणाम वर्षवार

| नाम छात्रावास व स्थान | राजकीय अनुदानित | स्वीकृत छात्र संख्या | प्रवेशित छात्रसंख्या | | | परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या | | | परीक्षा परिणाम | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. राजकीय आदिवासी बालक छात्रावास, प्रतापगढ़ | राजकीय | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | 86 | 69% | 48% | 50% |
| 2. राजकीय आदिवासी कन्या छात्रावास, प्रतापगढ़ | राजकीय | 50 | 50 | 43 | 50 | 50 | 47 | 43 | 93% | 88% | 98% |
| 3. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, निम्बाहेड़ा | राजकीय | 70 | 42 | 43 | 42 | 42 | 39 | 41 | 83% | 58% | 51% |
| 4. राजकीय आदिवासी बालक छात्रावास, बेगूं | राजकीय | 54 | 35 | 41 | 43 | 31 | 32 | 41 | 65% | 63% | 63% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गंगरार | राजकीय | 25 | — | 23 | 25 | — | 20 | 20 | — | 35% | 45% |
| 6. राजकीय आदिवासी कन्या छात्रावास, सालमगढ़ | राजकीय | 25 | — | 17 | 17 | — | 17 | 17 | — | 66% | 75% |
| 7. राजकीय हरिजन छात्रावास, चित्तौड़गढ़ | राजकीय | 25 | — | 3 | 13 | — | 3 | 10 | — | 67% | 50% |
| 8. गाड़िया लोहार छात्रावास, चित्तौड़गढ़ | अनुदानित | 176 | 91 | 70 | 71 | 72 | 55 | 57 | 51% | 52% | 42% |
| 9. आदिवासी छात्रावास, बड़ी सादड़ी | अनुदानित | 25 | 25 | 25 | बंद रहा | 12 | 23 | बंद रहा | 58% | 26% | —% |
| 10. ठक्कर बापा आदिवासी छात्रावास, बोराव | अनुदानित | 25 | 20 | 25 | 20 | 17 | 20 | 17 | 88% | 80% | 89% |
| 11. महात्मा गांधी आदिवासी छात्रावास, अरनोद | अनुदानित | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 38 | 69% | 65% | 79% |
| 12. नवजीवन छात्रावास, कपासन | अनुदानित | 30 | 23 | 25 | बंद रहा | 22 | 25 | बंद रहा | 47% | 50% | बंद रहा |
| 13. राजकीय छात्रावास, बानसी | राजकीय | 25 | तृतीय श्रेणी छात्रावास योजना के अन्तर्गत | | 22 | — | — | 22 | — | — | 68% |

परिशिष्ट-'क'

## परिशिष्ट- 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 56 की सूचना)

| क.सं. | नाम कर्मचारी/अधिकारी | पद | योग्यता | वेतन श्रृंखला | वेतन | अवधि | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | डा. एन.एन. व्यास | अ. निदेशक | एम.ए, पी एच. डॉ. समाज-शास्त्र | 1920-60-2100-75-2400-100-2500 | 2175/- | 20-7-64 | समाज कल्याण विभाग से प्रति-नियुक्ति पर। |
| 2. | श्री रूपसिंह भील | उप-निदेशक | पी.जी. डिप्लोमा एस.एस.ए. | 1000-30-1030-40-1350-50-1600 | 1600/- | 17-7-80 | --,-- |
| 3. | ,, एन.डी. चौधरी | --,,-- | पी.जी. डिप्लोमा ग्रामीण समाज शास्त्र | --,,-- | 1270/- | 4-4-83 | --,-- |
| 4. | ,, एस.एन. समदानी | व्याख्याता | एम.ए. अर्थशास्त्र | 700-1600 यूजीसी वेतनमान | 1150/- | 18-10-79 | महाविद्यालय, शिक्षा विभाग से प्रति-नियुक्ति पर। |
| 5. | ,, राजेन्द्र खमेसरा | --,,-- | एम.ए. समाज शास्त्र | --,,-- | 1000/- | 20-1-82 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | श्री राधेश्याम शर्मा | पुस्तकालयाध्यक्ष | एम.ए.बी. लीब | 780-20-900-25-1000-30-1300-40-1460 | 820/- | 4-12-78 | |
| 7. | ,, रामचन्द्र बलात | शोध सहायक | एम.ए. समाज शास्त्र | 740-20-900-25-1000-30-1300-40-1420 | 1340/- | 29-5-65 | |
| 8. | ,, प्रकाशचन्द्र मेहता | —,,— | एम.एस.सी. गणित | 640-20-900-25-1000-30-1240 | 860/- | 1-3-83 | मूल्यांकन विभागसे प्रति-नियुक्ति पर। |
| 9. | ,, याकूब अली | सा० सहायक | एम.ए. अर्थशास्त्र | —,,— | 1120/- | 21-6-78 | सांख्यिकी विभाग से प्रति-नियुक्ति पर। |
| 10. | ,, देवकृष्ण टेलर | अनुदेशक शीघ्र लिपिक हिन्दी | हायर सेकेन्ड्री | 740-20-900-25-1000-1300-40-1420 | 1150/- | 2-11-82 | |
| 11. | ,, छगनलाल मतवाला | अनुदेशक शीघ्र लिपिक अंग्रेजी | एम.ए. समाज शास्त्र | 640-20-900-25-1000-30-1180 | 1090/- | 29-7-64 | |
| 12. | ,, गोपाललाल | छायाकार | मैट्रिक | —,,— | 640/- | 27-8-80 | |
| 13. | ,, अभय कुमार बोहरा | सा. सहायक | बी.काम. | —,,— | 1120/- | 6-6-83 | सांख्यिकी विभाग से प्रति-नियुक्ति पर |
| 14. | ,, सोहनलाल आंचलिया | लेखाकार | मैट्रिक | 500-20-740-25-940 | 815/- | 6-7-83 | लेखा विभाग से प्रति-नियुक्ति पर। |
| 15. | ,, रामचन्द्र शुक्ला | क० लेखाकार | बी.ए. | 525-15-640-20-900-25-1000-30-1120 | 1090/- | 2-8-80 | —,,— |

(228)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | श्री भगवानलाल | स.सां. अधि-कारी | बी.ए. | 625-15-640-20-900-25-1000-30-1120 | 820/- | 7-5-80 | |
| 17. | श्रीमती रानी पारवानी | संगणक | एम.ए. | 520-10-550-15-640-20-900-25-925 | 820/- | 9-7-80 | सांख्यिकी विभाग से प्रति-नियुक्ति पर। |
| 18. | श्री सुखलाल मेनारिया | व० लिपिक | बी.ए. | —,,— | 800/- | 26-8-65 | |
| 19. | ,, देवीलाल जोशी | —,,— | एम.ए. इतिहास | —,,— | 550/- | 10-5-83 | |
| 20. | ,, श्रीमती तीतम्बा | —,,— | सैकेन्ड्री | 490-10-550-15-640-20-840 | 520/- | 3-4-80 | |
| 21. | सुश्री सविता भावनानी | —,,— | हायर सैकेन्ड्री | —,,— | 520/- | 3-4-80 | |
| 22. | ,, उषा जैन | —,,— | बी.ए. | —,,— | 490/- | 27-5-63 | |
| 23. | श्री हरिनारायण | वाहन चालक | नोन-मैट्रिक | —,,— | 780/- | 17-11-66 | |
| 24. | ,, रूपसिंह राजपूत | —,,— | साक्षर | —,,— | 680/- | 4-3-80 | |
| 25. | ,, मूरालाल जोशी | रेकार्डिस्ट-कम आपरेटर | उत्तमा | 420-5-450-10-550-15-640-20-740 | 700-/ | 10-11-81 | जनसम्पर्क विभाग से प्रति नियुक्ति पर। |
| 26. | ,, सोहनलाल गोलछा | मशीनमैन | मिडिल | 380-5-450-10-550-15-610 | 420/- | 18-2-64 | |
| 27. | ,, लालचन्द नागदा | लाईब्रेरी बाय | साक्षर | 370-5-450-10-530 | 445/- | 11-4-85 | |
| 28. | ,, कस्तूरचन्द | जमादार | —,,— | —,,— | 445/- | 11-5-74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | श्री मानाराम | च.श्रे. कर्मचारी | साक्षर | 350–5–430 | 410/– | 27–2–64 | |
| 30. | ,, माधोसिंह | —,,— | —,,— | —,,— | 282/– | 1–10–65 | |
| 31. | ,, कुंजीलाल शर्मा | —,,— | —,,— | —,,— | 405/– | 21–2–71 | |
| 32. | ,, रूपलाल | —,,— | —,,— | —,,— | 375/– | 22–3–75 | |
| 33. | ,, जगराम उपाध्याय | —,,— | हायर सेकेन्ड्री | —,,— | 278/– | 4–10–82 | |
| 34. | ,, प्यारचन्द | —,,— | साक्षर | —,,— | 365/– | 23–4–81 | |
| 35. | ,, देवीलाल डांगी | —,,— | —,,— | —,,— | 355/– | 1–10–81 | |
| 36. | ,, खेमराज कुम्हार | —,,— | —,,— | —,,— | 360/– | 22–6–82 | |
| 37. | ,, चारणमल रेगर | चौकीदार | हायर सेकेन्ड्री | —,,— | 350/– | 21–8–83 | |
| 38. | ,, जगदीश | स्वीपर | साक्षर | —,,— | 360/– | 4–3–80 | |

**Research, valuation, Development Plant, Survey and Ethnographic Studies from 1977-78 to 1982-83.**

| Year | Name of studies |
|---|---|
| 1977-78 | 1 Health Facilities in Tribal Areas. |
| | 2 Credit needs for new occupations. |
| | 3 Occupational changes among Scheduled Castes and Schduled Tribes of Udaipur area. |
| | 4 Socio-economic impact of Hand Pump Scheme in a tribal Area (Dungarpur). |
| | 5 Impact of Electrification in a Tribal Area. |
| | 6 Bench Mark Survey of Tribal Areas for 6th Plan. |
| | 7 I.T.D.P. Abu Road. |
| | 8 A Socio-economic study of a highly backward Group of Scheduled Caste. |
| 1978-79 | 1 Kadana Resettlement- A study of Tribal displacement. |
| | 2 Un-touchability : A study of the selected villages of Barmer district. |
| | 3 Backward classes Hostels : A study of Socio-economic Problems, Aspirations and Expectations. |
| | 4 Rehabilitation of Bonded Labourers. |
| | 5 Needs and Distribution of credit & Loans to the Small and Marginal Tribal farmers. |
| | 6 A study of accepted occupations and credit needs of Scheduled Caste and Scheduled Tribes in an urban setting. |
| | 7 Working of Lamps in Tribal areas. |

231



| 1 | 2 |
|---|---|
| | 8 Survey of Sagri system. |
| | 9 Scheduled Tribes of Rajasthan – A Statistical Analysis |
| 1979–80 | 1 Exploitations of Tribals : A case study of the collection of Tendu leaves. |
| | 2 Seharia special plan. |
| 1980–81 | 1 Peasantisation of Bhil Economy. |
| | 2 Sample study on Land Records & Land Alienation. |
| | 3 Study on exploitation of Tribals by money landers and its remidis measures. |
| | 4 Study of Post Matric- Scholarship Tribal., |
| | 5 Impact of irrigation facilities in Tribal village. |
| | 6 Kathedi Development Plan. |
| | 7 Study of Land system and Land Legislation. |
| 1981–82 | 1 Disease Culture Contact & Tribals. |
| | 2 Credit & Tribals. |
| | 3 Content analysis of Tribal programme. |
| | 4 An apprisal of the tribal scheme. |
| | 5 Review of Saharia Development Scheme. |
| | 6 Social Forestry programme in I.T.D.P. Dungarpur. |
| | 7 Revised Kathodi Development Plans. |
| | 8 Concentration of poverty and backwardness- A profile of Kotra. |

(232)



| 1 | 2 |
|---|---|
| 1982–83 | 1 Ethnagraphic profile of Mines<br>2 Maternity and Tribal Child Health.<br>3 Indebtedness and Credit requirement of I.T.D.P. Pratapgarh.<br>4 Evaluation of I.T.D.P. Banswara.<br>5 Evaluation of Saharis Development Project.<br>6 Tribal Development Programme Past and Present.<br>7 Evaluation of Lamps.<br>8 Industrial Potential Survey of T.S.P. Area.<br>9 Health coverage.<br>10 Flow of Institutional Finance in T.S.P. Area.<br>11 Educational facilities of S.Ts.<br>12 Potential Survey of T.S.P. Area. |

TRAINING & WORKSHOPS FROM 1977–78 TO 1982–83

Training Programme :

| Year<br>1 | Training<br>2 |
|---|---|
| 1977–78 | 1–3 days course to Supervisors of Bench Mark Survey. |
| 1978–79 | 1–5 days course of Tribal Leaders camp at Kotra. |
| 1979–80 | 1–5 days course of Tribal leaders at Jhadol.<br>2–5 days course of Tribal leaders at Talwara.<br>3–5 days course of Tribal leaders at Pratapgarh. |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1980-81 | 1-Gram Sakha.<br>2-Seharia youths engaged in Honey Collection work.<br>3-Small farmers and Free bonded labourers- Darri & Niwar making.<br>4-Presidents and Secretaries of youth Mahilamandals.<br>5-Secretaries of Chetna Sangh (Adult Education.)<br>6-Support for Rehabilitation of destitute Tribals (Bhil labour). |
| 1981-82 | 1-Angan wari workers.<br>2-Lamps managers.<br>3-Training of Samiti Sahayaks.<br>4-Associated in the Training Programme of Panchs & Sarpanchs.<br>5-Training of the Teachers/Coaches of Ashram Schools. |
| 1982-83 | 1-Training of Maternity and child case.<br>2-Tribal women Health hygiene.<br>3-Training of youth leaderships at Banswara. |

One year steno typing coaching classes was started for S.C & S.T. in Nov. 82.

No. of students S.T. 30
S.C. 10

Total 40

WORKSHOP

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1980-81 | 1 Maximizing Bank credit for tribals.<br>2 Protective legislation in T.S.P. Area.<br>3 Working of Mobile units.<br>4 Fisheries Development. |
| 1981-82 | 1 Post Matric Scholarships<br>2 Social Forestry.<br>3 Rule of Museums in Preservation and Porpogation of Tribal Culture. |
| 1982-83 | 1 Direct benefit to Tribals.<br>2 Identification & formulation of Community Project. |

LIST OF INSTITUTES PUBLICATIONS
(From the year 1977 to 1983)

1. TRIBE, Vol. X, (1977-78) : Quarterly Journal
   TRIBE, Vol. XI, (1978-79) : " "
   TRIBE, Vol. XII, (1979-80) : " "
   TRIBE, Vol. XIII, (1981) : " "
   TRIBE, Vol. XIV, No. 1 (1982) " "
2. Rajasthan Bhils.
3. Special Nutrition for Urban Poor. Some soico-economic Aspects.
4. डूंगरपुर जिले में बन्धक मजदूरों का पुनर्वास।
5. ग्राम संख्या प्रशिक्षण (विवरण पत्रिका)
6. कोटडा तहसील में तेन्दू पत्तों का एकत्रिकरण।
7. पिछड़े वर्ग के छात्रावास
8. अस्पृश्यता।
9. जनजातीय क्षेत्र में भ्रमणशील इकाइयों की कार्यशाला।
10. आदिवासी लघु एवं सीमान्त कृषकों में साख व ऋण वितरण की आवश्यकता।
11. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्यशाला।

# परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 58 का परिशिष्ट)

परिशिष्ट (1)

स्कीम का नाम: महावीर नगर कोटा

| क्र. सं. | मकान का माप | वर्ष 1979-80 आवंटित मकान सं. | मूल्य | वर्ष 1980-81 आवंटित मकान सं. | मूल्य | वर्ष 1981-82 आवंटित मकान सं. | मूल्य | वर्ष 1982-83 आवंटित मकान सं. | मूल्य | वर्ष 1983-84 आवंटित मकान सं. | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लाटरी संख्या 3 (1980-81) | | | | | | | | | | | |
| 1. | 5.25×8 मी० | — | — | 1039 | 11740 | | | | | | |
| 2. | 6×15 मी० | — | — | 328 | 27670 | | | | | | |
| 3. | 8×15 मी० | — | — | 195 | 38430 | | | | | | |
| लाटरी संख्या 4 (1980-81) | | | | | | | | | | | |
| 4. | 10.5×19.5 मी० | | | 64 | 93520 | | | | | | |
| 5. | 11×21 मी० (सीढ़ियों सहित) | | | 1 | 107820 | | | | | | |
| 6. | 11×21 मी० (सीढ़ियों सहित) | | | 65 | 104060 | | | | | | |

नोट:—1. अभी तक महावीर नगर कोटा में उपरोक्त 2 लाटरियों में 80-81 में ही आवंटित मकानों का मूल्य निर्धारण किया गया है।

2. दोनों लाटरियों में समान साइज के मकान न होने के कारण तुलना संभव नहीं है।

## परिशिष्ट 2

**योजना का नामः– अतिरिक्त दादाबाड़ी, कोटा**

| क्र.सं. | मकान का माप | 1979–80 | 1980–81 आवंटन लाटरी सं. 3 मकान संख्या | मूल्य | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6x15 मी० सीमेंन्ट का फर्श | | 96 | 28860 | | | |
| 2. | 6x15 मी० कातला का फर्श | | 38 | 28860 | | | |
| 3. | 6.1x15 मी० सीमेन्ट का फर्श | | 45 | 25290 | | | |
| 4. | 6.1x15 मी० कातला का फर्श | | 21 | 25350 | | | |
| 5. | 7.5x15 मी० | | 18 | 36370 | | | |
| 6. | 7.5x15 मी० सीमेन्ट का फर्श | | 20 | 35500 | | | |
| 7. | 7.6x15 मी० कातला का फर्श | | 23 | 38480 | | | |
| 8. | 7.6x15 मी० सीमेन्ट का फर्श | | 3 | 37250 | | | |
| 9. | 11x18 मी० | | 150 | 58310 | | | |
| 10. | 12x27 मी० | | 2 | 109560 | | | |
| 11. | 12x27 मी० | | 15 | 117550 | | | |
| 12. | 12x27 मी० | | 12 | 123000 | | | |
| 13. | 12x27 मी० | | 2 | 135170 | | | |
| 14. | 12x22.5 मी० | | 12 | 103410 | | | |

नोटः– अतिरिक्त दादाबाड़ी कोटा में लाटरी द्वारा आवंटन अन्य और मकानों का आवंटन न होने के कारण तुलना संभव नहीं है।

परिशिष्ट 3

योजना का नाम :—दादाबाड़ी कोटा

| क्र. सं. | मकान का माप | वर्ष 1979-80 | वर्ष 1980-81 लाटरी सं. 2 मकान सं. | वर्ष 1980-81 लाटरी सं. 2 मूल्य | वर्ष 1981-82 | वर्ष 1982-83 | वर्ष 1983-84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20×50 | | 2 | 25368 | | | |

नोट : 1. लाटरी द्वारा आवंटित मकानों का ही मूल्य निर्धारण ऊपर दर्शाया गया है।

2. लाटरी द्वारा अन्य आवंटन न होने के कारण तुलना संभव नहीं है।

239



## परिशिष्ट 4

स्कीम का नाम : दादाबाड़ी एक्सटेन्शन, कोटा

| क्र. सं. | मकान का साइज | वर्ष 1979–80 लाटरी सं. 1/ 1979–80 | वर्ष 1980–81 लाटरी सं. 4 1980–81 | वर्ष 1981-82 | वर्ष 1982–83 | वर्ष 1983–84 | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मकान सं. | मूल्य | मकान सं. | मूल्य | | |
| 1. | 13×38 | 088 | 9397 | 8 | 9590 | | बढ़ोतरी सं. 193/– |
| 2. | 18×35 बिना सीढ़ी के | 168 | 13146 | 16 | 17230 | | ,, रु. 4084/– |
| 3. | 18×35 सीढ़ी सहित | 50 | 16560 | 117 | 20590 | | ,, रु. 4030/– |
| 4. | 20×50 बिना सीढ़ी के | 14 | 22830 | 1 | 26270 | | ,, रु. 3440/– |
| 5. | 6×15 एम | | | 11 | 29210 | | |
| 6. | 6.1×15 एम बिना सीढ़ी के | | | 98 | 28450 | | |

नोट : उपरोक्त लाटरी से आवंटित मकानों का मूल्य निर्धारण किया गया है :—

कीमत में बढ़ोत्तरी के कारण :—

1. आवंटन लाटरी सं. II/ 1979–80 में आवंटित मकानों का मूल्य निर्धारण करते समय मकानों की कीमत में जमीन का मूल्य रु. 41/25 प्र. वर्ग मीटर से लिया गया है। जबकि आवंटन लाटरी सं. 4/ 1980–81 में आवंटित मकानों के मूल्य निर्धारण में जमीन का मूल्य रु. 61/ – प्रति वर्ग मीटर से लिया गया है।

2. बोर्ड के निर्णयानुसार आवंटन लाटरी सं. 11/1979–80 में आवंटित मकानों पर प्रशासनिक व्यय की दर 5 % ली गई जबकि आवंटन लाटरी सं. 4/ 1980–81 में आवंटित मकानों पर प्रशासनिक व्यय की दर 7–1/ 2 ली गई ।

3. आवंटन लाटरी सं. 11/1979–80 में सी. ई. आर. नहीं लिया गया था जबकि आवंटन लाटरी 4/1980–81 में सी. ई. आर. निम्न तालिका अनुसार किया गया :–

| | | |
|---|---|---|
| (अ) ई. डब्ल्यू. एस. | रु. 12000/– तक | शून्य |
| (ब) निम्न आय वर्ग | रु. 20000/– तक | 5% |
| (स) मध्यम आय वर्ग | रु. 50000/– तक | 7% |

4. आवंटन लाटरी 11/1979–80 तथा आवंटन लाटरी 4/1980–81 में ब्याज की दरें भी भिन्न थी :—

| आवास वर्ग | 11/1979–80 में ली जाने वाली ब्याज दर | 4/1980–81 में ली जाने वाली ब्याज की दर |
|---|---|---|
| कमजोर आय वर्ग | 7% | 9% |
| निम्न आय वर्ग | 9% | 10% |
| मध्यम आय वर्ग | 12% | 13% |

5. पुनर्भुगतान अवधि किश्तों पर आवंटित मकानों के लिये दोनों आवंटन लाटरियों द्वारा निम्नानुसार थी :—

| आवास वर्ग | आवंटन लाटरी 11/1979–80 के लिए | आवंटन लाटरी 4/1980–81 के लिए |
|---|---|---|
| ई. डब्ल्यू. एस. | 20 वर्ष | 18 वर्ष |
| एल. आई. जी. | 15 वर्ष | 13 वर्ष |
| एम. आई. जी. I | 12 वर्ष | 10 वर्ष |
| एम. आई. जी. II | | 10 वर्ष |
| एच. आई. जी. | 10 वर्ष | 10 वर्ष |

240

स्कीम का नाम ; तलवन्डी, कोटा

## परिशिष्ट 5

| क्रम सं. | मकान का साइज | वर्ष 1979–80 आवंटन लाटरी iii/ 1979–80 | | वर्ष 1980–81 आवंटन लाटरी 4/ 1980–81 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मकान सं. | मूल्य | मकान सं. | मूल्य |
| 1. | गांधी गृह (छत पर बिना खंरजा के) | 829 | 10120 | | |
| 2. | गांधी गृह (छत पर खंरजा के साथ) | 40 | 10420 | | |
| 3. | 20×37 1/2 सीढियों सहित | 66 | 20750 | | |
| 4. | 20×50 सीढियों सहित | 187 | 27620 | | |
| 5. | 20×50 केन्टीलीवर सीढियों सहित | 87 | 27290 | | |
| 6. | 25×50 सीढियों सहित | 246 | 35350 | 175 | 36480 |
| 7. | 30×60 बिना सीढ़ियों के | 101 | 35070 | 123 | 58020 |
| 8. | 40×60 | 105 | 61990 | 80 | 66250 |
| 9. | 12×18 एम बिना गैरेज बिना सीढी ऊंची पैराफिट वाले | | | 20 | 67240 |
| 10. | 7.6×15 एम बिना सीढियों के | | | 66 | 33700 |
| 11. | 7.5×15 एम ,, | | | 82 | 30450 |
| 12. | 6×11.25 एम ,, | | | 57 | 23590 |
| 13. | 5.25×11.25 एम | | | 199 | 20030 |

नोटः— तलवन्डी कोटा में 1979–80 से अब तक लाटरी से आवंटित मकानों का मूल्य निर्धारण ऊपर अनुसार किया गया है।

**बढोतरी के कारण:—**

1. **जमीन की कीमत :—** आवंटन लाटरी iii/1979–80 में आवंटित मकानों के मूल्य में जमीन की कीमत रु. 43/– वर्गमीटर से ली गई जबकि आवंटन लाटरी III,–1980–81 में आवंटित मकानों के मूल्य में जमीन रु. 45/– वर्गमीटर ली गई।

2. आवंटन लाटरी III/1979-80 में आवंटित मकानों के मूल्य में प्रशासनिक व्यय 6% लिया गया है। जबकि आवंटन लाटरी III/1980-81 में आवंटित मकानों के मूल्य में प्रशासनिक व्यय 71/2% से लिया गया है।

3. ब्याज की दरें भिन्न थी :--

| आवासन वर्ग | ब्याज की दर III/ 1979-80 के लिये | ब्याज की दर वर्ष III/ 1980-81 के लिये |
|---|---|---|
| ई०डब्ल्यू०एस० | 7% | 7% |
| एल०आई०जी० | 9% | 9% |
| एम०आई०जी० I | 11% | 11% |
| एच०आई०जी० II | 12% | 12% |
| एच०आई०जी० | 13% | 14% |

4. उपरोक्त दोनों आवंटन लाटरी में से केवल तीन साइजों का तुलनात्मक अध्ययन संभव है।

साईज है 25×50, 30×60, 40×60।

25×50 की तुलना

रु० 1130/ -- कुल बढोतरी (36480-35350)

बढोतरी के कारण :—ऊपर वर्णित 1, 2, 3 के अनुसार है।

30×60 साइज की तुलना

रु० 6950/- कुल बढोतरी (58020-51070)

बढोतरी के कारण:-

(अ) ऊपर वर्णित 1, 2, 3 के अनुसार

(ब) निर्माण व्यय में रु० 2487/ - की वृद्धि हुई है :-

III/ 1980-81 का निर्माण लागत 34455/-

III /1979-80 का निर्माण लागत 31968/-

2487/-

251

(स) आवंटन लाटरी III/1980-81 में मकान का मूल्य 50,000/- से अधिक होने के कारण इस पर सी. ई. आर. 9% ली गई जबकि आवंटन लाटरी III/ 1979-80 में यह 7% लिया गया था।

40 × 60 साइज की तुलना :—

रु. 4260/- कुल बढोतरी (66250-61990)

(अ) ऊपर वर्णित 1, 2, 3 के अनुसार

(ब) निर्माण व्यय में रु. 1805/- की वृद्धि हुई है।

| | | |
|---|---|---|
| III/1980-81 | का निर्माण लागत | 38714 |
| III/1979-80 | का निर्माण लागत | 36309 |
| | | 1805 |

5. किश्तों पर आवंटित मकान का पुनर्भुगतान की अवधि निम्नानुसार परिवर्तित हुई है:-

| | III/ 1979-80 के लिये | III/ 1980-81 के लिये |
|---|---|---|
| ई.डब्ल्यू.एस. | 20 वर्ष | 18 वर्ष |
| एल.आई.जी. | 15 वर्ष | 13 वर्ष |
| एम.आई.जी. I | 12 वर्ष | 10 वर्ष |
| एम.आई.जी.II | 12 वर्ष | 10 वर्ष |
| एच.आई.जी. | 10 वर्ष | 10 वर्ष |

परिशिष्ट 6

स्कीम का नाम : विज्ञान नगर, कोटा

| क्र.सं. | मकान का साइज | 1979-80, लाटरी नं. 11/1979-80 | | 1980-81 लाटरी नं. 11/1980-81 | | लाटरी सं. 4/1980-81 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मकान सं. | मूल्य | मकान सं. | मूल्य | मकान सं. | मूल्य |
| 1. | 13x38 | | | 24 | 7791 | 2 | 12800 |
| 2. | 18x35 | | | 6 | 12861 | 5 | 23910 |
| 3. | 20x37½ | | | 3 | 19965 | 5 | 32550 |
| 4. | 20x50 सीढ़ियों सहित | 175 | 23288 | 22 | 25368 | 5 | 36730 |
| 5. | 20x50 बिना सीढ़ियों के | | 21450 | 5 | 23540 | | |
| 6. | 25x50 सीढ़ियों सहित | | | 29 | 33707 | | |
| 7. | 25x50 डीलक्स | | | 2 | 36032 | | |
| 8. | 30x60 बिना सीढ़ियों के | | | 16 | 51922 | | |
| 9. | 30x60 सीढ़ियों सहित | | | 2 | 50522 | 5 | 66190 |
| 10. | 40x60 | | | 3 | 62360 | | |
| 11. | 40x90 | 47 | 81600 | | | | |
| 12. | 50x90 | 1 | 120400 | | | | |

नोट :- उपरोक्त कीमतें लाटरी से आवंटित मकानों की निर्धारित की गई कीमतें हैं।

1. लाटरी सं. 11/1979-80 तथा लाटरी संख्या 11/1980-81 में आवंटित मकानों में से निम्न साइज के मकानों की तुलना सम्भव है :-

20x50 सीढ़ियों सहित

20x50 बिना सीढ़ियों के

20x50 सीढ़ियों सहित — बढोतरी रु. 2080/- (25368-23288)

20x50 बिना सीढ़ियों के बढ़ोतरी रु. 2090/– (23540–21450)

इनमें बढ़ोतरी का कारण सरपल्स प्रवधि का ब्याज लगाया जाता है। उपरोक्त निर्णय कास्टिंग कमेटी की मीटिंग सं. 13 दिनांक 25.7.80 में लिया गया।

2 लाटरी सं. 11/ 1980–81 व लाटरी सं. 4/ 1980–81 में आवंटित मकानों में से निम्नलिखित 5 श्रेणियों की तुलना सम्भव है :–

13x38
18x35
20x37½
20x50
30x60

3. बढ़ोतरी के सभी श्रेणियों में समान कारण :–

(अ) आवंटन लाटरी 11/1980–81 में जमीन की कीमत रु. 32/– वर्गमीटर ली गई थी जबकि आवंटन लाटरी 4/ 1980–81 में जमीन की कीमत रु. 52/ 50 वर्गमीटर से ली गई।

(ब) आवंटन लाटरी II/ 1980–81 में सी.आई.आर. नहीं लिया गया था जबकि आवंटन लाटरी 4/ 1980–81 में सी.ई.आर निम्न दरों से लिया गया :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| ई.डब्ल्यू.एस. | अपटू | रु. 12000/– | — |
| एल.आई.जी. | अपटू | रु. 20000/– | 5% |
| एम.आई.जी. | अपटू | रु. 50000/– | 7% |
| एच.आई.जी. | अपटू | रु. 50000/– | 9% |

(स) प्रशासनिक व्यय आवंटन लाटरी II/1980–81 में 6% था जबकि आवंटन लाटरी 4/1980–81 में 7½% लिया गया।

(द) आवंटन लाटरी II/1980–81 में ब्याज की दरें निम्न प्रकार थी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| ई.डब्ल्यू.एस. | अपटू | 8000/– | 7% |
| एल.आई.जी. | अपटू | 18000/– | 9% |
| एम आई.जी.I | अपटू | 25000/– | 11% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| एम.आई.जी.II | अपटू | 42000/- | 11% |
| एच.आई.जी. | अपटू | 42000/- | 13% |

परन्तु हुडको द्वारा नई ब्याज दर लागू किये जाने के कारण आवंटन लाटरी 4/1980–81 में ब्याज दर निम्नानुसार ली गई है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| ई.डब्ल्यू.एस. | अपटू | 12000/- | 9% |
| एल.आई.जी. | अपटू | 20000/- | 10% |
| एम.आई.जी.I | अपटू | 30000/- | 13% |
| एम.आई.जी.II | अपटू | 50000/- | 14% |
| एच.आई.जी. | अपटू | 50000/- | |

(त) इस कारण भी मकानों की कीमत में असर पड़ा है।

13x38 साइज के मकानों के निर्माण लागत में रु. 1620/– प्रति मकान अधिक लागत लगी है।

18x35 साइज के मकानों में निर्माण लागत में रु. 1175/– प्रति मकान अधिक लागत लगी है।

20x37½ साइज के मकानों में निर्माण लागत में रु. 7420/– प्रति मकान अधिक लागत लगी है।

20x50 साइज के मकानों में निर्माण लागत रु. 2330/– प्रति मकान अधिक लगी है।

30x60 साइज के मकानों में निर्माण लागत रु. 7550/– प्रति मकान अधिक लगी है।

(थ) आवंटन लाटरी II/ 1980–81 तथा 4/1980–81 का पुनर्भुगतान किराया क्रय पद्धति पर निम्न अनुसार है :–

| आवास वर्ग | | II 1980–81 के अवधि | | 4/1980–81 के अवधि | |
|---|---|---|---|---|---|
| ई.डब्ल्यू.एस. | अपटू 8000 | 20 वर्ष | ई.डब्ल्यू.एस. | अपटू 12000 | 18 वर्ष |
| एल.आई.जी. | अपटू 18000 | 15 वर्ष | एल.आई.जी. | अपटू 20000 | 13 वर्ष |
| एम.आई.जी.I | अपटू 25000 | 12 वर्ष | एम.आई.जी.I | अपटू 30000 | 10 वर्ष |
| एम.आई.जी.II | अपटू 42000 | 12 वर्ष | एम.आई.जी.II | अपटू 50000 | 10 वर्ष |
| एच.आई.जी. | अपटू 42000 | 10 वर्ष | एच.आई.जी. | ऊपर 50000 | 10 वर्ष |

परिशिष्ट–7

स्कीम का नामः—तकतपुरा कोटा

| क्र.सं. | मकान का साइज | 1979–80 | 1980–81 | 1981–82 | 1982–83 |  | 1983–84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | मकान सं. | कीमत |  |
| 1. | 6×15 एम |  |  |  | 144 | रु. 10510/– |  |
| स्कीम का नामः— केशवपुरा, कोटा |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6×15 बिना रसोईघर |  |  |  | 257 | रु, 20340/– |  |
|  | 6×15 रसोईघर सहित |  |  |  | 44 | रु. 24850/– |  |
| 3. | 3.75×11.25 |  |  |  | 276 | रु. 7200/– |  |
| 4. | 5.25×11.25 |  |  |  | 127 | रु. 18360/– |  |
| स्कीम का नामः— रामचन्द्रपुरा कोटा |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.75×9 |  |  |  | 177 | रु. 7140/– |  |

नोट :– उपरोक्त स्कीमों में यही मकान बनाए गये हैं। सम्पूर्ण की लागत निर्धारण की जा चुकी है। तुलना सम्भव नहीं है।

# Page No 248

247



## परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 60 की सूची)

—तहसील घोसा के लिए गेहूं व लेवी चीनी का आवंटन

| क्र.सं. | नाम माह | गेहूं का आवंटन (मात्रा टनों में) | लेवी चीनी का आवंटन (मात्रा क्विन्टल में) |
|---|---|---|---|
| 1– | जनवरी, 82 | 250 | 480 |
| 2– | फरवरी, 82 | 250 | 480 |
| 3– | मार्च, 82 | 250 | 720 |
| 4– | अप्रैल, 82 | 250 | 720 |
| 5– | मई, 82 | 500 | 720 |
| 6– | जून, 82 | 450 | 870 |
| 7– | जुलाई, 82 | 400 | 720 |
| 8– | अगस्त, 82 | 400 | 750 |
| 9– | सितम्बर, 82 | 400 | 720 |
| 10– | अक्टूबर, 82 | 100 | 750 |
| 11– | नवम्बर, 82 | 50 | 725 |
| 12– | दिसम्बर, 82 | 400 | 953 |
| | योग :– | 3700 | 8608 |
| 1– | जनवरी, 83 | 100 | 720 |
| 2– | फरवरी, 83 | 300 | 720 |
| 3– | मार्च, 83 | 200 | 720 |
| 4– | अप्रैल, 83 | 200 | 720 |
| 5– | मई, 83 | 200 | 750 |
| 6– | जून, 83 | 200 | 760 |
| | योग :– | 1200 | 4390 |

248



## परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 61 की सूची)

| क्र.सं. | नाम माह | सीमेन्ट प्राप्ति (मात्रा कट्टों में) |
|---|---|---|
| 1. | अप्रेल, 83 | 11198 कट्टे |
| 2. | मई, 83 | 1500 ,, |
| 3. | जून, 83 | 20261 ,, |
| 4. | जुलाई, 83 | 11156 ,, |
| | कुल योग :— | 44115 कट्टे |

राजकीय/अर्द्ध राजकीय संस्थाओं को सीमेंट उपलब्ध कराई गई

| क्र.सं. | परमिट जारी करने का दिनांक | संस्था का नाम | मात्रा सीमेंट की कट्टों में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6-4-83 | अध्यक्ष हनुमान मन्दिर निर्माण समिति, कानपुर | 20 |
| 2. | 5-4-83 | मंत्री, आर्य समाज, उदयपुर | 50 |
| 3. | 12-4-83 | मंत्री, हनुमान मन्दिर, मोहता पार्क, उदयपुर | 10 |
| 4. | 16-4-83 | सचिव, श्री परमेश्वर साहरिता, अस्पताल, उदयपुर | 15 |
| 5. | 20-4-83 | श्री मोहनलाल सुखाड़िया मेमोरियल फाउण्डेसन, उदयपुर | 200 |
| 6. | 22-4-83 | सचिव, नेशनल मुस्लिम, मुसाफिर खाना हाथी पोल, उदयपुर | 100 |
| 7. | 5-5-83 | सचिव, तीर्थस्थल, जलबुर्ज दूधतलाई, उदयपुर | 25 |
| 8. | 24-4-83 | मंत्री, गुजरगोड़ ब्राह्मण समाज, कुन्दिया भैरू, उदयपुर | 20 |

(249)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 9. | 30-4-83 | विश्वनाथ महादेव मन्दिर बापू बाजार, उदयपुर | 15 |
| 10. | 2-5-83 | मंत्री, दिगम्बर, खण्डेलवाल 13 पंथी सभा, उदयपुर | 200 |
| 11. | 1-7-83 | वर्द्धमान स्थानकवासी जैन समाज आयड, उदयपुर | 20 |
| 12. | 18-6-83 | सचिव, प्रज्ञा चिवसु शिक्षण संस्था उदयपुर | 100 |
| 13. | 10-6-83 | अध्यक्ष, व्यवस्था समिति हनुमान मंदिर | 50 |
| | 1-7-83 | मोती मगरी, उदयपुर | 50 |
| | 29-7-83 | | 50 |
| 14. | 24-6-83 | वर्किंग ट्रस्टी शीतलनाथ महाराज का मण्डप, उदयपुर | 25 |
| 15. | 30-7-83 | सचिव, दाऊदी बोहरा जमातखाना मस्जिद चमनपुरा, उदयपुर | 100 |
| 16. | 24-6-83 | संचालक मीरा कला मन्दिर, उदयपुर | 50 |
| 17. | 24-6-83 | कनविनर, शीतलनाथ महाराज का मन्दिर, धोब की बाड़ी, उदयपुर | 150 |
| 18. | 1-7-83 | विश्वनाथ महादेव मन्दिर बापू बाजार, उदयपुर | 20 |
| 19. | 6-7-83 | सचिव, उदयपुर स्कूल ग्राफ सोसल वर्क्स राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर | 300 |
| 20. | 15-4-83 | विकास अधिकारी पंचायत समिति, बड़गांव | 240 |
| 21. | 7-4-83 | अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, उदयपुर | 20 |
| 22. | 6-4-83 | विकास अधिकारी पंचायत समिति, गिर्वा | 300 |
| | 15-4-83 | विकास अधिकारी पंचायत समिति, गिर्वा | 240 |
| 23. | 12-4-83 | प्रशासक नगर परिषद, उदयपुर | 500 |
| 24. | 16-4-83 | क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस्व संघ, उदयपुर | 250 |
| 25. | 12-4-83 | थाना प्रभारी, थाना धानमण्डी, उदयपुर | 20 |
| 26. | 12-4-83 | सहायक निदेशक कृषि भूसंरक्षण, उदयपुर | 250 |
| | 15-4-83 | ,, ,, ,, | 1000 |

250



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | 15-4-83 | विकास अधिकारी पंचायत समिति, गोगुन्दा | 240 |
| 28. | 15-4-83 | विकास अधिकारी पंचायत समिति, भीण्डार | 480 |
| 29. | 15-4-83 | अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त प्रथम, उदयपुर | 1000 |
| 30. | 15-4-83 | विकास अधिकारी पंचायत समिति, झाडोल | 400 |
| 31. | 15-4-83 | ,, ,, खेरवाड़ा | 400 |
| 32. | 20-4-83 | सरपंच ग्राम पंचायत, भूवाणा | 200 |
| 33. | 29-4-83 | अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राजसमन्द | 1000 |
| 34. | 27-4-83 | क्षेत्रीय वन अधिकारी, सलुम्बर | 15 |
| 35. | 27-6-83 | अधीक्षक, भूविज्ञान उदयपुर वृत्त, उदयपुर | 20 |
| 36. | 10-6-83 | प्रशासक नगर परिषद, उदयपुर | 200 |
| | 14-6-83 | ,, ,, | 200 |
| | 24-6-83 | ,, ,, | 300 |
| 37. | 16-6-83 | विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाड़ा | 300 |
| | 30-6-83 | ,, ,, ,, | 1140 |
| | | (बालबाड़ी निर्माण हेतु) | |
| 38. | 28-4-83 | कमान्डेन्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, उदयपुर | 2 |
| 39. | 30-4-83 | अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उदयपुर (फैमीन कार्य हेतु) | 1500 |
| 40. | 24-6-83 | महा प्रबन्धक राजस्थान जन जाति विकास सहकारी संघ, उदयपुर | 180 |
| 41. | 18-5-83 | सहायक निदेशक कृषि भूसंरक्षण, उदयपुर | 600 |
| | 14-6-83 | ,, ,, ,, | 300 |
| | 22-6-83 | ,, ,, ,, | 300 |
| | 28-6-83 | ,, ,, ,, | 250 |
| | | (अकाल राहत कार्य हेतु) | |
| 42. | 14-7-83 | अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, कांकरोली (अकाल राहत कार्य हेतु) | 1500 |
| 43. | 21-5-83 | आफीसर इन्चार्ज जावर ट्रेनिंग सेन्टर जावर माईन्स- उदयपुर | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 44. | 24-6-83 | अधीक्षक ज्योलिस्ट (फोसफेट) खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर | 100 |
| 45. | 24-6-83 | निदेशक, उदयपुर सोलर ओबजरवेट्रीक्ट, उदयपुर | 10 |
| 46. | 16-6-83 | अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक विभाग | 200 |
| | 14-7-83 | नगर खण्ड, उदयपुर | 600 |
| 47. | 27-6-83 | अतिरिक्त जिलाधीश, विकास जिला ग्रामीण अभिकरण, उदयपुर | 150 |
| 48. | 29-6-83 | सहायक निदेशक कृषि भूसंरक्षण, उदयपुर | 1200 |
| | 16-7-83 | ,, ,, ,, | 600 |
| | | (अकाल राहत कार्य हेतु) | |
| 49. | 14-7-83 | अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रथम जिला, उदयपुर | 2000 |
| 50. | 1-7-83 | क्षेत्रीय वन अधिकारी, उदयपुर (पश्चिम) | 40 |
| 51. | 30-6-83 | प्रशासक नगर परिषद, उदयपुर | 210 |
| | 27-7-83 | ,, ,, ,, | 290 |
| 52. | 28-6-83 | उप मण्डल अभियन्ता तार, उदयपुर | 2 |
| 53. | 5-7-83 | अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, फतहनगर | 300 |
| 54. | 29-7-83 | अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, नाथद्वारा | 500 |
| 55. | 26-7-83 | अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, देवगढ़ | 200 |
| 56. | 30-6-83 | अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड द्वितीय, उदयपुर | 4000 |
| | | (अकाल राहत कार्य हेतु) | |
| 57. | 6-7-83 | अभियन्ता समक्ष अनुरक्षण, उदयपुर | 5 |
| 58. | 22-7-83 | डिपो मैनेजर, इण्डियन आयल कोरपोरेशन, उदयपुर | 10 |
| 59. | 26-7-83 | डाईरेक्टर आफ ज्योलोजि यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान, उदयपुर | 10 |
| 60. | 27-7-83 | व्यवस्थापक, नीलकण्ठ महादेव मन्दिर मोतीमगरी, उदयपुर | 5 |

252



**विद्यालयों की सूची जिनको सीमेन्ट के परमिट जारी किये गये**

| क्र.सं. | परमिट जारी करने का दिनांक | नाम विद्यालय | तादाद कट्टे |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2-4-83 | प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक रविन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय, उदयपुर | 5 |
| 2. | 12-4-83 | प्रधानाचार्य, रा. बा. उ. मा. वि. रैजीडैन्सी, उदयपुर | 100 |
| 3. | 12-4-83 | आचार्य आलोक (इंगलिश मिडियम स्कूल, हिरणमगरी सैक्टर नं. 11, उदयपुर | 150 |
| 4. | 8-4-83 | प्रधानाध्यापक, मा.वि. बारापाल | 10 |
| 5. | 7-5-83 | प्रधानाचार्या, रा.बा.उ.मा.वि., उदयपुर | 100 |
| 6. | 24-6-83 | आचार्य उदयपुर स्कूल आफ सोसल वर्क्स, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर | 200 |
| 7. | 29-4-83 | प्रधानाध्यापक, सरस्वती निकेतन मा. वि. आयड़, उदयपुर | 200 |
| 8. | 2-5-83 | आचार्य, सैन्ट जोरजियस मिशन स्कूल फतहपुरा, उदयपुर | 30 |
| 9. | 2-5-83 | मंत्री, राजस्थान महिला विद्यालय, उदयपुर | 200 |
| 10. | 5-5-83 | आचार्य, शिशु भारती स्कूल, हिरणमगरी सैक्टर नं. 4, उदयपुर | 90 |
| 11. | 25-6-83 | प्रबन्धक, भूपाल नोबल संस्था, उदयपुर | 50 |
| 12. | 24-6-83 | प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक शाला मदनपोल, उदयपुर | 20 |
| 13. | 18-6-83 | प्रिन्सिपल, सैन्टमेरिज कान्वेन्ट हायर सैकेन्ड्री स्कूल, उदयपुर | 196 |
| 14. | 28-6-83 | आचार्य, सेन्ट तरेशा, आश्रम, गर्ल्स हायर सेकेन्ड्री स्कूल, उदयपुर | 200 |
| 15. | 28-7-83 | प्रधानाध्यापक, सरस्वती निकेतन, मा. वि. आयड़, उदयपुर | 100 |
| 16. | 26-7-83 | मंत्री, महिला मण्डल, उदयपुर | 5 |
| 17. | 24-6-83 | प्रधानाध्यापिका, महावीर मन्दिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, गणेश घाटी, उदयपुर | 30 |

253



## परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 63 से संबंधित सूचना)

| दोषी अधिकारी का नाम वर्तमान पता | जांच का कारण | जांच अधिकारी का नाम व पता जांच अधिकारी कब नियुक्त हुआ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (1) श्रीमती सुशीला सक्सैना, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति केशोरायपाटन वर्तमान विकास अधिकारी, पंचायत समिति खेराबाद (जिला कोटा) | श्री महेन्द्र कुमार जैन, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा शिकायत। | श्री हनुमान प्रसाद, कोषाधिकारी, बूंदी द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई। जिलाधीश बूंदी द्वारा प्रारम्भिक जांच के आदेश दिनांक 2–6–82 को दिये गये |
| (2) श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, तत्कालीन विकास अधिकारी, पं. स. तालेड़ा, वर्तमान विकास अधिकारी पंचायत समिति, केशोरायपाटन (जिला बून्दी) | श्री नन्दा व अन्य ग्रामवासी सुवासी द्वारा शिकायत। | श्री अमरसिंह, तत्कालीन उप जिला विकास अधिकारी, बूंदी द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई। जिलाधीश, बूंदी द्वारा जांच के आदेश दिनांक 6–7–82 को दिये गये। |

(254)



# परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची)

| क्र.सं. | पंचायत समिति का नाम | वर्ष 77 से वर्ष 1983 तक बनाये गये ऐनीकटों का नाम | ग्राम का नाम जहां ऐनीकट बनवाया गया | टूटे हुए ऐनीकट का नाम | टूटने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1- | झालरापाटन | 1-मालोपुरा ऐनीकट | मालोपुरा | — | — |
| | | 2-भीलवाड़ो ऐनीकट | भोजवाड़ा | — | — |
| | | 3-कुण्डोखेडा ऐनीकट | कुण्डोखेडा | — | — |
| | | 4-पीपलोद ऐनीकट | पीपलोद | — | — |
| | | 5-पीपल्या ऐनीकट | पीपल्या | — | — |
| 2- | बकानी | 1-मोडो ऐनीकट | मोडो | — | — |
| | | 2-भमाडा ऐनीकट | भूमाडा | — | — |
| | | 3-मण्डोखो ऐनीकट | मण्डोखो | — | — |
| | | 4-भूमको ऐनीकट | भूमको | — | — |
| | | 5-सरडा ऐनीकट | सरडा | — | — |
| | | 6-बोरखेडो गूजरान ऐनीकट | बोरखेडो गूजरान | — | — |
| 3- | सुनेल | 1-मायाखेडो ऐनिकट | मायाखेडो | — | — |
| | | 2-हरनावदा गजा ऐनिकट | हरनावदा गजा | — | — |
| | | 3-रायपुर ऐनिकट | रायपुर | — | — |
| | | 4-गोविन्दपुरा ऐनिकट | गोविन्दपुरा | — | — |
| | | 5-दांता ऐनिकट | दांता | — | — |
| | | 6-सेमलो भवानी ऐनिकट | सेमलो भवानी | — | — |
| | | 7-सनोतिया ऐनिकट | सनोतिया | — | — |
| | | 8-खारपाकलां ऐनिकट | खारपाकलां | — | — |
| | | 9-डण्डेरा ऐनिकट | डण्डेरा | — | — |
| 4- | डग | 1-बनो ऐनिकट | बनो | — | — |
| | | 2-फाजिलपुर ऐनिकट | फाजिलपुर | — | — |
| | | 3-शेरपुर ऐनिकट | शेरपुर | — | — |
| | | 4-खुरचनिया ऐनिकट | खुरचनिया | — | — |
| | | 5-डग ऐनिकट | डग | — | — |
| | | 6-उदयपुर ऐनिकट | उदयपुर | — | — |
| | | 7-बिसनिया ऐनिकट | बिशनिया | — | — |

255



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 8–गुराडिया झाला ऐनिकट | गुराडिया झाला | — | — |
| | | 9–रापाखेडो ऐनिकट | रापाखेडो | — | — |
| | | 10–चिश्तीपुरा ऐनिकट | चिश्तीपुरा | — | — |
| | | 11–पद्माखेडो ऐनिकट | पद्माखेडो | — | — |
| | | 12–प्रथोगढ ऐनीकट | प्रथोगढ | — | — |
| | | 13–राजपुरा ऐनिकट | राजपुरा | — | — |
| | | 14–क्यासरा ऐनिकट | क्यासरा | — | — |
| | | 15–मन्दिरपुर ऐनिकट | मन्दिरपुर | — | — |
| 5–खानपुर | | 1–चापाखुर ऐनिकट | चापाखुर | — | — |
| | | 2–गोलाना ऐनिकट | गोलाना | — | — |
| | | 3–खानपुर ऐनिकट | खानपुर | — | — |
| | | 4–रामपुरा ऐनिकट | रामपुरा | — | — |
| | | 5–पनवाड ऐनिकट | पनवाड | — | — |
| 2– | मनोहर-थाना | 1–नरसिंहपुरा ऐनिकट | नरसिंहपुरा | नरसिंहपुरा | भारी वर्षा से |
| | | 2–गरबोलिया ऐनिकट | गरबोलिया | गरबोलिया | ,, |
| | | 3–घोघडो ऐनिकट | घोघडो | — | — |
| | | 4–पोण्डोला ऐनिकट | पोण्डोला | — | — |
| | | 5–देवरोचंचल ऐनिकट | देवरो चंचल | — | — |
| | | 6–हनोतिया ऐनिकट | हनोतिया | — | — |
| | | 7–पालखंदा ऐनिकट | पालखण्दा | — | — |
| | | 8–गजवाड़ा ऐनिकट | गजवाड़ा | गजवाड़ा | भारी वर्षा से |
| | | 9–पाडलोखेड़ा ऐनिकट | पाडलीखेड़ा | — | — |
| | | 10–बांसखेडो ऐनिकट | बांसखेडो | — | — |
| | | 11–विश्नखेडा ऐनिकट | विश्नखेडा | — | — |
| | | 12–पटपडो ऐनिकट | पटपडो | — | — |
| | | 13–देवखो ऐनिकट | देवखो | — | — |
| | | 14–चांदपुरा भोलान ऐनिकट | चांदपुरा | — | — |
| | | 15–कोटडा चपरगढ ऐनिकट | कोटडा चपरगढ | — | — |
| | | 16–कामखेड़ा ऐनिकट | कामखेडा | — | — |
| | | 17–बेलास ऐनिकट | बेलास | — | — |
| | | 18–मोतीपुरा ऐनिकट | मोतीपुरा | — | — |
| | | 19–पोथापुरा ऐनिकट | पोथापुरा | पोथापुरा | भारी वर्षा से |

257



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 20–जूनापानी ऐनिकट | जूनापानी | जूनापानी | — |
| | 21–रानीपुरिया ऐनिकट | रानीपुरिया | — | — |
| | 22–जैतपुर ऐनिकट | जेतपुर | — | — |
| | 23–आंवहेड़ा ऐनिकट | आंवलहेड़ा | — | — |
| | 24–महेशपुरा ऐनिकट | महेशपुरा | — | — |
| | 25–पोपल्या ऐनिकट | पोपल्या | पोपल्या | भारी वर्षा से |
| | 26–बांसखेड़ा ऐनिकट | बांसखेड़ा | — | — |
| | 27–खाताखेड़ी ऐनिकट | खाताखेड़ी | — | — |
| | 28–खानपुरिया ऐनिकट | खानपुरिया | — | — |
| | 29–कण्डारी ऐनिकट | कण्डारी | कण्डारी | भारी वर्षा से |
| | 30–लक्ष्मीपुरा ऐनिकट | लक्ष्मीपुरा | — | — |
| | 31–ठोकरिया ऐनिकट | ठोकरिया | — | — |
| | 32–खाखरा ऐनिकट | खाखरा | — | — |
| | 33–तलाई बह ऐनिकट | तलाईबह | — | — |
| | 34–कवरियाखेड़ी ऐनिकट | कवरियाखेडी | — | — |
| | 35–रीछडो ऐनिकट | रिछडी | — | — |
| | 36–टाण्डी ऐनिकट | टाण्डी | — | — |
| | 37–बलदेवपुरा ऐनिकट | बलदेवपुरा | बलदेवपुरा | भारी वर्षा से |
| | 38–पातला पानी ऐनिकट | पातलापानी | — | — |
| | 39–जयश्री ऐनिकट | जयश्री | — | — |
| | 40–खाताखेड़ा ऐनिकट | खाताखेड़ा | — | — |
| | 41–छूवाड़िया ऐनिकट | छूवाछिया | — | — |
| | 42–टोडरोमोरा ऐनिकट | टोडरोमोरा | — | — |
| | 43–पटपड़ी ऐनिकट | पटपड़ी | — | — |
| | 44–सेमलोहाट ऐनिकट | सेमलोहाट | — | — |
| | 45–चन्दोपुर ऐनिकट | चन्दोपुर | चन्दोपुर | भारी वर्षा से |

ह: –

जिलाधीश (सहायता)
झालावाड़

257



# परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–72 का विवरण)

| क.सं. | नाम संस्था | औषधियों का स्वीकृत बजट | मुफ्त वितरित की गई औषधियों का मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रा. स्वा. केन्द्र, बराबरदा | 30,000 | 28,000 |
| 2. | मिनी हैल्थ सेन्टर, घड़ा | 5,000 | 5,000 |
| 3. | मिनी हैल्थ सेन्टर, कुलथाना | 7,000 | 6,700 |
| 4. | डिस्पेन्सरी अम्बा माता | 5,000 | 5,000 |
| 5. | डिस्पेन्सरी धनोतर | 6,000 | 5.000 |
| 6. | मिनी हैल्थ सेन्टर, रामपुरा | 5,000 | 4,600 |
| 7. | डिस्पेन्सरी, भरनोद | 10,000 | 8,500 |
| 8. | प्रा. स्वा. केन्द्र, देलोक | 30,000 | 29,000 |

## परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची)

| क्र.सं. | खाद्य पदार्थ का नाम | वर्ष 1982 में नमूनों की संख्या | वर्ष 1983 में नमूनों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दूध | 38 | 91 |
| 2. | दही | – | 4 |
| 3. | मिठाई | 5 | 3 |
| 4. | तेल | 5 | 22 |
| 5. | चाय | 3 | 2 |
| 6. | मेवा | 2 | – |
| 7. | वनस्पति | 1 | – |
| 8. | बेसन | – | 2 |
| 9. | कुल्फी | – | 1 |
| 10. | आईस केण्डी | 1 | 2 |
| 11. | कनफेक्सनरी | 2 | – |
| 12. | सोफ्ट ड्रिंक | 1 | – |
| 13. | मसाले | – | 6 |
| 14. | घी | – | 1 |
| 15. | केन सुगर | 1 | – |
| | कुल योग | 59 | 134 |

# परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 79 की सूची)

LIST OF P.F.A. SAMPLES ANALYSED IN THE C.P.M. LABORATORY, JAIPUR DURING THE AUGUST, 83 AND FOUND ADULTARATED

| S.No. | Name of Food Inspector | Sample No. | Nature of oil | Place of collection | Date of collection | Date of receipt | Name of the Vendor | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sh. M C. Bhattacharya Central Team, Jaipur | 6-MB-83 | Solvant extracted groundnut Oil | Churu | 10-8-83 | 11-8-83 | Sh. Vishan Dass | Adultarated |
| 2. | -do- | 7-MB-83 | Refind groundnut Oil | Village Asalu | 15-8-83 | 17-8-83 | Sh. Ramjan Mohd. | -do- |
| 3. | Sh. Devi Singh Central Team, Rajasthan, Jaipur | DS-5-83 | Refind rapeseed Oil | Churu | 10-8-83 | 11-8-83 | Sh. Sarwan Kumar S/o Sh. Kishan Lal | -do- |
| 4. | Sh. Devi Singh Central Team, Rajasthan, Jaipur | DS-6-83 | Groundnut Oil | Changhu | 14-8-83 | 17-8-83 | Sh. Trilok Chand | -do- |
| 5. | Sh. Devi Singh, Central Team, Rajasthan Jaipur | DS-7-83 | Refind Taramira Oil | Churu | 15-8-83 | 17-8-83 | Sh. Chander Parkash | -do- |
| 6. | Sh. B. L. Sharma, Central Team, Raj. Jaipur. | 12-BL-83 | Rapeseed refind Oil | Dulaka Khara (Churu) | 15-8-83 | 17-8-83 | Sh. Panna Lal S/o Sh. Banshi Dhar | -do- |
| 7. | Sh. S N. Sharma, Churu | SNS-3 | Ground Oil | Churu | 21-8-83 | 24-8-83 | Sh Gulam Mohd. Kayamkhani S/o Sh. Yassin Khan Kayamkhani | -do- |

260



## परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची)

ग्रामीण क्षेत्रों में 1-4-82 से 31-3-83 तक खेलों पर व्यय की गई धनराशि की जिलेवार सूची :-

| जिला | रुपये |
|---|---|
| अजमेर | 16,304-39 |
| अलवर | 27,604-72 |
| बाड़मेर | 1,739-73 |
| बांसवाड़ा | 12,440-82 |
| भरतपुर | 6,587-64 |
| भीलवाड़ा | 7,581-30 |
| बीकानेर | 4,064-00 |
| बूंदी | 1,043-78 |
| चित्तौड़ | 11,757-47 |
| चूरू | 6,364-86 |
| डूंगरपुर | 13,203-86 |
| जैसलमेर | 4,460-05 |
| जालौर | 934-39 |
| झालावाड़ | 2,359-82 |
| झुन्झुनू | 6,024-03 |
| जोधपुर | 3,640-68 |
| कोटा | 28,220-49 |
| नागौर | 859-38 |
| पाली | 1,718-78 |
| सीकर | 2,743-77 |
| सिरोही | 3,823-17 |
| सवाई माधोपुर | 7,198-05 |
| टोंक | 13,314-59 |
| श्रीगंगानगर | 14,075-00 |
| जयपुर | 1,31,105-15 |
| उदयपुर | 63,073-77 |
| राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतियोगिता शिमोगा में व्यय | 12,600-66 |
| कुल योग रुपये | 3,84,844-96 |

1-4-83 से 31-7-83 तक व्यय की गई धनराशि की जिलेवार सूची

| जिले का नाम | रुपये |
|---|---|
| अजमेर | 4,915-00 |
| बाड़मेर | 750-00 |
| चित्तौड़ | 2,061-00 |
| बांसवाड़ा | 800-00 |
| डूंगरपुर | 1,052-20 |
| जयपुर | 43,447-20 |
| उदयपुर | 57,208-43 |
| कुल योग रुपये | 1,10,233-83 |